

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष का

वाणिज्यिक

मध्यप्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix-xiv
अध्याय-I		
सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन ।		
प्रस्तावना	1.1	1
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	1.2-1.13	2-9
विद्युत क्षेत्र में सुधार	1.14-1.15	10
सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम	1.16-1.20	11-13
विधानसभा में, सांविधिक निगमों के पृथक लेखापीक्षा प्रतिवेदनों को, पटल पर रखे जाने की स्थिति	1.21	13
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन	1.22	13
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम	1.23-1.25	13-14
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निर्देशों पर आंतरिक लेखापरीक्षा/आतंरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार हेंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	1.26	14-15
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने की अनुशंसाएं	1.27	15
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.28	15
619-बी कंपनियाँ	1.29	16
अध्याय-II		
सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन समीक्षाएं		
मध्यप्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कॉरपोशन लिमिटेड की आधारित संरचना के विकास सहित होटलों का निष्पादन	**2.1**	
मुख्यांश		17
प्रस्तावना	2.1.1	18
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.1.2	19
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	2.1.3	19
लेखापरीक्षा पद्धति	2.1.4	19
लेखापरीक्षा प्रणाली	2.1.5	20
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.1.6 - 2.1.36	20-44
होटलों का निष्पादन	2.1.6 - 2.1.15	20-29

विवरण	संदर्भ	
		पृष्ठ
अधोसंरचना का विकास	2.1.16 - 2.1.34	29-43
आंतरिक नियंत्रण एवं आतंरिक लेखापरीक्षा प्रणाली	2.1.35 - 2.1.36	43-44
निष्कर्ष		44
अनुशंसाएं		44-45
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा बिलिंग एवं राजस्व का संग्रहण	**2.2**	
मुख्यांश		46
प्रस्तावना	2.2.1	46-47
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.2.2	47
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	2.2.3	48
लेखापरीक्षा मानक	2.2.4	48
लेखापरीक्षा पद्धति	2.2.5	48-49
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.2.6-2.2.32	49-71
बिलिंग	2.2.6-2.2.13	49-55
राजस्व का संग्रहण	2.2.14-2.2.29	55-69
आतंरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली	2.2.30-2.2.32	69-71
निष्कर्ष		71
अनुशंसाएं		71
अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई का प्रचालन निष्पादन	**2.3**	
मुख्यांश		72-73
प्रस्तावना	2.3.1	73-74
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.3.2	74
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.3.3	74-75
लेखापरीक्षा मानदन्ड	2.3.4	75
लेखापरीक्षा विधि	2.3.5	75-76
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.3.6 - 2.3.32	76-95
उत्पादन	2.3.7-2.3.20	76-87
संधारण	2.3.21-2.3.22	87-88
इकाइयों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण	2.3.23-2.3.31	88-94
आतंरिक नियंत्रण	2.3.32	94-95
निष्कर्ष		95
अनुशंसाएं		95

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए रेवेन्यू बिलिंग सॉफ्टवेयर की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	**2.4**	
मुख्यांश		96
प्रस्तावना	2.4.1- 2.4.3	96-97
रिवेन्यू मैनेजमेन्ट सिस्टम (राजस्व प्रबंधन प्रणाली)	2.4.4-2.4.6	97-98
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	2.4.7	98
लेखापरीक्षा - क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	2.4.8-2.4.9	98
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.4.10-2.4.23	99-108
आगत (इनपुट) नियंत्रणों एवं विधिमान्यकरण जाँचों की अपर्याप्तता	2.4.10-2.4.15	99-102
प्रणाली रूपांकन (सिस्टम डिजाइन) खामियां	2.4.16-2.4.17	102-104
सामान्य नियंत्रण की अपर्याप्तता	2.4.18-2.4.21	104-106
अन्य रूचिकर मुद्दे	2.4.22-2.4.23	106-108
निष्कर्ष		108
अनुशंसाएं		108-109
अध्याय -III		
सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन समीक्षा		
मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कारपोरेशन द्वारा भण्डार गृहों के निर्माण, संचालन एवं संधारण.	**3.**	
मुख्यांश		111-112
प्रस्तावना	3.1	112-113
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.2	113
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	3.3	113-114
लेखापरीक्षा मानदन्ड	3.4	114
लेखापरीक्षा पद्धति	3.5	114-115
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	3.6-3.44	115-138
भण्डार गृहों की क्षमता का विस्तार	3.6	115
भण्डार गृहों का निर्माण	3.7-3.16	115-120
गोदामों का संचालन	3.17-3.31	121-129
भण्डार गृहों का संधारण	3.32-3.34	129-132
बीमा	3.35-3.36	132-133
जनशक्ति विश्लेषण	3.37-3.39	133-134
निगमित शासन	3.40-3.44	135-138
निष्कर्ष		138
अनुशंसाएं		138

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय IV		
लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां		
सरकारी कंपनियां		
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड		
प्रदर्शनकक्षों के क्रय पर निष्फल निवेश	4.1	139-140
मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड		
ब्याज की हानि	4.2	140
मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड		
आयकर पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	4.3	141-142
संयुक्त उद्यम भागीदार को अदेय लाभ	4.4	142-143
राजस्व की हानि	4.5	143-144
मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित		
विज्ञापनों पर परिहार्य व्यय	4.6	145
निष्फल व्यय	4.7	146-147
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित		
उच्चतर विशिष्टियों के अनुकूलन के कारण परिहार्य व्यय	4.8	147-148
परिहार्य व्यय	4.9	148-149
मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड		
राजस्व की हानि	4.10	149-150
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉपोशन लिमिटेड		
बोरियों की परिहार्य अधिप्राप्ति के कारण हानि	4.11	150-151
मध्यप्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित		
निधियों का अवरोध	4.12	151-152
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड		
ठकेदार को अदेय लाभ	4.13	152-153
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी लिमिटेड		
निधियो का अवरोध	4.14	154
मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित		
सड़क के रखरखाव पर निष्फल व्यय	4.15	155
परिहार्य व्यय	4.16	156
सामान्य		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा वित्तीय विवरण पत्रकों को तैयार करने में लेखाकरण मानकों का बारबार पालन न किया जाना	4.17	157-158
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुर्वतन कार्यवाही	4.18	159-160
निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं का उत्तर	4.19	160-161

क्रम संख्या	परिशिष्टयां	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1	सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के पूंजी, बजट से प्राप्त ऋण/अंशपूंजी, अन्य ऋण तथा 31 मार्च 2007 को बकाया ऋणों के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण-पत्रक	1.3, 1.4 एवं 1.5	163-167
2	सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश	1.6, 1.7, 1.13, 1.19 एवं 1.20	168-172
3	वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियाँ, दायित्वों को छोड़ना, ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन तथा मार्च 2007 के अंत तक प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और बकाया गारंटियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक.	1.5	173-175
4	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.7	176-177
5	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.7	178-179
6	सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.12	180-183
7	महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों में स्थित होटलों की अधिभोग स्तरों और प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितम्बर के दौरान टैरिफ में छूट का प्रस्ताव दर्शाने वाला विवरण पत्र	1.1.11	184
8	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के होटलों, कैफेरेरिया तथा रेस्टोरेन्ट की सूची	2.1.12	185
9	विभिन्न होटल मैनेजरों से वर्ष 2005-06 के लिये अधिक खाद्य लागत तथा ईंधन लागत हेतु वसूली योग्य राशि दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.1.12	186
10	महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में होटलों में स्थित मदिरालयों (बारों) के अधिभोग तथा लाभंकारिता का विवरण पत्र	2.1.13	187
11	भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत गन्तव्य स्थल विकास निर्माण कार्य दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.1.18	188
12	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित भोपाल 11 वे वित्त आयोग की अनुशंसा पर निधि पारित परियोजना का निर्माण कार्य	2.1.30	189-190
13	मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के बकाया का श्रेणीवार विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्रक	2.2.14	191
14	अमरकंटक ताप विधुत केन्द्र, चचाई के न्यून ताप क्षमता के कारण ताप खपत का अधिक्य दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.3.10	192-193

क्रम संख्या	परिशिष्टयां	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
15	विद्युत गृह के ताप दर में कारण वार वृद्धि तथा अमरकंटक के विद्युत गृह-II के निरूपित पैरामीटरों से विचलनों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.11	194
16	अमरकंटक ताप विधुत केन्द्र के विधुत गृह-I एवं विधुत गृह II पर कोयले की अधिक खपत को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.12	195
17	अमरकंटक विद्युत ताप ग्रह, चचाई में डी एम वाटर की अधिक खपत के कारण अधिक व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.3.16	196
18	अमरकंटक विद्युत ताप गृह चचाई के उपलब्ध घन्टे, परिचालित घन्टे तथा शट डाऊन घन्टो का विवरण प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्रक	2.3.17	197
19	अमरकंटक विद्युत ताप गृह की इकाइयों का नवीनीकरण में अधिक समय के कारण हुई उत्पादन हानि दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.3.18	198
20	मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये क्रय किये गये हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का विवरण	2.4.22	199
21	केप रूपान्तरण सहित गोदामो की क्षमता में हुई वास्तविक वृद्धि की तुलना में नये गोदाम बनाने के लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण पत्र	3. .7	200
22	मार्च 2007 को समाप्त हुए पाँच वर्षो की अवधि के हेतु मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन की उपलब्ध क्षमता एवं उसके उपयोग के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र	3. .17	201
23	मध्यपदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन के केन्द्रो की उपयोगिता प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण पत्र	3. .18	202
24	मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन बावत वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक के लिए वर्ष बार पुनरीक्षित अनुमान वास्तविक व्यय तथा आय और पूंजी व्यय, राजस्व व्यय तथा आय में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण पत्रः	3. .44	203
25	लेखाओं को अंतिम रूप देने के रामय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप धारा (3 ग) के अतंर्गत लेखाओं के मानकों का अतिक्रमण करने वालि कम्पनी/निगम को दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.17	204-[illegible]
26	प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षा पर प्राप्त नहीं हुई व्यख्यात्मक टिप्पणीयों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	4.18.1	2[illegible]
27	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, के विवरण दर्शाने वाला पत्रक ।	4.19	2[illegible]
28	समीक्षाएं एवं प्रारूप कंडिकाएं जिनके उत्तर लंबित हैं ।	4.19	2[illegible]

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जिन सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं, वे निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:

(i) सरकारी कंपनियां,

(ii) सांविधिक निगम, तथा

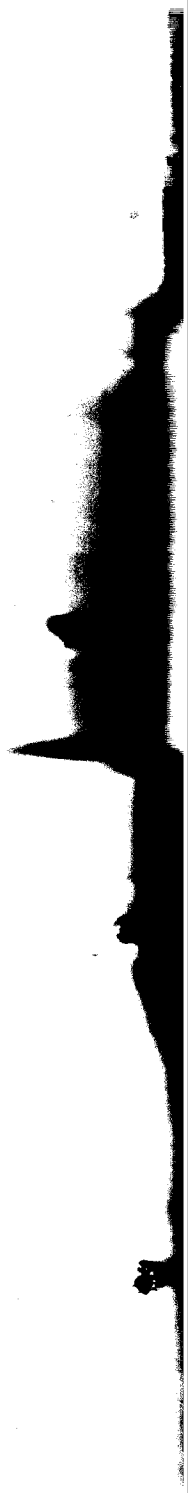
(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

यह प्रतिवेदन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल सहित सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है । विभागीय रूप से संचालित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) में सम्मिलित किया गया हैं ।

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाती है । मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल जो सांविधिक निगम हैं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं । राज्य वित्तीय निगम (संशोधित) अधिनियम 2000, के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से निगम द्वारा नियुक्त किये गये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त मध्यप्रदेश वित्त निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को हैं । मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के विषय में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखापरीक्षा करने का अधिकार भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को हैं । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विषय में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं । इन सभी निगमों के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को पृथक रूप से अग्रेषित किए जाते हैं ।

इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया हैं जो 2006-07 के वर्ष में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वह भी जो कि विगत वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में समाविष्ट नहीं किया गया था । जहाँ आवश्यक समझा गया है वहाँ 2006-07 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया हैं ।

लेखापरीक्षा करते समय भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के पालन सुनिश्चित किये गये हैं ।



विहंगावलोकन

1. सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

31 मार्च 2007 को राज्य में 40 सरकारी कंपनियों तथा चार सांविधिक निगमों को समाविष्ट करते हुए राज्य में 44 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। 40 सरकारी कंपनियों में से 31 कार्यशील कंपनियां थी जबकि नौ अकार्यशील कंपनियां थीं। सभी चार सांविधिक निगम कार्यशील निगम थे। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के नियमाधीन एक कंपनी थी।

(कंडिका 1.1 एवं 1.29)

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में कुल निवेश 31 मार्च 2006 को 18,796.34 करोड़ रूपए से बढ़कर 31 मार्च 2007 को 20,308.37 करोड़ रूपए हो गया। इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में कुल निवेश 225.47 करोड़ रूपए से बढ़कर 228.93 करोड़ रूपए तक हो गया ।

(कंडिका 1.2 एवं 1.16)

पूंजी, ऋणों एवं अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों को वितरित की गई बजटीय सहायता 2005-06 में 4531.88 करोड़ से घटकर 2006-07 में 1,474.20 करोड़ रूपए रह गई। राज्य सरकार ने 2006-07 के दौरान कुल 483.83 करोड़ रूपए के ऋणों की गारंटी दी थी। राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिये गए बकाया ऋकों की कुल राशि 31 मार्च 2006 को 7,236.07 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2007 तथा 3,044.29 करोड़ रूपए हो गई।

(कंडिका 1.5)

चार कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा एक सांवधिक निगम ने वर्ष 2006-07 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया था। 30 सितंबर 2007 को, 27 कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा तीन सांविधिक निगमों के लेखे एक से सात वर्षों तक की अवधि के लिये बकाया थे। तीन कम्पनियों के प्रथम लेखे को अंतिम रूप दिया जाना बाकि थी । किसी भी अकार्यशील सरकारी कंपनी ने 2006-07 वर्ष के लिए अपने लेखें को अंतिम रूप नहीं दिया था । समस्त अकार्यशील कंपनियों के लेखे 30 सितम्बर 2007 को एक से लेकर 17 वर्षों तक की अवधि के लिए बकाया थे।

(कंडिका 1.6 एवं 1.19)

उनके द्वारा अद्यतन अंतिम रूप दिए गये लेखाओं के अनुसार 12 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों (10 सरकारी कंपनियों एवं दो सांविधिक निगमों) ने 854.86 करोड़ रूपए की कुल हानि उठाई। 19 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों (17 सरकारी कंपनियों तथा दो सांविधिक निगमों) ने अपने अद्यतन अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 1,410.63 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित किया । पांच कार्यशील सरकारी कम्पनियों ने वर्ष के दौरान 9.39 करोड़ रूपए का लाभांश घोषित किया। हानि उठाने वाले दो सांविधिक निगमों ने 1,109.59 करोड़ रूपए की कुल संचयित हानियां उठाईं, जो कि 412.95 करोड़ रूपए की उनकी प्रदत्त-पूंजी से अधिक था।

(कंडिकाएं 1.7, 1.8, एवं 1.11)

2. सरकारी कंपनीयों से संबंधित समीक्षाएँ

2.1 मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित की अधोसंरचना विकास सहित होटलों का निष्पादन

कम्पनी का निर्गमन (मई 1978) इस आशय से किया गया था कि वो राज्य में पर्यटन का विकास करेगी । खराब अधोसंरचना तथा व्यवसायिक रूप से दक्ष्य कर्मचारियों के अनुउपलब्धता के कारण कम्पनी अपने उद्देश्य कि बड़ी संख्या में पर्यटक उसके संसाधनो का उपयोग करे में कमी आई । लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई कुछ बिन्दु निम्नलिखित हैं;

- कम्पनी द्वारा अपने होटल के अकुपेन्सी के लिये समविच्छेद बिन्दु निर्धारित नहीं किये थे । मार्च 2007 को समाप्त पांच वर्षो में कम्पनी 60 प्रतिशत की स्वीकार्य औसत औकेपेन्सी भी प्राप्त नहीं कर पाई जिससे उसे संभावित राजस्व के रूप में 16.12 करोड़ रूपये की हानि हुई ।

- कम्पनी ने कच्चे माल तथा ईधन लागत का विश्लेषण किये बिना मेन्यू दर पर ही लागत निर्धारित कर दी । कम्पनी को अपने द्वारा निर्धारित मानदण्ड के ऊपर खाने एवं ईधन पर 7.93 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा ।

- कम्पनी ने अधोसंरचना हेतु उपलब्ध निधि में से केवल 39.48 प्रतिशत का उपयोग निर्माण कार्य हेतु किया जिसके परिणामस्वरूप राज्य में प्रयाप्त पर्यटन अधोसंरचना का विकास नही हो सका ।

(कंडिका 2.1)

2.2 मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा बिलिंग एवं राजस्व का संग्रहण।

कम्पनी की त्रुटिपूर्ण बिलिंग एवं संग्रहण प्रणाली होने के कारण सही टैरिफ दर न लागू कर पाने से गलत बिलिंग एवं लेखे हुई जिससे राजस्व की हानि हुई । महत्वपूर्ण बिन्दु जो लेखापरीक्षा के ध्यान में आया निम्नलिखित हैः

- कंपनी ने जुलाई 2005 से अगस्त 2006 के दौरान 268.68 करोड़ रूपए राजस्व की हानि उठाई जिसका मुख्य कारण उपभोक्ताओं के खपत का अवास्तविक निर्धारण था।

- उज्जैन क्षेत्र में 4.58 करोड़ रूपए की कम बिलिंग हुई क्योंकि जुलाई 2005 से मार्च 2006 तक के दौरान सृजित मांग घटी हुई दर (सब्सीडाइज्ड रेट) की अपेक्षा कम थी और 2.34 करोड़ रूपए की कम बिलिंग टैरिफ के दोषपूर्ण अनुप्रयोग के कारण हुई।

- 31 मार्च 2007 को लंबित संग्रहण के 1,253.41 करोड़ रूपयों में से 538.17 करोड़ रूपए (42.94 प्रतिशत) दो वर्षों से अधिक समय से लंबित थे तथा संग्रहण के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य अवास्तविक थे।

- कंपनी का आंतरिक नियंत्रण तन्त्र विधुत चोरी विरोधी अभियान के दौरान अपर्याप्त एवं अप्रभावी था जिसके परिणामस्वरूप 33.97 करोड़ रूपये के बकायाओं की प्राप्ति नहीं हो सकी ।

(कंडिका 2.2)

2.3 मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड की अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र, चचाई का प्रचालन निष्पादन

मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित के अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र (ए टी पी एस) चचाई पर 30 तथा 20 मेगावाट प्रत्येक (फेस I) की दो इकाइयों एवं 120 मेगावाट प्रत्येक की दो इकाइयों (फेस II) सहित 290 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता है । ताप केन्द्र का प्रचालन सतुष्टीपूर्ण नहीं है । लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्मलिखित हैः

- रखरखाव कार्य की योजना में कमी एवं नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के कार्य में विलम्ब के कारण 1,140.35 करोड़ रूपए मूल्य की 3,801.16 मेगा यूनिट की कमी अभिलेखबद्व की गई।

- कम ताप क्षमता के कारण 196.92 करोड़ रूपए मूल्य के 18.27 लाख मैट्रिक टन कोयले की अधिक खपत हुई तथा डिजाइन मापदण्ड से अधिक संचालन ऊष्मा उपभोग के कारण 59.74 करोड़ रूपए मूल्य के 5.54 लाख मैट्रिक टन कोयले की अधिक खपत हुई।

- सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित मानक से अधिक सुनियोजित एवं दबावयुक्त अवरोध के कारण हुई घंटो की हानि के कारण 391.52 करोड़ रूपये मूल्य की 1,305.08 मिलियन यूनिट के उत्पादन की हानि हुई ।

- भारत सरकार द्वारा नियुक्त कुकडे समिति के द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक ओवरहालिंग/कैपीटल ओवरहालिंग में लिये गये समय के परिणामस्वरूप 48.17 करोड़ रूपए मूल्य के 160.56 मिलियन यूनिट के उत्पादन की हानि हुई।

(कंडिका 2.3)

2.4 *निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए रेवेन्यू बिलिंग सॉफ्टवेयर की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा*

कम्पनियों द्वारा निम्न दाब बिलिंग के लिए नवीन ओरेकल आधारित सॉफ्टवेयर के इन-हाउस विकास का निर्णय लिया था । राजस्व प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत हुये 5 वर्ष से की अधिक समय व्यतित हो चुका है तथापि 143 संभागों में से केवल 5 संभागों में ऑनलाइन आधार पर राजस्व प्रबंधन प्रणाली चालु है । विकसित किये जाने वाले 14 माडयूलस के विरूद्ध केवल 8 माडयूलस ही राजस्व प्रबंधन प्रणाली के वर्तमान स्वरूप में है । लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार है ।

- अपर्याप्त आगत (इनपुट) नियंत्रणों एवं समुचित विधिमान्यकरण जाँचों के अभाव के परिणामस्वरूप अपात्र उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई कतिपय रियायतों यथा कर्मचारियों को छूट, शून्य प्रतिभूति जमा एवं प्रतिभूति जमा की वृद्धि न किये जाने के बारे में पता नहीं चल सका ।

- अपर्याप्त पासवर्ड नियंत्रणों ने डाटा को अनधिकृत पहुँच एवं परिवर्तन हेतु सुगम बना दिया।

- मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के क्रय पर 4.25 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय किया गया ।

(कंडिका 2.4)

3. सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षा

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन द्वारा भण्डारगृह का निर्माण, प्रचालन एवं संधारण।

निगम के पास भूमि खरीदने, भण्डार गृह का निर्माण करने एवं उनका उपयोग करने के संबंध में कोई संतोषजनक योजना नहीं थी । प्रयाप्त निधि उपलब्ध होने के बावजूद निगम अपनी भण्डारण क्षमता बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा जैसा कि शासन से सहमति पत्र से प्रकट होता है । लेखापरीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु ध्यान में आये जो निम्नलिखित है;

- गोदामों को पूर्ण करने और उनको चालू करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.74 करोड़ रूपए के राजस्व की हानि हुई।

- विवाद ग्रस्त भूमि पर भण्डारगृह का निर्माण करने के परिणामस्वरूप 1.76 करोड़ रूपये अवरूद्ध हुए ।

- 2002-07 के दौरान किराये पर लिए गए गोदामों का उपयोग 80 से 92 प्रतिशत तक की सीमा में था, जबकि स्वयं के गोदामों के उपयोग का प्रतिशत केवल 53 से 67 प्रतिशत था । यदि निगम प्रायवेट गोदामों को लेने के बजाय अपने पास उपलब्ध अपने खुद के अतिशेष गोदामो का उपयोग करता तो वह अतिरिक्त राजस्व के रूप में 6.28 करोड़ रूपये कमा सकता था ।

- निगम अपने गोदामों में खाद्यानों के भंडारण के लिए मूल उत्पादकों को आकर्षित करने में असफल रहा क्योंकि 2002-07 के दौरान किसानों से प्राप्त व्यवसाय, उपयोग की गई क्षमता का 8.62 से 12.27 प्रतिशत तक था ।

(कंडिका 3.)

4. लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस रिपोर्ट में सम्मिलित की गई लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में कमियों को प्रकाश में लाया गया है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई। इंगित की गईं अनियमितताएं मुख्यतः निम्न प्रकार की हैः-

नौ मामलों में 9.26 करोड़ रूपये के निष्फल, परिहार्य एवं अतिरिक्त व्यय हुए ।

(कंडिकाये 4.1, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.15 एवं 4.16)

दो मामलों में संयुक्त उद्यमी साझेदार/ठेकेदार को 0.66 करोड़ रूपये के अनुचित लाभ दिया गया ।

(कंडिकायें 4.4 एवं 4.13)

दो मामलो में 3.53 करोड़ रूपये की निधियाँ अवरूद्ध हुई ।

(कंडिका 4.12 एवं 4.14)

तीन मामलों मे 1.66 करोड़ रूपये के राजस्व एवं ब्याज की हानि हुई ।

(कंडिकायें 4.2, 4.5 एवं 4.10)

कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां निम्नलिखित हैः

मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बालू के खदानों के अनियमित आवंटन खुदाई,परिवहन एवं बेचने के परिणामस्वरूप 25.98 लाख रूपए के राजस्व का त्याग करना पड़ा। ***(कंडिका 4.5)***

मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों के पालन न किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य राजमार्गों के उन्नयन पर 4.62 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। ***(कंडिका 4.9)***

मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा दमुआ-सारणी रोड तक निर्माण विभाग को समय पर अभ्यर्पण की कार्यवाही न करने के कारण सड़क के संधारण पर 1.32 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय हुआ। ***(कंडिका 4.15)***

मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा मूल आदेश में पुनरीक्षित मांग पत्र के अनुसार अतिरिक्त मात्रा शामिल करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप एडमिरल्टी द्वारा [illegible] ट्यूबों के क्रय पर 47.83 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। ***(कंडिका 4.16)***

अध्याय एक

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 31 मार्च 2006 को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन, 38 सरकारी कंपनियों (29 कार्यशील कंपनियां एवं 9 अकार्यशील कंपनियां[1]) तथा चार सांविधिक निगमों की तुलना में 31 मार्च 2007 को 40 सरकारी कंपनियाँ (31 कार्यशील कंपनियां तथा नौ अकार्यशील कंपनियां) तथा चार सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) थे। वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र की दो[2] नई सरकारी कम्पनियो का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अधिन किया गया। सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक करते है जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त करते है। ये लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन है । सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था नीचे दर्शाये अनुसार हैः-

क्र.सं.	निगम का नाम	नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्थापन
1.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 172(क) एवं 185(2)(घ) के साथ पठित विद्युत आपूर्ति (वार्षिक लेखे) नियमावली 1985 के नियम 14 के अंतर्गत	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
2.	मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
3.	मध्यप्रदेश वित्त निगम	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट द्वारा लेखापरीक्षा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
4.	मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	मध्यप्रदेश भंडार गृह अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट द्वारा लेखापरीक्षा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया था एवं इसकी लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम 2003[3] की धारा 104 (2) के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौपी गई।

[1] *अकार्यशील कंपनियां वे कंपनियां हैं जो परिसमापन/बंद होने/संविलियन की प्रक्रिया के अधीन है ।*

[2] *मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड एवं शाहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड*

[3] *विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 को विद्युत अधिनियम 2003 में परिवर्तित कर दिया गया है।*

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश

1.2 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों (सांविधिक निगमों) में मार्च 2006 तथा मार्च 2007 के अंत तक कुल निवेश निम्नानुसार था:-

(करोड़ रूपये में)

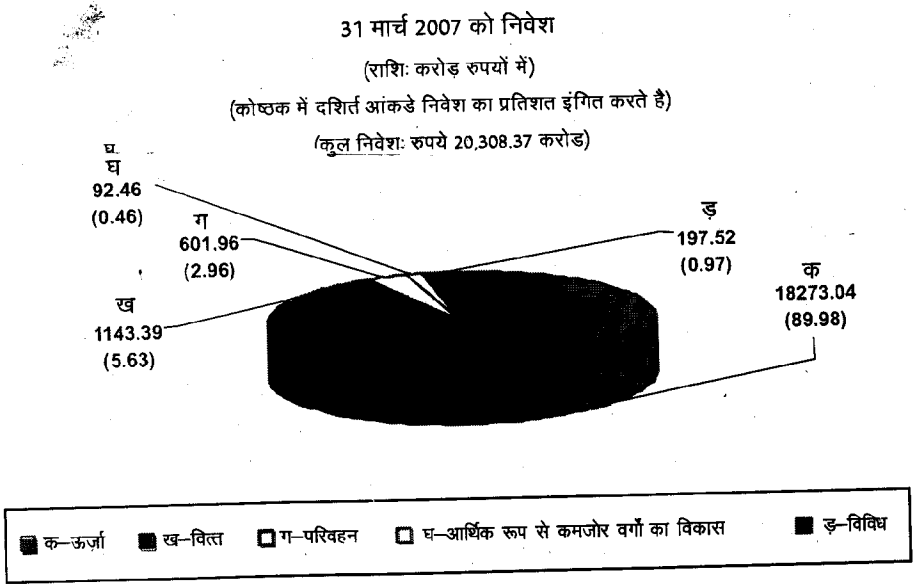
वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश			
		अंश पूंजी	अंश आवेदन राशि	कर्जे	योग
2005-06	33	4,488.55	136.14	14,171.65	18,796.34
2006-07	35	4,871.72	616.31	14,820.34	20,308.37[4]

स्त्रोतः कंपनियों/निगमों द्वारा प्रदाय की गई सूचना

31 मार्च 2006 को कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के कुल निवेश में क्रमशः 24.60 एवं 75.40 प्रतिशत अंशपूजी तथा कर्जो की तुलना में 31 मार्च 2007 को अंशपूजी 27.02 प्रतिशत तथा कर्जे 72.98 प्रतिशत थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण आगामी कंडिकाओं में दिया गया है।

कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों में क्षेत्र-वार निवेश

31 मार्च 2006 तथा 31 मार्च 2007 के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंश पूंजी तथा दीर्घावधि कर्जे) और उनकी प्रतिशतता नीचे वृत्त-चित्र में दर्शाए गए हैं:



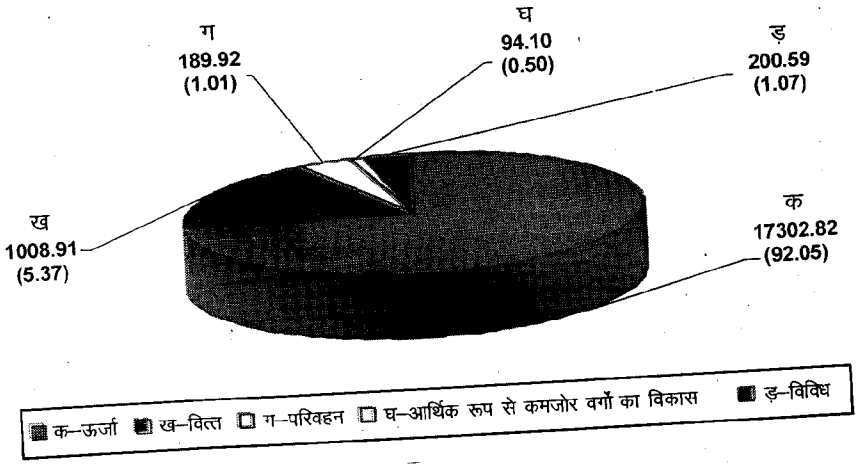
[4] *कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 10,634.85 करोड़ रूपये था (अन्य में 9,673.52 करोड़ रूपये) वित्त लेखाओं के अनुसार आंकड़ा 6,105.92 करोड़ रुपये है। अन्तर का समायोजन किया जा रहा है।*

31 मार्च 2006 को निवेश

(राशि: करोड़ रुपयों में)

(कोष्ठक में दर्शित आंकडे निवेश का प्रतिशत इंगित करते है)

(कुल निवेश: रुपये 18796.34 करोड)



कार्यशील सरकारी कंपनियां

1.3 मार्च 2006 एवं मार्च 2007 के अंत में कार्यशील सरकारी कंपनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कार्यशील सरकारी कंपनियों की संख्या	कार्यशील सरकारी कंपनियों में निवेश			
		अंशपूंजी	अंश आवेदन राशि	कर्जे	योग
2005-06	29	3,631.02	43.03	5,276.47	8,950.52
2006-07	31	3,825.18	526.06	5,492.94	9,844.18

स्त्रोत- कंपनियो द्वारा प्रदाय की गई सूचना

कार्यशील सरकारी कंपनियों में अंशपूंजी एवं कर्जों के रूप में सरकारी निवेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण ***परिशिष्ट-1*** में दर्शाया गया है ।

31 मार्च 2006 को कार्यशील सरकारी कंपनियों में अंशपूंजी तथा कर्जो के रूप में क्रमशः 41.05 प्रतिशत तथा 58.95 प्रतिशत के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2007 को अंशपूंजी का प्रतिशत 44.20 तथा कर्जो का प्रतिशत 55.80 था।

उर्जा क्षेत्र में अंश पुजी में वृद्धि के कारण कार्यशील सरकारी कंपनियों के ऋण-अंशपूंजी अनुपात 2005-06 में 1.44:1 से घटकर 2006-07 में 1.26:1 हो गई।

कार्यशील सांविधिक निगम

1.4 चार कार्यशील सांविधिक निगमों में मार्च 2006 तथा मार्च 2007 के अंत में कुल निवेश निम्नानुसार थाः

(करोड़ रूपए में)

निगम का नाम	2005-06		2006-07	
	पूंजी	कर्जे	पूंजी	कर्जे
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल[5]	718.63	8,351.93	718.63	8,351.93
मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम	141.81	48.12	141.81	460.15
मध्यप्रदेश वित्त निगम	82.14	492.37	268.29	510.48
मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	8.06	2.77	8.06	4.83
योग	**950.64**	**8,895.19**	**1,136.79**	**9,327.39**

स्त्रोत- कंपनियों द्वारा प्रदाय की गई सूचना

कार्यशील सांविधिक निगमों में अंशपूंजी एवं कर्जो के रूप में सरकारी निवेशों का संक्षिप्त विवरण ***परिशिष्ट-1*** में दिया गया है । 31 मार्च 2006 को कार्यशील सांविधिक निगमों में अंश पूंजी तथा कर्जो के रूप में क्रमशः 9.66 प्रतिशत तथा 90.34 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2007 को अंशपूजी का प्रतिशत 10.86 तथा कर्जो का प्रतिशत 89.14 था। मध्यप्रदेश वित्त निगम के अंशपूंजी में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के कारण ऋण अंशपूजी का अनुपात 2005-06 में 9.36:1 से घटकर 2006-07 में 8.21:1 हो गया।

सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को छः सरकारी कंपनियों में विभाजित (सितम्बर 2000) किया गया था । इनमें से केवल पाँच[6] कंपनियों को नवम्बर 2001 से मई 2002 में पंजीकृत किया गया और इन्होने 31 मई 2005 तक मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के साथ अनुबन्ध के अर्न्तगत कार्य करना जारी रखा । 1 जून 2005 से इन कंपनियों की स्वतंत्र हैसियत स्वीकृत हो गई थी जो कि राजस्व सहभगिता सहित निर्धारित रोकड़ प्रवाह तंत्र पर आधारित थी । 17 जून 2005 को तीन अनुबंध यथा (i) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल एवं मध्यप्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के मध्य विद्युत क्रय अनुबन्ध, (ii) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं मध्यप्रदेश पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड और 3 वितरण कंपनियों के मध्य पोरषण सेवा अनुबन्ध, (iii) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत तथा 3 विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य थोक आपूर्ति अनुबन्ध, निष्पादित किये गये थे । 2 मई 2006 को अर्न्तराज्यीय / राज्य के

5 *मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल ने वर्ष 2006-07 के लिये कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये।*

6 *मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (वितरण कम्पनियाँ)*

अंर्तगत विद्युत व्यापार करने के लिए एक नई कंपनी मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग लिमिटेड निगमित की गई । 5 फरवरी 2007 को लम्बी अवधि के लिए विद्युत क्रय करने के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की सहायक कम्पनी शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड निर्गमित की गई ।

बजट से दी गई राशियां, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियां, बकाया दायित्वों को छोड़ना और ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन

1.5 कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों को राज्य सरकार द्वारा बजट से दी गई राशियों, अनुदान/आर्थिक सहायताओ, दी गई गारंटियों, बकाया दायित्वों को छोड़ना और ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन संबंधी विवरण ***परिशिष्ट 1 व 3*** में दिए गये हैं ।

2006-07 तक तीन वर्षों के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों को बजट से दी गई राशियों (अंशपूंजी एवं कर्जों के रूप में) एवं अनुदान/आर्थिक सहायताओ के विवरण नीचे दिए गये है:

(करोड़ रूपए में)

	2004-05				2005-06				2006-07			
	कंपनियां		निगमें		कंपनियां		निगमें		कंपनियां		निगमें	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से दी गई अशपूंजी	2	10.30	1	1.50	7	2,857.29	2	404.00	6	794.61	1	189.00
बजट से दिए गए कर्ज	1	4.28	2	375.44	3	91.16	3	651.31	4	102.76	1	94.03
अन्य अनुदान/ आर्थिक सहायता	10	213.14	2	845.33	9	32.43	1	495.69	11	292.80	1	1.00
कुल दी गई राशि	**12**	**227.72**	**3**	**1,222.27**	**16**	**2,980.88**	**3**	**1,551.00**	**18**	**1190.17**	**2**	**284-03**

स्त्रोत- कंपनियो/निगमों द्वारा प्रदाय की गई सूचना

वर्ष 2006-07 के दौरान सरकार ने छः कार्यशील कंपनियों (453.83 करोड़ रूपए) तथा एक कार्यशील निगम (30 करोड़ रूपए) द्वारा लिए गए कुल 483.83 करोड़ रूपए के कर्जों के लिए गारंटियां दी थीं । गत वर्ष के अंत तक नौ कार्यशील सरकारी कंपनियों (3,679.03 करोड़ रूपए) तथा तीन सांविधिक निगमों (3,557.04 करोड़ रूपए) से संबंधित 7,236.07 करोड़ रूपए की तुलना में, इस वर्ष के अंत में सात कार्यशील सरकारी कंपनियों (2,521.39 करोड़ रूपए) तथा दो कार्यशील सांविधिक निगमों (522.89 करोड़ रूपए) से संबंधित 3,044.29 करोड़ रूपए की गारंटियां बकाया थीं। मार्च 2007 के अंत तक सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने वाला गारंटी कमीशन क्रमशः 2.35 करोड़ रूपए तथा एक करोड़ रूपए था ।

7 *ये कंपनियों/निगमों की वास्तविक संख्या है जिन्होंने संबंधित वर्षो के दौरान राज्य सरकार से अंशपूंजी, कर्जो, अनुदान एवं/अथवा आर्थिक सहायता के रूप में बजट से सहायता प्राप्त की थी।*

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना

1.6 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619, .619 बी के साथ पठित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के लिये सरकारी कंपनियों के लेखाओं को संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति से छः माह के अन्दर अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक होता है । उन्हे वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ माह के अन्दर विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखाओं को अंतिम रूप देकर लेखापरीक्षा कराने के उपरांत तत्संबंधी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

जैसा कि ***परिशिष्ट-2*** से देखा जा सकता है, कि 31 कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं चार सांविधिक निगमों में से केवल चार कंपनियों तथा एक निगम ने ही वर्ष 2006-07 के अपने लेखाओं को 30 सितम्बर 2007 तक अंतिम रूप से तैयार किया था । अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 तक की अवधि के दौरान, 21 कार्यशील सरकारी कंपनियों ने विगत वर्षो के 24 लेखाओं को अंतिम रूप दिया । इसी प्रकार इस अवधि के दौरान दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने भी विगत वर्षो के दो लेखाओं को अंतिम रूप दिया । तीन[8] कंपनीयों के प्रथम लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है ।

30 सितंबर 2007 को 27 कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा तीन सांविधिक निगमों के लेखे एक से सात वर्षो की अवधि के लिए बकाया थे जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	कार्यशील सरकारी कंपनियों/ निगमों की संख्या		अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	वर्षों की संख्या जिनके लेखे बकाया है	परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या का संदर्भ	
	सरकारी कंपनियां	सांविधिक निगम			सरकारी कंपनियां	सांविधिक निगम
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	1	--	2000-01 से 2006-07	7	क-18	--
2.	1	--	2001-02 से 2006-07	6	क -19	--
3.	1	--	2003-04 से 2006-07	4	क-7	--
4.	3	--	2004-05 से 2006-07	3	क- 11,17,21	--
5	6	1	2005-06 से 2006-07	2	क- 1,4,6,13,16,22	ख-1,
6	15	2	2006-07	1	क- 2,3,5,8,9, 10, 12,23, 24, 26,27,28, 29, 30,31	ख-2,4
	27	**3**				

स्त्रोत - अंतिम रूप दिये गये लेखाओं से संकलित

8 *मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कौरपोरेशन लिमिटेड, शाहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड ।*

यह देखना और सुनिश्चित करना प्रशासनिक विभागों का उत्तरदायित्व होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए तथा उन्हे अंगीकृत किया जाए । यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा लंबित लेखाओं को अंतिम रूप देकर संविरित करने हेतु प्रत्येक तिमाही में संबंधित प्रशासनिक विभागों और सरकारी अधिकारियों को अवगत कराया गया फिर भी सरकार ने कोई प्रभावी उपाय नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के शुद्ध मूल्य का आकलन नहीं किया जा सका ।

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

1.7 अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों (सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों) के वित्तीय परिणामों का सारांश ***परिशिष्ट-2*** में दिया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कार्यशील सांविधिक निगमों, जिनके विगत तीन वर्षो के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया हैं, की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम को क्रमशः ***परिशिष्ट-4 एवं 5*** में दर्शाया गया हैं ।

28 सरकारी कंपनियों तथा चार कार्यशील सांविधिक निगमों के अद्यतन रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार, 10 कंपनियों और दो निगमों ने क्रमशः 753.58 करोड़ रूपए एवं 101.28 करोड़ रूपए की कुल हानि उठाई तथा 17 कंपनियों तथा दो निगमों ने क्रमशः 151.52 करोड़ रूपए एवं 1,259.11 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित किया।

कार्यशील सरकारी कपनियां

लाभ अर्जित करने वाली कार्यशील सरकारी कंपनियां और लाभांश

1.8 उन सभी चार[9] कम्पनियों जिन्होने 30 सितम्बर 2007 तक वर्ष 2006-07 के लेखे को अंतिम रूप दे दिया था, कुल 99.86 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया। उनमें से केवल दो[10] कम्पनियों ने कुल 6.41 करोड़ रूपये के लाभांश की धोषणा की । लाभांश उन चार कम्पनियों में लगे अंशपूंजी का 0.61 प्रतिशत है । वर्ष 2006-07 के दौरान लाभांश के द्वारा राज्य सरकार को, समस्त कार्यशील सरकारी कंपनियों में 4,122.68 करोड़ रूपये के कुल अंशपूंजी निवेश के विरूद्ध कुल प्रतिलाभ 0.16 प्रतिशत प्राप्त हुआ ।

इसी प्रकार 21 कार्यशील सरकारी कंपनियों जिन्होनें अपने पिछले वर्षों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया,में से 13 कंपनियों ने 51.66 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित

9 *इसमें दो ऐसी कम्पनियां सम्मलित है जिन्होने अपने गत वर्ष के लेखे को भी अंतिम रूप दिया है।*

10 *मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश औधेगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड*

किया तथा केवल 10 कंपनियों ने उत्तरोत्तर दो अथवा अधिक वर्षों के लिए लाभ अर्जित किया । वर्ष के दौरान तीन[11] कंपनियों ने गत वर्षों के लिए 2.98 करोड़ रूपये का लाभांश घोषित किया ।

राज्य सरकार ने अंशपूंजी के 12 प्रतिशत न्यूनतम लाभांश के भुगतान के लिए एक लाभांश नीति बनाई थी (जुलाई 1998), जिसे बाद में कर के पश्चात लाभ का 20 प्रतिशत पर संशोधित किया गया (जुलाई 2005) । पॉच कम्पनियों जिन्होंने वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के लिये लाभांश की धोषणा की थी में से तीन[12] कम्पनियों ने राज्य सरकार कै उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया।

हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कंपनियाँ

1.9 10 हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से दो कम्पनियों की संचित हानि 645.61 करोड़ थी जो कि उनके अंशपूजी रूपये 84.39 करोड़ से अधिक थी। खराब निष्पादन के बावजूद राज्य सरकार ने इन कंपनियों को अंशदान के द्वारा अंशपूंजी, कर्जे आर्थिक सहायता, अनुदानों इत्यादि के रूप में वित्तीय सहयोग करना जारी रखा । उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा 2006-07 के दौरान दो हानि उठाने वाली कंपनियों को ऋण एवं आर्थिक सहायताओं के माध्यम से 17.65 करोड़ रूपये का वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया था ।

कार्यशील सांविधिक निगमें

लाभ अर्जित करने वाले सांविधिक निगम और लाभांश

1.10 दो लाभ अर्जित करने वाले सांविधिक निगमें यथा मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लोजिस्टिक्स कॉरपोरेशन एवं मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में से मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लोजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने 2006-07 के लिए अपने लेखे को अन्तिम रूप दिया तथा 15.22 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया तथा 0.30 करोड़ रूपये का लाभांश घोषित किया । मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 के दौरान किसी भी लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया ।

हानि उठाने वाले सांविधिक निगम

1.11 हानि उठाने वाले शेष दो सांविधिक निगमें, यथा मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम तथा मध्यप्रदेश वित्त निगम को कुल 1,109.59 करोड़ रूपये की संचित हानि हुई जो कि 412.95 करोड़ रूपये की कुल प्रदत्त पूंजी से अधिक थी ।

11 *दि प्रेविडेन्ट इन्मेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश लधु उद्योग लिमिटेड।*

12 *मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश लधु उद्योग निगम लिमिटेड*

उनके खराब निष्पादन के बावजूद, राज्य सरकार ने इन निगमों को 2006-07 के दौरान अंशपूंजी, कर्जे एवं आर्थिक सहायता के माध्यम से 283.04 करोड़ रूपये की राशि का वित्तीय सहायोग प्रदान किया ।

कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन

1.12 कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन ***परिशिष्ट-6*** में दिया गया है। इन निगमों के कार्यचालन परिचालन निष्पादन के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

- मार्ग पर वाहनों की औसत संख्या 2003-04 में 1269 से घटकर 2005-06 में 238 रह गई तथा इसी अवधि में ऑकुपेंसी अनुपात 60 प्रतिशत से घटकर 10.76 रह गया।
- सकल परिचालित यात्री किलोमीटर 2003-04 में 1389.86 लाख कि.मी. से घटकर 2005-06 में 328.24 लाख कि.मी.रह गया ।

नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ

1.13 अंतिम रूप दिये गये उनके अद्यतन लेखाओं के अनुसार 31 कार्यशील कंपनियों में नियोजित पूंजी[13] 10,385.31 करोड रूपए संगणित की गई तथा उस पर कुल प्रतिलाभ[14] विगत वर्ष के 80.74 करोड़ रूपये (7.16 प्रतिशत) के कुल प्रतिलाभ की तुलना में राशि (-) 245.59 करोड़ रूपये था । इसी प्रकार, कार्यशील सांविधिक निगमों के प्रकरणों में उनके अन्तिम रूप दियें गये अद्यतन लेखाओं के अनुसार नियोजित पूंजी और उस पर कुल प्रतिलाभ क्रमशः 12,791.87 करोड़ रूपये तथा (+) 1,531.80 करोड़ रूपये (11.97 प्रतिशत) संगणित किया गया । जबकि विगत वर्ष में कुल प्रतिलाभ 1,555.71 करोड़ रूपये (13.55 प्रतिशत) था । कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के प्रकरण में नियोजित पूंजी और उस पर कुल प्रतिलाभ का विवरण ***परिशिष्ट-2*** में दिया गया है ।

13 *नियोजित पूंजी,शुद्ध स्थाई परिसंपत्तियों (प्रगत्याधीन पूंजीगत निर्माण कार्य सहित) तथा कार्यचालन पूंजी को दर्शाती है। यह वित्त कंपिनियों/निगमों को छोड़कर है जिनमें यह प्रदत्त पूंजी,निर्वाध आरक्षित निधियों,(बाण्ड्स)जमाओं एवं उधारियों (पुनवित्त सहित) के आरंभिक तथा अंतिम शेषों के योग को औसत दर्शाती है।*

14 *नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की गणना के लिए उधार ली गई निधियों पर ब्याज को लाभ-हानि लेखे में दर्शाए गए शुद्ध लाभ में जोड़ा गया है। हानि में घटाया गया है।*

विद्युत क्षेत्र में सुधार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच सहमति पत्र के क्रियान्वयन की स्थिति

1.14 विद्युत क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से सुधारों हेतु संयुक्त प्रतिबद्धता के तौर पर मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए (मई 2000)। सहमति पत्र में की गई संबंधित वचनबद्धता की तुलना में निम्न सुधार-कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना बाकी है (मार्च 2007):

क्रम संख्या	सहमति पत्र के अनुसार वचनबद्धताएं	लक्ष्य-निर्धारित पूर्णता	स्थिति (31 मार्च 2007 को)
	राज्य सरकार की वचनबद्धताएं	--	--
1	पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी	नहीं दी गई	31 मार्च 2005 तक पोरषण एवं वितरण हानि 43.48 प्रतिशत थी।
2	समस्त उपभोक्ताओं का शत प्रतिशत मीटरीकरण	दिसम्बर 2004	46.49 लाख सिंगल फेज मीटर एवं 6.91 लाख थ्री फेज मीटर तथा 7,529 एच.टी.मीटर लगाये गये।
3	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	2003 से आरंभ कर 2007 तक	51,806 ग्रामों में से 50,474 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया (97.43 प्रतिशत)
4	ऊर्जा लेखापरीक्षा	जून 2001, पुनरीक्षित लक्ष्य सितम्बर 2002	132 के.वी. - 100 प्रतिशत 33 के.वी - 92.46 प्रतिशत 11 के.वी.-92.50 प्रतिशत
5	इलेक्ट्रोमेग्नेटिक मीटरों के बदले इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाना	अनुपलब्ध	26.62 लाख सिंगल फेज एवं 4.60 लाख थ्री फेज इलेक्ट्रोनिक मीटर मार्च 2004 तक प्रतिस्थापित किए गए । इसके बाद कोई प्रतिस्थापन नहीं किये गये।

स्त्रोत- बोर्ड द्वारा प्रदत्त की गई सूचना

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

1.15 राज्य में विद्युत शुल्क के निर्धारण, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण आदि से संबंधित मामलों में परामर्श देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नियामक आयोग (आयोग) का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998[15] (अधिनियम) की धारा 17 के अधीन अगस्त 1998 में किया गया था । इसने फरवरी 1999 से कार्य करना प्रारंभ किया । आयोग एक कार्पोरेट निकाय है, जिसमें अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है । आयोग ने अपने 2005-06 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दे दिया है (सितम्बर 2007) ।

15 *विद्युत अधिनमय, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित*

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश

1.16 मार्च 2006 तथा मार्च 2007 के अंत में नौ अकार्यशील सरकारी कंपनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश			
		अंशपूंजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	योग
2005-06	9	58.42	1.03	166.02	225.47
2006-07	9	59.44	0.16	169.38	228.98[16]

स्त्रोत- कंपनियो द्वारा प्रदाय की गई सूचना

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की स्थिति	कंपनियों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश	
			अंशपूंजी[17]	दीर्घावधि कर्जे
(i)	पड़िसमापनाधीन	5[18]	12.12	--
(ii).	बंद होने वाले	4[19]	47.48	169.38
योग		**9**	**59.60**	**169.38**

स्त्रोत- कंपनियो द्वारा प्रदाय की गई सूचना

सार्वजनिक क्षेत्र की उपर्युक्त सभी नौ सरकारी अकार्यशील कँपनियां एक से 23 वर्षो से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन परिसमापन अथवा बंद होने के कगार पर थीं और इन कंपनियों में 228.98 करोड़ रुपए का सारभूत निवेश सम्मिलत था । इन कंपनियों के त्वारित समापन अथवा उन्हें पुनः चालू करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है ।

16 *सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 173.84 करोड़ रूपये (अन्य 55.15 करोड़ रूपये) है। वित्त लेखे के अनुसार 45.02 करोड़ रूपये है। अंतर का समायोजन किया जा रहा है।*

17 *अंशपूंजी में एक कम्पनी की 1.03 करोड़ रुपये की अंश (शेयर) आवेदन राशि सम्मिलित है।*

18 *मध्य प्रदेश उद्धहन सिंचाई निगम मर्यादित, मध्यप्रदेश स्टेट डेयरी डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश पंचायत राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड ।*

19 *मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड, ऑप्टेल टेलीकॉम्युनिकेशन लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड।*

बजट से दी गई राशियां, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियां, बकाया दायित्वों को छोड़ना तथा ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन

1.17 राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों को वर्ष के दौरान बजट से प्रदत्त राशियों अंशपूंजी,ऋण,अनुदान/आर्थिक सहायता के रूप में कोई राशि नही दी गई। राजय सरकार ने वर्ष के दौरान अकार्यशील कम्पनियों के दायित्वो को छोड़ना, ऋणों का अंशपूंजी मे परिवर्तन इत्यादि भी नहीं किया।

1.18 सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों पर कुल स्थापना व्यय

2006-07 तक के अंतिम तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों (सरकारी कंपनियों) पर कुल स्थापना व्यय एवं उनकी वित्त व्यवस्था के स्त्रोत का वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः

(लाख रुपए में)

वर्ष	सरकारी कंपनियों की संख्या	कुल स्थापना व्यय	निवेश/ परिसंपत्तियों का निर्वसन	वित्त के स्त्रोत		
				सरकार से प्राप्त		अन्य[20]
				ऋण	अनुदान	
2004-05	9	97.55	85.85	--	--	11.70
2005-06	9	124.07	--	--	40.00	84.07
2006-07	9	2.80	--	--	--	2.80
योग	--	**224.42**	**85.85**	--	**40.00**	**98.57**

स्त्रोत- कंपनियो द्वारा प्रदत की गई सूचना

अकार्यशील नौं कंपनियों के स्थापना व्यय पर राज्य सरकार ने 2004-07 के दौरान 2.24 करोड़ रूपये का व्यय किया । इन कंपनियों पर और अधिक अनुत्पादन व्यय को टालने के लिए इनको बंद करने हेतु त्वारित कार्यवाही की आवश्यकता है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना

1.19 किसी भी अकार्यशील सरकारी कंपनी ने अपने 2006-07 के लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था। सभी नौं अकार्यशील सरकारी कंपनियों के लेखे 30 सितंबर 2007 को अंतिम रूप देने हेतु एक से 17 वर्षों तक के लिए बकाया थे जैसा कि ***परिशिष्ट-2*** में देखा जा सकता है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

1.20 अंतिम रूप दिये गये अद्यतन लेखाओं के अनुसार अकार्यशील सरकारी कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट-2*** में दिये गये है ।

नौं अकार्यशील सरकारी कम्पनियों में कुल अंशपूंजी निवेश 59.60[21] करोड़ रुपये था। ये कम्पनियां 9.10 करोड़ रुपये की नकद हानि एवं 129.64 करोड़ रुपये की ऋणात्मक निवल मूल्य के साथ हानि वहन कर रही थी । इन कम्पनियों को अंतिम

20 *वित्त व्यवस्था के अन्य स्रोत बैंकों से ब्याज, एवं भण्डार सामग्री के विक्रय से प्राप्त आय हैं ।*

21 *मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की 1.04 करोड़ रुपये की अंशपूंजी समाविष्ट है।*

रूप दिये गये अद्यतन लेखाओं के अनुसार 239.74 करोड़ रुपये की संचित हानि उनके प्रदत्त पूंजी से चार गुना अधिक थी।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में रखे जाने की स्थिति

1.21 अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 के दौरान जारी किये गये इन निगमों के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (2004-05), मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (2004-05), मध्यप्रदेश वित्त निगम (2005-06) तथा मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन (2005-06) विधान मण्डल के पटल पर रखे जा चुके हैं ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुर्नसंरचना

1.22 2006-07 के दौरान राज्य सरकार ने अपने किसी भी सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेश, निजीकरण एवं पुर्नसंरचना हाथ में नहीं ली थी ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

1.23 अक्टूबर 2006 से सितंबर 2007 के दौरान 26 सरकारी कंपनियों (23 कार्यशील एवं तीन अकार्यशील) तथा चार सांविधिक निगमों के लेखाओं को लेखापरीक्षा के लिये चयन किया गया था । सार्वजनिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का अंतिम प्रभाव निम्नानुसार रहा:

क्रम संख्या	विवरण	लेखाओं की संख्या			(राशि लाख रूपए में)		
		सरकारी कंपनियां		सांविधिक निगमें	सरकारी कंपनियां		सांविधिक निगमें
		कार्यशील	अकार्यशील	कार्यशील	कार्यशील	अकार्यशील	कार्यशील
1	लाभ में कमी	4	--	--	401.00	-	-
2	लाभ में वृद्धि	--	--	--	--	--	--
3	हानि में वृद्धि	4	2	1	1,643.00	750.00	92,424.00
4	हानि में कमी	1	--	--	100.00	--	--
5	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	4	--	2	1,531.00	--	3,917.00
6	वर्गीकरण की त्रुटियां	5	1	1	1,012.60	12.00	3,945.00

सरकारी कंपनियों के संबंध में पाए गये दोष व चूकें

1.24 सरकारी कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान पाए गये कुछ दोष एवं चूकें निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैं:

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	लेखावर्ष	दोष/चूकें	लाख में
1	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2005-06	वर्ष 2002-03 में विविध देनदारों से प्राप्त चैक बैकं में जमा नहीं किया गया लेकिन बैकं जमा में दिखाया गया । जिससे नगद एवं बैंक बैलेंस बढ़ गया।	24.87
2	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2000-01	कम्पनी ने ऋण देने वाली कम्पनी 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम' को ऋण की जो राशि सत्यापित की थी उससे कम राशि अपने खाते में दर्शायी जिससे अवधि ऋण कम हो गया।	293.00
			(2) बैंक से प्राप्त ड्राफ्ट के दोहरे लेखाकंन के परिणामस्वरूप बैंक खाता अधिक दर्शाया गया।	17.82
			(3) स्थाई जमा पर अर्जित ब्याज को कम दिखाने के परिणामस्वरूप हानि अधिक हुई ।	44.02

सांविधिक निगमों के प्रकरणों में पाई गई दोष एवं चूकें

1.25 मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के वर्ष 2004-05 के लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये कुछ महत्वपूर्ण दोष एवं चूकें निम्नांकित हैं:

(करोड़ रूपये में)

- आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल को देय प्रशासनिक प्रभार नहीं दिये गये परिणामस्वरूप हानि कम दर्शाइ गई । — 0.26
- कर्मचारी भविष्य निधि के अभिदान का प्रेषण न होने के कारण ब्याज देयताओं का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप हानि में कमी हुई । — 20.89
- लेखा में दर्शाइ गई हस्तावात रोकड़ भौतिक रूप से रखी गई रोकड़ से अधिक है । परिणामस्वरूप हस्तगत रोकड़ को अधिक दशार्या गया है । — 4.61
- निष्क्रिय बैंक लेखों के ऋणात्मक शेष को बैंक शेष में शामिल नहीं किया जाता है । — 0.49

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देश पर आंतरिक लेखापरीक्षा/ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन

1.26 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(क) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को उनके द्वारा लेखापरीक्षा की गई कंपनियों में आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन तथा ऐसे क्षेत्रों जिनमें सुधार की आवश्यकता है, की पहचान करनी होती है । उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 के मध्य 35 कार्यशील सरकारी कंपनियों के संबंध में निर्देश/उप निर्देश जारी किए गए थे । इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों के अनुसरण में 15 सरकारी कंपनियों के 15 लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए (सितम्बर 2007) ।

राज्य सरकार की कंपनियों की आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई मुख्य अनुशंसाओं/अभ्युक्तियों के संबंध में विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई अनुशंसाओं/अभ्यूक्तियों की प्रकृति	उन कंपनियों की संख्या जिनके संबंध में अनुसंशाएं/ अभ्युक्तियां है	परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण न होना	7	क 2,7,8,9,12,24, ग-7
2	महालेखापरीक्षक की अभ्यूक्तियों एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपालन न करना	1	क-1
3	बकाया दातव्य को नहीं वसूलना	5	क- 8,13,20,24 ग-7
4	लेखा-मानकों का दृढता से पालन न करना	5	क- 8,12,9,13,24
5	बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं करना	6	क- 7,8,10,12,13 ग-7
6	वित्त सहायता के लिए उपयुक्त अभिलेखों का रखरखाव न होना	5	क- 7,8,12,13 ग-7
7	भण्डारों से संबंधित पंजियों का रखरखाव न होना	4	क- 7,10,12,13
8	अकृत्यकारिणी/उपयुक्त कृत्यकारिणी आन्तरिक लेखापरीक्षा /आन्तरिक नियंत्रण	6	क- 7,9,10,12,24 ग-7

स्रोत- कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने हेतु अनुसंशाएं

1.27 नौ सरकारी कंपनियों (कार्यशील)[22] के अपने अस्तित्व में आने के पांच अथवा अधिक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी उनकी विक्री अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के पूर्ववर्ती पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ रूपए से कम थी । कम बिक्री को ध्यान में रखते हुए सरकार या तो इन सरकारी कंपनियों के निष्पादन में सुधार के लिए उपाय कर सकती है अथवा इन्हें बंद करने पर विचार कर सकती है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

1.28 सितंबर 2007 के अंत तक कोपू में चर्चा की गई समीक्षाओं/कंडिकाओं की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई समीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या		चर्चा की गई समीक्षाओं/ कंडिकाओं की संख्या	
	समीक्षाएं	कंडिकाएं	समीक्षएं	कंडिकाएं
2002-03	3	20	3	19
2003-04	2	17	1	13
2004-05	3	22	निरंक	1
2005-06	5	20	निरंक	निरंक

22 *मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल), औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर), औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा), औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम (ग्वालियर) मर्यादित, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, द प्रावीडेण्ट इन्वेस्टमेण्ट कंपनी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड।*

619-बी कंपनियां

1.29 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अंतर्गत आने वाली एक कंपनी यथा मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड थी, जो कि अकार्यशील कंपनी है । इसके 1989-90 तक उपलब्ध अद्यतन लेखाओं के अनुसार राज्य सरकार की कंपनियों (1.26 करोड़ रूपए) तथा केन्द्रीय सरकार और उसकी कंपनियों (24 लाख रूपए) द्वारा दिये गये अंशदान से उस वर्ष के दौरान 1.50 करोड़ रूपए की कुल प्रदत्त पूंजी वाली इस कंपनी को वर्ष के दौरान 63 लाख रूपए की हानि उठानी पड़ी थी । 1989-90 के वर्ष तक इसकी संचित हानि 3.78 करोड़ रूपए थी ।

अध्याय 2

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाए

2.1 मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित के अधोसंरचना विकास सहित होटलों का निष्पादन

मुख्यांश

कम्पनी का निर्गमन (मई 1978) राज्य में पर्यटन के विस्तार एवं विकास हेतु किया गया था । निम्न स्तरीय अधोसंरचना तथा व्यवसायिक योग्यता वाली मानवशक्ति की अनुपलब्धता के कारण कम्पनी द्वारा उपलब्ध सेवाओं के लाभ उठाने वाले पर्यटको की संख्या में कमी आयी ।

(कण्डिका 2.1.7)

कंम्पनी द्वारा अपने होटलो हेतु सम विच्छेद अकुपेन्सी निर्धारित नहीं किया गया । कम्पनी मान्य औसत अकुपेन्सी 60 प्रतिशत प्राप्त करने में असमर्थ रही, जिसके कारण 16.12 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि मार्च 2007 के समाप्त होने वाले पांच वर्षो के दौरान हुई ।

(कण्डिका 2.1.9)

कम्पनी ने कच्चे माल तथा ईधन लागत के मानक, बिना किसी लागत विश्लेषण के मेनू दरो के आधार पर निर्धारित किये कम्पनी द्वारा निर्धारित खाद्य सामग्री तथा ईधन लागत के निर्धारित मानको के सदंर्भ में 7.93 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया गया ।

(कण्डिका 2.1.12)

उचित विज्ञापन निति तथा अर्थपूर्ण मिडिया योजना बनाने में असफल होने के कारण राज्य में पर्यटन का विकास प्रभावित हुआ ।

(कण्डिका 2.1.14)

कम्पनी अधोसंरचना के विकास हेतु उपलब्ध करायी गयी निधियों में से 39.48 प्रतिशित का ही उपयोग कर सकी, जिसके कारण राज्य में अधोसंरचना विकास अपर्याप्त रहा ।

(कण्डिका 2.1.16)

प्रस्तावना

2.1.1 मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का निर्गमन मई 1978 में पर्यटन के विकास हेतु पर्यटकों को आवास प्रदान करने, पर्यटकों की रूचि के स्थान विकसित करने, पर्यटकों को परिवहन सुविधा प्रदान करने और बडी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये आवश्यक तरीके तथा साधन अपनाने के लिये पूर्ण तथा सरकारी स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में किया गया था ।

कम्पनी होटलों एवं मोटलों (45[23]) केफेटेरिया, रेस्टोरेन्ट एवं मार्गस्थ सुख सुविधाओं (5) वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेज (4) साऊण्ड एण्ड लाइट शोज (2) के निर्माण, अनुरक्षण तथा परिचालन और पर्यटकों हेतु परिवहन सुविधा प्रदान करने का कार्य कर रही थी । कम्पनी के अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई, नागपुर एवं नई दिल्ली में छः विपणन कार्यालय है ।

कम्पनी का प्रबन्धन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रबन्ध संचालक तथा एक अध्यक्ष सहित ग्यारह संचालको का एक संचालक मण्डल करता है । प्रबन्ध संचालक मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है और उसकी सहायता एक कार्यपालन संचालक (विपणन), एक मुख्य महाप्रबंन्धक (परिचालन), तीन महाप्रबन्धक (प्रशासन, मेला, उत्सव, लेखे) एक मुख्य यन्त्री तथा एक उप महाप्रबन्धक (आयोजना) करते है । समीक्षा अवधि में प्रबन्ध संचालक के पद पर नौ परिवर्तन किये गए । परिणामस्वरूप भारत सरकार/राज्य सरकार की पर्यटन नीतियो के उद्देश्य प्राप्ति के लिये उच्च स्तर पर निरन्तर प्रभावशाली परिवीक्षण प्रणाली का अभाव दृष्टिगत हुआ ।

कम्पनी की कार्य प्रणाली की गत समीक्षा मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 1998-99 के भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में सम्मिलित की गई थी । सरकारी उपक्रमों संबंधि समिति (कोपू) में समीक्षा पर चर्चा की गई थी (अगस्त 2001) और उसकी अनुशंसाएं 136वें प्रतिवेदन में दी गई है (अप्रैल 2002) । अन्य बातों के साथ साथ कोपू की अनुशंसाए निम्नानुसार है

- लेखाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के लिये उत्तर दायी व्यक्तियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण ।
- इकाइयों के निजीकरण के लिये कम्पनी द्वारा की गई कार्यवाही ।
- भारत सरकार की अनुमति के बिना भारत सरकार से प्राप्त निधियों का व्यपवर्तन।

[23] *नवीकरण किये जाने वाले एक होटल सहित (मैकाल रिसोर्ट बरगी) ।*

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.1.2 मार्च से मई 2007 तक की गई वर्तमान निष्पादन समीक्षा में 2002-03 से 2006-07 अवधि के लिये कम्पनी द्वारा आधार संरचना के विकास सहित होटलों का निष्पादन समाविष्ट है । 56 इकाईयों (होटल, मोटल, कैफेटेरिया, हाईवे ट्रीट, साउण्ड एण्ड लाइट शो, वाटर स्पोर्टस कॉम्पलेक्स आदि) में से दस[24] इकाईयों का विस्तृत संवीक्षा हेतु चयन किया गया था ।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य

2.1.3 निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि क्या

- केन्द्र/राज्य सरकार की पर्यटन नितियों का कार्यान्वयन प्रभावशालीढंग से किया गया है;
- कम्पनी के उद्देश्य मितव्ययिता, प्रभावशाली और कुशलता पूर्वक पूरे किये गये है;
- केन्द्र/राज्य सरकार को प्राप्त निधियों का उपयोग प्रभावशाली ढंग से एवं मितव्ययिता से उस कार्य के लिये किया गया है जिसके लिये इन्हे प्राप्त किया गया था;
- जनशक्ति का नियोजन कम्पनी भारत की होटल एसोसियेशन/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है;
- कम्पनी ने कोपू के प्रतिवेदन में निहित अनुशंसाओं का अनुपालन किया है; और
- आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रभावशाली है ।

लेखापरीक्षा पद्धति

2.1.4 लेखापरीक्षा के लक्ष्य पूर्ण करने की सुविचारित लेखापरीक्षा पद्धति निम्नानुसार है;

- राज्य सरकार/भारत सरकार की पर्यटन नीतियां;
- उन्नयन एवं नवीकरण के लिये प्रवर्तित योजनाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश;
- अपने होटलों अकुपेन्सी के लिये कम्पनी/भारत की होटल एसोसियेशन/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड; और
- अपने रेस्टोरेंट में दी जानी वाली खाद्य सामग्री लागत के लिये कंपनी/भारत की होटल एसोसिएशन/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड ।

[24] *ब्यावरा एवं डोडी स्थित हाई वे ट्रीट, गेट वे रिट्रीट (सांची), गेट वे कैफेटेरिया (सांची), रेल रेस्टोरेन्ट (भोपाल), होटल पलाश (भोपाल), विण्ड एण्ड वेव (भोपाल), शीश महल (ओरछा), बेतवा कोटेज (ओरछा) तथा तानसेन रेजीडेन्सी (ग्वालियर) ।*

लेखापरीक्षा प्रणाली

2.1.5 लेखापरीक्षा प्रणाली के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंगीकृत लेखापरीक्षा प्रणाली विज्ञान निम्नांकित की जांच की है;

- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्मित पर्यटन नीतियां, राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का ज्ञापन;
- संचालक मण्डल की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त;
- कम्पनी तथा उसकी इकाइयों के वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन;
- नवीन परियोजनाओं/योजनाओं को आरम्भ करने के लिये योजनाओं की संस्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों से सम्बन्धित फाइले;
- भारत सरकार/मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुदानों की संस्वीकृति प्राप्ति एवं उपयोग से सम्बन्धित व फाइले;
- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के निष्पदान के लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश; और
- प्रबन्धन से विचार विर्मश तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ जारी करना ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रबन्धन/सरकार को सूचित किये गये (जुलाई 2007) और उन पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में चर्चा की गई (5 अक्टूम्बर 2007) जिसमें राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व सचिव, पर्यटन विभाग और कम्पनी का प्रतिनिधित्व प्रबन्ध संचालक ने किया । बैठक में राज्य सरकार तथा कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों का समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय ध्यान रखा गया है । आगामी कण्डिकाओं में लेखापरीक्षा निष्कर्षो की चर्चा की गई है ।

होटलों का निष्पादन

राज्य पर्यटन निति 1995

2.1.6 राज्य सरकार द्वारा बनाई गई (जनवरी 1995) मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 1995 (नीति) में पर्यटन में निजी निवेश की वृद्धि करने हेतु प्रेरक वातावरण के सृजन एवं राज्य सरकार की ओर अधिक भूमिका की परिकल्पना की गई है । नीति यह स्पष्ट करती है कि कम्पनी का प्राथमिक कार्य होटल एवं परिवहन सेवा परिचालित करना नहीं है अपितु पर्यटन हित के अप्रयुक्त क्षेत्रों में अधोसंरचना सुविधाएं स्थापित करना है। राज्य पर्यटन विभाग के अतिरिक्त केन्द्रक प्रशासनिक अभिकरण के रूप में कम्पनी की भूमिका में चयनित क्षेत्रों के लिये निजी क्षेत्र के निवेश पर विचार करना, संयुक्त उद्यम कम्पनियों की स्थापना करना और मास्टर प्लान तैयार करने की परिकल्पना की गई है । कम्पनी को अपनी परिसम्पत्तियों का क्रमशः विनिवेश करना है । नीति में इस बात पर

भी जोर दिया गया है कि कम्पनी को राज्य में पर्यटकों की रूचि के स्थानों के लिये और अधिक पर्यटक आकर्षित करने हेतु राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय विपणन के माध्यम से प्रोन्नति सम्बन्धी गतिविधियों पर और अधिक ध्यान देना चाहिये ।

यह पाया गया कि राज्य सरकार ने निजी पार्टियों को 30 वर्षो के लिये कम्पनी की इकाइयां पट्टे पर देने का निर्णय लिया था (जून 1999) । इस निर्णय के आधार पर कम्पनी ने 42 इकाईयों के निजीकरण के लिये टेण्डर आमन्त्रित किये (दिसम्बर 1999) कम्पनी ने 68 पार्टियों से कोटेशन प्राप्त किये (फरवरी 2000) तथापि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति (जून 2000) ने इन कोटेशनों का स्वीकार न करने का निर्णय लिया (अगस्त 2000) क्योकि पार्टियों को होटल उद्योग प्रबन्धन में पर्याप्त अनुभव नहीं था ।

कम्पनी के संचालक मण्डल ने कम्पनी के होटलों के निजीकरण की सम्भावनाओं की पुनः जांच पड़ताल करने का निर्णय लिया (29 सितम्बर 2003) । संचालक मण्डल ने उन इकाइयों को भी सम्मिलित करने का निर्णय जिन्हें कम्पनी चला नहीं पा रही थी और जो पट्टे पर दिये जाने वाले होटलों की सूची में थी तथा प्रबन्धन को पट्टे की शर्ते तैयार करने के निर्देश भी दिये (फरवरी 2006) । कम्पनी ने संचालक मण्डल के निर्देशों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है (सितम्बर 2007) । यह भी कि कम्पनी ने उन सात[25] होटलो के निजीकरण पर विचार नहीं किया है जो 31 मार्च 2007 तक के गत पांच वर्षो में निरन्तर हानि (67.17 लाख रूपये) उठा रहे थे । इसका उल्लेख करने पर प्रबन्धन ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिक्षा समिति की बैठक में सूचित किया (अक्टूम्बर 2007) कि हानि उठाने वाले होटलो के पुर्नगठन हेतु रणनीति का अन्वेषण किया जा रहा है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जुन 1999 से अभी तक निजीकरण या पुर्नगठन की दिशा में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । प्रबन्धन निजीकरण की घोषित नीति से विचलित न होने का प्रमाण नहीं दे सका ।

उपरोक्त सामान्य नीति के अतिरिक्त राज्य सरकार ने (i) इको एण्ड एडवेन्चर टूरिजम पालिसी -2001 तथा (2) हेरिटेज टूरिजम पालिसी-2002 तैयार की, यद्यपि राज्य सरकार ने इस प्रक्षेत्र के अधीन पांच खण्डों में 21 सम्भावित पर्यटन स्थलों की पहचान की है तथापि कम्पनी ने ओरछा (अक्टूम्बर 2005), भोपाल (दिसम्बर 2005) तथा जबलपुर (अक्टूम्बर 2006) में केवल तीन वाटर स्पोर्टस काम्पलेक्स विकसित किये ।

पर्यटन विकास

2.1.7 कम्पनी का निर्गमन राज्य में पर्यटन के उन्नयन एवं विकास की दृष्टि से किया गया था (मई 1978) । कम्पनी ने राज्य में पर्यटन के विकास के मूल्याकंन के लिये पर्यटकों के आगमन (देशी तथा विदेशी दोनो) सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित और संकलित करने हेतु कोई स्वतंत्र तन्त्र नहीं अपनाया । 2006-07 तक के अन्तिम पांच वर्षो के दौरान भारत तथा मध्य प्रदेश में भ्रमण करने वाले पर्यटकों और इन वर्षो में कम्पनी के

[25] *टूरिस्ट बैंग्लो-इन्दौर, होटल वायल-खजुराहो, होटल राहिल-खजुराहो, कैफे-नौ गांव, टूरिस्ट मोटल-पिपरिया, टूरिस्ट मोटल-दतिया, ताना बाना-चन्देरी ।*

स्वामित्व की आवास व्यवस्था का लाभ उठाने वाले पर्यटकों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े निम्नानुसार हैः

(संख्या लाख में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	Total
भारत भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या	24.54	25.69	36.38	40.57	45.70	172.88
मध्य प्रदेश का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या						
देशी	46.66	62.93	88.61	79.97	146.90[26]	425.07
विदेशी	0.75	1.10	1.62	1.68	2.13	7.28
योग	47.41	64.03	90.23	81.65	149.03	432.35
कुल पर्यटकों की तुलना में भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों प्रतिशत	3.06	4.28	4.45	4.14	4.66	4.21
कम्पनी के होटलों में आवास व्यवस्था का लाभ उठाने वाले पर्यटकों की संख्या						
देशी	0.82	0.94	0.99	1.12	1.25	5.12
विदेशी	0.06	0.07	0.09	0.10	0.10	0.42
योग	0.88	1.01	1.08	1.22	1.35	5.54
कुल पर्यटकों (देशी तथा विदेशी) की तुलना में कम्पनी के होटलों में आवास व्यवस्था का लाभ उठाने वाले पर्यटकों का प्रतिशत						
योग	1.86	1.58	1.20	1.49	0.91	1.28

स्त्रोतः आंकड़े राज्य में स्थित आर्कलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया एवं नेशनल पार्को के कार्यालयों से प्राप्त सामग्री से संकलित किये गये है ।

कम्पनी की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी खराब आधारभूत संरचना सुविधाओं तथा व्यवसायिक जनशक्ति उपलब्ध न होने के कारण हुई ।

उपरोक्त विवरणों से यह दृष्टिगत होता है कि राज्य का भ्रमण करने वाले और कम्पनी की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले पर्यटकों (देशी एवं विदेशी दोनो) के प्रतिशत में 2002-03 में 1.86 प्रतिशत से 2006-07 में 0.91 प्रतिशत तक कमी हुई यद्यपि प्रचार तथा व्यवसाय उन्नयन पर 18.66 करोड़ रूपये व्यय किये गये । कम्पनी के प्रबन्धन ने सूचित किया (अक्टूबर 2007) कि कम्पनी की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी खराब आधारभूत संरचना सम्बन्धी सुविधाओं तथा गुणवत्ता युक्त सेवा प्रदान करने वाली व्यावसायिक जनशक्ति की अनुपलब्धता के कारण हुई । कम्पनी का उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि अपेक्षित अधोसंरचना के सृजन के लिये और आवश्यक प्रशिक्षित तथा व्यवसायिक जनशक्ति के लिये निधियां रूकावट नहीं थी । साथ ही उत्तर स्वयंमेव स्वीकार योग्य नहीं है क्योकि कम्पनी का मुख्य उद्देश्य पर्यटन का विकास करना है तथा गुणवत्ता युक्त सेवा व अच्छी व्यवसायिक सेवा का आभाव उक्त उद्देश्य की प्राप्ति में नकारात्मक प्रभाव डालता है ।

परिचालन निष्पादन

2.1.8 निम्नांकित तालिका में 31 मार्च 2007 को समाप्त पांच वर्षो के लिये विभिन्न इकाईयों (होटल, मोटल तथा अन्य केटरिंग यूनिट) के कार्य चालन निष्पादन का सारांश दिया गया हैः

[26] *वर्ष 2006-07 की अन्तिम तिमाही के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने का मुख्य कारण चित्रकुट में आयोजित धार्मिक उत्सव था ।*

(करोड़ रूपयो में)

क्रम सं.	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05 (प्राविधिक)	2005-06 (प्राविधिक)	2006-07 (प्राविधिक)
1.	परिचालित इकाईयों की संख्या	49	46	50	50	50#
2.	क्रिया कलापो से आय (आवास तथा केटरिंग)	8.04	9.82	11.57	18.05	22.95
3.	परिचालन व्यय	7.30	8.46	9.05	14.24#	17.99
4.	परिचालन लाभ	0.74	1.36	2.52	3.81	4.96

इसमें एक रेस्टोरेन्ट (शान-ए-भोपाल) सम्मिलित नहीं है क्योकि उसका आरम्भ मार्च 2007 में किया गया था।

स्त्रोतः 2002-03, 2003-04 हेतु आंकड़े आकेंक्षित लेखे पर आधारित है तथा 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 हेतु आंकड़े प्राविधिक लेखे पर आधारित है ।

उपरोक्त से यह प्रकट होता है कि कम्पनी की इकाईयां समस्त वर्षो में लाभ कमा रही थी । कम्पनी ने मार्च 2004 के टैरिफ की तुलना में अपने टैरिफ 10 से 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया (सितम्बर 2004) । सितम्बर 2004 का टैरिफ पुनः 10 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक बढ़ाया गया (जनवरी 2005) । यह पाया गया कि आय में वृद्धि मुख्य रूप से टैरिफ में वृद्धि के कारण हुई, उसके बाद से अकुपेन्सी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ ।

कंपनी ने अपने होटलो हेतु सम विन्छेद अकुपेन्सी का निर्धारण नहीं किया । कंपनी होटल उद्योग में 60 प्रतिशत स्वीकार्य औसत अकुपेन्सी प्राप्त करने में असमर्थ रही जिसके कारण 16.12 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई ।

अकुपेन्सी का स्तर

2.1.9 कम्पनी ने अपने होटलों के लिये सम विच्छेद अकुपेन्सी मानदण्ड तक निर्धारित नहीं किये । होटल उद्योग में 60 प्रतिशत स्वीकार्य औसत अकुपेन्सी की तुलना में 31 मार्च 2007 तक के पांच वर्षो की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न होटलों और मोटलों की अकुपेन्सी सन्तोषप्रद नहीं थी जैसा कि निम्नाकित तालिका से स्पष्ट है:

वर्ष	इकाईयों की संख्या होटल एवं मोटल	कक्षो की संख्या	बिस्तरो की संख्या	अधिभोग				
				मानदण्ड से कम			योग	मानदण्ड से अधिक
				20 प्रतिशत से कम	20 से 39 प्रतिशत के मध्य	40 से 59 प्रतिशत के मध्य		60 प्रतिशत से अधिक
2002-03	40	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	6	15	16	37	3
2003-04	40	562	1271	3	17	14	34	6
2004-05	40	565	1335	3	16	17	36	4
2005-06	42[27]	605	1371	2	19	18	39	3
2006-07	42	648	1481	1	16	19	36	6

स्त्रोतः प्रबन्धन द्वारा तैयार किये गये निष्पादन विवरण पत्र

[27] *वर्ष 2005-06 से आगे होटल हिलटोप बंगलो तथा होटल क्लब ब्यू पंचमढ़ी के लेखे क्रमशः होटल अमलतास तथा होटल ग्लेनव्यू में सम्मिलित है ।*

यह पाया गया कि यद्यपि कम्पनी की अधिकांश इकाइयां महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में उत्कृष्ट स्थानों पर स्थित थी तथापि कम्पनी के 34 से 39 होटले 2002-03 से 2006-07 के दौरान स्वीकार्य 60 प्रतिशत अकुपेन्सी मानदण्ड प्राप्त नहीं कर सके । इस लक्ष्य को प्राप्त न कर सकने के कारण राजस्व की हानि 16.12 करोड़ रूपये (वर्ष के दौरान वास्तविक आय के संदर्भ में गणना की गयी) आकलित की गई ।

यह भी कि पर्यटन महत्व के निम्नांकित स्थलों पर स्थित होटलों में अकुपेन्सी के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ये होटल देश का भ्रमण करने वाले पर्यटकों के केवल 1.80 प्रतिशत से 15.79 प्रतिशत पर्यटक तक ही आकर्षित कर सके ।

वर्ष	खजुराहो			सांची			कान्हा			माण्डू		
	क	ख	ख क क से प्रतिशत	क	ख	ख क क से प्रतिशत	क	ख	ख क क से प्रतिशत	क	ख	ख क क से प्रतिशत
2002-03	1.58	0.13	8.23	0.77	0.03	3.90	0.57	0.08	14.04	2.06	0.04	1.94
2003-04	1.70	0.06	3.53	0.82	0.03	3.66	0.57	0.09	15.79	2.60	0.06	2.31
2004-05	2.18	0.13	5.96	0.89	0.05	5.62	0.72	0.08	11.11	2.68	0.08	2.99
2005-06	2.18	0.14	6.42	0.89	0.05	5.62	0.77	0.10	12.99	2.92	0.07	2.40
2006-07	2.55	0.16	5.27	1.03	0.06	5.83	0.86	0.12	13.95	3.33	0.06	1.80

स्त्रोतः *पर्यटन केन्द्र के ट्रेफिक इनफ्लो का विवरण और प्रबन्धन द्वारा प्रेषित होटल के अकुपेन्सी का विवरण*

क: *पर्यटन केन्द्र का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या लाख में*

ख: *कम्पनी की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले पर्यटकों की संख्या लाख में*

लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण के दौरान निम्न अकुपेन्सी तथा असंतोषप्रद सेवा के निम्न कारण दर्शित हुए:

- 2002-03 से 2004-05 के दौरान कक्षों के उन्नयन तथा नवीकरण में 12 माह से 22 माह तक का विलम्ब हुआ;
- बार बार बाधित विद्युत आपूर्ति हेतु जनरेटर लगाने में विलम्ब अर्थात उन्हें समस्त होटलों में अक्टूबर 2004 में पर्याप्त विलम्ब से स्थापित किया गया;
- कम्पनी के होटलों में एस.टी.डी., हेल्थ क्लब, इन्टरनेट, इनडोर गेम्स तथा क्रेडिट कार्ड के उपयोग जैसी सुविधाओं का प्रावधान न करना;
- आन लाइन रिजर्वेशन सिस्टम का अभाव; तथा
- रीओरियेन्टेशन ट्रेनिंग सहित व्यावसायिक योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की कमी ।

प्रबन्धन ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक (अक्टूबर 2007) में सूचित किया कि अकुपेन्सी स्तर में कमी खराब आधारभूत अधोसंरचना, प्रबन्धकीय कर्मचारियों को कम अधिकार /अधिकार न सौंपने, व्यावसायिक जनशक्ति आदि की अनुपलब्धता के कारण हुई ।

टैरिफ का निर्धारण

2.1.10 प्रबन्धन ने कमरों का किराया निर्धारित करने के लिये एक समान नीति नहीं बनाई थी और टैरिफ का निर्धारण नवीकरण पर किये गये व्यय पर दृष्टि रखते हुए इकाई प्रबन्धकों की अनुशंसाओं पर किया जा रहा था । यह पाया गया कि 33[28] होटलों में सिंगल एवं डबल रूम के उपयोग के लिये टैरिफ एक समान था ।

अकुपेन्सी में कमी को रोकने हेतु कम्पनी ने टैरिफ की समीक्षा नहीं की ।

यह भी पाया गया कि सितम्बर 2004 (10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत) तथा जनवरी 2005 (10 प्रतिशत से 96 प्रतिशत) में टैरिफ में वृद्धि के परिणामस्वरूप उन आठ[29] होटलों जो पर्यटकों की रूचि के महत्वपूर्ण स्थलों पर स्थित है में जहाँ अकुपेन्सी पहले से ही मानदण्ड से कम थी, 2003-04 में अकुपेन्सी स्तर की तुलना में 2005-06 के दौरान 3 से 25 प्रतिशत तक कमी हुई । प्रबन्धन ने टैरिफ की समीक्षा और अकुपेन्सी में कमी को रोकने के लिये कोई उपाय नहीं किये ।

2.1.11 यह पाया गया की कम्पनी प्रत्येक वर्ष अधिक पर्यटको को आकर्षित करने के लिये ऑफ सीजन छुट (जुलाई से सितम्बर) प्रदान कर रही थी । यह देखा गया की प्रबंध संचालक द्वारा उक्त छुट तदर्थ आधार पर बिना किसी पर्यटन अध्ययन के दी जा रही थी ।

कम्पनी 13 इकाइयों यथा पंचमढ़ी में आठ (30 प्रतिशत), भेडाघाट-मोटल मार्बल रॉक (30 प्रतिशत), अमरकंटक-होली डे होम (25 प्रतिशत), बान्धवगढ़-व्हाइट टायगर लॉज, पेंच किपलिंग कोर्ट तथा मुक्की-कान्हा सफारी लाज (50 प्रतिशत) में प्रत्येक वर्ष ऑफ सीजन छुट की अनुमति दी थी । पर्यटन महत्व के तीन स्थानों में कम्पनी के होटलों में ***परिशिष्ट -7*** यह प्रकट हुआ कि प्रस्तावित छूट के बावजूद अकुपेन्सी स्तरों में कोई सार्थक सुधार नहीं हुआ । इससे यह प्रदर्शित होता है कि उक्त छुट देने से होटलो के अकुपेन्सी में कोई वृद्धि नहीं हुई जैसा कि यह पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कम्पनी की होटलो में मूलभूत सुविधाओं का आभाव था (पैरा 2.1.9) ।

खान पान प्रबन्धन

28 *हॉलीडे होम्स-अमरकंटक, मोटेल मार्बल रांक्स-भेडाघाट, टुरिस्ट बंगलो-चित्रकुट, तानसेन रेसिडेन्सी-ग्वालियर, टुरिस्ट मोटेल-दतिया, झाबुआ, कटनी, खलघाट, मंडला, पिपरिया, होटल झंकार, होटल पायल, होटल शाहिल-खजुराहो, नर्मदा रिट्रीट-महेश्वर, होटल सुरखहार-मैहर, मालवा रिसॉट, मालवा रिट्रिट-माण्डु, नर्मदा रिसॉट-ओमकारेश्वर, बेतवा रिट्रिट, शीशमहल-ओरछा, अमलतास क्लब व्यूह, ग्लेन व्यूह हिलटॉप बंगलो, रॉक-एण्ड-मैनोर-पंचवटी, सतपुड़ा रिट्रिट-पंचमढ़ी, हाइवे ट्रीट-डोडी, रूखण्ड, होटेल भरहुत-सतना, टुरिस्ट विलेज-शिवपुरी, शिप्रा रेसिडेन्सी, होटल अवन्तिका (यात्री निवास)-उज्जैन ।*

29 *गेटवे रिट्रिट-सांची, होटल शिप्रा-उज्जैन, किपलिंग कोट-पेंच वाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज-बांधवगढ़, सतपुडा रिट्रिट-पंचमंडी टुरिस्ट लॉज-शिवपुरी, होटल पायल-खजुराहो, बधीरा लॉज हटस्-किसली ।*

कम्पनी ने कच्चे सामग्री तथा ईधन लागत की सीमा का निर्धारण बिना लागत विश्लेषण के किया कम्पनी ने स्वंय के द्वारा निर्धारित सीमा के संदर्भ में खाद्य तथा ईधनों पर 7.93 लाख रूपये का अधिक व्यय किया

2.1.12 कम्पनी 31 मार्च 2007 को 50 इकाईयों (4 इकाईयां अन्तिम पांच वर्षो के दौरान बढ़ाई गई) पर खान पान सुविधाओं का अनुरक्षण कर रही है ***(परिशिष्ट -8)*** । इन इकाइयों पर प्रस्तावित खाद्य सामग्री का मूल्य मुख्यालय द्वारा समय समय पर संशोधित किया जाता है । खाद्य सामग्री की सम्पूर्ण लागत का नियंत्रण प्रत्येक होटल के कच्चेमाल की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है । इसमें कोई लागत विश्लेषण किये बिना मेनू कैटरिंग रेट का सन्दर्भ देखा जाता है । उसी आधार पर ईधन लागत की सीमा भी निर्धारित की जाती है । खाद्य या ईधन लागत पर व्यय की सीमा से अधिक व्यय होने की दशा में होटल प्रबंधक अधिक लागत वहन करने हेतु उत्तर दायी होगा । कम्पनी ने इनपुट कॉस्ट पर प्रभावशाली नियंत्रण करने के लिये कच्ची सामग्री अधिप्राप्त करने के लिये संविदा प्रणाली का अनुसरण नहीं किया । खाद्य सामग्री का मूल्य तय करने की प्रणाली के लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि कम्पनी ने खाद्य सामग्री के विक्रय में लाभ अनुपात निर्धारित नहीं किया । यह भी कि कम्पनी अन्य व्यय पर नियंत्रण करने में भी समर्थ नहीं थी क्योंकि मीनू रेट निर्धारित करने से पूर्व क्रमबद्ध मूल्य आधारित अध्ययन नहीं किया गया था ।

- कम्पनी ने खाद्य तथा ईधन लागत का प्रतिशत विक्रय मूल्य का 29.5 एवं 44 प्रतिशत निर्धारित किया था (अगस्त 2003) और केटरिंग यूनिटों के समस्त व्यक्तिगत प्रभारियों पर यह सुनिश्चित करने हेतु दबाब डाला कि मूल्य निर्धारित सीमा के भीतर रखा जाय । दिसम्बर 2004 में मीनू रेटों में 20 प्रतिशत तक वृद्धि की गई तथापि 2005-06 हेतु इकाइयों द्वारा प्रेषित खाद्य मूल्य प्रतिवेदनों (2005-06 से पूर्व तथा पश्चात के अभिलेख उपलब्ध नहीं है) की लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच के दौरान प्रकट हुआ कि 23 होटलों ***(परिशिष्ट -9)*** में कम्पनी द्वारा निर्धारित मानदण्डों के सन्दर्भ में खाद्य एवं ईधन लागत पर 7.93 लाख रूपये का अधिक व्यय किया । कम्पनी ने कोपू के इस आश्य की अनुशंसाओं (अप्रैल 2002) के बावजूद मानदण्ड ने अधिक व्यय करने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया । प्रबन्धन के कारण बताया (अक्टूबंर 2007) कि चूंकि मुख्यालय विक्रय मूल्य निर्धारित करता है इसलिये होटल प्रबन्धको के लिये मानदण्ड के भीतर खाद्य मूल्य रखना कठिन था और यह भी बताया कि विक्रेताओं के साथ विशिष्ट स्थान पर एक समान दरों पर खाद्य सामग्री आपूर्ति के लिये अनुबन्ध किये गये हैं । उत्तर स्पष्ट रूप से दर्शित करता है, कि कच्ची सामग्री के उपभोग तथा ईधन लागत के मानक विस्तृत लागत के अध्ययन के बिना ही निर्धारित किये गये थे । इस कारण कम्पनी स्वयं द्वारा निर्धारित मानको पर ध्यान नहीं दे सकी ।

- यह भी पाया गया कि 23 अन्य होटलों के प्रकरण में खाद्य एवं ईधन मूल्य का प्रतिशत 27 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक के मानदण्ड के विरूद्ध 24.46 प्रतिशत से 30.54 प्रतिशत के मध्य था । इससे प्रकट हुआ कि खाद्य सामग्रियों के मूल्य हेतु निर्धारित मानदण्ड किसी स्वस्थ्य लागत निर्धारण सिद्धान्त पर आधारित नहीं थे। यद्यपि समबन्धित कर्मचारियों को प्रबन्ध ने अतिरिक्त व्यय करने के लिये कारणों के स्पष्टिकरण हेतु निर्देश (जून से सितम्बर 2006) दिये थे तथापि

उनसे अतिरिक्त राशि की वसूली के लिये यथा परिकल्पित प्रभावी कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई थी ।

1998-99 हेतु नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में निहित अधिक खाद्य मूल्य के कारण होटल प्रबन्धक होटल पलाश से सात लाख रूपये की वसूली के प्रकरण पर चर्चा के समय कोपू ने अनुशंसा की थी (अप्रैल 2002) कि कम्पनी द्वारा सन्दर्भित चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट जिसे प्रकरण रेफर किया गया था, से प्रतिवेदन की प्राप्ति के तीन माह के भीतर वसूली की जानी चाहिये । इस संबंध में कम्पनी द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गई (सितम्बर 2007) ।

- उत्पाद एवं सेवा की गुणवत्ता पर इस हेतु बनाई गई प्रश्नावली के रूप में अतिथियों से प्रतिक्रिया जानने का कार्य 2007-08 में ही आरम्भ किया गया था। यह देखा गया कि कम्पनी ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रणाली ईजाद नहीं की कि प्रतिक्रिया के रूप में रखे गये अभिमतों तथा सुझावों का विश्लेषण तथा कार्यान्वयन किया जा सके ।

मधु शालाओं का निष्पादन

2.1.13 कम्पनी मधुशालाओं के लिये पृथक से लेखे अनुरक्षित नहीं कर रही थी । तथापि लेजरों में उपलब्ध आंकड़ों से लेखापरीक्षा द्वारा आकलित मधुशालाओं के लाभ/हानि से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2007 को समाप्त पांच वर्षो की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा चलाई जा रही 19 से 23 मधुशालाओं में से 5 से 9 मधुशालाएं मार्च 2007 की स्थिति में हानि उठा रही थी जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैः

(लाख रूपये में)

वर्ष	मधुशालाओं की कुल संख्या	हानि उठाने वाली मधुशालाए			
		संख्या	आय	व्यय*	हानि
2002-03	21	5	6.03	11.03	5.00
2003-04	23	7	10.03	17.73	7.70
2004-05	15	5	7.86	12.29	4.43
2005-06	19	9	16.47	24.35	7.88
2006-07	20	7	18.03	28.35	10.82

** व्यय में मधुशाला कर्मचारियों का वेतन, विद्युत, बर्फ, उठाने रखने आदि के व्यय समाविष्ट नहीं है*

स्त्रोतः 2002-03 एवं 2003-04 के आंकड़े आकेंक्षित लेखे पर आधारित है तथा 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 हेतु आंकड़े प्राविधिक लेखो पर आधारित है ।

मदिरा तथा बीयर का विक्रय मूल उचित लागत प्रणाली पर आधारित नहीं था

मधुशालाओं के परिचालन कार्यो की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि खजुराहो (औसत अकुपेन्सी -26.2 प्रतिशत), सांची (औसत अकुपेन्सी -43.8 प्रतिशत), ओरछा (औसत अकुपेन्सी -61 प्रतिशत) तथा पंचमढ़ी (औसत अकुपेन्सी -59 प्रतिशत) स्थित चार मधुशालाए 2006-07 तक के पांच वर्षो ***परिशिष्ट -10*** से निरन्तर हानि उठा रहीं थी । खजुराहो तथा पंचमढ़ी स्थित दो मधुशालाओं की आय सरकार को प्रदत्त लायसेन्स फीस के बराबर भी नहीं थी ।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि मधुशालाओं द्वारा उठाई जाने वाली हानियों के मुख्य कारणों में से एक यह था कि मदिरा एवं बीयर के विक्रय मूल्य का निर्धारण उचित मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित नहीं था और मूल्य में अन्य व्ययों (कर्मचरियों का वेतन विद्युत व्यय, उठाने रखने के प्रभार आदि) का ध्यान नहीं रखा गया था । कम्पनी ने परिव्ययों पर विचार करने के उपरान्त मदिरा की दरें निर्धारित करने हेतु स्वीकृति दी (अक्टूबर 2007) ।

विपणन

उचित विज्ञापन निति तथा अर्थपूण मिडिया योजना बनाने में असफल होने के कारण राज्य में पर्यटनका विकास प्रभावित हुआ ।

2.1.14 कम्पनी ने "विपणन " हेतु उद्दिष्ट निधियों के वृहद भाग को विभिन्न दैनिक/पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों आदि में विज्ञापनों के प्रकाशन और प्रचार सामग्री के मुद्रण पर व्यय किया । लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने समाचार पत्रों के प्रसार पर ध्यान दिये बिना कोई विज्ञापन नीति विकसित किये बिना तथा अर्थपूर्ण मीडिया प्लान बनाए बिना तदर्थ आधार पर विज्ञापन दिये । तदर्थ आधार पर विज्ञापन देने से पर्यटकों की संख्या में सकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ जिसमें की उक्त अवधि में गिरावट आई ।

2002-03 से 2006-07 तक की अवधि के दौरान कम्पनी ने आयोजना ग्रान्ट[30] के अधीन 18.54 करोड़ रूपये की आयोजन ग्रान्ट और आयोजनोत्तर ग्रान्ट[31] के अधीन 8.10 करोड़ रूपये प्राप्त किये । इसके विरूद्ध कम्पनी ने आयोजना ग्रान्ट के अधीन 18.66 करोड़ रूपये और आयोजनेतर ग्रान्ट के अधीन 8.10 करोड़ रूपये व्यय किये । प्रत्येक वर्ष विज्ञापन एवं प्रचार पर किया गया व्यय कुल व्यय का 9.09 प्रतिशत से 37.15 प्रतिशत के मध्य था । लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- कम्पनी का विज्ञापन तथा प्रचार के लिये अपने स्त्रोत से कोई पृथक बजट आंवटित नहीं था । यह पूर्णतया सरकार से आयोजना तथा आयोजनोत्तर ग्रान्टों पर निर्भर था ।
- कम्पनी विपणन कार्यालयों हेतु आयोजनोत्तर ग्रान्ट प्राप्त कर रही थी, फिर भी आगरा विपणन कार्यालय सितम्बर 2006 में बंद कर दिया गया ।
- आयोजनोत्तर ग्रान्ट का उपयोग उन्ही लोगो के वेतन तथा भत्तों के भुगतान हेतु करना था जो कि प्रत्यक्ष रूप से विपणन कार्य में लगे थे जबकि यह देखा गया कि कम्पनी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के वेतन तथा भत्तों पर आयोजनेतर ग्रान्ट से 2.57 करोड़ रूपये का व्यय किया जिनका कार्य मुख्यालय के साथ होटलों का नियंत्रण तथा समन्वय करना था ।

30 *आयोजना ग्रान्ट का उपयोग विज्ञापन, प्रचार एवं रोड़ शो, प्रर्दशनी तथा मेले इत्यादि पर किया जाता है ।*

31 *आयोजोनोत्तर ग्रान्ट का उपयोग विभिन्न स्थानों पर स्थित विपणन एवंम प्रचार के अधिकारीयों तथा कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी पर खर्च किया जाता है ।*

- राज्य सरकार के स्वामित्व वाले प्रकाशन "माध्यम" के माध्यम से समस्त विज्ञापन देने के राज्य सरकार के अनुदेशों (1982) का पालन नहीं किया गया ।
- प्रचार तथा विपणन पर पर्याप्त व्यय करने के पश्चात पर्यटकों की संख्या से विशेष प्रभाव नहीं आया वास्तव में राज्य में भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या में (देशी तथा विदेशी दोनो) में वर्ष 2004-05 (90.23 लाख) की तुलना में वर्ष 2005-06 (81.65 लाख) में कमी आई जैसा कि पैरा 2.1.7 में चर्चा की गयी है।
- प्रचार सामग्री के मुद्रण के लिये कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है ।

जनशक्ति

योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की कमी के परिणामस्वरूप कम्पनी की मुख्य गति-विधियां उत्तम सेवा से वंचित रहीं ।

2.1.15 कम्पनी ने 1:2 (बिस्तर : कर्मचारी) के उद्योग के मानदण्ड के आधार पर अपनी 2,153 आदमियों की आवश्यकता निर्धारित की (अक्टूबर 2006) और 996 की कमी आकलित की । यह कम्पनी की अपनी स्वयं की (615) और वाह्य स्त्रोत (542) से उपलब्ध जनशक्ति का 86.08 प्रतिशत थी (मार्च 2007) । पर्यटन तथा अतिथि सत्कार सेक्टर का निष्पादन प्रस्तुत की गयी गुणक्ता सेवा तथा व्यवसायिक सेवा पर निर्भर करता है । यद्यपि यह मान्य सत्य है कि इस उद्योग का अस्तित्व ग्राहको को गुणवत्ता सेवा तथा दक्षतापूर्ण सेवा पर निर्भर है, इसके बावजूद यह देखा गया कि कंपनी के पास व्यवसायिक रूप में दक्ष कर्मचारियों की कमी थी । तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त जनशक्ति की कमी के परिणामस्वरूप कम्पनी की मुख्य गतिविधियां उत्तम सेवा से वंचित रहीं । राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में प्रबन्धन ने सूचित किया (अक्टूबर 2007) कि प्रशिक्षण देने हेतु व्यवस्था करने की कार्यवाही की जा रही है । तथापि कम्पनी ने पर्याप्त योग्यता प्राप्त तथा प्रशिक्षित जनशक्ति की भरती के लिये समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया । कम्पनी द्वारा अपने निर्गमन (1978) से दक्ष कर्मचारियों के अभाव के कारण नहीं बताये ।

अधोसंरचना का विकास

योजनाएं तथा स्त्रोत

2.1.16 कम्पनी द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, वित्त आयोग तथा राज्य सरकार से अधोसंरचना विकास हेतु निधिया प्राप्त की । वर्ष 2002-07 के दौरान विभिन्न योजनाओं में प्राप्त तथा व्यय की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. संख्या	योजना का नाम	निर्माण कार्यों की संख्या	संस्वीकृत	विमोचित	किया गया व्यय
1.	भारत द्वारा संस्वीकृत योजना	39	91.21	64.92	19.75
2.	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गइ अनुशंसा के अनुसार	16	10.84	10.65	10.79
3.	बारहवे वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार	6	12.75	12.75	0.96
4.	राज्य का पूंजीगत बजट	45	5.58	5.56	5.56
	योग	**106**	**120.38**	**93.88**	**37.06**

स्त्रोतः प्रबन्धन द्वारा प्रेषित आंकड़े ।

कम्पनी ने अधोसंरचना के सृजन के लिये उपलब्ध कराई गई निधियों का केवल 39.48 प्रतिशत का ही उपयोग किया जिसके कारण राज्य में अधोसंरचना का विकास अपर्याप्त रहा।

उपरोक्त से यह दृष्टिगत हुआ कि कम्पनी ने राज्य में पर्यटक आधार संरचना सुविधाओं के विकास के लिये विभिन्न एजेसियों से प्राप्त निधियों में से केवल 39.48 प्रतिशत ही व्यय किया परिणामस्वरूप राज्य में पर्यटन अधोसंरचना का अपर्याप्त विकास हुआ। यह देखा गया कि कम्पनी ने अप्रयुक्त निधियों को अपने बैंक खातो में रखा । इसके अतिरिक्त कम्पनी ने अपनी कार्यचालन पूंजी आवश्यकता की पूर्ति के लिये अप्रयुक्त निधियों के निवेश से अर्जित ब्याज (राशि की मात्रा की गणना नहीं की जा सकती) का उपयोग किया ।

योजनाओं की लेखापरीक्षा समीक्षा से निम्नांकित तथ्य सामने आये:

भारत सरकार की योजनाएं

2.1.17 राष्ट्रीय पर्यटन नीति भारत में पर्यटन के क्रम बद्ध विकास की दृष्टि से बनाई गइ थी (2002), जिसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि हेतु एक प्रमुख इंजन के रूप में पर्यटन उद्योग को प्रतिष्ठा दिलाना था और रोजगार सृजन के लिये प्रत्यक्ष तथा गुणित प्रभाव उत्पन्न करना था, साथ ही पर्यावरणीय रूप में पोषणीय बना कर गरीबी उन्मूलन करना था । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पर्यटन मंत्रालय ने केन्द्र प्रवर्तित वित्त पोषित योजनाओं के अधीन राज्य सरकार को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया (मई 2002) कि पर्यटक परिक्रमा, ग्रामीण पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं हेतु गन्तव्य स्थल विकास, एकीकृत विकास के लिये विशेष योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाय ।

लेखापरीक्षा ने बिना पर्याप्त कारण के परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब, निधियों के व्यपवर्तन, परियोजनाओं के परित्याग तथा भारत सरकार के अनुदेशों का पालन न करने के अनेक उदाहरण पाये । इन विचलनों के परिणामस्वरूप निजीकरण हेतु मार्ग तैयार करने की कम्पनी की पुनःपरिभाषित भूमिका के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ आधार संरचना के विकास के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके ।

अनियमितताओं के कतिपय निदर्शी प्रकरणों का उल्लेख आगामी कण्डिकाओं में किया गया है ।

गन्तव्य स्थल विकास योजना

2.1.18 योजना के अधीन पर्यटन सम्भावना पर सावधानी से विचार करने के उपरान्त राज्य में पर्यटक गन्तव्य स्थलों के विकास हेतु कार्य आरम्भ किये गये । इन गन्तव्य स्थलों के मास्टर प्लान का उत्तरदायित्व लिया जाना था ताकि इन्हे एकीकृत आत्म निर्भरता तथा पूर्णता के ढंग से विकसित किया जा सके । यह माना गया था कि मास्टर प्लान में पर्यावरण का ध्यान रखने सहित समस्त पिछड़े तथा अगडों की सहलग्नता रहेगा। योजना में मास्टर प्लान की तैयारी से लेकर कार्यान्वयन तक की समस्त गतिविधियां समाविष्ट थी । पर्यटन मंत्रालय द्वारा ऐसे विकास कार्यो कि पूर्ण परियोजना लागत वहन करनी थी । कम्पनी ने राज्य सरकार से राज्य में दस[32] गन्तव्य स्थलों के विकास लिये 30.90 करोड़ रूपये प्राप्त किये थे (2002-03 से 2006-07) । संस्वीकृत प्राप्त तथा व्यय की गई निधियों और उनको पूरा करने की नियत तिथियों तथा की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में विवरणों का उल्लेख ***परिशिष्ट -11*** में किया गया है । भारत सरकार द्वारा जारी संस्वीकृति आदेशों में पूर्णता अनुसूची के साथ किये जाने वाले निर्माण कार्यो के विभिन्न घटको की चर्चा की गई है । इसमें यह भी अनुबन्धित है कि निर्माण कार्यो की पूर्णता पर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने है और अव्ययित राशि पर्यटन मंत्रालय को अभ्यर्पित की जानी है । यह भी कि निर्माण कार्यों की पूर्णता में विलम्ब के कारण हुई मूल्य वृद्धि राज्य सरकार अपनी निधियों से वहन करेगी ।

निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में मूल्य वृद्धि का निर्धारण नहीं किया जा सका क्योकि कम्पनी ने विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किए थे ।

परिशिष्ट -11 से यह दृष्टिगत हो सकता है कि दस गन्तव्य स्थलों में से केवल एक गन्तव्य स्थल (अमरकंटक का गन्तव्य स्थल विकास) अब तक पूर्ण किया गया है (सितम्बर 2007) । कम्पनीं ने इस योजना के अधीन आरम्भ किये गये निर्माण कार्यों की लागत के विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किये थे । विस्तृत अनुमानों के अभाव में निर्माण कार्यों की पूर्णता में विलम्ब के कारण मूल्य वृद्धि का आकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका । प्रबन्धन ने सूचित किया (अक्टूबर 2007) कि समस्त लम्बित परियोजनाएं लक्ष्यों के अनुसार मार्च 2008 से पूर्व पूर्ण कर ली जायगी । यह वास्तविकता है कि उक्त योजनाओं की पूर्णता में विलंब के कारण पर्यटन अधोसंरचना में लक्षित वृद्धि नहीं हो सकी साथ ही राज्य में पर्यटन प्रवाह भी प्रभावित हुआ ।

अमरकंटक का विकास

2.1.19 अमरकंटक प्राथमिक रूप से एक धार्मिक गन्तव्य स्थल है जहाँ 12 मंदिर है । नर्मदा एवं सोन नदियाँ यहाँ से निकलती है । इसके अतिरिक्त अमरकंटक में बुनियादी रूप से विस्तृत खुले, पर्याप्त मात्रा में सिंचित घास के मैदान तथा झरनों एवं छोटी

[32] *अमरकटंक, ओकारेश्वर, महेश्वर, इन्दौर, बुरहानपुर, माण्डू, पन्ना, जबलपुर, मैहर, भोपाल।*

नदियों से युक्त विद्यमान साल वन है । अमरकंटक में प्रत्येक वर्ष एक लाख पर्यटक भ्रमण के लिये आते है ।

कम्पनी द्वारा तैयार अनुमानों के आधार पर (नवम्बर 2003) पर्यटन मंत्रालय ने 4.90 करोड़ रूपये स्वीकृत किये (मार्च 2004) और 3.92 करोड़ रूपये जारी किये (अप्रैल 2004 एवं दिसम्बर 2004) । योजना के पूर्ण होने के उपरान्त शेष राशि को जारी किया जाना था । योजना को आठ[33] घटकों में विभाजित कर दिया गया था ।

योजना में समाविष्ट आठ निर्माण कार्यो में से कम्पनी मास्टर प्लान तैयार करने के सिवाय सात निर्माण कार्य हाथ में लिये (जनवरी 2005 से मार्च 2007) और इन कार्यो पर 2.02 करोड़ रूपये व्यय किये (मार्च 2007) इसके अतिरिक्त कम्पनी ने अन्य सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के लिये 2.46 करोड़ रूपये जिला कलेक्टर अनूपपुर को हस्तान्तरित किये । यह बताया गया है कि कार्य जनवरी 2007 में पूर्ण हो गये थे । लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

कम्पनी मास्टर प्लान नहीं तैयार किया जो कि विकास के प्राथमिक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करना था ।

- कम्पनी ने संस्वीकृति आदेश में परिकल्पित मास्टर प्लान जो आत्म निर्भरता तथा पूर्णता के ढंग से गन्तव्य स्थलों का प्रस्तावित विकास दर्शाते हुए प्राथमिक मार्ग दर्शक के रूप में था, तैयार किये बिना निर्माण कार्य पूर्ण किये (जनवरी 2007),

- कम्पनी ने निष्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्यो के कोई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किये,

- विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किये गये, तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया जा सका,

कम्पनी ने 1.59 करोड़ रूपये उन निर्माण कार्यो हेतु व्यपवर्तित किये जो स्वीकृति आदेश में सम्मिलित नहीं थे।

- कम्पनी द्वारा किये गये व्यय में संस्वीकृति आदेश में असमाविष्ट अन्य निर्माण कार्यों को व्यपवर्तित 1.59 करोड़ रूपये सम्मिलित है (चौराहा विकास, गजिबों सोनमुडा, गाजिबों कपिलधारा, कपिलधारा का विकास, साइनेज एवं साइन बोर्ड मेटल हेण्डल लेम्प, मन्दिर के प्रवेश द्वार का निर्माण, पुष्कर बांध पर घाट का निर्माण),

कम्पनी ने जिला कलेक्टर को हस्तान्तरित 2.46 करोड रूपये के उपयोग प्रमाण-पत्र उपयोग सुनिश्चित किये बिना प्रस्तुत किये ।

- अन्य निर्माण कार्य कराने के लिये जिला कलेक्टर अनूपपुर को हस्तान्तरित 2.46 करोड़ रूपये के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये । तथापि कम्पनी ने अपने द्वारा कलेक्टर को हस्तातरित 2.46 करोड़ रूपये की निधियों का

33 *नगर के लिये मास्टर प्लान तैयार करना (5 लाख रूपये) नर्मदा मन्दिर परिसर का विस्तार (104.90 लाख रूपये) मन्दिर के अन्दर मारबल बिछाना (84 लाख रूपये), पर्यटन स्थलों एवं वन मार्गो का विकास (35.90 लाख रूपये), जन उपयोगी सेवाओं का आवर्धन (79.80 लाख रूपये), प्रदूषण से नर्मदा बांध बचाने के लिये निर्माण कार्य (60 लाख रूपये), मनोरंजन केन्द्र का विकास (80 लाख रूपये) और होलीडे होम का नवीकरण (40 लाख रूपये) ।*

उपयोग सुनिश्चित किये बिना 4.90 करोड़ रूपये के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये (जनवरी 2007) ।

उक्त कारणों से इस व्यय का परिणाम तथा उपयोगिता लेखापरीक्षा में नहीं जांची जा सकी । प्रबन्ध ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक (अक्टूबर 2007) में सूचित किया कि उपयोग प्रमाण पत्र वास्तविक व्यय के अनुसार प्रस्तुत किये जायगें ।

पर्यटक परिक्रमा के एकीकृत विकास हेतु योजना

2.1.20 पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक परिक्रमा विकास (वह मार्ग जिस पर कम से कम तीन प्रमुख पर्यटक गन्तव्य स्थल स्थित हो) की दृष्टि से तीन परिक्रमा यथा ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो, ग्वालियर-शिवपुरी-चन्देरी ता सांची-भोपाल-पंचमढ़ी का अनुमोदन किया (सितम्बर 2005 से दिसम्बर 2005) । इन परिक्रमाओं के विकास पर अगस्त 2007 तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि, प्राप्त एवं व्यय की गई राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपये में)

क्र. संख्य	परिक्रमा का नाम	संस्वीकृति विमोचन दिनांक	संस्वीकृत राशि	जारी राशि	किया गया व्यय	संस्वीकृति आदेश के अनुसार पूर्णता का दिनांक
1.	हेरीटेज, नेचर तथा वाइल्ड लाईफ सार्किट के अधीन कोरीधाट, होशंगाबाद स्थित व्यू पाइन्ट का विकास	24/12/2002	47.15	47.15	@	दिसम्बर 2004
2.	ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो	09/09/2005	461.09	368.87	81.27	सितम्बर 2006
3.	सांची-भोपाल- भोजपुर - भीम बैठक-पंचमढ़ी	21/12/2005	715.45	572.00	298.28	दिसम्बर 2007
4.	ग्वालियर -शिवपुरी-चन्देरी	21/12/2005	72.90	58.32	38.00	दिसम्बर 2007
	योग		**1296.59**	**1046.34**	**417.55**	

स्त्रोतः प्रबन्धन द्वारा प्रेषित आंकडे (संस्वीकृति आदेश से) ।

@ कार्य अभी आरंभ किया जाना था (सितम्बर 2007) ।

कम्पनी ने उपलब्ध कराये गयी निधियों में से सिर्फ 39.91 प्रतिशत का ही उपयोग किया ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि निधियों की समस्या नहीं थी तथापि अगस्त 2007 तक इन निर्माण कार्यो पर केवल 4.18 करोड़ रूपये (कुल जारी राशि का 39.91 प्रतिशत) ही प्रयुक्त कर सकी जिससे अपर्याप्त प्रगति प्रकट हुई और जिसके कारण निम्नानुसार बताए गए:

- परिक्रमा सम्बन्धी निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु भूमि आवंटन में 15 माह का विलम्ब हुआ (ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो परिक्रमा);
- निविदा आमन्त्रित करने में छः माह का विलम्ब (सांची-भोपाल-भोजपुर-भीम बैठक-पचमढ़ी परिक्रमा); और
- अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब यथा मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करना (सांची-भोपाल-पंचमढ़ी परिक्रमा में 10 माह, ग्वालियर-शिवपुरी-चन्देरी परिक्रमा में 10 माह) ।

इस प्रकार इन परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप अधोसंरचना के विकास के आशयित लाभ प्राप्त नहीं हुए ।

सेवा प्रदाय की क्षमता में वृद्धि

2.1.21 असंगठित क्षेत्र में पर्यटक सेवा प्रदायकों के व्यवहार में सुधार की दृष्टि से कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा युक्ति निकालना और उन व्यक्तियों के लिये अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना आवश्यक है जो पर्यटकों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में रहते है और इस हेतु निधियों के लिये पर्यटन मंत्रालय को प्रस्ताव भी प्रस्तुत करना चाहिये । कम्पनी ने ऐसे प्रशिक्षणों की कोई व्यवस्था नहीं की और इस प्रकार पर्यटन उद्योग से सम्बद्ध पात्र व्यक्तियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकी । प्रबन्धक ने लेखापरीक्षा का दावा स्वीकार किया (अक्टूबर 2007) और सूचित किया कि इस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु कदम उठाये जायेंगे ।

पर्यटन सम्बन्धि आयोजन के लिये वित्तीय सहायता की योजना

2.1.22 इस योजना के अधीन पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन वृद्धि के भाग के रूप में सांस्कृतिक मूल्यों की विशिष्टताएं दर्शाते हुए उत्सव तथा मेलों के आयोजन के लिये वित्तीय सहायता के क्षेत्र का विस्तार किया । 2002-03 से 2006-07 के दौरान पर्यटन मंत्रालय तथा भारत सरकार ने 29 मेलो तथा उत्सवों हेतु क्रमशः 0.50 करोड़ रूपये तथा 1.75 करोड़ रूपये संस्वीकृत किये और 0.48 करोड़ तथा 1.68 करोड रूपये जारी किये । कम्पनी ने निधियों का उपयोग मेलों तथा उत्सवों के आयोजन में किया । लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2006-07 के दौरान कम्पनी जारी 50.50 लाख रूपये में से मात्र 43.36 लाख रूपयों का ही उपयोग कर सकी । कम्पनी ने अनुदान की शेष राशि 7.14 लाख रूपये वापस नहीं की । (सितम्बर 2007)

सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु योजना

2.1.23 पर्यटन सूचना उपलब्ध कराने एवं उनके सरलीकरण के लिये उन्नत चैनलों की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी की पहल (राज्य पर्यटन विभागों को प्रोत्साहित करने साथ ही उनके पर्यटक उत्पादो के विपणन एवं प्रचार की दृष्टि से) भारत सरकार ने राज्य सरकार को 50:50 के आधार पर अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता का विस्तार करने

के लिये एक योजना बनाई (2002) । योजना का लक्ष्य राज्यों को अपने पर्यटन सम्बन्धी उत्पादों तथा सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को अपनाने में समर्थ बनाना था ।

कम्पंनी ने व्यापक श्रोताओं तक पहुचने के लिये एक पेमेन्ट गेटवे के सृजन के लिये सॉफ्टवेयर के उपयोग द्वारा अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने समस्त बुकिंग तथा पर्यटन कार्यालयों को जोड़ने की दृष्टि से केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मांग की (मार्च 2004 तथा मार्च 2005) । उसने अपनी विद्यमान वेवसाइटों के उन्नयन और इंटरनेट मार्केटिग तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये प्रभावी कदम उठाने का प्रस्ताव भी किया । कम्पनी ने 1.65 करोड़ रूपये (राज्य सरकार से 96.60 लाख रूपये तथा भारत सरकार से 68.38 लाख रूपये) प्राप्त किये (2003-04 एवं 2004-05), परन्तु उसने अपने स्वयं के स्त्रोतो से 12.65 लाख रूपये के साथ अनुदान जारी करके दो चरणों में योजना पूर्ण करने के लिये 1.78 करोड़ रूपये का व्यय किया ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पर्यटन सूचना एवं अन्य कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कम्पनी द्वारा अभिप्रेत लक्ष्य पूर्णतया निम्नानुसार प्राप्त नहीं किये जा सकेः

- कम्पनी द्वारा अधिप्राप्त (अप्रैल 2004 से सितम्बर 2006) कम्प्यूटर हार्डवेयर जिनका मूल्य 52.72 लाख रूपये (39.30 लाख रूपये की संस्वीकृति के विरूद्ध) था, सितम्बर 2007 तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्किग की अनुपलब्धता के कारण उपयोग में नहीं लाये जा सके । सॉफ्टवेयर की व्यवस्था करने से पूर्व हार्डवेयर आईटमों की अधिप्राप्ति कम्पनी की दोषपूर्ण योजना का सूचक है;

- उपर्जित (मई 2007) वीडियो कान्फ्रेंसिग उपकरण (32 लाख रूपये) स्थापित नहीं किये गये थे और वी-सेट सुविधा भी, वन क्षेत्र में टावर खड़े करने के लिये वन विभाग द्वारा अनुमति न देने के कारण स्थापित नहीं की गई थी । तथापि वी-सेट तथ वीडियो कान्फ्रेंसिग के लिये संस्वीकृत 40.44 लाख रूपये के उपयोग प्रमाण पत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को पूर्व में ही प्रस्तुत कर दिये गये थे (अप्रैल 2005 एवं जनवरी 2007);

कम्पनी ने निधियों का उपयोग न करते हुए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये ।

- 13.78 लाख रूपये में क्रय (दिसम्बर 2004 एवं जनवरी 2005) दो हेण्डी ऑडियोरीच किटों में से इस्लाम नगर में उपयोग के लिये अभिप्रेत किट ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही थी और गौहर महल, भोपाल के लिये उद्दिष्ट किट स्थापित नहीं की गई थी (सितम्बर 2007);

- इन्टरएक्टिव वायस रेन्सपोन्स सिस्टम जिसके लिये 7.92 लाख रूपये प्रयुक्त किये दर्शाए गए है, अभी तक स्थापित नहीं किया गया है (सितम्बर 2007);

- 7.02 लाख रूपये में उपर्जित (अप्रैल 2007) एवं स्थापित टच स्क्रीन कियोरक (अप्रैल 2007) खराब परिवीक्षण एवं अनुरक्षण के परिप्रेक्ष्य में इन्हें न लगाने के पर्यटन मंत्रालय के निर्देशों के प्रतिकूल इन्हें स्थापित किया गया; और

- 5.17 लाख रूपये की लागत से स्थापित किये जाने वाले आवास तथा अन्य सुविधाओं के ऑन लाइन आरक्षण हेतु आवश्यक पेमेन्ट गेटवे क्रियाशील नही कराये गये (सितम्बर 2007) ।

इस प्रकार कम्पनी पर्यटक प्रवाह सुधारने के लिये सुविधाओं के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु उपलब्ध निधियों का उपयोग करने में विफल रही । इन सुविधाओं के आभाव में अधिकांश व्यवसाय निजी होटलों की ओर अग्रसर हुआ ।

हाई वे ट्रीटों का उन्नयन

2.1.24 ब्यावरा एन.एच 3 एवं एन.एच.12 के संयोजन स्थल पर एक महत्वपूर्ण जंक्शन है चूंकि कम्पनी द्वारा इस स्थान पर चलाए जा रहे हाई वे कैफेटेरिया हानि में चल रहा था इसलिये पर्यटन मंत्रालय ने 53.67 लाख रूपये का अनुदान स्वीकृत किया जिसमें छः स्यूट्स के निर्माण (15 लाख रूपये), फर्नीचर तथा किचिन उपकरणों के क्रय (2.50 लाख रूपये) क्षेत्र के प्राकृतिक दृश्य (8 लाख रूपये), चाहर दीवारी के निर्माण (2.50 लाख रूपये) तथा दो सूचना केन्द्र (2.50 लाख रेपये) एवं दो दुकानें (0.50 लाख रूपये) आदि शामिल था (दिसम्बर 2002) । कम्पनी ने पर्यटन मंत्रालय से 53.67 लाख रूपये प्राप्त किये (दिसम्बर 2002) और दो वर्षो में निर्माण कार्य पूर्ण करना था (दिसम्बर 2004) । लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण कार्य के मुख्य घटक यथा छः स्यूटों का निर्माण हाथ में लिये बिना कम्पनी ने फर्नीचर के क्रय, पेन्टिंग एवं विद्युतीकरण पर 13.77 लाख रूपये का व्यय किया (अप्रैल 2007 तक) । इस ट्रीट के उन्नयन में विलम्ब के कारण इकाई के निष्पादन पर गम्भीर रूप से निराशाजनक प्रभाव पड़ा क्योंकि 2002-03 में इकाई द्वारा उठाई गई 0.92 लाख रूपये की हॉनि में 2006-07 में 3.32 लाख रूपये तक वृद्धि हुई । लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कम्पनी ने पर्यटन मंत्रालय को 53.67 लाख रूपये की सम्पूर्ण राशि के लिये उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये । अतः कम्पनी हाई वे ट्रीट के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु प्राप्त निधियों के उपयोग में असफल हुई ।

हाई वे ट्रीट के उन्नयन में विलम्ब से लाभकारिता पर प्रभाव पड़ा ।

2.1.25 इसी प्रकार पर्यटन मंत्रालय ने डोडी स्थित हाई वे ट्रीट के उन्नयन के लिये 54 लाख रूपये का एक अनुदान स्वीकृत किया (अगस्त 2003) । निर्माण कार्यो में अन्य बातों के साथ विद्यमान कैफेटेरिया के उन्नयन (10.10 लाख रूपये), चार नवीन स्यूट्स के निर्माण तथा साजसज्जा (14.01 लाख रूपये), प्राकृतिक दृश्य (8.00 लाख रूपये) चाहरदीवारी के निर्माण (2.50 लाख रूपये), किचंन उपकरण क्रय (5.00 लाख रूपये) आदि सम्मिलित थे । कम्पनी ने निर्माण कार्यों पर 38.80 लाख रूपये व्यय किये परन्तु पर्यटन मंत्रालय को अनुदान की सम्पूर्ण राशि के लिये उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये (जून 2005) । यह पाया गया कि कम्पनी ने निर्माण तथा नवीन स्यूट्स की साज सज्जा एवं प्राकृतिक दृश्यों से सम्बन्धित कार्य आरम्भ नहीं किये थे । चाहरदिवारी के निर्माण पर

कम्पनी ने निधियों को अन्य कार्यो में व्यपवर्तित किया ।

2.50 लाख रूपये के अनुमान के विरुद्ध 13.39 लाख रूपये व्यय किये गये । कम्पनी ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों में अप्रदत्त कर्मचारी क्वाटरों के निर्माण पर 6.41 लाख रूपये व्यय किये ।

इस प्रकार अनुमोदित आयोजनाओं से विचलन के कारण इन हाई वे ट्रीट के परिकल्पित विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । आगे यह भी कि कम्पनी इन हाईवे ट्रीट की दशा में सुधार नहीं कर सकी तथा वे ट्रीट पर्यटकों को आकर्षित करने में असमर्थ रहे । कम्पनी ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक (अक्टूबर 2007) में लेखापरीक्षा के दावे को स्वीकार किया और सूचित किया कि किये गये व्यय का सम्यक परिवीक्षण किया जायगा ।

वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्सों का विकास

2.1.26 राज्य में वाटर स्पोर्टस सुविधा आरम्भ करने की दृष्टि से पर्यटन मंत्रालय/राज्य सरकार ने जबलपुर (अगस्त 2003) में 2.01 करोड़ रूपये तथा ग्वालियर (मार्च 2004) में 1.21 करोड़ रूपये से वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्सेज की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता संस्वीकृत की । वाटर स्पोर्ट काम्पलेक्स अक्टूबर 2004 तथा मार्च 2005 तक पूर्ण किये जाने थे । कम्पनी ने जबलपुर के लिये 2.01 करोड़ रूपये (मार्च 2004) तथा 55 लाख रूपये ग्वालियर के लिये प्राप्त किये । लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- ग्वालियर स्थित कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य कम्पनी द्वारा वन विभाग से अनुमति न मिलने के कारण आरम्भ नहीं कर सकी । प्रबन्धन ने सूचित किया कि निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके है (अक्टूबर 2007) किन्तु उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि योजना की पुनरक्षित लागत क्या है तथा राज्य सरकार ने पुनरक्षित स्वीकृती दी ।

- बरगी, जबलपुर स्थित वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य, 2.26 करोड़ रूपये की लागत पर किया गया । मई 2005 में संचालन आरम्भ हुआ । काम्प्लेक्स में चलाने हेतु प्रस्तावित क्रूइस बोट निर्माता से प्राप्त की जानी थी (मार्च 2005) । तथापि यह अक्टूबर 2006 में सुपुर्द की गई और चलाई जाने लगी । इसके परिचालन में 19 माह के विलम्ब के परिणामस्वरूप 50.73 लाख रूपये के सम्भावित राजस्व की हानि हुई (क्रूइस बोटिंग के आरम्भ होने पश्चात औसत मासिक अर्जित राजस्व के आधार पर परिगणित) ।

बोट की आपूर्ति में विलम्ब के परिणाम स्वरूप 0.51 करोड़ रूपये के सम्भावित राजस्व की हानि हुई।

अपर लेक, भोपाल में लेक क्रूईस वोट चालन

2.1.27 राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों (जुलाई 2004) के आधार पर पर्यटन मंत्रालय ने अपर लेक, भोपाल में दो लेक क्रूईस बोटे चलाने के लिये 2.34 करोड़ रूपये की संस्वीकृति प्रदान की (सितम्बर 2004) और प्रथम किस्त के 1.87 करोड़ रूपये जारी किये (सितम्बर 2004) । कार्य मार्च 2005 तक पूर्ण करना था, प्राप्त टेण्डर (अगस्त 2004) के आधार पर कम्पनी ने 99.18 लाख रूपये (प्रत्येक 49.59 लाख रूपये) में दो

बोटों की आपूर्ति के लिये हैदराबाद बोट बिल्डर्स को आपूर्ति आदेश दिये (**अक्टूबर** 2004) जिन्हें क्रमशः अप्रैल 2005 एवं जुलाई 2005 तक प्रदाय किया जाना था ।

लेखापरीक्षा में पाया गया किः

- एक बोट विलम्ब से प्राप्त हुई (नवम्बर 2005) और चलाई गई (जनवरी 2006)। बोट प्राप्त करने में छः माहों के विलम्ब के परिणामस्वरूप सम्भावित राजस्व के 23.08 लाख रूपये की हानि हुई ।

- दूसरी बोट जुलाई 2005 तक प्राप्त की जानी थी कम्पनी ने निर्माता को बोट वरगी, जबलपुर भेजने के निर्देश दिये गये (नवम्बर 2006) । वोट अभी प्राप्त की जानी है (सितम्बर 2007) । कम्पनी ने अग्रिम के रूप में निर्माता को 20 लाख रूपये का भुगतान किया है । कम्पनी ने बोट के क्रय हेतु पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त 87.82 लाख रूपये अभी तक वापस नहीं किये है (सितम्बर 2007) । प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि भोपाल के लिये दूसरी क्रूईस बोट क्रय करने के लिये अप्रयुक्त राशि भारत सरकार को वापस कर दी जायगी ।

भारत सरकार को 0.88 करोड़ रूपये का अप्रयुक्त अनुदान वापस न किया जाना।

खेल तथा मनोरंजन केन्द्र तथा पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण

2.1.28 कम्पनी ने भोपाल में खेल तथा मनोरंजन के निर्माण के लिये पर्यटन मंत्रालय/राज्य सरकार से 55 लाख रूपये प्राप्त किये (मार्च 2000) । यह केन्द्र अपर लेक भोपाल के समीप बनाया जाना प्रस्तावित था जहां पूर्व से ही एक वाटर स्पोर्ट केन्द्र था । निर्माण कार्य सितम्बर 2001 तक पूरा किया जाना था । चूंकि राज्य सरकार ने कम्पनी को भूमि उपलब्ध नहीं कराई इसलिये कार्य आरम्भ नहीं किया गया । इसी बीच कम्पनी ने भोपाल में पर्यटक स्वागत केन्द्र के निर्माण के लिये पर्यटन मंत्रालय/राज्य सरकार से 98 लाख रूपये का दूसरा अनुदान प्राप्त किया (अक्टूबर 2001) । कम्पनी ने खेल तथा मनोरंजन केन्द्र और पर्यटक स्वागत केन्द्र दोनों भोपाल में दूसरे स्थान पर निर्मित करने का निर्णय लिया (मई 2002) और उपलब्ध राशि (1.53 करोड़ रूपये) आंशिक रूप से अन्य योजनाओं से व्यपर्वतन द्वारा तथा अपनी स्वयं की निधियों में से उपलब्ध कराई गई । निधियों के आवर्धन द्वारा 2.72 करोड़ रूपये का व्यय किया । निर्माण कार्य अगस्त 2006 तक पूर्ण हुआ ।

भवन जो पर्यटक स्वागत केन्द्र तथा खेल एवं मनोरंजन केन्द्र हेतु बनाया गया था, उसे कम्पनी मुख्यालय तथा पर्यटन स्वागत केन्द्र में परिवर्तित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पर्यटकों के लाभ के लिये इनडोर स्पोर्टस, मनोरंजन, बैंकिंग, कैफेटेरिया, रेल्वे आरक्षण आदि जैसी सुविधाओ के साथ पर्यटक स्वागत केन्द्र एवं खेल तथा मनोरंजन केन्द्रों के लिये निर्मित भवन के उपयोग के स्थान पर कम्पनी जो मुख्यालय भवन के किराये के रूप में प्रति वर्ष 2.68 लाख रूपये का भुगतान कर कर रही थी उसने अपना मुख्यालय उक्त भवन में स्थानान्तरित (जुलाई 2006) कर दिया । प्रबन्धन ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में सूचित किया (अक्टूबर 2007) कि भवन का भूतल पर्यटक स्वागत केन्द्र के रूप में आंशिक रूप से प्रयुक्त किया जा रहा था और अन्य तलों का उपयोग मुख्यालय के लिये किया जा रहा था तथापि कम्पनी ने खेल तथा मनोरंजन केन्द्र नहीं बनाया

जिसके लिये निधियाँ प्रदाय की गई थी । भवन का कम्पनी मुख्यालय के रूप में उपयोग संस्वीकृती के विरूद्ध था तथा जिस कार्य हेतु निधियाँ प्राप्त की गयी थी, वह भी सफल नहीं हो सका । इसके अतिरिक्त यह निधियों के व्यपर्वतन के रूप में कोपू की अनुशंसाओं का उल्लंघन भी था ।

विकास निर्माण कार्यों का आरम्भ न करना

2.1.29 लेखापरीक्षा ने पाया कि पर्यटन मंत्रालय/राज्य सरकार द्वारा निधियों के जारी करने के बावजूद कम्पनी ने निम्नांकित आधार संरचना विकास निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किये:

बुरहानपुर में पर्यटक काम्प्लेक्स के लिये विस्तृत डिजाईन तथा ड्राईग प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप पर्यटन सुविधाएं स्थापित करने में छः वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ ।

- पर्यटन मंत्रालय ने 61.50 लाख रूपये (पर्यटन मंत्रालय 47.50 लाख रूपये, मध्य प्रदेश सरकार 14 लाख रूपये) की लागत से बुरहानपुर में पर्यटक काम्प्लेक्स के निर्माण के लिये कम्पनी के प्रस्ताव संस्वीकृत किये (मार्च 2001) तथा 14.25 लाख रूपये प्रथम किस्त के रूप में जारी किये तथा राज्य सरकार ने 14 लाख रूपये जारी किये (जून 2001) । कम्पनी ने 51 लाख रूपये में एक ठेकेदार को काम्प्लेक्स के निर्माण का कार्य दिया (सितम्बर 2003) । चूकिं कम्पनी विस्तृत डिजाइन तथा ड्राईग देने में विफल रही इसलिये ठेकेदार ने कार्य करने से मना कर दिया (सितम्बर 2004) । कम्पनी किसी दूसरे ठेकेदार को अभी तक निर्माण कार्य नहीं दे पाई है (सितम्बर 2007), क्योंकि कम्पनी द्वारा रखे हुए वास्तुशिल्पी परामर्शदाता (पर्यवरण योजना समन्वय संगठन राज्य सरकार की एजेन्सी) ने इस निर्माण कार्य के लिये विस्तृत डिजाइन एवं ड्राईग प्रदान नही किये । संस्था के विरुद्ध विलंब हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।
- देओर कोठर (रीवा) में मार्ग के किनारे सुख सुविधाओं के निर्माण के कार्य जिनके लिये पर्यटन मंत्रालय ने 28.32 लाख रूपये स्वीकृत किये थे (फरवरी 2002) और 6.80 लाख रूपये की प्रथम किश्त भी जारी की थी, कम्पनी द्वारा इस तर्क के आधार पर आरम्भ नहीं कराये गये कि प्रस्तावित स्थल पर पीने के पानी का पर्याप्त स्त्रोत उपलब्ध नहीं था तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारतीय भू गर्भीय सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में क्षेत्र में पर्याप्त पानी की उपलब्धता की पुष्टि की गई थी ।

प्रबन्धन ने सूचित किया (अक्टूबर 2007) कि कम्पनी कार्य को बन्द करने के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है । चूकिं कम्पनी ने अभी तक इन निर्माण कार्यो का कार्य आरम्भ नहीं किया (सितम्बर 2007) इसलिये इन महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के विकास का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका ।

11वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंशित विशेष वित्तीय सहायता

2.1.30 राष्ट्रीय पर्यटन नीति के अनुरूप राज्य में अधोसंरचना के विकास के लिये अपनी नियमित योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय ने संस्वीकृत निधियों के

अतिरिक्त 11वें वित्त आयोग ने इको टूरिज्म सहित कतिपय परिक्रमाओं में आधार संरचनाओं के विकास के लिये विशेष वित्तीय सहायता की अनुशंसा की थी (जुलाई 2000) इसके लिये कम्पनी ने संस्वीकृत 10.84 लाख रूपये के विरूद्ध (***परिशिष्ट -12*** में उल्लेखित) 10.65 करोड़ रूपये (मार्च 2002 से फरवरी 2005 के दौरान) प्राप्त किये। कम्पनी ने उपरोक्त राशि के विरूद्ध अभी तक 10.79 करोड़ रूपये व्यय किये लेखापरीक्षा के दौरान संवीक्षा में निम्नांकित तथ्य सामने आए:

पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण

कम्पनी ने पर्यटक स्वागत केन्द्र दिशा निर्देशो के अनुसार सुविधाओं के साथ नहीं बनाये ।

2.1.31 यह पाया गया कि कम्पनी ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों (मार्च 2002) के अनुसार तीन स्थानों (सतना, मण्डला, पेंच) पर पर्यटक स्वागत केन्द्रों का निर्माण नहीं कराया जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है ।

- सतना में सम्पूर्ण अनुदान एक करोड़ रूपये का उपयोग (मार्च 2002 से जून 2003) होटल भरहुत के वर्तमान कमरो के नवीकरण तथा सात नये कमरो के निर्माण में किया गया ।

- पर्यटन स्वागत केन्द्र मण्डला का निर्माण (अक्टूबर 2003) मार्गस्थ सुविधा, मण्डला के परिसर में एक करोड़ रूपये से किया गया । बारह नये कमरे बनाये गये तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशो के विरूद्ध फर्नीचर, पलंग आदि उपलब्ध कराते हुए उसे होटल में परिवर्तित कर दिया (अक्टूबर 2003) ।

- कम्पनी द्वारा एक करोड़ रूपये जो पर्यटक स्वागत केन्द्र पेंच के निर्माण हेतु प्राप्त हुए थे, उससे वर्तमान होटल का विस्तार किया गया तथा फर्नीचर, पलंग, साईड टेबल, आदि उपलबध कराये गये । यह देखा गया कि इतनी अधिक राशि व्यय करने के पश्चात पेंच स्थिति होटल का अकुपेन्सी स्तर 39 प्रतिशत (वर्ष 2002-03) की तुलना में 35 प्रतिशत (वर्ष 2006-07) में रहा ।

कम्पनी ने कोपू की अनुशंसाओं जो भारत सरकार से प्राप्त निधियां उन्ही उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों को व्यपवर्तित करने से स्पष्टतया निषेध करती है, के विपरीत निधियों के व्यपवर्तन को आश्रय किया । यह भी पाया गया कि कम्पनी ने राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित योजना से विचलित न होने का प्रमाणीकरण करते हुए सम्पूर्ण राशि हेतु पर्यटन मंत्रालय को उपयोग प्रमाण पत्र प्रेषित किये (फरवरी 2005) । इस प्रकार कम्पनी इन क्षेत्रों के भ्रमण पर आने वाले पर्यटको को आधार भूत सुख सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकी । प्रबन्धन ने सूचित किया (अक्टूबर 2007) कि पर्यटक स्वागत केन्द्रों निर्माण ए.टी.एम. फर्स्ट एड आदि जैसी सुविधाओं के साथ किया जा रहा है । उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जो निधियां पर्यटन स्वागत केन्द्रों के निर्माण हेतु प्राप्त हुई थी, उनके व्यपवर्तन से कम्पनी पर्यटकों को मुलभूत सुविधांए उपलब्ध कराने के उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी ।

बेड़ा (फ्लीट) आवर्धन

पर्यटको को सुविधा के लिये अभिप्रेत बसे वाणिज्यिक मार्गो पर चलाई जा रही थी ।

2.1.32 लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप वित्तीय सहायता से किये गये वाहन पर्यटको को सुविधा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त नहीं किये जा रहे थे परन्तु उनका उपयोग अन्य कार्यो के लिये किया जा रहा था जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

- दो वातानुकूलित बसे 51.60 लाख रूपये मे क्रय की गई थी (2005) जिनका उपयोग जबलपुर-बांधवगढ़ तथा सतना-बांधवगढ़ मार्गो पर बांधवगढ़ नेशनल पाक के भ्रमण पर आने वाले पर्यटको अपेक्षाकृत अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिये किया जाना था । इसके स्थान पर इन बसों को भोपाल-इन्दौर मार्ग पर चलाया गया इस प्रकार उस उद्देश्य से विचलन हुआ जिसके लिये पर्यटन मंत्रालय ने वित्तीय सहायता दी थी ।

- बांधवगढ के लिये पर्यटक पर्यावलोकन बस (मूल्य 25 लाख रूपये)क्रय करने के स्थान पर कम्पनी ने भोपाल में उपयोग के लिये तीन टवेरा वाहनों (21.78 लाख) का क्रय किया ।

- कान्हां में उपयोग के लिये 22 सीटर बस (10 लाख रूपये) के स्थान पर 13.80 लाख रूपये में एक मिनी बस क्रय की गई जिसे भोपाल-पचमढ़ी मार्ग पर चलाया गया ।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण स्वीकार किया और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में सूचित किया (अक्टूबर 2007) कि वाहन जिन मार्गो के लिये क्रय की गयी थी, उन मार्गो की खराब लाभदायता के कारण उन्हें अन्य मार्गो पर चलाया गया । प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संस्वीकृति आदेश में निर्धारित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य मार्ग पर वाहन चालाने के कारण पर्यटकों हेतु मूल सुविधाओं का प्रावधान नहीं किया जा सका ।

पर्यटन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना परिसम्पतियों का हस्तान्तरण

पर्यटन उद्देश्य के लिये सृजित परिसम्पतियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करते समय कम्पनी ने परिसम्पतियों के उपयोग के लिये अधिकार अपने पास नहीं रखे ।

2.1.33 पर्यटन मंत्रालय ने 30 लाख रूपये (पर्यटन मंत्रालय 24 लाख रूपये और राज्य सरकार 6 लाख रूपये) लागत से एक डे शेल्टर के निर्माण (मार्च 2001) और बरमनघाट (नरसिंगपुर) में 25 लाख रूपये में धर्मशाला के निर्माण (मार्च 2002) के लिये एक परियोजना की संस्वीकृति दी । कम्पनी ने 44.59 लाख रूपये की कुल लागत पर सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं के साथ डे शेल्टर के स्थान पर टूरिस्ट बैंगलो, दस आवास कक्षों के साथ एक धर्मशाला, एक स्वागत कक्ष, तथा तीन हॉलों का निर्माण कराया (नवम्बर 2003) । पर्यटन विकास के लिये सृजित परिसम्पत्तियां पर्यटन मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना लाभकारिता के आधार पर स्थानीय पंचायत को हस्तान्तरित कर दी । अन्तरिती द्वारा अवधारण की अवधि का उल्लेख किये बिना परिसम्पत्तियां के अधिमान्य उपयोग का अधिकार अपने पास नहीं रखा । प्रबन्धन ने

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक (अक्टूबर 2007) में सूचित किया कि परिसम्पत्तियां हस्तान्तरित नहीं की गई थी, उपयोगकर्त्ता प्रभारों पर केवल परिचालन सम्बन्धी अधिकार ही दिये गये थे । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कंपनी के पास संपत्ति का उपयोग संस्वीकृती के अनुसार पर्यटको हेतु किये जाना, सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र नहीं था ।

राज्य बजट के अन्तर्गत होटल तथा अन्य इकाईयों का नवीकरण/उन्नयन

2.1.34 राज्य सरकार कम्पनी को 2002-03 से 2006-07 तक अपने विद्यमान होटलों तथा अन्य इकाईयों के नवीकरण एवं उन्नयन के लिये अच्छी सुविधाओं तथा साधनों के प्रवर्तन की दृष्टि से आर्थिक सहायता के क्षेत्र का विस्तार कर रही थी । समीक्षाधीन अवधि में मांगी गई, प्राप्त तथा प्रयुक्त आर्थिक सहायता निम्नानुसार है:

(लाख रूपये में)

वर्ष	मांगी गई राशि	संस्वीकृत तथा जारी	किया गया व्यय
2002-03	150.00	150.00	150.19
2003-04	150.00	150.00	150.00
2004-05	300.00	162.50	162.50
2005-06	51.95	51.95	51.95
2006-07	41.40	41.40	41.40
योग	**693.35**	**555.85**	**556.04**

स्त्रोतः प्रबन्धन द्वारा प्रेषित आंकड़े (संस्वीकृति आदेश)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने बिना उचित योजना के इन निधियों में से व्यय किया और उनके व्यपवर्तन का आश्रय लिया । इस सम्बन्ध में निम्नांकित का उल्लेख उचित है:

- कम्पनी के प्रस्ताव तदर्थ अनुमानों पर आधारित थे । बाद में मूल्य वृद्धि यदि हुई हो तो उसे सुनिश्चित करने के लिये, निष्पादित निर्माण कार्यो की तुलना करने हेतु विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किये गये थे ।

- नवीकरण/उन्नयन प्रस्ताव की समय पर प्रस्तुती, निधियों की प्राप्ति तथा निष्पादन कार्यो के परीवीक्षण के लिये कोई तन्त्र नहीं था ।

- मध्य प्रदेश सरकार ने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, कटनी के उन्नयन के लिये 2003-04 में 14.64 लाख रूपये की आर्थिक सहायता संस्वीकृत की (नवम्बर 2003)। राज्य सरकार को दिये गये इस आश्वासन के बावजूद कि धन का व्यय उसी कार्य में किया जायगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया था, कम्पनी ने इस राशि को 2003-04 में खजुराहो स्थित अपने होटल राहिल, पायल तथा झंकार के उन्नयन के लिये व्यपवर्तित कर दिया । लेखापरीक्षा में पाया गया कि कटनी इकाई के अकुपेन्सी में 2003-04 में 32 प्रतिशत से 2005-06 में 28 प्रतिशत

तक कमी हुई और उसी अवधि में खजुराहो स्थित होटलों के अकुपेन्सी में कोई सुधार नहीं हुआ ।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि विण्ड एण्ड वेव भोपाल द्वारा उठाई गई हानि पर 2002-03 के दौरान उपरोक्त राशि में से 12 लाख रूपये उसके नवीकरण पर व्यय करने के उपरान्त भी वह नियंत्रण नही पाया जा सका । प्रबन्धन ने निरन्तर हुई हानियों के कारणों का विश्लेषण नहीं किया ।

प्रबन्धन ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति में सूचित किया (अक्टूबर 2007) कि राज्य सरकार के अनुदान के उपयोग की इकाई के सम्पूर्ण सुधारों के साथ जांच की जायगी । सरकार के प्रतिनिधि ने यह भी जोड़ा कि किसी भी अधिक्य या निधियों के व्यपवर्तन के लिये कार्यो पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायगा ।

उत्तर यह प्रर्दशित करता है कि निधियों के उपयोग में योजना का आभाव था । इसी कारण जिन उद्देश्य के लिये निधियां प्राप्ति की गयी थी उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका।

आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक नियंत्रण

2.1.35 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबन्धन सम्बन्धी गतिविधियों का एक आवश्यक अंग है । एक कुशल तथा प्रभावशाली आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबन्धन को अपने निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है । लेखापरीक्षा द्वारा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नांकित कमियां पाई गईः

- कम्पनी ने न तो परियोजनावार व्यय के विवरण तैयार किये और न योजनावार लेन देनों के विवरण ही तैयार किये । प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में अनुदान के अव्ययित शेषों का उनके समायोजन या वापसी के लिये सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेने की दृष्टि से सत्यापन नहीं किया जा सका ।

- हानियों/बर्बादी सहित सामग्री की प्राप्ति तथा निर्गमन अंकित करने के लिये होटलों/इकाइयों के भण्डार खाते सम्यकरूपेण संधारित नहीं किये गये थे । किचिन उपभोग पंजी संधारित नहीं की गई थी ।

- होटल पलाश, भोपाल में आवास सुविधा के लिये कम्प्यूटरीकृत बिल क्रमिक रूप से संख्याकित नहीं थे और किचिन आर्डर टिकिट में गड़बडी की सम्भावना करने की दृष्टि से बिलों के साथ संलग्न नहीं थे ।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.1.36 कम्पनी के आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह में महाप्रबन्धक (वित्त) के अधीन दो आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी कार्य करते है । लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकारियों ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी इकाई की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की । अधिकारियों को लेखाओं के संकलन कार्य में लगाया गया था । चूकिं कम्पनी के कर्मचारी रोकड़ तथा भंडार संबंधि का करते है इसलिये कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा न किये जाने के कारण धोखाघडी तथा दुर्विनियोजनों संबंधी प्रकरण प्रबंधन की जानकारी में आने से बचे रहे ।

प्रबन्धन के कम्पनी के आकार के अनुरूप एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह बनाने की स्वीकृति दी (अक्टूबर 2007) ।

निष्कर्ष

कम्पनी अपना प्राथमिक उद्देश्य जो कि राज्य में पर्यटन का विकास करना था प्राप्त नहीं कर सकी । पर्यटक जिन्होंने कंपनी की सेवाओं का लाभ उठाया उनका प्रतिशत नगण्य रहा । खराब मुलभुत अधोसंरचना तथा व्यवसायिक रूप में दक्ष कर्मचारियों का आभाव के कारण अधिक पर्यटक आकर्षित नहीं हो सके । विभिन्न समाचार पत्रों पत्रिकाओं तथा जनरल में विज्ञापन बिना किसी निति के प्रसारित किये गये जो कि पर्यटको के आगमन पर प्रभाव डालने के असमर्थ रहे । मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निति 1995 में कम्पनी की परिभाषित भूमिका में कम्पनी चयनित क्षेत्रों में सुविधा बढाने तथा मास्टर प्लान तैयार करने की दृष्टि से अधोसंरचना सुविधाओं में सुधार हेतु अच्छा प्रर्दशन नहीं कर सकी । पंर्याप्त निधियों की उपलब्धता के उपरान्त भी विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन अथवा आरंभ करने में विलंब, निधियों का व्यपवर्तन तथा भारत सरकार के निर्देशो का पालन न करना, निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्त न कर पाने के लिये मूल रूप से उत्तरदायी रहे । सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाणपत्र विशिष्ट उद्देश्यों के लिये कम्पनी द्वारा प्राप्त अनुदानों में से किये गये वास्तविक कार्य तथा व्यय की गयी राशि सही रूप में प्रर्दशित नहीं करते है । यद्यपि मध्य प्रदेश राज्य विविध आकर्षण पर्यटन एवं एक शक्तिशाली ब्रांड के लिये स्वर्ग है तथापि कम्पनी उस ब्रांड निर्माण के कही भी निकट नहीं है । ब्रांड निर्माण मुख्यतः बाजार बोध से संबंध है तथा राज्य की पूर्ण बाजार तीव्रता जानने के लिए बाजार को एक चयनित दिशा ले जाना चाहिए । सत्य यह है कि मध्य प्रदेश "अतुल्य भारत" सोच में एक मुख्य हिस्सेदार है ।

अनुशंसाए

राज्य में बहु आर्कषण पर्यटन गतव्यों के कारण घरेलू तथा वैश्विक स्तर पर पर्यटन की ढेर सारी संभावना है। वास्तव में कम्पनी को चाहिये;

- कि वह वाईल्ड लाईफ पर्यटन, ईको पर्यटन, संस्कृतिक, विरासत तथा ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन तथा धार्मिक पर्यटन में अपनी भागिदारी सुनिश्चित करें;

- यदि कम्पनी पर्यटन विकास का अधिकांश अंश प्राप्त करना चाहती है तो वह गुणवत्ता युक्त तथा व्यवसायिक सेवा के साथ-साथ अधोसंरचना सुविधांए भी उपलब्ध कराये ।

- अधोसंरचना सुविधाओं में सुधार/उन्नयन तथा रूम सर्विस में सुधार कर अकुपेन्सी स्तर में सुधार के प्रयास करें;

- पर्यटन सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित करने के लिये विशिष्ट उद्देशो के लिये प्राप्त अनुदानों का उपयोग न्यायसंगत ढंग से करे;

- अधिक पर्यटको को आकर्षित करने के लिये तीव्र विपणन व्यूरचना आंगीकृत करें । साथ ही कम्पनी को चाहिये कि वह सुधारात्मक प्रक्रिया चालू होने के संदेश को विश्व स्तर पर ले जाये ।

2.2 मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा बिलिंग एवं राजस्व का संग्रहण

मुख्य अंश

कम्पनी ने जुलाई 2005 से अगस्त 2006 के दौरान 268.68 करोड़ रूपए की हानि उठाई जिसका कारण कृषि संबंधी उपभोक्ताओं की खपत का अवास्तविक निर्धारण था।

(कंडिका 2.2.9 तथा 2.2.10)

उज्जैन क्षेत्र में 4.58 करोड़ रूपये की कम बिलिंग हुई क्योंकि जुलाई 2005 से मार्च 2006 को दौरान सृजित मांग घटी हुई दर की अपेक्षा कम थी और 2.34 करोड़ रूपए की कम बिलिंग उपभोक्ता के दोषपूर्ण वर्गीकरण के कारण हुई।

(कंडिका 2.2.11 तथा 2.2.12)

31 मार्च 2007 को लम्बित संग्रहण के 1,253.41 करोड़ रूपए में से 538.17 करोड़ रूपए (42.94 प्रतिशत) 2 वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे और संग्रहण हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्य अवास्तविक थे।

(कंडिका 2.2.15 तथा 2.2.16)

एन्टी पावर थेफ्ट स्ववाड की मांग को असंगत लेखाकरण के परिणामस्वरूप चोरी के प्रकरणों के 33.97 करोड़ रूपए के बकायाओं का अनुसरण ठीक ढंग से नहीं हुआ और वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 2.2.20)

प्रस्तावना

2.2.1. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) का निर्माण 1957 में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 5 के अधीन किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत प्रदाय करना था। विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के उपाय के रूप में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, और तीन[34] वितरण कम्पनियां बनाकर विभाजित कर दिया गया (सितम्बर 2003)। मध्य

34 *मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत विवतरण कम्पनी लिमिटेड।*

प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इंदौर (कम्पनी) का निर्गमन (मई 2002) एक वितरण कम्पनी के रूप में किया गया था। कम्पनी, मण्डल के साथ किये गये एक कार्यक्रम तथा प्रबन्धन अनुबन्ध (जुलाई 2002) के अधीन मण्डल के एक ऐजेन्ट के रूप में कार्य कर रही थी । राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश (31 मई 2005) के आधार पर कम्पनी ने जून 2005 से स्वतन्त्र रूप से कार्य करना आरम्भ किया। कम्पनी इंदौर एवंम उज्जैन संभागों के 13 जिले[35] समाविष्ट करते हुए पश्चिम क्षेत्र में विद्युत वितरण करने हेतु उत्तर दायी है।

कम्पनी का प्रबन्धन अध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक सहित सात संचालकों का एक संचालन मण्डल करता है। अध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक मुख्य कार्यपालन अधिकारी होने के कारण कम्पनी के प्रतिदिन के काम देखते है। लो टेन्शन उपभोक्ताओं से राजस्व का संग्रहण 367 वितरण केन्द्र करते है और हाई टेन्शन उपभोक्ताओं से राजस्व का संग्रहण आठ[36] क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है, जो क्षेत्रों के कार्यपालन संचालकों (उज्जैन क्षेत्र एवं इंदौर क्षेत्र) तथा मुख्य यंत्री (वाणिज्य) के सम्पूर्ण प्रभार के आधीन होते है, और जो अध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक को रिपोर्ट करते हैं। राजस्व बिलिंग तथा संग्रहण की गतिविधियों के समन्वय हेतु मुख्य यंत्री की सहायता अधीक्षण यंत्री, वरिष्ठ क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, कार्यपालन यंत्री तथा सहायक यंत्री करते हैं।

मण्डल द्वारा राजस्व के टैरिफ, बिलिंग एवं संग्रहण की 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष हेतु मध्य प्रदेश सरकार के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में समीक्षा की गई थी। समीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपू) में चर्चा (जनवरी 2005) की गई थी और उनकी अनुशंसाएं प्रतिक्षित है (सितम्बर 2007)।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.2.2. 2002-03 से 2006-07 के दौरान कम्पनी द्वारा राजस्व के बिलिंग एवं संग्रहण पर वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा फरवरी से जून 2007 तक् की गई थी।

राजस्व के बिलिंग तथा संग्रहण की जांच इंदौर स्थित कम्पनी के कारपोरेट आफिस, क्षेत्रीय कार्यालय (इंदौर एवं उज्जैन), 13 वृत्त कार्यालयों में से आठ[37] वृत्त कार्यालयों, आठ क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 49 मण्डलों (367 वितरण केन्द्र वाले) में से 12 मण्डलों (71 वितरण केन्द्र वाले) में की जाती है। समस्त क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में हाई टेन्शन सेवा और चयनित समस्त विवरण केन्द्रों में लो टेन्शन के 25 प्रतिशत की नमूना जांच की गई ।

35 *इंदौर, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, धार, झाबुआ, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर तथा नीमच।*

36 *इन्दौर, खण्डवा, खरगोन, धार, उज्जैन, देवास, रतलाम तथा मंदसौर ।*

37 *उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, खरगोन, खण्डवा, इन्दौर (शहर) तथा इन्दौर (सं एवंम सं.)*

लेखापरीक्षा का उद्देश्य

2.2.3. यह सुनिश्चित करने के लिये लेखापरीक्षा की गई थी कि क्या

- आपूरित विद्युत की बिलिंग कुशलतापूर्वक, मितव्ययितापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से निर्धारित टेरिफ के अनुसार की गई थी;
- सम्पूर्ण बिल राशि का संग्रहण प्रभावशाली, दक्षतापूर्ण ढंग से किया गया था और उसका उचित रूप से लेखाकरण किया गया था;
- राजस्व वसूली करने तथा बकाया कम करने के लिये प्रभावशाली प्रयास किये गये थे और चूककर्ता उपभोक्ताओं के विरूद्ध उचित कार्यवाही की गई थी; और
- राजस्व के सम्यक बिलिंग तथा संग्रहण के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त थी ।

लेखापरीक्षा मानक

2.2.4. राजस्व की बिलिंग तथा संग्रहण के विषय में कम्पनी के निष्पादन के मूल्यांकन के लिये अंगीकृत लेखापरीक्षा मानक निम्नानुसार हैः

- मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश, राज्य सरकार द्वारा जारी नियम तथा आदेश और भूतपूर्व मण्डल तथा कम्पनी द्वारा जारी अनुदेश;
- राजस्व की बिलिंग/संग्रहण तथा वसूली के सहिमानत प्रावधान एवं प्रणाली और उनका सम्यक लेखाकरण;
- घटी हुई दर सवर्ग वाले उपभोक्ताओं को विद्युत विक्रय हेतु जारी, निर्देश तथा आर्थिक सहायता की मांग हेतु निर्धारित प्रणाली और उसकी सरकार से प्रतिपूर्ति तथा
- बकाया राशि के अनुसरण (Follow Up) एवंम उसकी वसूली के लिए कम्पनी द्वारा जारी निर्देश एवंम आदेश ।
- प्रभावशाली आन्तरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया।

लेखापरीक्षा पद्धति

2.2.5. लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अंगीकृत पद्यति में निम्नांकित का मिश्रण हैः

- मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नियमनों/आदेशों/संहिताओं का अध्ययन, भूतपूर्व मण्डल तथा कम्पनी द्वारा जारी राजस्व नियम पुस्तक/आदेश;
- भूतपूर्व मण्डल/कम्पनी की बैठकों के ऐजेण्डा नोटस एवं मिनिट्सों की जांच, एम.आई.एस. रिपोर्टस आदि;

- उपभोक्ताओं के साथ किये गये सर्विस कनेक्शन अनुबंध, मीटर रिडिंग, मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट, बिलिंग फाइलों, खातों तथा अन्य रिपोर्टो के साथ पत्र व्यवहार सम्बन्धी फाइलों की संवीक्षा
- भूतपूर्व मण्डल/कम्पनी द्वारा निर्धारित राजस्व के लक्ष्य एवं प्राप्तियों का विश्लेषण;
- उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली की प्रभवकारिता का विश्लेषण; और
- लेखापरीक्षा अभ्यूक्तियों का निर्गमन तथा प्रबन्ध के साथ पारस्परिक विचार विमर्श ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षो की सूचना प्रबन्धन/सरकार को दी गई थी (सितम्बर 2007) और उन पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति में चर्चा की गई थी (24 सितम्बर 2007) । बैठक में अतिरिक्त सचिव (उर्जा) तथा कम्पनी के अध्यक्ष सह प्रबन्ध संचालक उपस्थित थे । प्रबन्धन/सरकार के दृष्टिकोण पर विचार करने के उपरान्त समीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया । लेखापरीक्षा निष्कर्षो का उल्लेख आगामी कण्डिकाओं में किया गया है ।

बिलिंग

2.2.6. कम्पनी ने आपूर्ति निबन्धन एवं शर्तो में भूतपूर्व मण्डल द्वारा निर्दिष्ट बिलिंग एवं संग्रहण तंत्र का अनुसरण किया है । इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने भी समय समय पर बिलिंग तथा संग्रहण हेतु दिशा निर्देश जारी किये है । वे उपभोक्ता जिनकी अधिकतम संविदा मांग 100 हार्स पावर अथवा 75 हार्स पावर है वे निम्न या मध्यम वोल्टेज की आपूर्ति प्राप्त कर सकते है और उन्हें लो टेन्सन उपभोक्ता माना जाता है । वें उपभोक्ता जिनकी न्यूनतम संविदा मांग 60 केवीए है और कम्पनी से हाई वोल्टेज की आपूर्ति प्राप्त करते है, हाई टेशन उपभोक्ता माने जाते है ।

2.2.7. नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2007 तक के अन्तिम दो वर्षो के दौरान कम्पनी द्वारा प्राप्त विद्युत, बिक्रीत विद्युत तथा विद्युत हानि की स्थिति दर्शाती है:

क्र. संख्या	विविरण	2005-06	2006-07
1	उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	24.36	24.90
2	कनेक्टेड लोड (एम डब्ल्यू)	3708	3812
3	विद्युत आदान (एम यू)	11367.95	11664.00
4	प्रति केडब्ल्यू एच क्रय की गई विद्युत का मूल्य (पैसे)*	154.75	154.75
5	बिक्रीत विद्युत (एम यू)	7740.58	8079.38
6	विद्युत हानि (एम यू) (3-5)	3627.37	3584.62
7	विद्युत का विक्रय (करोड़ रूपये में)	2401.65	2750.00
8	प्रति के डब्ल्यू एच विद्युत विक्रय का मूल्य (रूपये) (7/5)	3.10	3.40

क्र. संख्या	विवरण	2005-06	2006-07
9	विद्युत हानि का मूल्य (करोड़ रूपयों में) (6x8)	1224.48	1218.77
10	वितरण हानि का प्रतिशत (6/3 x 100)	31.91	30.73
11	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय वितरण हानि का प्रतिशत	31.70	30.00
12	विद्युत नियमाक आयोग द्वारा अनुमल्य अधिकतम विद्युत हानि (एम यू) (3x11)	3603.64	3499.20
13	मानदण्डो से अधिक विद्युत हानि (एम यू) (6-12)	23.73	85.42
14	मानदण्ड से अधिक विद्युत हानि का मूल्य (13x8)	7.36	29.04

*** कम्पनी तथा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा किये गये वृहद् आपूर्ति अनुबन्ध के अनुसार स्त्रोतः प्रबंध द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े ।**

अधिक वितरण हानियों के कारण कम्पनी 36.40 करोड़ रूपये मूल्य की 109.15 मिलियन यूनिट विद्युत बेच नहीं पाई

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि कम्पनी ने विद्युत आदान क्रमशः 11,367.95 मिलियन यूनिट एवं 11,664.00 मिलियन यूनिट का केवल 7,740.58 मिलियन यूनिट (68.09 प्रतिशत) एवं 8,079.38 मिलियन यूनिट (69.27 प्रतिशत) विद्युत बेची । 2006-07 के दौरान 3,627.37 मिलियन यूनिट तथा 2005-06 में 3,584.62 मिलियन यूनिट विद्युत एवं 2,443.25 करोड़ रूपये के संभावित राजस्व की हानि उठाई । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ आदेशों में वितरण हानि का लक्ष्य 31.70 एव 30.00 प्रतिशत निर्धारित किया था। इन लक्ष्यों को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने कम्पनी के साथ विचार विमर्श के पश्चात निर्धारित किया था और ये विगत निष्पादन पर आधारित थे । इन लक्ष्यों के विरूद्ध कम्पनी ने उपरोक्त अवधि में 31.91 एवं 30.73 प्रतिशत की वितरण हानियां उठाई । इस प्रकार कम्पनी ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक मात्रा में वितरण हानियां उठाई परिणामस्वरूप कम्पनी 31 मार्च 2007 तक के दो वर्षो के दौरान 36.40 करोड़ रूपये मूल्य की 109.15 मिलियन यूनिट विद्युत नहीं बेच सका ।

देयकों की कार्यविधि

2.2.8 मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (संहिता), में उल्लेखित कार्यविधि के अनुसार कंपनी के लिये यह आवश्यक है, कि विज्ञापित देयक चक्र की समाप्ति पर विद्युत उपभोग की वाचन करें । मीटर वाचन के आधार पर उपभोक्ता को देयक जारी किये जाते है । गैर मीटर धारी एवं मीटर विच्छेदित उपभोक्ताओं के संबंध में देयकों का निर्धारण मूल्यांकित उपभोग के आधार पर किया जाता है ।

देयक चक्र को कम करने के क्रम में संहिता में निम्नलिखित स्टेप भी उल्लिखित की गई है :-

कंपनी द्वारा देयक चक्र को कम करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

- इंटरनेट पर उच्च मूल्य उपभोक्ताओं की मीटर वाचन एवं भुगतान की स्थिति का प्रदर्शित करने की व्यवस्था करना ।
- स्थल पर ही बिलों के निर्माण हेतु हस्तधरित उपकरणों की व्यवस्था करना ।

- पर्याप्त जन-प्रचार को सुनिश्चित करने के पश्चात् ऐसे उपभोक्ता जो **बिना मीटर** के विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे है, के लिये ऊर्जा प्रभारों के पूर्व **भुगतान की** योजना प्रारंभ करना ।
- भुगतान के विभिन्न तरीकों के लिये अधिकतम विकल्प उपलब्ध करना **जैसे-** क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान, ड्राप बॉक्स आदि, जिससे कि निजी एजेन्सियों को देय संग्रहण लागत को कम किया जा सके ।

कंपनी ने उपरोक्त में से कोई भी विधि अब तक कार्यावित नहीं की है (सितम्बर 2007)।

बिलिंग में पाई गईं कमियों को आगे की कंडिकाओं में उल्लेखित किया गया है:

बिलिंग में कमियां

मीटर रहित सिंचाई पम्प कनेक्शनों के सम्बन्ध में विद्युत प्रभारो की कम वसूली

2.2.9 कम्पनी जुलाई 2005 तक प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की समान दर पर मीटर रहित उपभोक्ताओं की बिलिंग कर रही थी । तत्पश्चात् टैरिफ आदेश के आधार पर (जून 2005) कम्पनी ने स्थाई मीटरीकृत दरों के आधार पर प्रति अश्वशक्ति प्रति माह 100 यूनिटों की काल्पनिक खपत के लिये स्थाई मीटर रहित सिंचाई पम्प उपभोक्ताओं के बिल बनाना आरम्भ कर दिया (जुलाई 2005) । अस्थाई मीटरीकृत दरों पर 130 यूनिट प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की काल्पनिक खपत के लिये बिल बनाये जाते है । ये दरें उन उपभोक्ताओं के लिये प्रयोज्य थी जिन्हे छः घण्टे आपूर्ति दी जाती है । कम्पनी केवल उसी स्थिति में छः घण्टों से अधिक विद्युत प्रदाय की अनुमति दी गई थी यदि उपभोक्ता अतिरिक्त घण्टों के लिये अतिरिक्त भुगतान करने का इच्छुक हो । इन मीटर रहित उपभोक्ताओं द्वारा की गई वास्तविक खपत के निर्धारण के लिये कम्पनी ने चयनित स्थलों पर मीटर लगाए है ।

विद्युत प्रदाय के वास्तविक घण्टों की तुलना में कृषि उपभोक्ताओं के अनुमान अनुचित है ।

अगस्त 2005 से जुलाई 2006 से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच (तत्पश्चात् कम्पनी ने वास्तविक खपत नहीं निकाली) से प्रकट हुआ कि कम्पनी ने इस अवधि में 48,864.43 लाख यूनिटों की आकलित खपत का निर्धारण किया । यह पाया गया कि 48,864.43 यूनिटों की आकलित खपत के विरूद्ध कम्पनी ने मीटर रहित उपभोक्ताओं के 36,014.30 लाख यूनिटों के ही बिल बनाए, परिणामस्वरूप 151.63 करोड़ रूपये (1.18 रूपये प्रति यूनिट के औसत विक्रय मूल्य के आधार पर आकलित) मूल्य के 12,850.13 लाख यूनिटों के बिल नहीं बनाए गए । कम्पनी ने आपूर्ति रोकने अथवा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश (जून 2005) के अनुसार अधिक खपत के बिल बनाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की । यह देखा गया कि आपूर्ति की अवधि पर विचार किये बिना टैरिफ के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं के बिल एक समान दर पर बनाए जा रहे थे । कुछ उपभोक्ता कृषि फीडर की अपेक्षा अन्य फीडर से निरन्तर

आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे । इस प्रकार 12,850.13 लाख यूनिटों के बिल न बनाए जाने के कारण आकलित खपत से अधिक मात्रा में खपत के परिणामस्वरूप कम्पनी को 151.63 करोड रूपये की हानि हुई (1.18 रूपये प्रति युनिट के औसत विक्रय मुल्य के आधार पर आकलित)।

प्रबन्धन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि इस सम्बन्ध में अध्ययन करने के उपरान्त उसने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के साथ विचार विमर्श किया और मार्च 2007 से शहरी क्षेत्रों में 130 यूनिट प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की दर से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 यूनिट प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की दर से उपभोक्ताओं के बिल बनाने का अनुमोदन प्राप्त किया है (मार्च 2007) । जवाब मान्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिये वृद्धि की कोई अनुमति नहीं दी थी सिर्फ शहरी क्षेत्रों में उपभोग हेतु वृद्धि की अनुमति प्रदान की थी । तथ्य यह है कि कृषि उपभोक्ता मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है और ऐसी अधिक खपत ग्रामीण क्षेत्रों में बनी रह सकती है जिसके कारण कम्पनी को राजस्व की हानि हो सकती है । तथापि कम्पनी ने 12,850.13 युनिट की अधिक खपत के बिल बनाने हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की (सितम्बर 2007) ।

कृषि उपभोक्ताओं को दो भिन्न टैरिफ की अनुमति देना

2.2.10 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सिंचाई पम्प उपभोक्ताओं के लिये दो भिन्न भिन्न दरें निर्धारित की थी (जून 2005) । मीटर वाले उपभोक्ताओं के बिल उपभोक्ताओं के मीटरों पर अंकित खपत के आधार पर बनाए गए थे और मीटर रहित तथा दोषपूर्ण मीटर वाले सिंचाई पम्प उपभोक्ताओं के बिल 100 यूनिट प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की एक समान दर से बनाए गए थे । कम्पनी द्वारा यह अनुभव करने पर कि मीटर वाले कृषि उपभोक्ता या तो मीटर को बाईपास करके अथवा खपत रोक कर विद्युत की चोरी कर रहे थे, उनके परिसर पर कम्पनी ने गहन जांच कराई और उन उपभोक्ताओं के मीटर हटाने के आदेश दिये (दिसम्बर 2006) जो विद्युत की चोरी कर रहे थे एवंम उनको 100 यूनिट प्रति हॉर्स पावर प्रति माह की दर से बिल दिये जाये ऐसा आदेश दिया तथापि इन अनुदेशों का अभी तक पालन नहीं किया गया है (सितम्बर 2007) । लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 100 यूनिट प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की दर से कम्पनी के मीटर वाले कृषि संबंधी उपभोक्ताओं की कुल खपत मीटरों में अंकित 8,520.05 लाख यूनिटों के विरूद्ध 18,439.68 लाख यूनिट आंकलित की गई (जूलाई 2005 से जूलाई 2006) । यदि मीटर वाले उपभोक्ताओं के बिल मीटर रहित उपभोक्ताओं के समान 100 यूनिट प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की दर से बनाए जाते तो कम्पनी को जुलाई 2005 से जुलाई 2006 के दौरान 9919.63 लाख अतिरिक्त यूनिटों के लिये 117.05 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया होता ।

मीटर वाले कृषि सम्बन्धी उपभोक्ताओं द्वारा अनियंत्रित विद्युत चोरी के कारण कम्पनी को 117.05 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

प्रबन्ध ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि उपभोक्ताओं के प्रतिरोध के उपरान्त भी बिलिंग में सुधार के लिये मीटर हटाने के कार्यवाही की गई थी । यह भी कि दूरस्थ

स्थानों पर मीटरों का रखरखाव कठिन था और बिजली की चोरी पूर्ण तरह नहीं रोकी जा सकती थी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने विद्युत की चोरी का पता लगने के पश्चात मीटर हटाने और काल्पनिक खपत के आधार पर बिल बनाने के निर्देश दिये थे । इसलिये कम्पनी द्वारा 9,919.63 लाख युनिट की अधिक खपत के लिये बिल बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए (सितम्बर 2007) ।

इस प्रकार एक समान दर पर बिल बनाने हेतु निर्णय में विलम्ब के परिणामस्वरूप कम्पनी को 117.05 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

टैरिफ के अनुसार मांग का लेखाकरण न करने के कारण राजस्व की कम बिलिंग

उज्जैन तथा शाजापुर वृत्तों में घटी हुई दर की तुलना में कम दर पर मांग सृजित करने के परिणाम स्वरूप 4.58 करोड़ रूपये की हानि हुई ।

2.2.11 टैरिफ आदेश के अनुसार विभिन्न संवर्गो के समस्त उपभोक्ताओं के बिल निर्धारित टैरिफ दर के आधार पर बनाने थे । चूकिं राज्य सरकार ने कृषि सम्बन्धी उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता की अनुमति दी थी इस लिये टैरिफ दर एवंम घटी हुई दर के मध्य अन्तर की मांग राज्य सरकार से करनी थी । बिल बनाने की प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी द्वारा टैरिफ दर से मांग सृजित करना चाहिये परन्तु उपभोक्ताओं से घटी हुई दर से संग्रहण किया जाना चाहिये और अन्तर की मांग राज्य सरकार से की जानी चाहिये थी । लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जुलाई 2005 से मार्च 2006 के दौरान उज्जैन क्षेत्र के दो वृत्तों (उज्जैन तथा शाजापुर) ने घटी हुई दर की मांग से भी कम दर पर मांग सृजित की थी । इसके कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है । इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को निम्नानुसार 4.58 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई।

(करोड़ रूपये में)

वृत का नाम	सृजित की जाने वाली मांग	सृजित मांग	घटी हुई दर पर सृजित की जाने वाली मांग	घटी हुई दर तथा सृजित वास्तविक दर पर मांग के मध्य अन्तर
उज्जैन	44.60	30.54	32.20	1.66
शाजापुर	28.33	18.30	21.22	2.92
योग	**72.93**	**48.84**	**53.42**	**4.58**

स्त्रोतः कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालयों से संग्रहीत आंकड़े ।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2007) कि घटी हुई दर पर टैरिफ की मांग के लेखाकरण के लिये कोई एक समान प्रक्रिया नहीं है और भविष्य में एक समान प्रक्रिया कार्यान्वित की जायगी ।

इस प्रकार घटी हुई दर पर टैरिफ की मांग की तुलना में निम्न मांग के कारण कम्पनी ने 4.58 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि उठाई ।

रक्षा स्थापना के लिये टैरिफ का त्रुटिपूर्ण प्रयोग

उच्च दाब उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण के कारण 2.34 करोड़ रूपये की हानि।

2.2.12 गैरिसन इंजीनीयरिग (प्रोजेक्ट) एम.ई.एस. महु में अपने पावर हाऊस, वाटर वर्क्स मिलिट्री हॉस्पिटल, वर्कशाप, वेलेजली बेरेक्स, डेनिस रोड तथा गोल्फ व्यू के लिए कुल अनुबंधित मिश्रित 3200 के वी ए लोड का था । पुनरीक्षित टैरिफ (जून 2005) के अनुसार मिश्रित लोड वाले गैर औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिल एच.वी.3 संवर्ग के अधीन बनाए जाने थे । यह पाया गया कि फिर भी उपभोक्ताओं के बिल संवर्ग एच.वी. 6 के अन्तर्गत बनाए गए जो उद्योग के लिये अथवा घरेलू उद्देश्य की अन्य कस्बे के लिए यथा बिजली जलाने पंखे, गरम करने आदि के लिये प्रयोज्य संवर्ग था ।

इस प्रकार टैरिफ के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण जुलाई 2005 से मार्च 2007 के दौरान की गई आपूर्तियों के लिये बिल 2.34 करोड़ रूपये कम के बनाए गए । लेखापरीक्षा में इसका उल्लेख किये जाने पर कम्पनी ने कम राशि के बनाए गए बिलों के लिये अनुपूरक बिल बनाए (मई 2007) । इस अनुपूरक बिल का भुगतान कम्पनी ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है (सितम्बर 2007) ।

उपभोक्ताओं से सुरक्षा निधि

2.2.13 विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की शर्तो के अनुसार उपभोक्ताओं से आपूर्ति की प्रकृति के अनुरूप 45 से 90 दिनों के लिये अनुमानित उपयोग के मूल्य के बराबर राशि अथवा अन्य प्रकार से प्रतिभूति के रूप में जमा करने की रोकड़ आवश्यकता होती है । उपभोक्ताओं से 45 या 90 दिनों के अनुमानित उपयोग के मूल्य की पूर्ति के लिये प्रतिभूति कम होने पर फिर से प्रतिभूति जमा करने की भी अपेक्षा की जाती है । केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभाग और ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों को प्रतिभूति जमा करने से छूट दी गई है । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) के विनियमों (सितम्बर 2004) के अनुसार समस्त लायसेन्सधारकों द्वारा समस्त उपभोक्ताओं से प्रतिभूति जमा/ अतिरिक्त प्रतिभूति जमा संग्रहीत करना अपेक्षित है । लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नांकित कमियां दृष्टिगत हुईः

समझाईश की कमी के कारण रेल्वे एवं आर.ई. समितियों से 23.67 करोड़ रूपये की सुरक्षा निधि नहीं जमा की गई ।

- कम्पनी ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) विनियमों के अनुसार रेल्वे (17.01 करोड़ रूपये) तथा ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों (6.66 करोड़ रूपये) से 23.67 करोड़ रूपये की प्रतिभूति जमा का संग्रहण नहीं किया ।

 प्रबन्धन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि रेल्वे से भविष्य में प्रतिभूति जमा की मांग की जायगी और गामीण विद्युत सहाकारी समितियों से उनकी वैद्यानिक स्थिति निश्चित हो जाने के पश्चात वसूली करने के प्रयास किये जायगें ।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के अनुसार अधिभार नहीं लगाने के कारण 0.80 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा हुआ ।

- कम्पनी के खरगोन वृत्त ने नगर पालिका निगम से उनके 4 वाटर वर्क्स उच्च दाब के कनेक्शनों के लिये 4.46 करोड़ रूपये के अतिरिक्त नकद प्रतिभूति जमा प्राप्त करने के लिये मांग सृजित की (सितम्बर 2005) । विनियमों के अनुसार, उपभोक्ता के लिये एक माह से अधिक विलम्बित प्रतिभूति जमा के भुगतान पर नकद अधिभार का भुगतान करना वाध्यकारी था । नगर पालिका निगम ने अतिरिक्त प्रतिभूति जमा अभी तक जमा नहीं की है (सितम्बर 2007)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रतिभूति जमा के बकायाओं को विद्युत प्रभारों के बकाया के रूप में नहीं दिखाया जा रहा था और भुगतान में विलम्ब पर अधिभार भी आरोपित नहीं किया जा रहा था । इसके परिणामस्वरूप मार्च 2007 तक 80.27 लाख रूपये के राजस्व (18 माहों के लिये एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अधिभार) की हानि हुई ।

प्रबन्धन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि अतिरिक्त प्रतिभूति जमा पर अधिभार के बिल बनाने की कार्यवाही की जा रही है फिर भी 4.46 करोड़ रूपये की अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

राजस्व का संग्रहण

राजस्व के संग्रहण की प्रक्रिया

2.2.14 कम्पनी यह सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है कि निरंतर समयक अवधि से अधिक भुगतान में चूक न हो । इसमें अस्थाई रूप से कनेक्शन काटे बिना अधिकतम तीन माह तक के विलम्ब की अनुमति है । अधिकार सम्पन्न अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि भुगतान में चूक के प्रकरणों का परिवीक्षण नियमित रूप से किया जाता है और अस्थाई या स्थाई डिसकनेक्शन के लिये समय पर कार्यवाही की जाती है । यदि कनेक्शन अस्थाई रूप से डिसकनेक्ट किये गये है तो आपूर्ति डिसकनेक्शन/रिकनेक्शन प्रभारों सहित बकाया प्रभारों /किस्त की राशि जमा करने के उपरान्त ही चालू की जायगी । यदि विद्युत आपूर्ति 60 दिनों की अवधि तक प्रभारों के भुगतान न करने या इस सम्बन्ध में जारी किसी निर्देश का पालन न करने के कारण डिसकनेक्ट रहती है तो कम्पनी उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति अनुबन्ध समाप्त करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी करेगी जिसका उत्तर सात दिनों के भीत्तर दिया जाना आवश्यक है । यदि उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति चालू करने के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो विद्युत आपूर्ति अनुबन्ध सात दिनों की नोटिस अवधि समाप्त होने पर खत्म हो जायगा परन्तु शर्त यह है कि अनुबन्ध की आरम्भिक अवधि पूरी हो जानी चाहिये । अस्थाई डिसकनेक्शन की अवधि के दौरान उपभोक्ता न्यूनतम प्रभारों का भुगतान करने के लिये वाध्य होगा । स्थाई डिसकनेक्शन के पश्चात यदि उपभोक्ता सर्विस कनेक्शन चालू कराने की इच्छा रखता है तो यह नये कनेक्शन का एक आवेदन माना जायगा परन्तु उस पर विचार केवल बकाया दायित्वों के भुगतान के पश्चात ही किया जायेगा ।

कम्पनी द्वारा अनुसरण कि जाने वाले संग्रहण तंत्र निम्नानंसार हैः

- हाई टेन्सन सेवाओं के बनाए गए बिल क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में संग्रहीत किये जाते है;
- लो टेन्सन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल उन कुछ क्षेत्रों को छोड कर जिनमें संग्रहण कार्य कतिपय संग्रहण अभिकरणों यथा ग्रामीण सहकारी बैंक तथा डाक घरों को सौपा गया है वितरण केन्द्रों पर स्थित संग्रहण केन्द्रों पर संग्रहीत किये जाते है और
- हाई टेन्सन तथा लो टेन्सन उपभोक्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बिल की तिथी के 15 दिनों के भीतर चालू प्रभारों का भुगतान करें अन्यथा विफल रहने पर उन्हें निर्धारित दरों पर अधिभार का भुगतान करना होगा ।

संग्रहण दक्षता

2.2.15 31 मार्च 2007 को समाप्त पांच वर्षो के लिये सृजित मांग, संग्रहीत राजस्व, बकाया राशि, वितरण हानियाँ संग्रहण दक्षता तथा माहों के रूप में बकाया का आकलन निम्नांकित तालिका में किया गया है:

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र. संख्या	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया शेष	832.21	894.66	1200.84	1490.05	1016.15
2.	वर्ष के दौरान आकलित राजस्व	1,766.89	2,103.15	2,180.20	2,401.65	2,750.00
3.	वसूली हेतु योग्य कुल राशि	2,599.10	2,997.81	3,381.04	3,891.70	3,766.15
4.	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	1,536.95	1,731.18	1,947.83	2,225.51	2,521.37
5.	अन्य समायोजन*	167.49	65.79	(-)56.84	650.04	(-)8.63
6.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	894.66	1,200.84	1,490.05	1,016.15	1,253.41
7.	कुल देयताओं की तुलना में वसूल की गई राशि का प्रतिशत (4/3) x 100 (संग्रहण दक्षता)	59.13	57.75	57.61	57.19	66.95
8.	मासिक निर्धारण के रूप में शेष (माह)	6.08	6.85	8.20	5.08	5.47
9.	वसूली लक्ष्य	NA	1,921.25	2,136.31	2,358.80	NA
10.	वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व के सन्दर्भ में वसूली लक्ष्य का प्रतिशत	NA	91.35	97.99	98.22	NA
11.	बकायाओं के प्रतिशत के रूप में वसूली लक्ष्य (9/3) x 100	NA	64.09	63.18	60.61	NA

टिप्पणी: * शेष आंकड़े (3-4-6), चुंकि विवरण उपलब्ध नहीं है ।
स्त्रोतः कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालयों से संग्रहीत आकड़े
NA = उपलब्ध नहीं

यह देखा जायगा कि:

बकाया राशि 2002-03 में 894.66 करोड़ से 40.10 प्रतिशत तक बढ कर 2006-07 में 1253.41 करोड़ रूपये तक हो गई ।

- संग्रहण दक्षता जो 2002-03 में 59.13 प्रतिशत थी 2005-06 में 57.19 तक घट गई और तत्पश्चात 2006-07 में बढ़कर 66.95 प्रतिशत हो गई;
- यद्यपि वसूली में 2002-03 में 1,536.95 करोड़ रूपये से 2006-07 में 2,521.37 करोड़ रूपये तक पांच वर्षो में 64.05 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तथापि उसी अवधि के दौरान बकाया शेष में 894.66 करोड़ रूपये से 1,253.41 करोड़ रूपये तक अर्थात 40.10 प्रतिशत तक वृद्धि हुई; और
- संग्रहण हेतु तक लक्ष्य वास्तविक नहीं थे क्योंकि उनमें बकाया राशि सम्मिलित नहीं थी । यह भी कि रखे गये लक्ष्य चालू वर्ष की मांग की तुलना में भी कम थी और कम्पनी समस्त वर्षो में लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही परिणामस्वरूप बकायों का संचयन हुआ । बकाया के प्रतिशत के रूप में वसूली लक्ष्य 2003-04 में 64.09 प्रतिशत से 2005-06 में घटकर 60.61 प्रतिशत रह गया।

मार्च 2007 को समाप्त अवधि हेतु लो टेन्शन उपभोक्ताओं/हाई टेन्शन उपभोक्ताओं के संवर्गवार बकाया ***परिशिष्ट-13*** में दिये गये है ।

परिशिष्ट-13 में दिये गये विवरणों से यह देखा जा सकता है कि:

लो टेन्शन संदर्भ में बकाया दायित्व मुख्यरूप से घरेलू तथा कृषि सम्बन्धी उपभोक्ताओ के है ।

- पांच वर्षो के दौरान लो टेन्शन संवर्ग यथा घरेलू, गैर-घरेलू, वाटर वर्क्स, स्ट्रीट लाइट्स के बकाया दायित्वों में 50 प्रतिशत से अधिक तक की वृद्धि हुई; और
- बाकया दायित्व मुख्य रूप से घरेलू तथा कृषि सम्बन्धी उपभोक्ताओं से प्राप्त करना थे । इन उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया दायित्व लो टेन्शन उपभोक्ताओं के कुल बकाया दायित्वों के 86.11 से 93.17 प्रतिशत के बराबर थे । इन उपभोक्ताओं के बकाया दायित्वों में अन्तिम पांच वर्षो के दौरान 67.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

31 मार्च 2007 को समूहवार बकाया ऋणों के और विश्लेषण से प्रकट हुआ कि स्थाई तथा अस्थाई रूप से विच्छेदित सेवाओं से 282.55 करोड़ रूपये तथा 470.49 करोड़ रूपये की राशि देय थी ।

2.2.16 31 मार्च 2007 को बकाया दायित्वों का समयवार विश्लेषण निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपयों में)

उम्र	31 मार्च 2007 को बकाया		
	हाई टेन्सन सेवा	लो टेन्शन सेवा	योग
एक माह से कम	24.07	20.44	44.51
एक से छः माह	95.21	109.88	205.09
छः माह से एक वर्ष	87.11	130.41	217.52
एक वर्ष से अधिक दो वर्षो से कम	119.15	128.97	248.12
दो वर्षो से अधिक - तीन वर्षो से कम	89.22	130.46	219.68
तीन वर्ष और अधिक	236.97	81.52	318.49
योग	**651.73**	**601.68**	**1253.41**

स्त्रोतः कम्पनी का प्रबन्धन सूचना प्रणाली

यह देखा जायगा कि दो वर्षो से अधिक के बकाया दायित्व जिनकी राशि 538.17 करोड़ रूपये थी, 31 मार्च 2007 को लम्बित संग्रहण के 1,253.41 करोड़ रूपये के 42.94 प्रतिशत थे ।

बकाया दायित्वों में वृद्धि के लिये लेखापरीक्षा द्वारा किये गये विश्लेषण के अनुसार निम्नांकित मुख्य कारण थे:

- उद्योगो की रूग्णता और न्यायालय में विद्युत उत्पादन/टैरिफ सम्बन्धी विवाद;
- ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों की खराब वित्तीय स्थिति;
- आवश्यक सेवाओं यथा स्ट्रीट लाइट, वाटर वर्क्स को भारी बकायों के बाद भी निरंतर आपूर्ति;
- समय समय पर बकायो/अधिभारों के अधित्याग जैसे विशेष पैकेजो की अनुमति विशेष रूप से कृषि सम्बन्धी तथा घरेलू उपभोक्ताओं को;
- कृषि सम्बन्धी तथा घरेलू चूककर्त्ता उपभोक्ताओं की सर्विस डिसकनेक्ट करने में विलम्ब; तथा
- बकायो की सुरक्षा के बिना किश्तों में भुगतान की अनुमति देना ।

इस प्रकार गम्भीर सघन प्रयास की कमी के कारण, बकायों में वृद्धि हुई एवंम यदि बकाया कम करने के लिये सघन प्रयास नहीं किये गए, तो समय व्यतीत होने के साथ ही बकायों की वसूली कठिन हो जाएगी ।

अस्थाई सेवा से राजस्व का बकाया

2.2.17 आपूर्ति की शर्तो के अनुसार कम्पनी को आवेदित लोड के आधार पर नवीन अस्थाई सर्विस कनेक्शन के उपयोग का मूल्यांकन करना चाहिये और आकलित प्रभार पूर्व में ही संग्रहीत कर लेना चाहिये । इसके अतिरिक्त अस्थाई कनेक्शन की अवधि के दौरान मीटर की रीडिंग यह सुनिश्चित करने के लिये करना चाहिये की वास्तविक खपत पूर्व प्राप्त भुगतान से अधिक नहीं होगी । किसी भी स्थिति में अस्थाई कनेक्शन का बकाया नहीं रहना चाहिये । फिर भी 31 दिसम्बर 2006 को अस्थाई सर्विस से अस्थाई उपभोक्ताओं से प्राप्त अग्रिमों के समायोजन के पश्चात 2.35 करोड़ रूपये बकाया थे । यह भी कि पाया गया कि कम्पनी उपभोक्ता विवरण नहीं रख रही थी जिनके अभाव में लेखापरीक्षा में अस्थाई कनेक्शेनों के विरूद्ध लम्बित वास्तविक बकायों का निर्धारण नहीं किया जा सका । संहितागत प्रावधानों के अनुसार अग्रिम राशि का संग्रहण न करने के परिणामस्वरूप बकायों का संचयन हुआ और प्रतिभूति जमा के अभाव में वसूली संदिग्ध है । कम्पनी ने अस्थाई सर्विस कनेक्शनों से विद्युत प्रभारो के रूप में पर्याप्त अग्रिम संग्रहण न करने के लिये कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया ।

पर्याप्त अग्रिम संग्रहित न कर सकने के परिणामस्वरूप अस्थाई सर्विस से बकायाओं का संचयन हुआ ।

प्रबन्धन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि मार्च 2007 के अन्त में प्रतिभूति जमा के समायोजन के उपरान्त बकाया नगण्य थे । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मार्च 2007 को अस्थायी सर्विस से बकाया राशि का विवरण लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया ।

कार्ड बिलिंग

बिल जारी न करने से परिणामस्वरूप 2.14 करोड़ रूपये के बकायों का संचयन हुआ

2.2.18 मण्डल जनवरी 1987 से घरेलू, वाणिज्यिक तथा कृषि संवर्ग के उपभोक्ताओं के लिए एक कार्ड बिलिंग सिस्टम[38] का अनुसरण कर रही है । छः माह के नियमित अन्तराल पर मीटर रीडिंग की जाती है और वास्तविक खपत बिल बनाया जाता है । कम्प्यूटर बिलिंग आरम्भ होने के पश्चात (जून 2002) कार्ड बिलिंग नियमित बिलिंग में परिवर्तित कर दी गई । संचालन एंवम संधारण संभाग, उज्जैन के अभिलेखों की एक नमूना जांच से प्रकट हुआ कि ऐसे 3,403 उपभोक्ता थे जिनके बिल कार्ड बिलिंग सिस्टम के अन्तर्गत बनाए जा रहे थे । यह पाया गया कि मण्डल जब लेखाओं में अधिभार छोड़ कर मासिक प्रभारो का लेखाकरण कर रहा था तब उपभोक्ताओं के लिये मासिक बिल नहीं बनाये गये । इस प्रकार ऐसे उपभोक्ताओं को बिल जारी करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 2.14 करोड़ रूपये के बकायों का संचयन हुआ।

कम्पनी ने चूक स्वीकार की (सितम्बर 2007) और सूचित किया कि मई 2007 में गहन सर्वेक्षण किया गया था और किश्तों में दायित्वों के भुगतान की सुविधा के साथ बिल जारी किये जा रहे थे ।

सरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया

2.2.19 31 मार्च 2007 तक सरकारी विभागों तथा संस्थाओं के विरूद्ध बकाया निम्नानुसार हैः

(करोड़ रूपयों में)

विवरण	जनवरी 2007 के अन्त में बकाया		
	लो टेन्सन	हाई टेन्सन	योग
नगर निगम	8.12	162.03	170.15
नगर पालिकाएं	6.44	2.82	9.26
पंचायते	13.95	0.00	13.95
लोक स्वास्थ्य तथा यान्त्रिकी विभाग	0.01	1.32	1.33
सिचाई विभाग	0.26	3.20	3.46
ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां	--	147.78	147.78
राज्य/केन्द्र सरकार की टेक्सटाइल कम्पनियां	--	57.28	57.28
अन्य राज्य सरकारों के विभाग	1.65	0.05	1.70
केन्द्र सरकार के कार्यालय	0.03	71.12	71.15
योग	**30.46**	**445.60**	**476.06**

स्त्रोतः प्रबन्धन द्वारा प्रदत्त आंकड़े

31 मार्च 2004 को वसूली के लिये लम्बित 1253.41 करोड़ रूपये में से 476.06 करोड़ रूपये सरकारी संगठनों से प्राप्त होने थे ।

चूकिं भारी बकाया से रोकड़ प्रवाह पर प्रभाव पड़ा इसलिये मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राज्य सरकार को ऐसी पिछली देयताओं के परिसमापन तथा उसके विभागों

[38] *उपभोक्ता को औसत खपत के आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त राशि निर्धारित कर के एक मुद्रित कार्ड प्रदत्त किया जाता है ।*

तथा अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा बिलों के समय पर भुगतान के लिये एक तन्त्र विकसित करने का सुझाव दिया (दिसम्बर 2004) ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकार ने फिर भी कम्पनी को बकाया का भुगतान किये बिना नगर निगम/नगर पालिका की सारी डिसकनेक्ट वाटर स्कीमों की आपुर्ति पुनः जोड़ने के आदेश दिये (मई 2005) । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने दोनों पार्टियों को लम्बित बकाया के निपटान पर चर्चा करने के निर्देश दिये (सितम्बर 2005) । प्रबंधन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि राज्य सरकार के हस्तक्षेप के विरोध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि टेक्सटाइल मिल की आपूर्ति इस तर्क के आधार पर कि डिसकनेक्शन से श्रमिक अशान्ति के कारण विधि एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, बकायों (57.28 करोड़ रूपये) के संग्रहण के बिना जुलाई 2001 तक जारी रखी इस प्रकार सरकारी विभाग से बकाया की वसूली से संबंधित विषय को सुलझाने में देरी के कारण 476.06 करोड़ के बकाया का संचयन हुआ ।

एण्टी थेफ्ट ड्राइव के अन्तर्गत पाए गए प्रकरणों में दायित्वों की वसूली

2.2.20 विद्युत चोरी का पता लगाने के लिये कम्पनी ने सर्विस कनेक्शनों के निरीक्षण हेतु एक एण्टी पावर थेफ्ट स्क्वाड बनाया था । 31 मार्च 2007 को समाप्त अवधि के पांच वर्षो के दौरान जांचे गये कनेक्शनों की संख्या, पता लागये गए चोरी के प्रकरणों की संख्या, चोरी की राशि, वसूल की गई राशि तथा संग्रहण हेतु लम्बित शेष निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैः

(करोड़ रूपयों में)

क्र. संख्या	वर्ष	जांचे गए कनेक्शनों की संख्या	पता लागए गए प्रकरणों की संख्या	प्रतिशत	बिल की राशि	वसूली की राशि	शेष राशि
1	2002-03	992564	285612	28.78	39.50	32.19	7.31
2	2003-04	870735	197893	22.73	39.33	32.75	6.58
3	2004-05	762224	177185	23.25	48.26	40.66	7.60
4	2005-06	935201	172484	18.44	61.65	51.80	9.85
5	2006-07	1089883	189482	17.39	77.37	74.74	2.63
			योग		**266.11**	**237.14**	**33.97**

स्त्रोतः कम्पनी का एम.आई.एस.

2002-07 के दौरान जाने गए कनेक्शनों में चोरी का प्रतिशत 28.78 से 17.39 के मध्य रहा । यह देखा गया कि 266.11 करोड़ रूपये के बदले कम्पनी ने 237.14 करोड़ रूपये वसूल किये ।

एण्टी पावर थेफ्ट ड्राइव के दौरान दर्शाई गई राजस्व की वसूली के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप 33.97 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हुई ।

33.97 करोड़ रूपये की शेष राशि की वसूली न किये जाने के कारण अभिलेख में नहीं है । प्रबन्धन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि प्रकरणों की संख्या अत्याधिक थी निर्धारण सामान्य रूप से वाद विवाद अथवा मुकदमें में फंस गये । निर्णय या समझौते के आधार पर बिलों का अधोगामी पुनरीक्षण निश्चित था । उत्तर मान्य नही है क्योंकि एण्टी पावर थेफ्ट ड्राइव के दौरान किये गये निर्धारण पर्याप्त रूप से अभिलेख बद्ध नहीं थे जिसके कारण अधोगामी पुनरीक्षण आवश्यक हो गया । यह भी कि वसूली पर दृष्टि रखने के लिये आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र भी प्रभावशाली नहीं था ।

कर्मचारियों के बकाया

2.2.21 कम्पनी/मण्डल के कर्मचारियों के विरूद्ध दिसम्बर 2006 तक विद्युत विक्रय के विरूद्ध बकाया दायित्व निम्नांनुसार हैः

(लाख रूपये में)

	उज्जैन	इन्दौर क्षेत्र	योग
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारी	16.70	19.86	36.56
सेवा निवृत मण्डल कर्मचारी	2.00	2.48	4.48
योग	**18.70**	**22.34**	**41.04**

स्त्रोतः कम्पनी का एम.आई.एस.

यह पाया गया कि कम्पनी ने उनके वेतन से देयताएं वसूली करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये । प्रबन्धन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि क्षेत्रीय प्रमुख मामले को देख रहे है और वसूली शीघ्र की जायगी । फिर भी उत्तर यह नहीं दर्शाता कि वसूली किस तरीके से की जाएगी, विशेषकर सेवा निवृत कर्मचारियों से ।

अनादृत चैकों का अनुचित लेखाकरण

2.2.22 कम्पनी द्वारा अपनायी प्रणाली के अनुसार उपभोक्ताओं से विद्युत दायित्वों के विरूद्ध प्राप्त चैक वसूली के पूर्व जमा/समायोजित किये जाते है । यदि चैक बैंक द्वारा वापस किये जाते है तो वे इस सम्बन्ध में उचित रूप से मांग सृजित कर नए भुगतान का अनुरोध करते हुए उपभोक्ताओं को वापस भेज दिये जाते है । यह भी कि कम्पनी के मुख्य यंत्री (वाणिज्यिक) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों द्वारा बैंक द्वारा चैक वापस करने के 2 दिनों के भीतर सम्बन्धित वितरण केन्द्रों पर अनादृत चैक वापस भेजना चाहिये और देखना चाहिये कि अनादृत चैक के मुल्य के लिये दण्डात्मक प्रभारों तथा अधिभार सहित उचित रूप से मांग का सृजन किया गया है । इसके अतिरिक्त अनादृत चैक और उनकी वसूली की स्थिति दर्शाते हुए एक मासिक विवरणी आवश्यक अनुसरण के लिये वृत्त कार्यालय को प्रेषित की जाती है । 31 मार्च 2007 को हाई टेन्शन/लो टेन्शन उपभोक्ताओं के अनादृत चैकों की स्थिति निम्नानुसार थीः

(लाख रूपये में)

क्षेत्र का नाम	अप्रैल 2006 को समायोजन हेतु लम्बित अनादृत चैक		2006-07 के दौरान अनादृत चैक		2006-07 के दौरान सृजित मांग		31 मार्च 2007 को शेष अनादृत चैक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
इन्दौर								
लो टेन्सन	7176	604.30	5127	454.72	6766	575.19	5537	483.83
हाई टेन्सन	13	32.95	99	309.18	98	295.01	14	47.12
उज्जैन								
लो टेन्सन	955	107.25	790	67.59	1240	119.87	505	54.97
हाई टेन्सन	8	4.91	18	137.64	3	81.81	18	60.74
योग	**8152**	**749.41**	**6034**	**969.13**	**8112**	**1071.88**	**6074**	**646.66**

स्त्रोतः कम्पनी का एम.आई.एस.

अनादृत चैकों के विरूद्ध मांग सृजित न करने के कारण 6.47 करोड़ रूपये असंग्रहीत रहे ।

यह पाया गया कि बैंको द्वारा 6.47 करोड़ रूपये के 8,074 चैक (मई 2000 से मार्च 2007) अनादृत हुए एवंम चूककर्त्ता उपभोक्ताओं से नई मांग सृजित कर उचित रूप से लेखाकृत नहीं किये गये; इसके स्थान पर अभिलेखों में संग्रहीत दिखाये गये । इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से उक्त मात्रा तक राजस्व का संग्रहण नहीं किया गया तत्पश्चात यह पाया गया किः

- अनादृत चैक मई 2000 से उचित लेखाकरण हेतु लम्बित थे;
- कम्पनी ने पश्च दिनांकित चैक, हस्ताक्षर रहित चैक तथा कम्पनी के पक्ष में आहरित न किये चैक स्वीकार किये जिसके कारण बैंकों ने उन्हे अनादृत कर दिया; तथा
- कम्पनी ने उन कतिपय उपभोक्ताओं के चैक स्वीकार किये जिनके चैक पूर्व में एक से अधिक बार अनादृत किये गये थे । दो वृत्तों (देवास तथा उज्जैन) के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1.68 करोड़ रूपये के सात उपभोक्ताओं के 21 चैक एक से अधिक बार अनादृत किए गए थे ।

प्रपत्र विनिमय अधिनियम 1881 के प्रावधान के अनुसार जब भी चैक अनादृत हो तब चूक की राशि के भुगतान के लिये 15 दिनों के समय की अनुमति देते हुए एक नोटिस जारी किया जाय । देयताओं का भुगतान न कराने के प्रकरण में 15 दिन के नोटिस की समाप्ति के उपरान्त दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही भी आरम्भ की जाये । यह पाया गया कि कम्पनी ने अनादृत चैकों की राशि की वसूली के लिये कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की । अनादृत चैकों के अनुचित अनुसरण के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ और कम्पनी को राजस्व की हानि हुई ।

प्रबन्धन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि बड़ी संख्या में पुरानी अवधि से सम्बन्धित चैक है और कम्पनी सूचना के अभाव के कारण इन चैकों को रोकने में कठिनाई अनुभव कर रही है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी अनुचित अनुसारण के कारण अकेले

देवास वृत में ही 2006-07 के दौरान 9.82 लाख रूपये के अनादृत 71 चैक वसूल नहीं कर सकी ।

कृषि सम्बन्धी तथा सिंगल बत्ती पाइन्ट कनेक्शन उपभोक्ताओं के राजस्व का कम लेखाकरण

2.2.23 राज्य सरकार ने देयताओं का भुगतान न करने के कारण डिसकनेक्ट 5 हार्स पावर तक के सिंगल बत्ती पाइन्ट कनेक्शनों तथा कृषि सम्बन्धी पम्पों की आपूर्ति पुनः चालू करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2003) । निर्णय के अनुसार जनवरी 2001 से दिसम्बर 2003 तक की अवधि के लिये 5 हार्स पावर के सिचाई पम्पों तथा गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं के सिंगल बत्ती पाइन्ट कनेक्शनों के विद्युत बिलों का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं का भुगतान छोड देना था और उनका भुगतान राज्य सरकार को करना था। सज्य सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ता को देय राशि, निरंक बकाया के साथ समायोजित राशि (राज्य सरकार) दर्शाते हुए एक बिल जारी किया जायेगा और समेकित बिल राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति हेतु भेजा जायेगा ।। कम्पनी ने सिंगल बत्ती पाइन्ट तथा कृषि पम्प उपभोक्ताओं की देयताए छोड़ने के लिये दावा प्रस्तुत किया (अप्रैल 2004) और अधिभार सहित क्रमशः 254.89 करोड़ रूपये तथा 767.37 करोड़ रूपये वसूल किये (मार्च 2004 से जनवरी 2006) । वसूल की गई राशि समायोजित करते समय (2005-06 के दौरान) यह पाया गया कि लेखा पुस्तिकाओं में दर्शाई/सृजित मांग राज्य सरकार से वसूल की गई राशि से कम थी । तदनुसार कम्पनी ने लेखा पुस्तिकाओं में राजस्व दर्ज करने के लिये 190.20 करोड़ रूपये की अनुपूरक मांग सृजित करने हेतु वितरण केन्द्रों को अनुदेश जारी किये (जुलाई 2005) । प्रबन्धन ने उस समय पुस्तकों में सम्पूर्ण मांग के लेखाकरण न करने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया जब उपभोक्ताओं को ऐसे बिल जारी किये गये थे । इसके अतिरिक्त उपरोक्त रियायत केवल उन कृषि सम्बन्धी तथा सिंगल बत्ती पाइन्ट उपभोक्ताओं को ही दी जानी थी जिन्होने मीटर लगवाए थे या जिन्होंने लिखित में उसके लिये सहमति दी थी । यह पाया गया कि उपभोक्ताओं द्वारा मीटर लगवाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया गया था और कि उचित मांग सृजित कर अन्तरों का समायोजन अभी भी किया जाना है । इस प्रकार कम्पनी ने अपनी लेखा पुस्तिकाओं में प्रदर्शित मांग से अधिक आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकार से 190.20 करोड़ की मांग की और प्राप्त किये । यह भी कि कम्पनी ने अनुपूरक मांग सृजित करने हेतु अनुदेश जारी करने से पूर्व आन्तरिक लेखापरीक्षा में विफलता के कारणों तथा बारम्बार ऐसी चूक के विरूद्ध पूर्वोपायों का विश्लेषण नहीं किया ।

लेखाओं में प्रदर्शित मांग से अधिक सरकार से आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति के रूप में 190.20 करोड़ रूपये का दावा किया गया और प्राप्त किये गये ।

प्रबन्धन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि 2003-04 के दौरान मांग सृजित करने में कुछ त्रुटियां थी जिनमें सुधार कर लिया गया है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी मांग की प्रस्तुती से पूर्व मांग सृजित करने के लिये राज्य सरकार के आदेशों का पालन करने में विफल रही और मांग का लेखाकरण अभी भी लम्बित है ।

ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों की स्थिति

2.2.24 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक-मध्य प्रदेश सरकार (वाणिज्यिक) के मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन (कण्डिका 3 क. 5.1.1) में ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों की बिलिंग गतिविधियों का उल्लेख किया गया है । भूतपूर्व मण्डल ने मध्य प्रदेश समिति अधिनियम, 1968 के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य की 17 ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों से अनुबन्ध किया था । (अक्टूबर 1976 से मार्च 1989) । इन समितियों के बिल संवर्ग एच.वी. 7 "बल्क सप्लाई" के अधीन टैरिफ आदेश में निर्धारित रियायती दर पर बनाए जाते है । ग्रामीण विद्युत सहाकारी समितियों को विद्युत की रियायती आपूर्ति के लिये विद्युतीकरण की गति में वृद्धि, मण्डल के प्रयासों को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अच्छी उपभोक्ता सेवा प्रदान करने का तर्क था । राज्य की 17 समितियों में से मनासा, पंधाना एवं मनावर स्थित समितियां कम्पनी के भौगोलिक क्षेत्र में बनाई गई थी ।

ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों की स्थिति तय करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 147.78 करोड़ रूपयों के बकाया वसूल नहीं किये जा सके ।

मध्य प्रदेश सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया (26 जून 1996) कि समस्त ग्रामीण विद्युत सहाकारी समितियां मण्डल में विलीन कर दी जाये । चूंकि ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब थी इसलिये राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने समस्त ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों के लायसेन्स प्रतिसहरण (रीवोकेशन) के लिये एक प्रकरण दायर किया (जून 2001) । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा यह देख कर (जुलाई 2004) कि किसी भी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति ने वितरण लायसेन्स की शेर्तो के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, स्वयं ही एक याचिका रजिस्टर की (सितम्बर 2004) और निर्देश दिया (दिसम्बर 2004) कि वे समस्त सहकारी समितियां जो परिसमापन की इच्छुक है, इस सम्बन्ध में सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा मण्डल से सम्पर्क कर सकती है । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने यह भी आदेश दिया कि राज्य सरकार तथा मण्डल को समस्त समितियों की स्थिति के प्रकरण निपटाना है तीन समितियों में से ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति, मनावर मण्डल ने अधिग्रहीत कर ली (मार्च 2007) और वह कम्पनी के मण्डल के रूप में कार्य कर रही है । राज्य सरकार एवंम कम्पनी द्वारा शेष दो समितियों की स्थिति के प्रकरण को निपटाना बाकी है (सितम्बर 2007) ।

प्रबन्धन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि वह समितियों के लायसेन्स प्रतिसंहरण (रीवोकेशन) के लिये समस्त विधि-सम्मत कार्यवाही करेगा और समितियों की गतिविधियां भी हाथ में ले लेगा ।

इस प्रकार राज्य सरकार एवंम कम्पनी द्वारा बाकी दो समितियों के प्रकरण निपटाने में देरी के कारण 147.78 करोड़ रूपये की बकाया राशि की वसूली में देरी हुई (अक्टुम्बर 2007) ।

हाई टेन्सन उपभोक्ताओं को किस्त सुविधा

2.2.25 राजस्व के बकाया संग्रहण तथा भुगतान करने में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये कम्पनी ने किस्तों में बकाया/चालू विद्युत बिलों के भुगतान के लिये सुविधा बढ़ाई थी । मई 2004 तक समय समय पर सुविधा प्रदान करने के लिये निर्दिष्ट प्रक्रिया भी जारी की गई थी जिसमें किश्तों में बिलों के भुगतान के लिये उपभोक्ताओं की प्रामाणिकता तथा क्षमता का मुल्यांकन करते हुए मानक तथा पैरा मीटर दर्शाए गए थे । अन्य बातों के साथ नीति में निर्धारित था कि कम्पनी द्वारा किश्तें स्वीकृत करते समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिये

- उपभोक्ता की वित्तीय सुदृढता की जांच;
- प्रत्येक किस्त के लिये आगामी दिनांक का चैक, उपभोक्ता द्वारा निष्पादित अनुबन्ध/वचन पत्र/वैयक्तिक गारण्टी/थर्ड पार्टी/बैंक गारण्टी के रूप में अतिरिक्त प्रतिभूति लेकर प्रतिभूति तन्त्र का ध्यान रखना;
- सुनिश्चित करना कि किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दो क्रमागत वित्तीय वर्षो में केवल एक बार ही दी जायगी ।

इसी प्रकार बन्द बीमार उद्योगों के पुनरूद्धार की दृष्टि से मण्डल ने डिसकनेक्टेड हाई टेन्सन उपभोक्ताओं के लिये एक विशेष पैकेज़ योजना (एस.पी.एस.) आरम्भ की (दिसम्बर 2000)। योजना जुलाई 2004 तथा अप्रैल 2006 में पुनः प्रारम्भ की गई । योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

- उपभोक्ता को योजना की सुविधा केवल एक बार दी जानी थी;
- योजना एक वर्ष के लिये वैद्य थी;
- उपभोक्ता की प्रतिभूति जमा अधिभार के विरूद्ध समायोजित की जायगी और अवशिष्ट अधिभार राशि सम्पूर्ण बकाया की प्राप्ति के पश्चात् छोड दी जायगी । डिसकनेक्शन अवधि के दौरान बिल में दिये मासिक न्यूनतम प्रभार भी छोड़ दिये जायगे ।
- नगद भुगतान के रूप में विद्युत बिलों के बकाया के 10 प्रतिशत की प्राप्ति के उपरान्त उपभोक्ता को बिना अधिभार के 18 मासिक किस्तों में शेष के भुगतान की अनुमति होगी;
- योजना उन डिसकनेक्टेड /अन कनेक्टेड उपभोक्ताओं के लिये थी जिनकी सविस छः माह से अधिक समय से डिसकनेक्ट थी और जिनके अनुबन्ध की अवधि समाप्त हो गई थी ।

किस्त सुविधाओं/एस.पी.एस. के कार्यान्वयन में पाई गई कुछ कमियों का उल्लेख नीचे किया गया है;

गजरा बेवल गीयर्स को औद्योगिक पैकेज संस्वीकृत करने में अनुचित लाभ का विस्तार

2.2.26 गजरा बेवल गीयर्स लिमिटेड जो एक हाई टेन्सन उपभोक्ता है, ने विद्युत देयताओं का भुगतान नहीं किया था (जुलाई 2004 से) । उपभोक्ता को देयताओ का भुगतान किस्तों में करने की अनुमति दी गई थी (जुलाई 2004) । परन्तु ऐसा करने में विफल रहने पर आपूर्ति डिसकनेक्ट कर दी गई (अक्टूबर 2004) । उसे पुनः देयताओं को किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी गई (दिसम्बर 2004 तथा फरवरी 2005)। इसी बीच उपभोक्ता ने कम्पनी से एस.पी.एस. के अधीन सुविधा का विस्तार करने का अनुरोध किया (मई 2005) । परिणामस्वरूप आपूर्ति पनुः चालू कर दी गई और उपभोक्ता को 58.66 लाख रूपये के बकाया का भुगतान किस्तों में करने की अनुमति दी गई (जून 2005) और नवम्बर 2004 से मई 2005 तक की डिसकनेक्टेड अवधि के लिये 77.02 लाख रूपये की मांग वापस ले ली गई । फिर भी बकायाओं का भुगतान न करने के कारण सर्विस पुनः डिसकनेक्ट कर दी गई (अक्टूबर 2006) । 31 मार्च 2007 को उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने योग्य राशि 1.16 करोड़ रूपये थी । यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा किश्तों में भुगतान की सुविधा बार बार (जुलाई 2004, दिसम्बर 2004, फरवरी 2005 एवंम जून 2005) दी गई, जबकि यह सुविधा दो लगातार वित्तीय वर्षों में एक बार दी जानी थी । आगे यह कि किश्तों में भुगतान की अनुमति देते समय, कम्पनी ने सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने में चुक की, जैसा कि योजना में बताया गया था । कम्पनी द्वारा एस.पी.एस. उपभोक्ता (कार्यरत युनिट) को भी दी गई, जो कि बंद एवंम रूग्ण उद्यमों को प्रांरभ करने के लिए ही थी । 77.02 लाख रूपये के परित्याग और चार बार सर्विस पुनः चालू करने के बावजूद कम्पनी उपभोक्ता से बकाया संग्रहीत नहीं कर सकी जिसमें 58.66 लाख रूपये (जून 2005) से 1.16 करोड़ रूपये तक की वृद्धि हुई (मार्च 2007) ।

किस्तों में बकाया भुगतान का विस्तार अपात्र उपभोक्ता के लिये किया और 77.02 लाख रूपये की मांग पहले माफ करने के बाद पुनःनहीं लगाई गई ।

प्रबन्धन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि उपभोक्ता को किस्त सुविधा इसलिये दी गई थी ताकि उद्योग को क्रियाशील बनाए रख कर बकाया की वसूली की जा सके । उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कार्यशील इकाई को एस.पी.एस. की स्वीकृति योजना की नीति के विपरीत है । यह भी कि 77.02 लाख रूपये की मांग जो वापस ले ली गई थी, उपभोक्ता द्वारा किश्तों में भुगतान करने में विफल रहने से पुनः नहीं लगाई गई ।

प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स को अनुचित लाभ का विस्तार

2.2.27 आपूर्ति सहिता के प्रावधानों के अनुसार एक उपभोक्ता को एक नया कनेक्शन केवल तभी दिया जायगा जब वह विद्यमान कनेक्शन के विरूद्ध समस्त बकाया देयताओं का भुगतान कर देता है । प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स, इन्दौर जुलाई 2001 से 1200 के.वी.ए की संविदा मांग के साथ मण्डल से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रही थी । अनुबन्ध के शर्तो के अनुसार उपभोक्ता को दो वर्षो (यथा जुलाई 2003 तक) की न्यूनतम अवधि के लिये आपूर्ति प्राप्त करनी थी और विद्युत प्रभारों अथवा मासिक न्यूनतम प्रभारों का भुगतान जो भी अधिक हो करना था । विद्युत बिलों का भुगतान न करने और जुलाई 2003 तक 1.08 करोड़ रूपये के संचित बकाया के कारण सर्विस डिसकनेक्ट (अप्रैल 2002) कर दी गई उपभोक्ता ने एस.पी.एस के अधीन संविदा मांग 700 के.वी.ए तक

घटाने के लिये अवेदन किया (मई 2006) । कम्पनी ने एक नवीन आपूर्ति अनुबन्ध निष्पादित (जून 2006) करने के उपरान्त सर्विस पुनः चालू कर दी (अगस्त 2006) । जिसमें निम्नांकित शर्ते समाविष्ट थी ।

- मई 2002 से जुलाई 2003 के दौरान (अनुबन्ध अवधि) सृजित 90.35 लाख रूपये की मांग वापस लेना;
- अनुबन्ध निष्पादित करते समय तीन लाख रूपयें का नगद भुगतान;
- 18 मासिक किस्तों में 14.42 लाख रूपये की देयताओं का भुगतान; और
- उपभोक्ता के स्वामित्व वाले मिनी स्टील प्लाँट के लिये दूसरे कनेक्शन से सम्बन्धित 6.01 करोड़ रूपये की देयताओं का भुगतान (14.12 लाख रूपये की देयताओं के भुगतान के पश्चात किस्त आरम्भ होनी थी) ।

उस उपभोक्ता के लिये एस.पी.एस का विस्तार किया गया था जिसे बन्द करने का आदेश बी.आई.एफ.आर/ए.ए .आई.एफ.आर. द्वारा दिया गया था

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2002 में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण ने उपभोक्ता को इकाई परिसमाप्त (वाईंड अप) करने के आदेश दिये । औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण मण्डल के आदेशों के विरूद्ध दायर याचिका (अप्रैल 2002) पर अपीलेट ऑथोंरिटी फार इण्डस्ट्रीयल एण्ड फायनेशियल रिकन्सट्रक्शन ने भी औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण मण्डल के आदेश की पुष्टि की (मई 2002) जिसेके विरूद्ध उपभोक्ता ने उच्च न्यायालय में एक रिटपरीशन दायर की (मई 2002) । न्यायालय ने अपीलेट ऑथारिटी फार इण्डस्ट्रीयल एण्ड फायनेन्शियल रिकन्सट्रक्शन के आदेश पर रोक नहीं लगाई और प्रकरण अभी भी लम्बित है (सितम्बर 2007) । यह भी कि कम्पनी के कानूनी सलाहकार ने यह अभिमत दिया (अगस्त 2005) कि सभी अनुबन्ध/आश्वासन तथा वचन पत्र केवल कागजी कार्यवाही मात्र है और बिना किसी विशिष्ट समझौते के सार्थक कार्यवाही में परिवर्तित नहीं हो पायगा और चूकों की पुनरावृत्ति तथा बारम्बरता के परिहार के लिये दण्डात्मक वाक्य खण्ड के आरोपण जैसी विशिष्ट शर्तों पर ही आपूर्ति चालू करने की सलाह दी । उपरोक्त के बावजूद उपभोक्ता को एस.पी.एस. के अधीन पुनः कनेक्शन लेने की व्यवस्था स्वीकृत की (मई 2006) । इस प्रकार उपभोक्ता सेवा पुनः आरंभ कराने में सफल रहा (अगस्त 2006) । परन्तु बकाया का भुगतान करने में विफल रहा और फरवरी 2007 में सर्विस अन्तिम रूप से डिसकनेक्ट कर दी गई ।

प्रबन्धन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि उपभोक्ता देयताओं का किस्तों में भुगतान नहीं कर सका तदनुसार 90.35 लाख रूपये की मांग वापस नहीं ली गई । विषयगत प्रकरण में उपभोक्ता के ऊपर 1.39 करोड़ रूपये का संचयन हो गया (अगस्त 2007)। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण मण्डल एवं अपीलेट ऑथारिटी फार इण्डस्ट्रीयल एण्ड फायनेन्शियल रिकन्स्ट्रक्शन ने इकाई बन्द करने का आदेश दिया था । यह भी कि उनके आदेशों पर रोक नहीं लगाई थी ओर उसका निर्णय अभी भी लम्बित है । इस प्रकार कम्पनी द्वारा इकाई के पुनरोद्धार के लिये एस.पी.एस. सुविध का विस्तार नहीं किया जाना चाहिये था ।

श्री सिन्थेटिक लिमिटेड के बकायों का संचयन

2.2.28 श्री सिन्थेटिक लिमिटेड उज्जैन एक हाई टेन्सन उपभोक्ता थी जिसकी संविदा मांग 10 एम.वी.ए थी । कम्पनी ने विद्युत देयताओं के भुगतान में चूक की थी (अक्टूबर 1996) और उसे औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण मण्डल ने रूग्ण घोषित किया था (सितम्बर 1997) । मण्डल द्वारा उपभोक्ता को 14.35 करोड़ रूपये की देयताओं का भुगतान किश्तों में करने की अनुमति दी थी (अप्रैल 1999) क्योंकि वह इस शर्त पर औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण मण्डल में पंजीकृत थी (अगस्त 1997) कि वह किस्तों में भुगतान के लिये सम्यक प्रतिभूति/लेटर ऑफ क्रेडिट प्रदान करेगी । उपभोक्ता ने न तो सम्यक प्रतिभूति जमा की और न हीं शीघ्रता से किश्तों का भुगतान किया । तथापि यह पाया गया कि उपभोक्ता को विद्युत का उपयोग करने की अनुमति दी गई जो उसको अनुचित लाभ का विस्तार था ।

विच्छेदन में देरी के कारण बकाया का संचयन ।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण मण्डल ने इकाई बन्द करने के आदेश दिये (जुलाई 2004) और जब उपभोक्ता ने अपीलेट अथॉरिटी फार इन्डस्ट्रीयल एवं फायनेन्शियल रिकन्स्ट्रक्शन में अपील की तो उसने चालू देयताओं का नियमित रूप से भुगतान करने का अन्तरिम आदेश दिया । तथापि इकाई ने टुकडो में देयताओं का भुगतान किया (अक्टुबर से दिसम्बर 2005) और जब देयताए 74.56 करोड़ रूपये (विद्युत प्रभारः 64.87 करोड़ रूपये तथा अधिभार 9.69 करोड़ रूपये) तक संचित हो गई तब कम्पनी द्वारा सर्विस विच्छेदित कर दी गई (अप्रैल 2006) एवं हाई टेन्सन अनुबन्ध समाप्त कर दिया (जुलाई 2006) । प्रतिभूति जमा के समायोजन के पश्चात बकाया देयताओं की राशि 72.27 करोड़ रूपये (विद्युत प्रभार 64.87 करोड रूपये तथा अधिभार 7.40 करोड़ रूपये थी) । यह पाया गया कि इकाई आदतन चूककर्त्ता थी और इस तथ्य को जानने के बंबजूद भी कम्पनी ने अपने हित सुरक्षित करने के लिये बैंक गारन्टी/लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त किये बिना आपूर्ति चालू कर दी ।

प्रबन्धन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि उपभोक्ता अप्रैल 2005 तक चालू विद्युत प्रभारों का भुगतान करता रहा था और आपूर्ति अप्रैल 2006 में डिसकनेक्ट की गई थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपभोक्ता केवल आंशिक भुगतान कर रहा था एवंम वह चालू माहों के विद्युत प्रभारों तक का पूर्ण भुगतान नहीं कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप बकाया का संचयन हुआ ।

मैकॉल फायबर लिमिटेड का बकाया

अयोग्य उपभोक्ता को एस.पी.एस. का विस्तार

2.2.29 मैकॉल फायबर लिमिटेड भीलगांव, खरगौन जो एक हाई टेन्सन उपभोक्ता था और जिसकी संविदा मांग 1500 के.वी.ए थी, का सर्विस कनेक्शन केप्टिव जनरेशन पर 1.13 करोड़ रूपये के विद्युत विकास उपकर का भुगतान न करने के कारण स्थाई रूप से डिसकनेक्ट कर दिया गया था (अक्टूबर 2003) । उपभोक्ता को एस.पी.एस के अधीन किस्तों में देयताओं का भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई थी (अक्टूबर 2004), परन्तु उसने देयताओं का भुगतान नहीं किया । इसी बीच फैक्ट्री डीजल जनरेटर सेट द्वारा चलाई जा रही थी । उपभोक्ता ने एस.पी.एस के अन्तर्गत रिकनेक्शन

के लिये आवेदन किया (अगस्त 2006) और 800 के.वी.ए का अतिरिक्त भार जो कम्पनी द्वारा अनुमोदित था के लिये एक नवीन आपूर्ति अनुबन्ध किया (सितम्बर 2006)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी न तो एक बीमार इकाई थी और न बन्द ही थी और इसलिये एस.पी.एस. के अन्तर्गत सुविधा की पात्रता नहीं रखती थी । यह भी कि बकाया विद्युत विकास उपकर से सम्बन्धित था जिसके लिये एस.पी.एस अप्रयोज्य थी । एक चालू इकाई होने पर भी उपभोक्ता को एक बार से अधिक एस.पी.एस की संस्वीकृति अनुचित लाभ के समान थी । उपभोक्ता ने तत्पश्चात भुगतान करने में फिर से चूक की और बकाया में 1.62 करोड़ रूपये तक वृद्धि भी हुई (दिसम्बर 2006) ।

प्रबन्धन ने सूचित किया (सितम्बर 2007) कि उपभोक्ता को अनुचित लाभ देने का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि कम्पनी ने उपभोक्ता के अनुरोध पर राजस्व वसूली के हित में विचार किया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपभोक्ता एस.पी.एस के अन्तर्गत सुविधा की पात्रता नहीं रखता था ।

आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणली

आंतरिक नियंत्रण

2.2.30 आन्तरिक नियंत्रण परिचालन कौशल, वित्तीय सूचनाओं की विश्वसनीयता तथा प्रयोज्य विधि एवं विधान के अनुपालन के लिये पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने के लिये एक निरूपित प्रक्रिया है । निर्मित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली तथा विधान, संहिताओं तथा नियम पुस्तकों का यथा तथ्य पालन करने से त्रुटियों तथा अनियमित अन्य जोखिमों को न्यूनतम् किया जा सकता है । कम्पनी की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन से निम्नांकित कमियां प्रकट हुई:

- कम्पनी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली तथा मीटरों की सामयिक जांच के अभाव में वितरण हानियां तथा विद्युत चोरी रोकने में विफल रही;
- कम्पनी ने अपने बिलों के समय पर संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रणाली नही बनाई;
- टैरिफ आर्थिक सहायता के लिये मांग सृजित करते समय और डीसीबी में समायोजन करते समय कोई आन्तरिक जांच नहीं की गई; और
- 293.02 करोड़ रूपये की उपभोक्ताओं से संग्रहीत प्रतिभूति जमा की राशि सम्यक आन्तरिक जांचों की विफलता के कारण लेखा पुस्तिकाओं में 475 करोड़ रूपये प्रदर्शित की गई ।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.2.31 आंतरिक लेखापरीक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसका निरूपन उचित कार्य प्रणाली के साथ आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली की प्रभावशीलता तथा त्रुटियों एवं धोखाधड़ी का पता सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है । यह वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं के पालन कि स्थिति की जांच तथा मूल्यांकन के लिये एक स्वतन्त्र तन्त्र है । मण्डल की आंतरिक

लेखापरीक्षा शाखा जिसके प्रमुख संयुक्त संचालक (लेखापरीक्षा) थे, बंद कर दी गई थी (मई 2006) और कम्पनी में पश्चिम क्षेत्र के प्रशासनाधीन अधिकारियों सहित लेखापरीक्षा दल (8) नियुक्त किये गये थे । कम्पनी के आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की बकाया कण्डिकाओं की स्थिति निम्नानंसार है:

(रूपये लाख में)

वर्ष/क्षेत्र	सृजित कण्डिकाओं की संख्या	निहित राशि	निराकृत कण्डिकाओं की संख्या	वसूल की गई राशि	शेष	
					कण्डिकाओं की संख्या	राशि
मार्च 2006 तक						
इन्दौर	4299	2030.07	1184	191.33	3115	1838.75
उज्जैन	4572	951.36	949	230.64	3623	720.71
योग	**8871**	**2981.43**	**2133**	**421.97**	**6738**	**2559.46**
2006-07 (जनवरी 2007 तक)						
इन्दौर	413	172.42	अनुउपलब्ध	76.03	अनुउपलब्ध	96.39
उज्जैन	427	260.17	अनुउपलब्ध	42.32	अनुउपलब्ध	217.35
योग	**840**	**432.59**		**118.35**		**313.74**

स्त्रोतः प्रबन्धन द्वारा प्रदत्त आंकड़े

कम्पनी के संवैधानिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर अपने प्रतिवेदन में बताया था कि कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा अपर्याप्त थी । वितरण केन्द्रों की बाहरी स्त्रोतों से आंतरिक लेखापरीक्षा कराने पर कम्पनी विचार कर रही है जिसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है (मई 2007) लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 29.81 करोड़ रूपये (2006 तक) तथा 4.32 करोड़ रूपये (2006-07) मूल्य की आन्तरिक लेखापरीक्षा टिप्पणीयों के विरूद्ध 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान कम्पनी क्रमशः केवल 4.22 करोड़ रूपये तथा 1.18 करोड़ रूपये ही वसूल कर पाई ।
- 283 वितरण केन्द्रों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2002 से लम्बित है । चूकिं आपूर्ति सहिंता की शर्तो के अनुसार उपभोक्ता से कोई भी देय उस दिनांक से जब राशि प्रथम बार देय होती है, दो वर्षो की अवधि के उपरान्त तब तक राशि निरन्तर बिलों में बकाया के रूप में दर्शाई नहीं जाती वसूली योग्य नहीं होगी, कोई भी न्यून संग्रहण जो दो वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किया गया हो, वसूल करना कठिन होगा ।
- संभाग तथा वितरण केन्द्रों द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा में सृजित आपत्तियों का प्रभावशाली ढंग से अनुसरण नहीं किया गया ।

प्रबन्धन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन्

2.2.32 प्रबन्धन सूचना प्रणाली सम्प्रेषण का एक माध्यम है जिसमें प्रतिवेदनों, विवरण पत्रों तथा नोट्स के रूप में जानकारी मध्यम/निम्न. स्तरीय प्रबन्धन से उच्च स्तरीय प्रबन्धन तक प्रवाहित होती है और यह कार्यकारी प्रमुखों द्वारा ठीक तथा सामयिक निर्णय

लेने में महत्वपूर्ण है । इस प्रकार प्रबन्धन के निर्णय शुद्धता की सत्यता प्रबन्धन को प्रेषित जानकारी की शुद्धता पर निर्भर करती है । प्रबन्धन सूचना प्रणाली में मण्डल को उसके विभिन्न कार्यो की स्थिति नियतकालिक अन्तराल से संचालक मंडल को सूचित की जाती है जिससे कि उनके द्वारा कुशलता की धारा रेखा तथा वृद्धि के लिये स्थिति की समीक्षा की जा सके और नीतियों तथा प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण किया जा सके ।

कम्पनी के पास पर्याप्त सूचना प्रणाली नहीं थी ।

व्यापार योजना में यह अनुभव किया गया (अगस्त 2005) कि कम्पनी के पास आंकड़ो के भण्डारण, संरक्षण बांटने तथा प्रबन्ध करने के लिये पर्याप्त सूचना प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी मीडिया नहीं था । प्रबन्धन कम्प्यूटरीकरण में कमियों तथा अपर्याप्त वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के कारण आकड़े पुनः प्राप्त करने में समर्थ नहीं था । प्रबन्धन सूचना प्रणाली की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालयों में अत्याधिक खराब थी । इसके अतिरिक्त प्रतिवेदनों के अनुलिपिकरण स्वचलन की कमी तथा प्रतिवेदनों के प्रमाणीकरण के कारण लेखा सृजित सूचना असंगत थी ।

निष्कर्ष

निष्पादन समीक्षा से प्रकट हुआ कि बिल बनाने तथा संग्रहण की प्रक्रिया अपूर्ण थी क्योंकि कम्पनी ने टैरिफ दर का सही प्रयोग नहीं किया जिसके कारण दोष पूर्ण बिलिंग लेखाकरण और परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई । कृषि सम्बन्धी खपत की गणना के लिए अपनाई गई प्रणाली अवास्तविक थी । कम्पनी द्वारा किश्तों में भुगतान एवंम स्पेशल पैकेज स्कीम की सुविधा अयोग्य उपभोक्ताओं को दी गई । कम्पनी में मजबुत एवंम प्रभावशाली प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी । विविध देनदारों की लेखाकरण प्रक्रिया ठीक नहीं थी ।

अनुसंशाए

कम्पनी को करना .चाहिएः

- **कम्पनी को टैरिफ का ठीक प्रयोग तथा सुनियोजित बिलिंग सुनिश्चित करना चाहिए ।**
- **कम्पनी को संग्रहण केन्द्रों में वृद्धि करके तथा भुगतान के वैकल्पिक तरीकों का आश्रय लेकर अपना संग्रहण तंत्र सुदृढ करना चाहिये ।**
- **कम्पनी को सूचना प्रौद्योगिकी विधियों का आरम्भ कर कृषि सम्बन्धी खपत का सही अनुमान लगाने के लिये एक वैज्ञानिक पहूँच विकसित करना चाहिये ।**
- **कम्पनी को किस्त सुविधा संस्वीकृत करते समय निर्दिष्ट मापदंड तथा नीतिगत पैरामीटरों का दृढता से पालन करना चाहिये ।**
- **कम्पनी के पास उपलब्ध जानकारी की परिशुद्धता सत्यता सुनिश्चित करने के लिये आंकड़ो तथा अभिलेखों की अनुरक्षण प्रणाली का सुदृढीकरण करना चहिये ।**

मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र, चचाई का प्रचालन निष्पादन

मुख्यबिन्दु

उत्पादन में 1,140.35 करोड़ रूपए मूल्य की 3801.16 मिलियन यूनिट की **कमी** अभिलेखबद्ध की गयी। इसका मुख्य कारण रखरखाव गतिविधियाँ एवं नवीनीकरण कार्यो को करने की कार्ययोजना में कमी होना है ।

(कंडिका 2.3.7)

सहायक खपत सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित मानक से अधिक रही जिसके फलस्वरूप 45.10 करोड़ रूपए मूल्य की कुल 150.34 मिलियन यूनिट की अधिक खपत हुई।

(कंडिका 2.3.9)

कम ताप क्षमता के कारण 196.92 करोड़ रूपए मूल्य के 18.27 लाख मिलियन टन कोयला की अधिक खतप हुई एवं संचालन ऊष्मा की अधिकता के कारण 59.54 करोड़ रूपए मूल्य के 5.54 लाख मेट्रिक टन कोयला की अधिक खतप हुई।

(कंडिका 2.3.10 तथा 2.3.11)

भौतिक सत्यापन दौरान कोयले की मात्रा के लेखाकरण की अनियमित पद्धति के कारण 15.52 करोड़ रूपए मूल्य के कोयले की कमी हुई।

(कंडिका 2.3.13)

एटीपीएस ने निर्धारित मानक से अधिक तेल की खपत की जिसके परिणामस्वरूप 44.55 करोड़ रूपए का अधिक व्यय एवं निर्धारित लक्ष्य से अधिक खपत किये गये। मिनरल वाटर की प्रसंस्करण लागत पर 2.23 करोड़ रूपए व्यय हुए।

(कंडिका 2.3.15 एवं 2.3.16)

सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित मानक से अधिक योजनाबद्धता एवं प्रबलित बहिरंग (फोर्सड आउटेजस) के कारण 391.52 करोड़ रूपए मूल्य के 1,305.08 मिलियन यूनिट के उत्पादन की हानि हुई।

(कंडिका 2.3.17)

भारत सरकार द्वारा नियुक्त कुंकडे समिति द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक ओवरहॉलिंग/ कैपीटल ओवरहॉलिंग में लिये गये अधिक समय के परिणामस्वरूप 48.17 करोड़ रूपए मूल्य की 160.56 मिलियन यूनिट के उत्पादन की हानि हुई।

(कंडिका 2.3.18)

कार्य क्षेत्र में बार-बार संशोधन से फेस-II के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य में विलंब हुआ जिसके कारण कम्पनी को 350 मिलियन यूनिट वार्षिक परिकल्पित उत्पादन से वंचित होना पड़ा ।

(कंडिका 2.3.25)

प्रस्तावना

2.3.1 मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित (कम्पनी), (पूर्वनाम, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल (बोर्ड) का अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र, चचाई (विद्युत केन्द्र), में निम्नानुसार 290 मेगावाट (एम.डब्लू) की उत्पादन क्षमता स्थापित की है:-

विवरण	क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक संचालन के आरम्भ होने की तारीख
विद्युत गृह-I (फेस-I)		
इकाई -1	30	1 फरवरी 1965
इकाई -2	30 (1991 में 20 तक कम दर)	8 फरवरी 1965
विद्युत गृह-II (फेस्-II)		
इकाई -3	120	11 सितम्बर 1977
इकाई 4	120	31 मार्च 1978

एक 210 मेगावाट की अतिरिक्त इकाई निर्माणाधीन है (सितम्बर 2007) ।

मुख्य अभियंता (उत्पादन) (मु.अ.उ.) विद्युत केन्द्र का मुख्य कार्यपालक एवं समग्र प्रभारी होता है, जो कि कम्पनी का पीठासीन अधिकारी एवं प्रबंध निर्देशक समझा जाता है। उसके कार्य निर्ववहन में, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अन्य सहयोगी तकनीकी/गैर तकनीकी अमला मुख्य अभियंता के सहायक होते हैं।

विद्युत केन्द्र की कार्य पद्धति पर एक समीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक), मध्यप्रदेश शासन के 1988 को समाप्त वर्ष प्रतिवेदन में सम्मिलित किया

गया था । इस प्रतिवेदन पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो की समिति (कोपू) द्वारा विचार किया गया था (अप्रैल 1999) एवं इसकी अनुशंसाओं को इसके तृतीय प्रतिवेदन, जुलाई 1999 में शामिल किया गया था। कोपू की अनुशंसाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित है (सितम्बर 2007) । निम्नांकित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु कोपू की अनुशंसाओं के होते हुए भी, कम्पनी ने कोई सुधारात्मक उपाय/कार्यवाही नहीं की विसंगतियां अभी तक बनी हुई हैं।

- निर्धारित मानकों (कोपू के प्रतिवेदन, जुलाई 1999 की कंडिका क्रमांक 171) के अंतर्गत, अत्यधिक खपत को कम करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए।
- वार्षिक नीवीनीकरण/सम्पप्ति नवीनीकरण संचालित करने में कुलकर्णी समिति तथा राज्याध्क्षों की समिति की अनुशंसाओं (अप्रैल 1975) के अनुपालन में कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए और क्रियान्वित की जानी चाहिए तथा यदि कोई हानि हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए, (कोपू के प्रतिवेदन, जुलाई 1999 की कंडिका क्रमांक 171)
- ईंधन की खपत कम करने हेतु प्रभावी उपाय किये जाने चाहिए, (कोपू के प्रतिवेदन, जुलाई 1999 की कंडिका क्रमांक 183)

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.3.2 जनवरी एवं मई 2007 के बीच संचालित वर्तमान निष्पादन पुनरीक्षण में, वर्ष 2002-07 के दौरान विद्युत केन्द्र का परिचालन निष्पादन सम्मिलित है। उपरोक्त अवधि के लिए विद्युत केन्द्र के तथा कम्पनी के मुख्यालय के अभिलेख की जाँच की गयी थी।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.3.3 निष्पादन पुनरीक्षण यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से किया गया था कि क्या-

- विद्युत केन्द्र का परिचालन मितव्ययिता के साथ, दक्षतापूर्वक एवं प्रभावीरूप में किया गया था;
- ईंधन (कोयला, तेल इत्यादि) की खपत एवं वाष्प तथा पानी का उपयोग, केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण (सीईए), राज्य शासन, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी) तथा बोर्ड/कम्पनी द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत किया गया था;
- विद्युत केन्द्र का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर स्पष्ट रूप से तय किया गया था और क्या अनुमोदित लागत तथा समय के अंतर्गत पूरा कर लिया गया था;

- विद्युत केन्द्र का परिचालन, केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानदण्डों के अंतर्गत किया जा रहा है;
- क्या मानव शक्ति को मानकों के अनुसार लगाया गया है क्या संयंत्र के संचालन तथा रख रखाव के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था; और
- क्या विद्युत केन्द्र के आकार एवं कार्यो के अनुसार आंतिरक नियंत्रण, आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी थी।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.3.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों का निर्धारित करने के लिए अपनाए गये लेखापरीक्षा मानदण्ड इस प्रकार थेः-

- राष्ट्रीय विद्युत नीति;
- इकाईयों बनावट क्षमता और सी.ई.ए, राष्ट्रीय शुल्क आयोग, म.प्र.वि.नि.आ., राज्य शासन, बोर्ड/कम्पनी एवं राज्य में स्थित अन्य तुलनात्मक इकाइयों द्वारा निर्धारित परिचालन दिशा निर्देश तथा मानक;
- केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक;
- संयंत्रों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा रख रखाव करने से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/सम्भावना अध्ययन तथा संविदाएं;
- मानव शक्ति के विकास एवं उनके प्रशिक्षण के लिए निर्धारित दिशा निर्देश तथा मानक; और
- आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित पद्धति ।

लेखापरीक्षा विधि

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड से सम्बन्धित लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धति निम्नानुसार थीः

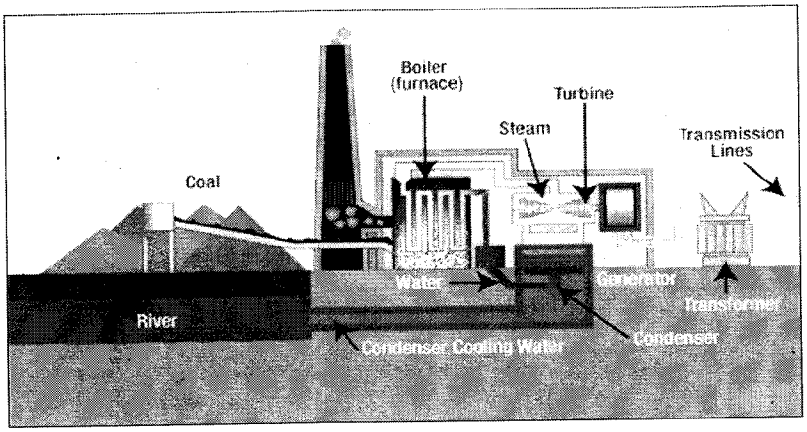
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रीय शुल्क आयोग, म.प्र.वि.नि.आ., बोर्ड/कम्पनी, केन्द्रीय/राज्य सरकारों, राष्ट्रीय विद्युत नीति द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा बोर्ड/कम्पनी की कार्य सूची एवं कार्यवृत्त का परीक्षण;
- विद्युत केन्द्र की गतिविधि की योजना, संचालन, जाँच तथा नियंत्रण के लिए स्थानापन्न पद्धति का पुनरीक्षण;
- क्रय आदेशों, एम आई एस प्रतिवेदनों, संविदा अनुबंधों का परीक्षण;

- जनशक्ति के आवंटन एवं प्रशिक्षण की प्रणाली का निरीक्षण;
- प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा पूछताछ एवं संवाद ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3.6 लेखा परीक्षा की निष्कर्ष, प्रबंधन/राज्य सरकार को सूचित कये गये थे (अगस्त 2007) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी.एस.ई.) की बैठक में उस पर विचार विमर्श किया गया था (24 सिंतम्बर 2007) अतिरिक्त सचिव (ऊर्जा) द्वारा शासन का प्रतिनिधित्व किया गया था और कम्पनी के चेयरमेन सह प्रबंध निर्देशक द्वारा प्रबंधन का प्रतिनिधित्व किया गया था। प्रबंधन/शासन के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया था। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की आगामी कंडिकाओ में चर्चा की गयी है।

थर्मल पावर संयंत्र का एक सम्मत चित्रांकन नीचे दिया गया है।



कोयला ज्वलित इकाइयों, वाष्प उत्पन्नं करने के लिए पानी गर्म करने हेतु एक बॉयलर में कोयला जला कर बिजली उत्पन्न करती हैं। यह वाष्प, ट्रमेण्डस पद्धति से, एक टर्बाइन में प्रवाहित होता है, जो विद्युत उत्पादन के लिए उत्पादक को धुमाता है,। वाष्प को ठंडा किया जाता है, पुनः पानी में बदला जाता है और इसी विधि को जारी रखने के लिए बायलर में वापस भेजा जाता है।

उत्पादन

2.3.7 2006-07 को समाप्त पांच वर्षो के लिए विद्युत केन्द्र (फेस-। एवं ।।) का निष्पादन नीचे सारिणी में दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाइयां	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
			फेस-I	फेस-I	फेस-I	फेस-I	फेस-I	फेस-I	फेस-I	फेस-I	फेस-I	फेस-I
1.	प्रतिस्थापित क्षमता	मेगावाट	1x30+ 1x20	2x120	1x30+ 1x20	2x120	1x30+ 1x20	2x120	1x30+ 1x20	2x120	1x30+ 1x20	2x120
2.	एक वर्ष में उपलब्ध कुल घंटे		17520	17520	17568	17568	17520	17520	17520	17520	17520	17520
3.	100 प्रतिशत उत्पादन क्षमता	मि. इकाई	438	2102.40	439.20	2108.16	438	2102.40	438	2102.40	438	2102.40
4.	वास्तविक प्रचलित घंटे		13537	14392	12384	13521	11921	14095	11207	13796	9207	14977
5.	प्रचालित घंटों के संदर्भ मे सम्भव उत्पादन	मि. इकाई	342.03	1727.04	315.67	1622.52	308.47	1691.40	280.67	1655.52	228.04	1797.19
6.	वास्तविक उत्पादन	मि. इकाई	227.11	1215.90	184.14	986.14	173.62	1025.49	150.24	952.57	143.35	1108.83
7.	उत्पादन में कमी	मि. इकाई	114.92	511.14	131.53	636.38	134.85	665.91	130.43	702.95	84.69	688.36
8.	उत्पादन क्षमता (7/3 x 100) वास्तविक साथ में कमी (%)	%	26.24	24.31	29.95	30.19	30.79	31.67	29.78	33.44	19.34	32.74
9.	सम्भव उत्पादन की तुलना में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत	%	66.40	70.40	58.33	60.78	56.28	60.63	53.53	57.54	62.86	61.70
10.	संयंत्र प्रभार तथ्य (पीएलएफ) (6/3 x 100)	%	78.09	82.15	71.87	76.96	70.34	80.45	64.08	78.74	52.06	85.48
11.	वास्तविक प्रचलित घंटों (5/3 x 100) के संदर्भ में सम्भव पीएलएफ	%	51.85	57.83	41.93	46.78	39.64	48.78	34.30	45.31	32.73	52.74
12.	राष्ट्रीय रतर पर सकल पी एल एफ	%	72.34	72.34	72.96	72.96	74.82	74.82	73.71	73.71	77.03	77.03
13.	राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र का सकल पीएलएफ	%	68.93	68.93	68.80	68.80	69.77	69.77	67.30	67.30	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़े ।

उपरोक्त सारिणी में दिये गये विवरणों से यह देखा जा सकता है कि 2002-07 के दौरान फेस-I में सम्भव उत्पादन की 1474.88 मिलियन यूनिट के विरूद्ध केवल 878.46 मिलियन यूनिट (59.56 प्रतिशत) का उत्पादन हुआ, जिससे, 596.42 मिलियन यूनिट (40.44 प्रतिशत) की कमी आई। फेस-II के सम्बन्ध में, 8493.67 मिलियन यूनिट के सम्भव उत्पादन के विरूद्ध 5288.93 मिलियन युनिट (62.27 प्रतिशत) का उत्पादन हुआ, जिससे 3204.74 मिलियन यूनिट (37.73 प्रतिशत) की कमी दर्ज की गयी। इस प्रकार, वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान विद्युत केन्द्र में उत्पादन में कुल कमी 3801.16 मिलियन यूनिट (38.13 प्रतिशत) थी जिसका मूल्य 1140.35 करोड़ रूपए है (अवधि के दौरान औसत राजस्व प्राप्ति के आधार पर संगणित) और यह, कि समीक्षा अवधि के दौरान दोनों ही विद्युत गृहों में संयंत्र भार तथ्य (पीएलएफ) कमी की प्रवृत्ति दर्शाता है। जबकि फेस-I के सम्बन्ध में, यह वर्ष 2002-03 में 51.85 प्रतिशत से वर्ष 2006-07 में 32.73 प्रतिशत तक कम हुआ, फेस-II के सम्बन्ध में, यह वर्ष 2002-03 में 57.83 प्रतिशत से वर्ष 2006-07 में 52.74 प्रतिशत तक कम हुआ।

उत्पादन में कमी के लिए कारणों में से एक, जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया, यह था कि वर्ष 2004-05 से 2006-07 की अवधि के दौरान बायलरों पर फेस-II (इकाई 3 एवं 4) का भार 133.6 कि.ग्रा./से.मी.^{2} निर्धारित दबाव के विरूद्ध 105-120 कि.ग्रा./से.मी.^{2}

तक ड्रम दबाव प्रतिबंध[39] के कारण 75-85 मेगावाट के बीच रखा गया था। इस कारण इस अवधि के दौरान 272.77 करोड़ रूपए मूल्य की 909.24 मिलियन यूनिट के उत्पादन में कमी हुई । फेस-। (इकाई 1 एवं 2) में उत्पादन में कमी भी खराब निर्माण पद्धति, निम्न निवार्वत समस्या तथा वर्ष 2005 में इकाई के सम्पत्ति ओवरहालिंग के योजना विहीन तथा दबावयुक्त निर्गमन के कारण थी। दोनों ही विद्युत गृहों में उत्पादन मे कमी के लिए जिम्मेदार अन्य तथ्य थे, रख रखाव के तरीको में योजना की कमी, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्य/क्रियाशीलता के संचालन में अदूरदर्शिता इत्यादि, जैसी कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

उत्पादन में 1140.35 करोड़ रूपये मूल्य की 3801.16 मिलियन यूनिट की कमी हुई जिसका मुख्य कारण रखरखाव गतिविधियाँ एवं नवीनीकरण एवं आधुनिकरण कार्यो के निष्पादन में कमी है ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि फेस-।। में उत्पादन में हुई कमी का कारण संयंत्र में आयुक्त दक्षता कमी होना था और इसीलिए व्यापक नवीनीकरण अपेक्षित था। यह उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि इस तथ्य के बावजूद की नवीनीकरण 1994 में आरम्भ किया गया था, प्रबंधन ने फेस-।। इस का नवीनीकरण अभी तक (सितम्बर 2007) पूरा नहीं किया है। जहाँ तक फेस-। का सम्बन्ध है, प्रबंधन इकाइयों के आकार बदलने पर विचार कर रहा है क्योंकि ये संयंत्र 42 वर्ष पुराने हो गये थे । यदि बोर्ड/कम्पनी ने समय पर नवीनीकरण कराने के लिए कदम उठाया होता तो इस कमी को रोका जा सकता था।

प्रति इकाई उत्पादन लागत

2.3.8 निम्नांकित सारिणी में 2006-07 तक के पाँच वर्षों के लिए उत्पादन की इकाई लागत दर्शायी गयी है:

वर्ष	उत्पादन लागत (पैसे प्रति इकाई)	
	फेस-।	फेस-।।
2002-03	192.05	132.87
2003-04	286.14	161.98
2004-05	326.08	195.79
2005-06*	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत
2006-07*	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े ।

*** टीपः कम्पनी/बोर्ड द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण उत्पादन की इकाई लागत का आकलन नहीं किया जा सका।**

उपरोक्त सारिणी से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान प्रति इकाई उत्पादन लागत में वृद्वि की प्रवृत्ति दर्शायी गयी थी।

उत्पादन लागत में वृद्वि के लिए कारण थे, कम उत्पादन, कम ताप दक्षता, ईंधन की अधिक खपत, निर्गमान दबाव इत्यादि, जिन पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

39 *प्रतिबंधित दबाव (133.60 कि.ग्रा./से.मी.) पर बायलरों से वाष्प, कम की गयी दरों (रूपाकार दर 3000 आर पी एम) पर स्पिन टर्बाइन, वर्तमान भार में के लिए मुख्यताः जिम्मेदार रहे।*

सहायक खपत

सहायक खपत सी.ई.ए द्वारा निर्देशित मानको से अधिक रही जिसके कारण 45.10 करोड़ रूपए मूल्य की 150.34 मि.यूनिट की अधिक खपत हुई ।

2.3.9 सहायक खपत विद्युत केन्द्र द्वारा अपने उपकरण/सामान्य सेवा चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है और यह विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय विद्युत अभिकरण द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार सहायक ऊर्जा खपत कोयला आधारित उत्पादन केन्द्रों के लिए उत्पादित ऊर्जा की 9.5 प्रतिशत होती है।

फेस-I एवं फेस-II के लिए उत्पादित ऊर्जा, निर्गमित ऊर्जा, और मानक से अधिक सहायक खपत का प्रतिशत नीचे सारिणी में दिया गया है:-

क्र.सं	विवरण	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		फेस-I	फेस-II	फेस-I	फेस-II	फेस-I	फेस-II	फेस-I	फेस-II	फेस-I	फेस-II
1.	उत्पादित ऊर्जा (म.यू.)	227.11	1215.90	184.14	986.14	173.62	1025.49	150.24	952.57	143.35	1108.83
2.	निर्गमित ऊर्जा (म.यू.)	198.99	1091.34	158.44	872.44	147.60	903.16	125.86	832.83	121.49	978.94
3.	संयंत्र के लिए सहायक खपत (म.यू.)	28.12	124.56	25.70	113.70	26.02	122.33	24.38	119.74	21.86	129.89
4.	उत्पादित ऊर्जा के संदर्भ में सहायक खपत का प्रतिशत	12.38	10.24	13.96	11.53	14.99	11.93	16.22	12.57	15.24	11.71
5.	मानक से अधिक सहायक खपत,, मि.यूनिट में (प्रतिशत)	6.54 (2.88)	8.99 (0.74)	8.21 (4.46)	20.02 (2.03)	9.53 (5.49)	24.92 (2.43)	10.10 (6.72)	29.24 (3.07)	8.24 (5.75)	24.55 (2.21)
6.	राष्ट्रीय स्तर पर औसत सहायक खपत (%)	9.55		9.91		8.57		8.44		अनुपलब्ध	

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि सम्बन्धित वर्षो में सहायक खपत का प्रतिशत फेस-I के लिए 2002-03 में 12.38 से बढ़कर 2006-07 में 15.24 हो गया और फेस-II के लिए 10.24 से 11.71 हो गया। इस प्रकार, निर्धारित मानक से वर्ष 2002-07 की अवधि के दौरान 45.10 करोड़ रूपए मूल्य की 150.34 मिलियन यूनिट अधिक सहायक खपत हुई। यह देखा गया कि विद्युत केन्द्र की सहायक खतप राष्ट्रीय औसत से सदैव ही अधिक रही। लेखापरीक्षा में देखा गया कि दोनों विद्युत गृहों में अतिरिक्त जल संशोधन संयंत्र के साथ ही, फेस-II में एक अतिरिक्त जल प्रशीतक पम्प, एक राख पम्प और एक संघटित निस्तारण पम्प, के कारण अधिक सहायक खपत हुई।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि इकाईया आंशिक भार पर चल रही थीं, जबकि सभी सहायक यंत्रों को समनुपाती भार पर चलना चाहिए थी ।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योकि यदि इकाई का समय पर नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं पुनःनिर्माण किया गया होता तो इकाई पूर्ण भार पर चलाई जा सकती थी ।

निम्न ताप दक्षता

2.3.10 विद्युत गृह की दक्षता, ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की दक्षता की निर्देशिका है। ***परिशिष्ट-14*** से यह देखा जा सकता है, कि 29.95 प्रतिशत (रूपाकार

पेरामीटर के अनुसार) परियोजित ताप दक्षता के विरूद्ध, फेस-I की ताप दक्षता 2002-07 की अवधि के दौरान 16.21 प्रतिशत (2005-06) एवं 22.15 प्रतिशत (2002-03) के बीच रही। फेस-II के सम्बन्ध में, 34.83 प्रतिशत की परियोजित दक्षता के विरूद्ध वास्तविक ताप दक्षता 21.71 प्रतिशत (2004-05) एवं 24.30 प्रतिशत (2002-03) रही। निम्न ताप दक्षता के कारण इन इकाइयों ने फेस-I एवं फेस-II के लिए रूपायित क्रमशः 2871/केसीएएल/के डब्लू एच तथा 2469 के सी ए एल/ के डब्लू एच के विरूद्ध फेस-I के लिए 3881.56 (2002-03) एवं 5305.59 के सी ए एल/के डब्लू एच (2004-05) के बीच ताप की खपत की। इसके परिणामस्वरूप 196.92 करोड़ रूपए मूल्य के 18.27 लाख मैट्रिक टन कोयला की अधिक खपत हुई साथ ही उपरोक्त अवधि के दौरान उत्पादन भी बढ़ गयी। मध्यप्रदेश विद्युत आयोग में संयंत्र के निष्पादन स्तर का निर्धारण करने के लिए विद्युत केन्द्र की ऊर्जा लेखापरीक्षा कराने की लिए तास्कालिक बोर्ड को निर्देशित किया था (नवम्बर 2002), जिससे कि ताप दक्षता बढ़ा कर उत्पाद के प्रति इकाई विभिन्न प्रकार की लागत की खपत कम करने का उपाय किया जा सके। कम्पनी ने दो वर्ष से अधिक विलम्ब के बाद, विद्युत अनुसंधान एवं विकास संघ की ऊर्जा लेखापरीक्षा का कार्य आरम्भ किया (फरवरी 2005) । लेखापरीक्षा में देखा गया कि ऊर्जा लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन (अगस्त 2006) में, बायलर के वायु स्तर की अधिकता को प्रशस्त करने के लिए, कंडेन्सर के निष्पादन में सुधार करने तथा विद्युत उपकरणों को बदलने के लिए विभिन्न उपाय करने का सुझाव दिया था, जिससे कम्पनी 3.23 करोड़ रूपये मूल्य का विनियोजन करते हुए प्रतिवर्ष रूपये 15.02 करोड़ रूपये की समान्य ऊर्जा प्राप्त कर सकता थी । ये सुझाव अभी तक लागू किये जाने हेतु लम्बित पड़े है (सितम्बर 2007) ।

निम्न ताप दक्षता के कारण 18.27 लाख मी. टन कोयला की अधिक खपत हुई एवं 196.92 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007), कि निम्न ताप दक्षता का प्रमुख कारण, संयंत्र की आयु के कारण खोलने एवं बंद करने के उपकरणों की अधिक संख्या होना था। आगे यह भी बताया गया कि निम्न ताप दक्षता के लिए कोयलो की धटिया गुणवत्ता भी एक कारण था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संयंत्रों का सावधि वार्षिक नवीनीकरण (ए ओ एच) तथा सम्पत्ति नवीनीकरण (सी ओ एच) संचालित नहीं किया गया जिसके कारण अधिक निर्गमन हुआ तथा परिणाम स्परूप खोलने - बंद करने के उपकरणों में वृद्धि हुई। आगे, कम्पनी ने साउथ ईस्टन कोल लिमिटेड द्वारा उच्चस्तरीय गुणवत्ता वाले कोयले का प्रदाय किया जाना सुनिश्चित नहीं किया।

अतिरिक्त संचालन केन्द्र ताप पर

2.3.11 केन्द्र ताप पर (एस एच आर), ताप विद्युत केन्द्र की दक्षता निर्धारित करने के लिए एक निर्देशक सूची है। यह विद्युत ऊर्जा के एक किलोवाट घंटा (के डब्लू एच) को उत्पन्न करने के लिए अपेक्षित किलोकेलोरी में लगने वाली ताप ऊर्जा है। फेस-I एवं फेस-II की रूपाकार केन्द्र ताप दर क्रमशः 2871 के सी ए एल/के डब्लू एच एवं 2469 के सी ए एल/के डब्लू एच थी।

रूपांकित पैरामीटर से अधिक केन्द्र ताप दर बढ़ने के कारण 59.74 करोड़ रूपए की कीमत के 5.54 लाख मी.टन कोयले की अधिक खपत हुई ।

वर्ष 2002 से 2007 तक की अवधि के दौरान विद्युत केन्द्र इसकी रूपाकार केन्द्र ताप दर स्तर पर संचालित नहीं कर सका और फेस-I के लिए 2002-03 में 35.25 प्रतिशत से 2005-06 में 85.55 प्रतिशत तथा फेस्-II के लिए 2002-03 में 44.35 प्रतिशत से 2004-05 में 60.75 प्रतिशत तक अधिक संचालन ताप दर बदल गयी। फेस-II से सम्बन्धित विभिन्न पैरामीटर, विचलन, बढ़ी हुई ताप दर एवं अधिक कोयला खपत सूचित करने वाला एक वर्षवार विवरण ***परिशिष्ट -15*** में दर्शाया गया है। इस परिशिष्ट में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2002-07 की अवधि के दौरान केन्द्र ताप दर बढ़ गयी है तथा रूपांकित पैरामीटर से अधिक 21 के सी ए एल/के डब्लू एच तथा 251.6 के सी ए एल/के डब्लू एच तक परिवर्तित हो गयी है जिसके कारण 59.74 करोड़ रूपए मूल्य के 5.54 लाख मैट्रिक टन कोयले की अधिक खपत हुई एवं परिणामस्परूप उत्पादन की लागत में वृद्वि हई।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि अधिक संचालन ताप दर मुख्य रूप से बायलर दक्षता में कमी आंशिक भार, कमजोर ताप संवहन, ग्रथिजल अवरोधन पद्धति में निस्तारण वृद्धि, टूटे हुए ट्र्बाइन ब्लेड, कम निर्वात इत्यादि के कारण हुई। इससे यह सूचित होता है कि कम्पनी ने इन कमियों को दूर करने के लिए त्वरित कार्यवाही नहीं की।

कोयला खतप

मानक से अधिक 23.17 लाख मी.टन.कोयला खपत होने से 249.61 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ

2.3.12 रूपांकित पैरामीटर के अनुसार, ऊर्जा का एक किलो वाट घंटा उत्पन्न करने के लिए फेस I में 0.568 किलोग्राम 5058 के सी ए एल/कि.ग्रा. कैलोरी मूल सहित तथा 5500 के सी ए एल/कि.ग्रा. केलोरी मूल्य सहित फेस-II के लिए 0.449 कि.ग्रा.विशिष्ट कोयला चाहिए । वेस्टन कोल लिमिटेड के बीच हुए ईंधन प्रदाय समझौते (एफ एस ए)(1985) और उसने विद्युत केन्द्र को कोयला प्रदाय करना आरम्भ किया। वर्ष 1992 में, बोर्ड तथा दक्षिण पूर्व कोल लिमिटेड (द.पू. को.लि.) के बीच हुई बैठक में कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें कहा गया था कि समझौते का नवीनीकरण होने तक, बोर्ड के साथ हुए पूर्व समझौते (1985) के अनुसार ही प्रदाय की शर्तें बनी रहेंगी। तब से कोई नया ईंधन प्रदाय समझौता सामने नहीं आया। इस प्रकार बोर्ड/कम्पनी द.पू.को.लि.द्वारा कोयला प्रदाय के केलोरी मूल्य को सुनिश्चित नहीं कर सकी, जिससे वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक की अवधि के दौरान 4491 से 4637 तक का परिवर्तन हुआ।

कोयले की वास्तविक खपत की तुलना में, वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक के दौरान हुए स्तरीय एवं अधिक खपत के विवरण **परिशिष्ट-16** में यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त अवधि में, 249.61 करोड़ रूपए मूल्य के 23.17 लाख मैट्रीक टन कोयले की अधिक खपत हुई थी और परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई थी।

इस प्रकार, रूपांकित पैरामीटर के विरूद्ध कम केलोरी मूल्य के साथ कोयला प्राप्त करते हुए ईंधन प्रदाय समझौते के पालन में द.पू.को.लि. से कोयले की उच्चस्तरीय गुणवत्ता प्रदाय करवाने में बोर्ड/कम्पनी की ओर से हुई असफलता के कारण, उत्पादन लागत में

परिणामी वृद्धि सहित, कोयले की अधिक खपत हुई।

कोयला भण्डार का कम मात्रा निर्धारण

2.3.13 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के अंत में संयंत्र के कार्यस्थल पर उपलब्ध कोयले की वास्तविक मात्रा निर्धारित करने के लिए एक अण्वेषक नियुक्त किया था (जुलाई 2005)। अण्वेषक ने देखा (सितम्बर 2006) कि बंकरों, होपरों पर तथा भण्डार गलियारे में दरी पर पड़ा हुआ कोयले का भण्डार, जो कि स्कंध पुस्तिका में शामिल था, उसे कम्पनी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन के दौरान लेखे में नहीं लिया गया है। और यह, कि कोयले की मात्रा परिवर्तन के लिए 16 प्रतिशत कटौती के बाद आकलन किया जा रहा था। इस प्रकार प्राप्त मात्रा की अनुमान से वृद्धि की जा रही थी, जोकि सम्भावित परिवर्तन को लेखे में लेने के बाद ही प्राप्त होता था। यद्यपि, कम्पनी द्वारा निर्धारित भौतिक सत्यापन के परिवर्तन के लिए कोई कटौती अपेक्षित नहीं थी। इस प्रकार, वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान 6.77 करोड़ रूपए मूल्य का 69,082 मैट्रीक टन कोयला को लेख में लेने से छूट गया।

परिवर्तन के लिए 16 प्रतिशत कोयला की कटौती करने की परम्परा मार्च 2006 तक चलती रही और अप्रेल 2006 में यह बंद हो गयी। इसके परिणामस्वरूप 2004-06 के दौरान 8.75 करोड़ रूपए मूल्य के 76,124.545 मैट्रीक टन कोयले की मात्रा कम आंकी गयी। इस प्रकार वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान संचालित भौतिक सत्यापन के दौरान 15.52 करोड़ रूपए मूल्य के 1,45,206 मैट्रीक टन कोयले की कुल मात्रा लेखे में नहीं ली गयी।

त्रुटीपूर्ण भौतिक सत्यापन पद्धति के कारण कोयले के स्टॉक मूल्य 15.52 करोड़ रूपये का लेखाकंन नही हो सका ।

यह देखा गया कि कम्पनी ने बिना कोई अण्वेषण कराये, वर्ष 2003-03 से 2006-07 के दौरान अपने लेखे में कमी के रूप में 2.20 करोड़ रूपए मूल्य के 21,317.861 मैट्रीक टन कोयले का अपलेखन कर दिया। इस तरह, बिना किसी अण्वेषण के कमी की अपलेखित करने के विद्युत केन्द्र के कार्य एवं बंकर, होपर तथा दरी पर पड़े हुए भण्डार को लेखे में नहीं लेने और परिवर्तन के लिए 16 प्रतिशत भण्डार कम करने की नीति, भण्डार के गलत विनियोजन के जोखिम से पूर्ण थी।

पत्थर तथा स्लेटी पत्थर के लिए दावे की अस्वीकृति के कारण हानि

स्वीकृत नमूना पद्धति लागू न करवाने के कारण दक्षिण पूर्व कोल लिमिटेड द्वारा प्रदाय कोयले में मिश्रित पत्थर और स्लेटी पत्थर पर 4.71 करोड़ के दावे अस्वीकृत किये गये ।

2.3.14 मार्च 2007 के समाप्त हुए पाँच वर्षों के दौरान, विद्युत केन्द्र ने कुल 52,87,403.53 मैट्रीक टन कोयले की मात्रा प्राप्त की थी जिससे 44781.458 मैट्रीक टन 0.85 प्रतिशत पत्थर तथा स्लेटी पत्थर था। कोयले की औसत दर के अनुसार, पत्थरों तथा स्लेटी पत्थर का मूल्य 4.71 करोड़ रूपए आंका गया जिसके लिए कम्पनी ने द.पू.को.लि.से उसे मासिक आधार पर वापस करने हेतु दावा किया था तथापि यह दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि कोयले का बिल संयुक्त नमूने के परिणाम की शर्तो पर बनाया गया था, जो कि माल उतारने के समय किया गया था।

यह देखा गया कि द.पू.को.लि.के साथ सहमत नमूने की मूल प्रति के अनुसार, दलित होने के बाद माल उतारते समय 25 प्रतिशत रेल वेगन के नमूने लिये जाने थे। तथापि,

दलित होने से पूर्व ही माल उतारते समय 25 प्रतिशत रेल वेगन के नमूने लिये गये। स्वीकृत नमूना पद्धति लागू करने में प्रबंधन के असफल रहने के कारण, प्रदयकर्त्ता ने 4.71 करोड़ रूपए के वापसी के दावे को अस्वीकृत कर दिया।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि कोयला प्रदाय के नमूने में किसी विलम्ब को रोकने के लिए वेगन से नमूने लिये जा रहे थे। यदि दलित होने के बाद नमूने लिये जाते तो एकल वाष्प होने की वजह से संयंत्र/उपकरण की किसी खराबी से विलम्ब हो सकता था। यह भी बताया गया कि वापसी के लिए दावे से सम्बन्धित मामले को उच्चस्तर पर लिया जा रहा है।

यह तथ्य शेष रहता है कि स्वीकृत पद्धति के अनुसार संयुक्त नमूना संचालित करने के लिए प्रबंधन की असफलता के परिणाम स्वरूप 4.71 करोड़ रूपए के दावे अस्वीकृत हुए।

ईंधन तेल की खपत

2.3.15 ईंधन तेल उत्तापन के लिए तथा भट्ठी की स्थिरता को सहारा देने के लिए अपेक्षित होता है' ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, उत्पादित विद्युत के प्रति किलो वाट घंटा ईंधन तेल की खपत 3.5 मिली लीटर थी। निम्नांकित सारिणी वर्ग 2002-07 की अवधि के पाँच वर्षो के दौरान, निर्धारित मानकों के साथ तुलनात्मक रूप से फेस-I एवं II में खपत किये गये तेल को दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		फेस-I	फेस-II	फेस-I	फेस-II	फेस-I	फेस-II	फेस-I	फेस-II	फेस-I	फेस-II
1	सकल उत्पादन (मि.यूनिट)	227.107	1215.901	184.140	986.135	173.619	1,025.486	150.239	952.565	143.345	1,108.831
2	मानकों के अनुसार तेल की खपत (3.5 मि.ली./कि.वा.घं.)	794.874	4,255.653	644.490	3,451.472	607.667	3,589.200	525.837	3,333.978	501.708	3,880.909
3	वास्तविक खपत (कि.ली.)	2,748.00	6,816.00	5,100.00	7,603.00	2,515.500	6,742.00	2,291.250	6,600.27	1,256.50	3,191.5
4	अधिक खपत (कि.ली.)	1,953.126	2,560.347	4,455.510	4,151.528	1,907.833	3,152.799	1,765.413	3,206.292	754.792	NIL
5	अधिक खपत का मूल्य (करोड़ रूपए) @ 18592 रूपए प्रति कि.ली.	3.63	4.76	8.28	7.72	3.55	5.86	3.28	6.07	1.40	NIL
6	विशिष्ट तेल खपत (मि.ली./कि.वा.घं.)	12.10	5.61	27.70	7.71	14.49	6.57	15.25	6.93	8.77	2.88
7	सम्पूर्ण भारत औसत विशिष्ट तेल खपत (मि.ली/कि.वा.घं.)	0.68	0.68	2.30	2.30	1.37	1.37	1.77	1.77	N.A.	N.A.

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गये आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि सभी पाँच वर्षो में हुई तेल की वास्तिविक खपत मानकों से अधिक थी और तेल की अधिक खपत का आकलन 44.55 करोड़ रूपए मूल्य के

23,96.640 कि.लीटर के रूप में किया गया। इस कारण उपरोक्त अवधि के दौरान उत्पादन की लागत बढ़ गयी।

मानक से अधिक 23967.64 कि.ली ईंधन तेल का खपत से 44.55 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

यह देखा जा सकता है कि फेस-I मे विशिष्ट तेल की खपत वर्ष 2002-03 में 12.10 मि.ली./कि.वा.घं. से वर्ष 2003-04 में 27.70 मि.ली./कि.वा.घं. तक बढ़ गयी, किन्तु वर्ष 2006-07 मे यह 8.77 मि.ली./कि.वा.घं.तक कम हो गयी और फेस-II में, वर्ष 2003-04 में 7.71 मि.ली/कि.वा.घं.तक कम हो गयी। विशिष्ट तेल खपत के लिए सम्पूर्ण भारत का औसत वर्ष 2002-03 में 0.68 मि.ली./कि.वा.घं. और वर्ष 2005-06 में 1.77 मि.ली./कि.वा.घं.था। यद्यपि,इसमें कमी होने की प्रवृत्ति थी, तथापि यह सभी वर्षों के लिए विशिष्ट तेल खपत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत अधिक रहा।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि ईंधन तेल की अधिक खपत के लिए खराब मशीनरी एक कारण थी। और, आंशिक भार के दौरान, इकाईयों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए खोलने-बंद करने के उपकरणों को सहारा देने हेतु द्वितीयक तेल आवश्यक था।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मशीनरी बार बार खराब होने से रोकने के लिए कम्पनी द्वारा मशीनों का वार्णिक नवीकरण तथा सम्पत्ति नवीकरण यथा समय संचालित नहीं कराया गया था, और आंशिक भार को बायलर दक्षता में सुधार करके दूर किया जा सकता था।

अर्ध संश्लेषित जल की खपत

2.3.16 अर्ध संश्लेषित जल (डी.एम.) रासायनिक रूप से संशोधित पानी होता है। कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संयंत्र के लिए डी.एम.जल की खपत एक मेगावाट उत्पादन के लिए अपेक्षित वाष्प की मात्रा की तीन प्रतिशत होना चाहिए। वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक के दौरान फेस-I एवं फेस-II में डी.एम जल की खपत की विवरण ***परिशिष्ट-17*** में दिया गया है। इस परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि तीन प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध फेस-I के लिए डी.एम जल की खपत का प्रतिशत 12.67 से 22.31 तक और फेस-II के लिए 8.75 से 14.58 तक परिवर्तित हो गया। इस अतिरिक्त डी.एम.जल के संशोधन की लागत 2.23 करोड़ रूपए आकलित की गयी।

मानक से अधिक अर्ध सश्लेषित जल की खपत के परिणाम स्परूप जल का अधिक संशोधन एवं 2.23 करोड़ रूपए करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि फेस-I में, वाष्प की ओर का एवं पानी की ओर का प्रत्येक वल्व और संघटित हत्था प्रणाली में सीट तथा ग्रंथि से रिसाब बढ़ गया था। पुनरावृत्ति की सीमा समाप्त हो चुकी थी और प्रणाली अनुपयोगी हो गयी थी। फेस-II में, अधिक जल खपत का कारण, 133.6 कि.ग्रा./से.मी.दवाब पर तथा 540.6^0 से.तापमान पर प्रति घंटा 393 मी.टन उत्पादन हेतु बायलर की रूपांकित क्षमता का अयोग्य होना था। और यह कि, बार बार का ट्यूब रिसाब तथा आधातपूर्ण संचालन भी जल की खपत का कारण बने।

यह उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि विद्युत केन्द्र बायलर की सहयोगी मशीन को

यथा समय दुरूस्त नहीं कराने/बदलने के कारण बायलर की रूपांकित क्षमता प्राप्त नहीं कर सका था।

संयंत्र अवरोध

2.3.17 ताप केन्द्र के साथ अवरोध होते हैं जो सुनियोजित एवं बलात हो सकते हैं। जबकि सुनियोजित अवरोध,बायलरों, टर्बाइन इत्यादि के संधारण कार्य के लिए आवश्यक होते हैं, दबावयुक्त अवरोध, पर्याप्त एवं यथा समय सुरक्षा की कमी होने के पूर्वानुमान विहीन तथ्यों के द्वारा उत्पन्न अनिर्धारित अवरोध हाते हैं। कम्पनी को यह सुनिश्चित करना होता है कि सुनियोजित संधारण के लिए इकाइयों को निर्धारित समय से अधिक तक बंद न रखा जाए और बलात अवरोध को यथा सम्भव कम किया जाए।

2006-07 तक के पिछले पाँच वर्षो के दौरान उपलब्ध घंटे, संचालित घंटे तथा अवरोध के विवरण ***परिशिष्ट-18*** में दिये गये हैं। यह देखा जा सकता है कि,विद्युत केन्द्र, खराब संधारण योजना दर्शाते हुए 2002-07 के दौरान सुनियोजित बंदी के लिए 5819 घंटे के लिए बंद रहा था जबकि वॉयलर बंद 40427 घंटे के लिए था । सी.ई.ए. ने कुल घंटों के 90 प्रतिशत के लिए संयंत्र की उपलब्धता निर्धारित की है (मार्च 1992) अर्थात सुनियोजित तथा बलात अवरोध कुल घंटों का 10 प्रतिशत मान्य किया गया था। परिशिष्ट में दिये गये विवरणों से यह देखा जा सकता है कि संयंत्र का अवरोध 9.75 से 49.07 प्रतिशत के बीच रहा। 28,740 घंटे के अधिक अवरोध के कारण 391.52 करोड़ रूपए मूल्य के 1305.08 मिलियन यूनिट के उत्पादन की हानि हुई। लेखापरीक्षा जाँच में निम्नांकित भी प्रकाश में आयाः

भारत शासन द्वारा नियुक्त कुकडे कमिटी द्वारा निर्धारित सफाई एवं मरम्मत/पूंजीगत यंत्रो की सफाई एवं मरम्मत हेतु निर्धारित मापदण्डो से अधिक समय लेने के कारण 48.17 करोड़ मूल्य के 160.56 लाख मिलियन यूनिट के उत्पादन की हानि हुई।

सुनियोजित अवरोध

2.3.18 बायलरों तथा टर्बो उत्पादक सेट के लिए संधारण अवधि नियोजित करने के लिए मानकों की समीक्षा हेतु सांसदों द्वारा गठित कुकडो समिति (फरवरी 2000), ने पाँचवे वर्ष में संधारण अनुबंध के लिए पाँच वर्ष की सूचीबद्ध योजना चार वर्षो के लिए नवीनीकरण (डी.ओएम) के लिए 30 दिन, सम्पत्ति नवीकरण के लिए 45 दिन की अनुशंसा की थी (सितम्बर 2000) ।

अभिलेख की जाँच से यह प्रकट हुआ कि इकाई-। (फेस-।) के वायलर-1 एवं बायलर-2 के लिए वार्षिक नवीकरण क्रमशः वर्ष 2004 एवं 2003 में संचालित नहीं किया गया। इसकी प्रकार, वर्ष 2002 तथा 2006 में क्रमशः इकाई-3 तथा इकाई-4 (फेस-।।) के लिए वार्षिक नवीकरण नहीं कराया गया था। 31 मार्च 2007 को समाप्त विगत पाँच वर्षो के दौरान इकाई 2,3 एवं 4 के लिए सम्पत्ति नवीकरण नहीं कराया गया था।

कुडको समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, मार्च 2007 को समाप्त पिछले पाँच वर्षो के दौरान संचालित किये गये सुनियोजित वार्षिक नवीकरण एवं सम्पत्ति नवीकरण के लिए लिये गये समय के इकाई वार विवरण ***परिशिष्ट-19*** में दिये ग़ये हैं। इस परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी निर्धारित समय सूची का पालन नहीं कर सकी

और वर्ष 2002-07 के अवधि के दौरान फेस-।। की इकाइयों के वार्षिक नवीकरण के लिए चार दिन से 20 दिन (2003) तक संधारण अवधि बढ़ा दी। इसके परिणामस्वरूप 42.34 करोड़ रूपए की परिणामी राजस्व हानि (समीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त औसत राजस्व प्रति यूनिट पर आधारित) सहित 141.12 मिलियन यूनिट के उत्पादन की कमी हुई।

फेस-। की इकाई-1 के सम्बन्ध में, 2005 के दौरान सम्पत्ति नवीकरण के लिए लिया गया कुल समय 72 दिन था। सम्पत्ति नवीकरण के लिये गये 27 दिन अधिक समय के परिणामस्वरूप 5.83 करोड़ रूपए मूल्य के 19.44 मिलियन यूनिट का उत्पादन कम हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि फेस-।। के वार्षिक नवीकरण के लिए बढ़ाई गयी अवधि वार्षिक नवीकरण के साथ साथ की गयी नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण गतिविधि के कारण थी।

यह उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण गतिविधि, जैसे कि ट्यूब का प्रतिस्थापन, सामान्यतः वार्षिक नवीकरण कार्य का ही एक भाग था और दिये गये कार्य आदेश में शामिल था।

2.3.19 कुडको समिति में अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया था (सितम्बर 2000) की नवीकरण पूरा होने के दो माह के अंदर, अगले नवीकरण के लिए अनुशंसा सहित नवीनकरण का एक अंतिम प्रतिवेदन अवश्य तैयार किया जाना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि अगले नवीकरण के लिए अनुशंसा के बिना ही प्रतिवेदन तैयार किया गया था और अनुशंसा के अभाव में विद्युत केन्द्र, सुधार के लिए बड़ी खराबी वाले भाग की पहचान नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप बार बार बलात अवरोध हुआ।

निर्धारित प्रभारों की वूसली न होना

2.3.20 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत विपणन कम्पनी लिमिटेड को विक्रय हेतु उत्पादित विद्युत की केन्द्रवार सूची निर्धारित करता है। इस प्रकार निर्धारित सूची की तुलना स्थिर प्रभारों तथा परिवर्तनशील प्रभारों से की जाती है। स्थिर प्रभारों में संचालन तथा संधारण व्यय, सहायक खपत पर कर, किराया एवं दर, घिसाव, वित्त पर ब्याज, चालू पंजी पर ब्याज, और साम्य की वापसी शामिल है। परिवर्तनशील प्रभारों में केवल ईंधन मूल्य शामिल है।

इस विद्युत केन्द्र के लिए म.प्र.वि.नि.आ.द्वारा निर्धारित किये गये (मार्च 2006) लागू करने योग्य स्थिर एवं परिवर्तनशील प्रभार, वर्ष 2006-07 के लिए क्रमशः 47.38 करोड़ रूपए एवं 117 पैसे प्रति यूनिट थे। इन्हें 51.36 प्रतिशत पीएलएफ तथा 11.85 प्रतिशत सहायक खपत के मानक तय करते हुए लागू किया गया था।

51.36 प्रतिशत के पी एल एफ मानक के आधार पर, वर्ष 2006-07 के लिए सकल

उत्पादन 1305 मिलियन यूनिट होना चाहिए एवं 11.85 प्रतिशत सहायक खपत लागू करने बाद, विद्युत केन्द्र को 1150 मिलियन यूनिट का निर्गमन करना चाहिए, जबकि विद्युत केन्द्र 1252.176 मिलियन यूनिटन (49.29 प्रतिशत पीएलएफ) का उत्पादन कर सका और केवल 1100.435 मिलियन यूनिट (उपलब्ध क्षमता का 43.32 प्रतिशत) निर्गमित कर सका। इस प्रकार, विद्युत केन्द्र पूर्ण निर्धारित प्रभार की वसूली नहीं कर सका, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2006-07 के लिए 2.04 करोड़ रूपए की कम वसूली हुई।

51.36 प्रतिशत के विरूद्ध 49.29 प्रतिशत कम पीएलएफ के कारण 2.04 करोड़ रूपए मूल्य के स्थिर प्रभारों की वसूली कम हुइ

संधारण

प्रतिस्थापन कार्य के प्रवर्तन में विलम्ब

2.3.21 कम्पनी ने अतिरिक्त पुर्जों (43.36 लाख रूपए) सहित डिजिटल आटोमेटिक वोल्टेज रेजुलेटर (ए वी आर) के दो नग खरीदने तथा 45.06 लाख रूपए की कुल लागत पर फेस-। के 2 x 3 मेगावाट ट्रर्वाइन जेनरेटिंग सेट के वर्तमान पुराने ए.वी.आर तंत्र (1.70 लाख रूपए) को बदलते हुए ए.वी.आर को प्रतिस्थापित करने के लिए सीमेन्स लिमिटेड, गुडगांव (संविदाकार) को आदेश जारी किया था (सितम्बर 2002)। कम्पनी ने निष्पादन बाण्ड (आदेश मूल्य का 10 प्रतिशत), जैसा कि संविदा में अनुबंधित था, प्राप्त किये बिना ही संविदाकार द्वारा प्रदाय की गयी (सितम्बर 2003) सामग्री के लिए 43.02 लाख रूपए का पूर्ण भुगतान जारी कर दिया (नवम्बर 2003)।

सितम्बर 2003 में प्राप्ति होने के चार वर्ष बाद भी 43.02 लाख रूपए मूल्य के डिजिटल ओटोमेटिक रेगुलेटर के प्रवर्तन में हुए विलम्ब से पैसा व्यर्थ फंसा रहा ।

यह देखा गया कि संविदाकार ने डिजिटल ए.वी.आर स्थापित कर दिये (जनवरी 2005) किन्तु उन्हें चालू करने में असफल रहा (सितम्बर 2007) क्योंकि नये ए.वी.आर के कुछ हिस्से खराब पाये गये थे (जनवरी 2005)। कम्पनी ने उपकरण के संतोषजनक निष्पादन के लिए गांरटी (18 माह) का लाभ खो दिया क्योंकि मशीनें आज दिनांक (सितम्बर 2007) तक निष्क्रिय पड़ी थीं।

इस प्रकार, डिजिटल ए.वी.आर के प्रवर्तन में हुए विलम्ब से 43.02 लाख रूपए मूल्य के उपकरण पिछले चार वर्षों के लिए निष्क्रिय पड़े रहे, मशीनो के आज (सितम्बर 2007) तक व्यर्थ पड़े रहने से कंपनी ने मशीन के संतोषजनक प्रदर्शन से जुड़ी गारंटी (18 माह) का लाभ खो दिया ।

पुराने दुरूस्त किये इंजिन/लोको पर उच्च संधारण व्यय

2.3.22 विद्युत केन्द्र के पास कोयले के परिवहन के लिए दो नग 700 हॉर्स पावर डीजल लोकोमोटिव हैं, जो कि 1.13 तथा 1.41 करोड़ रूपए की लागत पर प्राप्त किये गये थे (1992 एवं 1996)। दोनों लोको के इंजिन 16 लाख रूपए की लागत से दिसम्बर 2002 तथा मई 2003 में विनिमय किये/बदले गये थे। बाद में, कम्पनी ने 31.83 लाख रूपए की लागत पर एम.के डीजल से नया क्यूमिन इंजिन इंजिन खरीदा (दिसम्बर 2006)। इसके साथ ही, यह भी देखा गया कि कम्पनी ने वर्ष 2002 तथा

नये लोको/इंजन खरीदने की अपेक्षा कंपनी ने पुराने दो लोको के संधारण पर 2.57 करोड़ रूपये व्यय किये ।

2007 के बीच (कार्य एवं खरीदी) लोको के संधारण पर 2.41 करोड़ रूपए का व्यय किया था। विद्युत केन्द्र की मरम्मत शाखा न तो लोकों के जीवनकाल के प्रति सजग रही और न ही उन्होंने बढ़ती हुई संघारण लागत की दृष्टि से नया लोको खरीदने के लिए पहल की । कम्पनी नया इंजिन खरीदने के लागत लाभ का विशेलेषण करने में असफल रही किन्तु दुरूस्त किये हुए से बदला जाना जारी रखा ।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि बोर्ड ने 1.90 करोड़ रूपये की लागत पर 700 हॉर्स पावर का एक लोकोमोटिव खरीदा था (जनवरी 2002) जो कि संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र, वीरसिंहपुर में स्थापित किया गया था । इस प्रकार यह ज्यादा अच्छा रहता यदि कम्पनी ने लोको के संघारण पर टुकड़ों में व्यय करने की बजाय, एक नये लोको खरीदने पर 2.57 करोड़ रूपये (2.41 करोड़ रूपये संघारण तथा 16 लाख रूपये इंजिन को बदलने) को उपयोग किया होता ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि लोको के सावधि नवीनीकरण तथा संघारण पर व्यय किया गया था जो कि किया जना आवश्यक था । लेखापरीक्षा का तर्क यह है कि जब संघारण का व्यय अधिक था, और यह भविष्य में भी ऐसा ही बना रहना था, ऐसी परिस्थितियों में एक नया लोको खरीदना दूरदर्शी विकल्प होता ।

इकाइयों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम.)

बिजली घर (फेस-I)

2.3.23 तात्कालिक बोर्ड ने फेस-I की दो इकाइयों के नवीनीकरण एंव आधुनिकीकरण कार्य के अधिग्रहण हेतु एक योजना तैयार की थी (मार्च 2002) जिसने अपने प्रवर्तन काल से 37 वर्ष के विस्तृत जीवन काल के दौरान तीन लाख घंटे का संचालन पूर्ण कर लिया था। इस योजना के अंतर्गत 81 करोड़ रूपए के लागत अनुमान सहित प्रतिवर्ष 139 मिलियन यूनिट अतिरिक्त उत्पादन करना परिकल्पित था। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था (जून 2002) । नवीनीकरण एंव आधुनिकीकरण के लिए वित्त व्यवस्था हेतु ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड (ऊ.वि.नि.) से सम्पर्क किया गया था (जून 2002)। ऊ.वि.नि.ने यह महसूस किया (नवम्बर 2002), कि आकलन की गयी लागत बहुत अधिक थी और उसने इकाइयों को निष्पादन बनाये रखने के लिए आवश्यक नाजुक कार्य का क्षेत्र सीमित करने का सुझाव दिया था (नवम्बर 2002)। बोर्ड ने सीमित नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य के साथ उपरोक्त इकाइयों को चलाने का निर्णय आधुनिकीकरण कार्य के साथ उपरोक्त इकाइयों को चलाने का निर्णय किया (दिसम्बर 2002,) जिससे कि आर्थिक सीमाओं के अंतर्गत उनका संचालन रह सके, इस दृष्टि से कि इकाइयों को उचित समय पर निष्क्रिय किया जा सके।

आइसोलेटर्स तथा एस.एफ-6 सर्किट ब्रेकर्स का प्रतिस्थापन नहीं किया जाना

2.3.24 गम्भीर कार्यों के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीरण गतिविधियों की सीमा निश्चित करने हेतु बोर्ड के निर्णय (दिसम्बर 2002) के अनुसार, कम्पनी ने 24 लाख

फेस-I के गंभीर कार्य हेतु रखे गये 1.04 करोड़ रूपए के 38 आइसोलेटर उनकी प्राप्ति से दो वर्ष से अधिक बीत जाने पर भी नहीं लगाये गये।

रूपए तथा 1.04 करोड़ रूपए के कुल मूल्य क्रमशः दो क्रय आदेश एक तीन एस.एफ-6 सर्किट ब्रेकर्स के लिए (मई 2003) तथा दूसरा 38 आइसोलेटर के प्रदाय (अगस्त 2004) के लिए जारी किये थे। यह सामग्री क्रमशः फरवरी/मार्च तथा नवम्बर/दिसम्बर 2004 के दौरान प्राप्त की गयी थी। जबकि सर्किट ब्रेकर्स नवम्बर 2006 में स्थापित किये गये थे, आइसोलेटर अभी तक (सितम्बर 2007) दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी स्थापित नहीं किये गये। और, यह बताया गया (अप्रेल 2007) कि 24 लाख रूपए मूल्य के आइसोलेटर के कुछ पूर्जे खो गये थे। परिणामस्वरूप पी.एच.I के निष्पादन के धारित उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके, एवं 1.04 करोड़ रूपये की निधियों का अवरोधन हुआ ।

बिजली घर -II (फेस-II) का नवीनीकरण एवं आधुनिकीरण

2.3.25 फेस-II की इकाई-3 एवं 4 क्रमशः 1977 एवं 1978 में स्थापित की गयी थी। फेस-II की व्यापक साज सज्जा 1996 में आरम्भ की गयी थी और अन्साल्डो इनर्जिआ इटली को संविदा दी गयी थी (अगस्त 1999) जो निष्पादन न करने के फलस्वरूप समाप्त कर दिया गया (जनवरी 2002) । बड़े नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य के लिए नवीन निविदाएं मँगाई गयी थी (मार्च 2002)। मुख्य कार्य समूह (टीजी एवं बायलर) की ऊँची लागत के कारण, कुल परियोजना लागत, 350 करोड़ रूपए से अधिक थी, परियोजना तकनीकी तथा अर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण छोड़ दी गयी । बाद में, कार्यक्षेत्र का पुनर्गठन किया गया और कार्य को छोटे समूहों में फैलाने का निर्णय लिया गया (नवम्बर 2003) और 140 करोड़ रूपए की कुल अनुमानित लागत पर कार्य अधिग्रहण करने हेतु बोर्ड ने प्रशासमिक अनुमोदन कर दिया (जनवरी 2004)। पी.एफ.सी. ने 124.30 करोड़ रूपए की घटाई हुई परियोजना लागत के साथ 99 करोड़ रूपए का ऋण स्वीकृत किया (जनवरी 2004)। ताप विद्युत केन्द्र के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों (जनवरी 2004) के अनुसार, उन प्रदायकर्त्ता भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) थे, वहाँ इन टर्वाइन तथा एन्सीलरी का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य बातचीत के माध्यम से भेल को दिया जा सकता था। कम्पनी ने एकल निविदा आधार पर भेल से निविदा मँगाई (अप्रैल 2004), जिसके विरूद्ध भेल ने 105.96 करोड़ रूपए का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (6 जून 2005) । कम्पनी ने निधियों की विवशता पर विचार करते हुए फरवरी 2005 एवं नवम्बर 2005 के बीच कार्य के क्षेत्र को कम कर दिया, कम दिये गये कार्यक्षेत्र के सहित भेल के साथ बातचीत हुई (नवम्बर/दिसम्बर 2005) और भेल 69 करोड़ रूपए में कार्य करने को सहमत हो गया।

इसी बीच एक अन्य फर्म एन.टी.पी.सी. एल्सटोम लिमिटेड (एन ए एस एल) ने प्रमुख सचिव (ऊर्जा), मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से टी.जी.सेट के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण में भागीदारी के लिए आपनी ओर से रूचि व्यक्त की (नवम्बर 2005) और कम्पनी के मुख्य प्रबंध निर्देशक के साथ चर्चा करके (नवम्बर 2005), 89.50 करोड़ रूपए का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत की (नवम्बर 2005)। तथापि, कम्पनी ने नवीन निविदांए मँगाने का निर्णय किया (जनवरी 2006)। कम्पनी ने नवीन निविदांए मँगाई (मार्च 2006), जिसके विरूद्ध भेल ने भागीदारी नहीं की और केवल एन ए एस एल की

निविदा प्राप्त हुई। तब एन ए एस एल को 59.80 करोड़ रूपए की कुल लागत पर आशय पत्र जारी कर दिया (मई 2007) ।

इस प्रकार, कार्य क्षेत्र में अनेक चर्चाओं से युक्त बार बार के संशोधन से टी.जी.सेट के कार्य का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण दिया जाना विलम्बित हुआ, जो कि अप्रैल 2004 में आरम्भ किया गया था, किन्तु तीन वर्षो से अधिक अवधि के बाद मई 2007 में अंतिम रूप ले सका ।

फेस-II के नवीनीकरण आधुनिकीकरण कार्य क्षेत्र के बारम्बार परिवर्तन के फलस्वरूप विलम्ब से 350 मि.यूनिट की परिकल्पित वार्षिक उत्पादन से वंचित होना पड़ा ।

कम्पनी ने इस विलम्ब को भेल की अनिच्छा एवं एकाधिकार पूर्ण सम्पर्क पर आरोपित किया और बताया (सितम्बर 2007) कि संविदाओं की गतिविधियाँ बोली लगाने वालों की तत्परता पर आधारित होती है ।

यह उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि विलंब का प्रमुख कारण कम्पनी के द्वारा कार्यक्षेत्र में निरंतर परिवर्तन करते जाना था । इसके अतिरिक्त नवीनीकरण एवं आधुनिक कार्य में विलंब से कम्पनी को 350 मिलियन यूनिट उत्पादन से वंचित होना पड़ा जैसा कि कंडिका 2.3.26 में बताया गया है ।

विलम्बित नवीनीकरण एवं आधुनिकीरण कार्य से विद्युत का लाभ वंचित हुआ।

2.3.26.यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन बोर्ड द्वारा विद्युत केन्द्र की फेस-II इकाइयों के रूप में एक ही अवधि के दौरान (1977 एवं 1979) कोरबा में समान क्षमता वाली (2 X 120) दो इकाइयां आरम्भ की गयी थीं। राज्य के विभाजन (नवम्बर 2000) के बाद कोरबा संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सी एस ई बी) को स्थानांतरित किया गया। सी एस ई बी कोरबा संयंत्र की एक इकाई का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य दिसम्बर 2002 से अक्टूबर 2003 तक संचालित किया और दूसरी इकाई का कार्य अप्रेल 2004 से मार्च 2005 तक किया। कोरबा संयंत्र के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण पहले तथा बाद के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा ए.टी.पी.एस के स्तर का निष्पादन नीचे दिया गया है:

क्रं	विवरण	कोरबा		ए टी पी एस फेस-II	
		नवी.आधु.से पूर्व	नवी.आधु.के बाद	नवी.आधु.के पूर्व	नवी.आधु.के बाद
		2002-03	2006-07	2002-03	2006-07
1.	उत्पादन (मिलियन यूनिट)	1158.40	1659.80	1215.90	1108.83
2	पी.एल.एफ (प्रतिशत)	55.10	78.95	57.83	52.74
3	सहायक खपत (प्रतिशत)	9.96	8.48	10.24	11.71
4	विशिष्ट कोयला खपत (कि.ग्रा./के डब्लू एच)	0.867	0.778	0.76	0.82
5	पूरक जल (%)	3.3	1.31	8.75	10.51
6	ताप दर (के.सी.ए.एल/ के.डब्लू एच)	2899	2639	3564	3722

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े

इस प्रकार,विद्युत केन्द्र के फेस-II के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य को एक या अनके कारणों से लम्बित करने से कम्पनी विद्युत गृह की दक्षता सुधारने में असफल रही। टर्बाइन के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य के लिए संविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब से राज्य को प्रति वर्ष 350 मिलियन यूनिट परिकल्पिक उत्पादन से वंचित होना पडा जिसके परिणामस्वरूप, 189 पैसे प्रति यूनिट के औसत क्रय मूल्य पड़ा (एक बार नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य पूरा होने पर परिकल्पित उत्पादन पर आधारित)जिसकी कीमत 66.15 करोड़ रूपये रही ।

नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य संचालित करने में पायी गयी कुछ कमियों पर नीचे की गयी है:

मित्तव्ययी क्वाइल की अनधिकृत प्राप्ति

2.3.27 कम्पनी ने 2.59 करोड़ रूपए की कुल लागत पर फेस-II की दोनों इकाइयों में प्रतिस्थापना के लिए 114 नग (2x57) मितव्ययी क्वाइल प्राप्त करने के लिए आदेश जारी किया था (अगस्त 2005)। ये मितव्ययी क्वाइल प्राप्त किये गये (सितम्बर 2006) और 8.55 लाख रूपए की लागत से स्थापित किये गये (अगस्त/सितम्बर 2007)। यह देखा गया कि इन मितव्ययी क्वाइल का प्रतिस्थापना निम्नांकित कारणों से अनाधिकृत था:-

- वर्ष 1996 में (इकाई-4)/ 1997 में (इकाई-3) स्थापित किये गये इन क्वाइलों का संभावित जीवन काल 20 वर्ष था;
- नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य के क्षेत्र की पहचान के लिए एन्साल्डो इनर्जिया, इटली द्वारा कराये गये अवशिष्ट जीवन निर्धारण अध्ययन में, इकाई-3 के मितव्ययी क्वाइल के केवल मिस एलिड साइडवाल्स की रीफर्विशिंग का अनुमोदन किया गया था।

मितव्ययी क्वाइल के अनधिकृत प्रतिस्थापन से 2.68 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय हुआ।

- अभियंताओं के दल, जिन्होंने नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों को प्राथमिकता दी थी, उसने भी मितव्ययी क्वाइल के प्रतिस्थापन की अनुशंसा नहीं की थी (जनवरी 2002);
- और यह, कि लेखापरीक्षा में देखा गया था कि म.प्र.वि.नि.आ.के निर्देशों के फरवरी 2005 तथा अगस्त 2006 के बीच करायी गयी ऊर्जा अगस्त 2006 के बीच करायी गयी ऊर्जा लेखापरीक्षा ने भी मितव्ययी क्वाइल के संतोषजनक निष्पादन का प्रतिवेदन दिया था।

इस प्रकार मितव्ययी क्वाइल के प्रतिस्थापना के परिणाम स्वरूप 2.68 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि अवशिष्ट जीवन निर्धारण (आर.एल.ए) का अध्ययन 2000 में किया गया था, जबकि क्वाइल के प्रतिस्थापन के लिए कार्यस्थल

अभियंताओं ने अनुशंसा की थी (2 अगस्त 2003) और उन्हें 2006 में प्रतिस्थापित करने के लिए योजना बनायी गयी थी।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने प्रतिस्थापन आदेश जारी करने (2005) से पहले इसके रूपाकार को समीक्षा नहीं की थी, क्योंकि नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण पर पूर्व में किये गये दो अध्ययनों ने केवल मितव्ययी क्वाइल के रीएलिंगिंग के लिए अनुशंसा की थी, जोकि आगे भी ऊर्जा लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन द्वारा सिद्व हुई ।

त्वरित प्रतिस्थापना कार्यवाही के अभाव के कारण कोयला मिल के अतिरिक्त पुर्जों का निष्क्रिय पड़े रहना ।

कार्य की अनुचित योजना में कारण 4.11 करोड़ रूपए मूल्य के कोयला मिल अतिरिक्त पूर्जों का प्रतिस्थापना नहीं हो सका और 41.10 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई।

2.3.28. कम्पनी ने 8.22 करोड़ रूपये की कुल लागत पर फेस-II के सभी आठ मिलों के उन्नयन/रिफार्बिशिंग के लिए अतिरिक्त पुर्जों की प्राप्ति हेतु नवीन आधुनिक योजना के अन्तर्गत तीन क्रय आदेश (अगस्त 2005, अक्टूबर 2005 एवं नवम्बर 2005) जारी किये गये थे । सभी अतिरिक्त पुर्जे कार्य स्थल पर प्राप्त हो गये थे (जुलाई से सितम्बर 2006 तक) । कम्पनी ने आठ कोयला मिलों में से चार के समपूर्ण नवीनीकरण कार्य (जिसमें प्राप्त किये गये अतिरिक्त पुर्जो का प्रतिस्थापना शामिल था) के लिए शुक्ला एसोसिएट, चचाई को आदेश जारी किया गया (26 जनवरी 2007) । अन्य चार मिलों के लिए प्राप्त किये गये अतिरिक्त पुर्जे स्थापित नहीं किये जा सके क्योंकि वार्षिक नवीनीकरण के लिए जारी किये गये आदेशों (दिसम्बर 2006 एवं फरवरी 2007) में इन अतिरिक्त पुर्जों का प्रतिस्थापना शामिल नहीं था । इस प्रकार इन चार मिलों के लिए प्राप्त किये गये 4.11 करोड़ रूपये मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे बेकार पड़े रहे (सितम्बर 2007) । इस प्रकार, कार्य की अनुचित योजना के कारण, पी.एफ.सी ऋण के माध्यम से प्राप्त किये गये 4.11 करोड़ रूपए मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे पड़े रहे साथ ही 41.10 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई (सितम्बर 2007) ।

निष्क्रिय भण्डार

2.3.29 31मार्च 2007 की स्थिति में, 56.24 करोड़ रूपए मूल्य की सूचीबद्व वस्तुएं भण्डार में पड़ी थीं जिनमें से 3.61 करोड़ रूपए मूल्य की 1372 वस्तुएं तीन वर्ष से अधिक समय से उपयोग नहीं गयी थी। भण्डार-I एवं II में पड़ी हुई अप्रचलित सूचीबद्ध वस्तुएं बढ़ती जा रही थीं। सूचीबद्ध वस्तुओं में प्रभावी कमी लाने के लिए, अप्रचलित मदों के निराकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

निम्नांकित सारिणी में खरीदे गये, उपयोग में लिये गये तथा अभी तक अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र, भण्डार, चचाई में पड़े हुए तार तथा ट्यूब की स्थिति दर्शायी गयी है:-

वस्तु का नाम	मात्रा (मीटर)	मूल्य	भण्डार मे प्राप्त होने की तारीख	भण्डार में की गयी मात्रा एवं अवधि	मार्च 2007 में शेष (मीटर)	मूल्य (लाख रूपए में)
विद्युत तार पीई 3 कोर 400 वर्ग मि.मी.3.3 कि.वा. एरनोर्ड ए.एल.	1003	10.91	मई 1992	निरंक	1003	10.91
वायु तापक ट्यूब (दो आकार)	7466 नग 3777 नग	29.32 38.10	अप्रेल 2004 सितम्बर 2002	निरंक निरंक	7466 3777	29.32 38.10
योग						78.33

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़े

उपरोक्त सारिणी से यह देखा जा सकता है कि मई 1992 में भण्डार में प्राप्त की गयी 10.91 लाख रूपये मूल्य का 1003 मीटर विद्युत तार आज दिनांक तक (सितम्बर 2007) अनुपयुक्त पड़ा रहा। ये तार खुले ऑगन में पड़े थे, इस कारण समय गुजरने के साथ, उनकी गुणवत्ता में विकार उत्पन्न होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता । कम्पनी को पता था (अगस्त 2003), कि फेस-II की दोनों इकाइयों में वायु तापक ट्यूब बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और ट्यूब प्लेट के छिद्र बंद हो गये हैं। इसलिए, कंपनी ने वार्षिक नवीनीकरण (ए.ओ.एच)(सितम्बर 2006) के दौरान वायु तापक ट्यूब तथा ट्यूब प्लेट को बदलने के लिए योजना बनाई (जनवरी 2004), जिससे कि ट्यूब, जो कि भण्डार में पड़े हुए थे, उन्हें नयी प्राप्तियों के साथ उपयोग में लिया जा सकेगा। किन्तु वार्षिक नवीनीकरण से पूर्व बाकी ट्यूब तथा ट्यूब प्लेट प्राप्त करने में कम्पनी असफल रही, इस तरह इन ट्यूबों का उपयोग नहीं हो सका। इस प्रकार, समय पर ट्यूब तथा प्लेट प्राप्त करने में कम्पनी के असफल रहने के परिणाम स्वरूप पिछले पाँच वर्षो तक 67.42 लाख रूपए मूल्य के वायु तापक ट्यूब बेकार पड़े रहे।

210 मेंगावाट की नई इकाई के आकार का अदूरदर्शी निर्धारण

250 मे.वा.की वजाय 210 मे.वा.के नये प्रतिस्थापना करने का निर्णय अदूरदर्शी था क्योंकि फेस-I के निष्क्रिय होने से जल संरक्षण द्वारा 250 में.वा.इकाई की आवश्यकता पूरी हो सकती थी।

2.3.30 कम्पनी ने विद्युत केन्द्र के परिसर में उपलब्ध खुले मैदान में 200 मेंगावाट की एक इकाई को जोड़ते हुए वर्तमान संयंत्र की 290 मेंगावाट क्षमता को बढ़ाने की योजना तैयार की थी । इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया था (अप्रैल 2001)। इकाई के आकार का निर्णय करने हेतु अध्ययन करने के लिये नियुक्त (जनवरी 2002) परामर्शदाता ने 250 मेगावाट के साथ जल की कमी की अनुशंसा की थी । जल कमी पर विचार करते हुए, कम्पनी ने 250 मेगावाट की बजाय 210 मेगावाट के लिए कार्य करने का निर्णय लिया (जून 2002) । उपरोक्त आधार पर 625 करोड़ रूपये की कुल लागत पर 210 मेगावाट के लिए भेल को कार्य सौंपा गया कार्य जो कि मार्च 2007 में पूर्ण होना था वो आज तक अपूर्ण है (सितम्बर 2007)।

यह देखा गया कि 210 मेगावाट इकाई के लिए कार्य करने का कम्पनी का निर्णय दूरदर्शी नहीं था क्योंकि 50 मेगावाट के फेस-I का संरचना के बाद 6.57 लाख क्यूबिक

मीटर अतिरिक्त जल की आवश्यकता (250 मेगावाट के लिए अतिरिक्त आवश्यकता) पूरी नहीं हो सकती थी जिसे कि 44.1 लाख क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता थी, क्योंकि कम्पनी फेस-I को निष्क्रिय करने की योजना बना रही थी और इसकी इकाईयों के सभी बड़े नवीन आधुनिक कार्य भी रोक दिये गये थे ।

भारत सरकार से ब्याज अनुदान का लाभ न लिया जाना

कम्पनी फेस-II के नवी.आधु.कार्य तथा नवीन 210 मे.वा.इकाई के कार्य को दसवीं योजना के अंदर पूर्ण करने में असफल रही और इसीलिए पी एफ सी से लिये ऋण पर भारत सरकार से तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान खो दिया।

2.3.31 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आर्थिक मामलों पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ई.ए.) ने नवीन आधुनिक योजना तथा पी.एफ.सी. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के नयं संवर्धन के लिए इस शर्त पर कि यह मार्च 2007 को समाप्त होने वाली योजना अवधि के अन्तर्गत पूर्ण/प्रचलित कर लिया जाना चाहिए, तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान देते हुए तीव्रगति उत्पादन तथा प्रदाय कार्यक्रम (ए.जी. एवं एस.पी.) बढ़ाने का अनुमोदन किया था (दिसम्बर 2002)।

कंपनी ने वर्ष 2004-07 में फेस-II के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य हेतु रू.99 करोड़ का ऋण एवं नवीन 210 मेगावाट इकाई को पूर्ण करने हेतु रू. 742 करोड़ का ऋण प्राप्त किया। किन्तु दोनो कार्य तय समय सीमा के अंदर पूर्ण न होने से भारत सरकार से तीन प्रतिशत का अनुदान खो दिया ।

आंतरिक नियंत्रण

2.3.32 आंतरिक नियंत्रण, यह विश्वसनीय आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रबंधन उपकरण है, कि संगठन के उद्देश्य दक्षता पूर्ण, प्रभावशाली एवं क्रमिक तरीके से प्राप्त किये जा रहे हैं। आंतिरक नियंत्रण की एक श्रेष्ठ पद्धति में संगठन के अंदर क्रियात्मक जि मेदारी का उचित आवंटन, संचालन तथा लेखाकरण गतिविधियों के लिए उचित पद्धति समाविष्ट होना चाहिए।

यह आंकड़ो की वास्तविकता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने, संचालन में दक्षता, सम्पत्ति की सुरक्षा, व्यक्तियों के कर्तव्य तथा जिम्मेदारी और एक व्यक्ति की दूसरे के कार्य के साथ समीक्षा में सहायता करती है, जिससे कि जालसाजी और गलती की सम्भावनाओं को रोका जा सके। विद्युत केन्द्र द्वारा अपनाई गयी आंतरिक नियंत्रण पद्धति की समीक्षा से निम्न तथ्य प्रकट हुए:

- कम्पनी द्वारा जारी (अगस्त 2003) वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों पर पुनरीक्षित प्राप्त शक्ति (डी.ओ.पी.) के माध्यम से ए टी पी एस आंतरिक नियंत्रण कर रही है जो कि जून 2005 से प्रभावी हुई थी। तथापि, ए टी पी एस में पुनरीक्षित प्रदत्त शक्ति के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था;

- कम्पनी के चेयरमैन सह प्रबन्धक निदेशक ने अक्टूबर 2004 में ए टी पी एस के निष्पादन कार्यों का निरीक्षण किया और विद्युत केन्द्र तथा भण्डार प्रबंधन के रखाव निष्पादन पर अपनी राय व्यक्त की थी एवं सुधार के लिए उपाय करने का सुझाव दिया था। तथापि, यह देखा गया कि ए टी पी एस में चेयरमैन सह प्रबन्धक निदेशक द्वारा किये गये परिवीक्षण का अनुपालन सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं थी।

और, विभिन्न क्रियाकलापों के बीच समन्वय का अभाव था, जिनके उदाहरण हैः-

- अप्रचलित अतिरिक्त पुर्जो का संचय, और
- कोयला मिलों के लिए प्राप्त किये गये किन्तु वार्षिक नवीकरण के दौरान स्थापित नहीं किये गये अतिरिक्त पुर्जो का प्रतिस्थापन न होगा।
- समीक्षा के अंतर्गत समाहित सभी वर्षो के लिए ए टी पी एस की आंतिरक लेखापरीक्षा नहीं करायी गयी थी।

निष्कर्ष

विद्युत केन्द्र का निष्पादन असंतोषजनक था। आंशिक भार के कारण सम्भव उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन के बीच संतुलन नहीं रखा गया था। विद्युत केन्द्र ने संधारण नीति विकसित नहीं की थी और अनुचित संचालन तथा संधारण योजना के कारण, बारम्बार बलात निर्मगन हुआ एवं संयोजित निर्मगन के लिए अतिरिक्त समय लिया गया। कोपू की अनुशसाओं के बावजूद, निर्धारित मानकों/पैरामीटर के अंतर्गत सहायक खतप, कोयला खपत, तेल एवं डी एम जल को कम करने के लिए प्रभावशाली/सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये थे, जैसा कि सी.ई.ए./कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया था। उपरोक्त कमियों के कारण कम्पनी, संयंत्र की दक्षता को बढाने में असर्मथ हुई ।

अनुशंसाएं

कम्पनी को निम्नांकित के लिए प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही करना चाहिएः

- यशाशीध्र नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य आरम्भ करना,
- संचालन में विभिन्न कार्यकलापों के लिए जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए लिखित संधारण नीति विकसित करना,
- कुकड़े समिति द्वारा अनुशंसित, संयंत्रों के वार्षिक नवीनीकरण एवं सम्पत्ति नवीनीकरण के लिए पाँच वर्षो की सूचीबद्ध योजना अपनाना;
- ऊर्जा लेखापरीक्षा के सुझावों का अनुपालन, और
- कोयला, तेल एवं जल का दक्षतापूर्वक उपयोग करना।

2.4 निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए रेवेन्यू बिलिंग सॉफ्टवेयर की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

मुख्यांश

अपर्याप्त आगत (इनपुट) नियंत्रणों एवं समुचित विधिमान्यकरण जाँचों के अभाव के परिणामस्वरूप अपात्र उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई कतिपय रियायतों यथा कर्मचारियों को छूट, शून्य प्रतिभूति जमा एवं प्रतिभूति जमा की वृद्धि न किये जाने के बारे में पता नहीं चल सका ।

(कंडिका 2.4.11 तथा 2.4.13)

सॉफ्टवेयर में मीटर के किराये की बिलिंग न किये जाने अथवा कम/अधिक बिलिंग किये जाने के प्रकरणों के लिये विधिमान्यकरण जाँचे उपलब्ध नहीं थी ।

(कंडिका 2.4.14)

प्रणाली के रूपांकन में कमियों के कारण व्यवसाय संबंधी नियमों की अवहेलना की गई।

(कंडिका 2.4.16 तथा 2.4.17)

अपर्याप्त पासवर्ड नियंत्रणों ने डाटा को अनधिकृत पहुँच तथा परिवर्तन हेतु सुगम बना दिया।

(कंडिका 2.4.20)

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के क्रय पर 4.25 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय ।

(कंडिका 2.4.22)

प्रस्तावना

2.4.1 राज्य में विद्युत शक्ति के वितरण की व्यवस्था तीन वितरण कंपनीयों यथा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर एवं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर द्वारा की जा रही है, जिनका सृजन जून 2005 से किया गया था । लगभग 65 लाख उपभोक्ताओं का निम्न दाब (230 वोल्ट अथवा 400 वोल्ट के आपूर्ति वोल्टेज) उपभोक्ता आधार (लो टेन्शन कन्ज्यूमर बेस) की व्यवस्था करने के लिए राज्य को 7 क्षेत्रों, 40 वृतों एवं 143 संभागों में विभाजित किया गया है ।

2.4.2 वितरण कंपनियों की सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं का निरीक्षण "कंप्यूटर सिस्टम एण्ड ऑटोमेंशन" मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के विभाग द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता, कंप्यूटर सिस्टम एण्ड आटोमेंशन के प्रमुख द्वारा की जाती है जो कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के सचिव को रिपोर्ट देते है, जो क्रमशः मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के चेयरमेन को रिपोर्ट देते है । कम्प्यूटर सिस्टम एण्ड आटोमेंशन के प्रमुख को सिस्टम मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स इत्यादि सहायता प्रदान करते है । वर्ष 2000 के पूर्व निम्न दाब बिलिंग का कार्य कंप्यूटर सिस्टम एण्ड ऑटोमेशन के प्रमुख द्वारा समग्र नियंत्रण में अपनी स्वयं की, संभागों में प्रस्थापित कोबोल अथवा साइबेस आधारित प्रणालियों (सिस्टम) की सहायता से किया जा रहा था ।

2.4.3 अक्टूबर 2000 में, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल ने 19 इंजीनियरों के एक पृथक समूह कैपेसिटी बिल्डिंग ग्रुप की रचना कार्यपालन निदेशक, कॉरपोरेट प्लानिंग ग्रुप (जो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के सचिव को रिपोर्ट देते है)के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन की थी जिसका उद्देश्य निम्न दाब बिलिंग के लिए नवीन ओरेकल आधारित सॉफ्टवेयर के इन-हाउस विकास अर्थात रेवेन्यू मैनेजमेन्ट सिस्टम के लिए था।

रिवेन्यू मैनेजमेन्ट सिस्टम (राजस्व प्रबंधन प्रणाली)

2.4.4 रिवेन्यू मैनेजमेन्ट सिस्टम को 55.88 करोड़ रूपये की लागत से वर्ष 2003 के अंत तक सभी संभागों, वृत्तों एवं क्षेत्रीय मुख्यालय तथा कॉरपोरेट कार्यालय पर कार्यान्वित किया जाना था । रिवेन्यू मैनजमेन्ट सिस्टम के मुख्य घटकः

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास;
- सभी संभागों एवं मुख्यालयों के लिए नेटवर्किंग सॉल्यूशन; तथा
- उपयुक्त के लिये हार्डवेयर की अधिप्राप्ति एवं अधिष्ठापन ।

2.4.5 परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार थे:

- निर्णय समर्थन के लिये मैनेजमेन्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम (प्रबंधन सूचना प्रणाली) के समय पर उपलब्ध होने के लिये राजस्व प्रबन्धन के समस्त प्रकार्यों का कंप्यूटरीकरण;
- वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिये ऊर्जा लेखाकरण तथा लेखापरीक्षा के लिये प्रावधान;
- ऑनलाइन पर्यावरण में बेहतर राजस्व परिवीक्षण एवं प्रबन्धन;
- व्यवसाय संबंधी नियमों का समुचित कार्यान्वयन/अनुवर्तन; और
- उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिये उपभोक्ताओं के तीन वर्ष के इतिहास का ऑनलाइन संधारण ।

2.4.6 जुलाई 2007 तक लगभग 30 लाख उपभोक्ताओं के आधार पर राजस्व **प्रबन्धन** प्रणाली को केवल 64 संभागों में ही कार्यान्वित किया जा सका ।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.4.7 लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या-

- सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी थे जिसके द्वारा डाटा की पूर्णता, परिशुद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके;
- टैरिफ आदेशों के द्वारा अनुबंधित एवं मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आपूर्ति संहिता तथा अन्य संगत नियमों एवं आदेशें के अनुसार व्यवसाय संबंधी नियमों का कंप्यूटरीकृत प्रणाली पर सही रूप से मानचित्रित किया गया है;
- कंप्यूटरीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है; एवं
- विनिर्दिष्ट क्रय प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया था तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारिक संरचना का युक्तियुक्त उपयोग किया गया था ।

लेखापरीक्षा - क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2.4.8 आई.डी.ई.ए. एवं एस क्यू एल क्वेरीज जैसी विभिन्न "कंप्यूटर सहाय्यित लेखापरीक्षा तकनीकों" का उपयोग करके 13[40] संभागों में राजस्व प्रबन्धन प्रणाली पैकेज के द्वारा उत्पादित डाटा का विश्लेषण (मार्च 2007 से जुलाई 2007 तक), टैरिफ आदेशों के प्रावधानों, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आपूर्ति संहिता तथा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 2003 के संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों का मूल्यांकन किया गया था ।

2.4.9 राजस्व प्रबन्धन प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल एवं तीन वितरण कंपनियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का मूल्यांकन, (मार्च 2007 से जुलाई 2007 तक) "सूचना प्रौद्योगिकी शासन " के सर्वोत्तम कार्यो तथा इस संबध में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा तैयार किये गये विभिन्न नियमों के अनुसार किया गया था । मूल्यांकन का कार्य भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर स्थित तीन वितरण कंपनियों के मुख्यालयों पर तथा जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के मुख्यालय पर संधारित अभिलेखों की जांच के द्वारा किया गया था।

[40] *जबलपुर-दक्षिण, पश्चिम एवं पूर्व एवं संचारण तथा संधारण; भोपाल- उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम; इन्दौर- उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम; ग्वालियर- उत्तर एवं दक्षिण*

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ब्यौरा आगामी कंडिकाओं में दिया गया है । मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल एवं वितरण कंपनी जबलपुर से लेखापरीक्षा निष्कर्षो के उत्तर प्राप्त हो गये है और उनको विधिवत समाविष्ट कर लिया गया है । इन्दौर एवं भोपाल की वितरण कंपनियों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2007) ।

आगत (इनपुट) नियंत्रणों एवं विधिमान्यकरण जाँचों की अपर्याप्तता

आगत नियंत्रण यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) के लिये प्राप्त डाटा प्रामाणिक, संपूर्ण, विधिमान्य, यथार्थ एवं समुचित रूप से प्राधिकृत है और डाटा प्रविष्टियां सही रूप में तथा बिना दोहरे लिपिकरण के की गई है । राजस्व प्रबन्धन प्रणाली पैकेज के डाटा के विश्लेषण से आगत नियंत्रणों की विफलता एवं विधिमान्यकरण जाँचों के अभाव के विभिन्न दृष्टान्त प्रकट हुए ।

गुमशुदा/दिखावटी उपभोक्ता एवं डाटाबेस में मीटर सूचना

2.4.10 मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2004 के पैरा 9.28 में व्यवस्था है कि मीटर वाले उपभोक्ताओं, के बिलों में अनुबंधित/सम्बद्ध/मांग भार, मीटर की पहचान उपभोक्ता के नाम के ब्यौरे इत्यादि को आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाये । तथापि डाटा विश्लेषणों में निम्नलिखित कमियां ध्यान में आईः

- राजस्व प्रबंधन प्रणाली की यूजर नियम-पुस्तिका में बताया गया है कि मीटर क्रम संख्या, फेज, मेक एवं रेटिंग अपने आप में यूनिक होते है । उसी प्राचलों वाली कोई अन्य मीटर प्रविष्टि प्रणाली द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी । तथापि 23,217 प्रकरणों में, यूनिक नम्बर वाले एक मीटर को एक से अधिक उपभोक्ता के नाम से अधिष्ठापित पाया गया था ।
- 23,588 प्रकरणों में, प्रणाली के अंतर्गत मीटर संख्या अंकित नहीं की गई थी।
- 3,826 प्रकरणों में, उपभोक्ताओं के सम्बद्ध भार को अंकित नहीं किया गया था।
- 1,009 प्रकरणों में, उपभोक्ताओं का नाम अर्थहीन था यथा ' क क, ' क ख ग', '-', '+' इत्यादि

वितरण कंपनी, जबलपुर ने बताया कि फील्ड स्तर पर जनशक्ति की घोर कमी के कारण मीटरों के डमी नम्बर डालने का निर्णय लिया गया तथा पंचिंग त्रुटियों के कारण उपभोक्ता का नाम एवं भार की प्रविष्टि डाटा बेस में नहीं की गई थी । मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है तथा सुधारात्मक कारवाई की जा रही है और अनुपालन की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जायेगी. तथापि अनुपालन की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2007) ।

अपात्र उपभोक्ताओं के बिलों में दर्शित "शून्य" प्रतिभूति जमा ।

2.4.11 मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 2560/एम पी ई आर सी/2004 दिनांक 01 अक्टूबर 2004 में प्रावधान है कि प्रत्येक निम्न दाब उपभोक्ता (कुछ छूट प्राप्त श्रेणियों के अतिरिक्त) से 45/90 दिन की अनुमानित खपत के आधार पर प्रारंभिक ऊर्जा प्रतिभूति जमा का संग्रहण किया जाना था । जनवरी 2007 के माह के डाटा का विश्लेषण छूट प्राप्त श्रेणियों को ध्यान में रखकर किया गया था और डाटाबेस में यह पाया गया कि 17170 बिलों में प्रतिभूति जमा को अंकित नहीं पाया गया था जिससे विधिमान्यकरण नियंत्रण के अभाव की सूचना मिली जिसके कारण अपात्र उपभोक्ताओ के प्रकरणों में भी "अकृत प्रविष्टि" अनुमत्य की गई ।

इस प्रकार, सॉफ्टवेयर उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ अनुसार प्रतिभूति जमा के क्षेत्र में आगत प्रविष्टियों को विधिमान्य करने में विफल रहा इसकी परिणिति सामान्य उपभोक्ताओं के लिये जारी किये गये बिलों में "शून्य" प्रतिभूति जमा के रूप में हुई तथा दूसरे ऐसे उपभोक्ता जो इस प्राकार की छूट के लिये पात्र नहीं थे, को भी सॉफ्टवेयर द्वारा अनुमति प्रदान की गई ।

वितरण कंपनी, जबलपुर ने बताया (सितम्बर 2007) ऐसे उपभोक्ताओं, जिनकी प्रतिभूति जमा गुम थी, की सूची की जांच-पड़ताल कर ली गई है और यह पाया गया है कि इनमें से कोई भी निम्नांकित श्रेणियों में से किसी से भी संबंधित हो सकता है:

- ऐसे उपभोक्ता जिनकी प्रतिभूति एवं बिलिंग मुख्य से मीटर में जुडी हुई है;
- मंडल के कर्मचारी;
- अस्थाई रूप से संयोजन-विच्छेदित उपभोक्ता जहां प्रतिभूति जमा अप्राप्त बकायाओं के कारण समायोजित कर ली गई है; तथा
- "एकल बत्ती पॉइन्ट" वाले उपभोक्ताओं के प्रकरण जिनमें पूर्व में कोई प्रतिभूति जमा नहीं कराई गई है ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ये प्रकरण छूट प्राप्त श्रेणियों को ध्यान में रखकर तथा उनको छोड़कर लेखापरीक्षा द्वारा इगित किये गये है ।

कार्यपालन यंत्री, नगर संभाग, उत्तर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ग्वालियर, ने उत्तर दिया (सितम्बर 2007) कि ऐसे उपभोक्ता जिनसे पूर्व में कोई प्रतिभूति जमा प्रभारित नहीं की गई है, लेखापरीक्षा के द्वारा उल्लेख किये जाने पर, नये देयक तैयार किये गये हैं ।

सॉफ्टवेयर द्वारा अपात्र उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा की वृद्धि न करना

2.4.12 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) विनियम, 2004 दिनांक 22 सितम्बर 2004 की कंडिका 1.16 में प्रावधान है कि निम्न दाब (एल टी) उपभोक्ताओं (मंडल के कर्मचारी/मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा सरकारी कार्यालय के अलावा) की प्रतिभूति जमा की प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में पहले के 12 महीनों

के उपयोग के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिये । संभागों के डाटा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 1,360 ऐसे उपभोक्ताओं के लिये मास्टर टेबिल में "प्रतिभूति जमा वृद्धि पताका (फ्लैग) " में "हाँ" की जगह "नहीं" मूल्य (वैल्यू) उल्लिखित था जिसके कारण उनकी प्रतिभूति जमा की या तो समीक्षा नहीं की गई या वृद्धि नहीं की गई ।

यह भी अवलोकन किया गया कि उपभोक्ता श्रेणी तथा प्रतिभूति वृद्धि से सम्बन्धित डाटा उसी आगत फॉर्म (इनपुट फॉर्म) में भरा गया तथा पहले वाला पहले भरा गया तथापि सॉफ्टवेयर ने उन उपभोक्ताओं के लिये भी, जिन्हें वार्षिक प्रतिभूति जमा वृद्धि से छूट नहीं दी गई थी, प्रतिभूति जमा वृद्धि पताका (फ्लैग) में "नहीं" अर्थात अवैध मूल्य स्वीकार किया । इस प्रकार सॉफ्टवेयर ने प्रतिभूति जमा वृद्धि पताका (फ्लैग) में अवैध प्रविष्टियां स्वीकार की ।

सॉफ्टवेयर द्वारा अपात्र उपभोक्ताओं को दी गई "कर्मचारी छूट"

2.4.13 मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के आदेश संख्या-01-07/डब्लू ए सी/1381 दिनांक 04 मार्च 2005 में परिकल्पित है कि मंडल के कार्यरत कर्मचारियों और मंडल के सेवानिवृत कर्मचारियों को ऊर्जा प्रभारों तथा नियत प्रभारों पर क्रमशः 50% तथा 25% की छूट दी जायेगी । राजस्व प्रबंधन प्रणाली पैकेज में ऐसे उपभोक्ताओं के लिये राजस्व श्रेणी संकेत (कोड) क्रमशः 101-02 तथा 101-55 है तथा मास्टर टेबिल में ऐसे उपभोक्ताओं के लिये कर्मचारी छूट पताका (फ्लैग) "वाई" (Y) है । माह जनवरी 2007 के डाटा के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 412 सामान्य उपभोक्ताओं (राजस्व श्रेणी संकेत (कोड) 101-01) के लिये कर्मचारी छूट पताका (फ्लैग) "वाई" (Y) था ।

यह भी अवलोकन किया गया कि उपभोक्ता राजस्व श्रेणी और कर्मचारी छूट पताका सम्बंधी डाटा उसी आगत प्रपत्र (इनपुट फॉर्म) में भरा गया (फीड किया गया) था तथा पहले वाले को पहले भरा गया था । तथापि सॉफ्टवेयर ने सामान्य उपभोक्ताओं के मामले में भी कर्मचारी छूट पताका (फ्लैग) में हाँ (Yes) मूल्य स्वीकार किये ।

वितरण कंपनी जबलपुर ने इस लेखापरीक्षा अभ्यूक्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये ये सभी मामले मंडल के कर्मचारियों से सम्बंधित थे तथा राजस्व की कोई हानि नहीं हुई थी । अब ये उपभोक्ता राजस्व प्रबंधन प्रणाली में निर्दिष्ट श्रेणी में स्थानांतरित किये जा रहे है । इसमें यह भी दर्शाया गया कि उपभोक्ता मास्टर डाटा अयर्थात था क्योंकि डाटाबेश में गलत राजस्व श्रेणी संकेत (कोड) भरा गया था। इस के कारण राजस्व प्रबंधन प्रणाली पैकेज द्वारा जनित विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई ।

मीटर किराये के देयक न बनाने या कम/अधिक देयक बनाने के मामलों को अमान्य करना/पता लगाना

2.4.14 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 9 दिसम्बर 2004 को, जारी किये गये विविध एवं सामान्य प्रभारों पर आदेश की कंडिका 5.4 के अनुसार, 1 जनवरी 2005 से, प्रत्येक मीटर वाले उपभोक्ता से एकल फेज (सिंगल फेज) कनैक्सन के लिये 5/- रूपये

प्रतिमाह तथा बहुफेज (पॉली फेज) कनैक्सन के लिये 12/- रूपये प्रतिमाह की दर से मीटर किराया (मीटर रेन्ट) वसूल किया जाना था । जिन मामलों में मीटर किराया लागू करने योग्य नहीं था उन पर यथोचित विचार करने के पश्चात् जनवरी 2005 से मार्च 2007 तक की अवधि से सम्बंधित डाटा के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 35,30,784 देयकों में मीटर किराया "शून्य" था तथा 61,293 देयकों मे मीटर किराया 12/- रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 5/- रूपये की दर से लगाया गया था । इसी प्रकार 645 मामले ऐसे थे जिनमें मीटर किराया 12 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रभारीत किया गया था जबकि जनवरी 2007 के महीने के लिये किये गये डाटा के विश्लेषण के अनुसार 5 रूपये प्रभारित किये जाने चाहिये थे । इससे यह संकेत मिला कि देयक (बिल) बनाने वाले सॉफ्टवेयर ने "शून्य किराया" या किराये की कम/अधिक उगाही से सम्बंधित प्रविष्टियों को उपभोक्ताओं की मीटर सूचना के संदर्भ से, मान्य नहीं किया ।

वितरण कम्पनी जबलपुर ने लेखापरीक्षा अभ्यूक्तियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2007) तथा इस सम्बंध में आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिये सहमति व्यक्त की ।

उन मामलों का पता न लगाना तथा वैधीकरण (मान्य) न करना जिनमें उपभोक्ताओं को तीन फेज कनैक्सन के स्थान पर एकल (सिंगल) फेज कनैक्सन प्रदान किये गये थे ।

2.4.15 मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2004 की कंडिका 3.2 तथा 3.4 के अनुसार, एकल फेज उपभोक्ताओं के लिये अधिकतम संविदा माँग 3 किलोवाट/4 एच.पी./3000 वाट है। तथापि डाटा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 4,859 उपभोक्ता के मामले में, कनैक्सन दिया गया भार (लोड) 3 किलोवाट/4 एच.पी./3000 वाट से अधिक था परन्तु कनैक्सन एकल फेज था । इससे राजस्व प्रबंधन प्रणाली पैकेज में मान्यकरण (वैलीडेशन) जाँच का अभाव होना सूचित हुआ क्योंकि सॉफ्टवेयर ने प्रणाली में भरे जाने (फीड करने) हेतु एकल फेज कनैक्सन के लिये परिकाल्पित अधिकतम भार (लोड) से अधिक भार को स्वीकार किया ।

वितरण कम्पनी जबलपुर ने बताया (सितम्बर 2007) कि वर्तमान देयक तैयार करने की प्रणाली में 3 किलोवाट (के.डब्लू.) भार (लोड) से ऊपर के सभी उपभोक्ताओं को केवल तीन फेज कनैक्सन ही दिया जाता है और अब सॉफ्टवेयर में सुधार कर दिया गया है । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये मामलों में प्राथमिक तौर पर पुराने उपभोक्ताओं के है जिनमें डाटा का गलत छिद्रण (पंचिग) किया गया या उपभोक्ताओं ने कनैक्सन के बाद अपने भार (लोड) में वृद्धि की । उपभोक्ताओं को सूचना भी जारी की गई है की वे अपने कनेक्शन तीन फेज में परिवर्तीत कर ले ।

प्रणाली रूपांकन (सिस्टम डिजाइन) खामियां

कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य व्यवसाय के नियमों को समुचित ढंग से कार्यान्वित करना था । तथापि डाटा विश्लेषण से राजस्व प्रबंधन प्रणाली पैकेज द्वारा

व्यवसाय नियमों का पालन न किये जाने के उदाहरण सामने आये जो की अनुवर्तित कंडिकाओं में दर्शाये गऐ है ।

अप्रविष्टि को प्रणाली द्वारा "निरंतर आपूर्ति" से सम्बंधित डाटा की स्वीकृत किया जाना।

2.4.16 वित्त वर्ष 2006-07 के लिये मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार, यदि औसत मासिक आपूर्ति 23.50 घंटे प्रति दिवस से कम (अनिरंतर आपूर्ति) है तो घरेलू बिजली एवं पंखा उपभोक्ताओं के मामले में रियायती नियत प्रभारों का देयक बनाया जाना चाहिये । डाटा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि मासिक औसत आपूर्ति की प्रविष्टि करने के लिये राजस्व प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर में प्रावधान उपलब्ध था यद्यपि यह देयकों का सृजन (जनरेटिंग) करने से पहले आदेशात्मक प्रविष्टि नहीं थी । परिणामस्वरूप, कोई डाटा प्रविष्टि नहीं होने के मामले में प्रणाली ने निरंतर आपूर्ति की एक सदोष प्रविष्टि (24 घंटे) धारण की जिससे सत्य एवं स्वच्छ निर्धारण प्रदर्शित हो भी सकता था अथवा नहीं भी हो सकता था । निरंतर आपूर्ति के बारे में प्रविष्टिकरण सूचना को आदेशात्मक न बनाकर व्यवसायिक नियमों से बचकर चला गया । इस प्रकार उपभोक्ताओं से निर्धारित प्रभारों की अधिक वसूली की संभावना को नकारा नहीं जा सकता था ।

वितरण कम्पनियां से इस बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2007)।

सॉफ्टवेयर द्वारा "आकलित खपत" आधार पर देयक बनाना स्वीकार किया गया यद्यपि मीटर "बन्द" या "खराब" घोषित नहीं किये गये थे ।

2.4.17 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार, जब तक उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित मीटर "बन्द" या "खराब" घोषित न कर दिया जायें तब तक उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले देयक आंकलित खपत आधार पर तैयार नहीं किये जा सकते है । डाटा विश्लेषण के दौरान यह अवलोकन किया गया कि सॉफ्टवेयर में अयथेष्ट प्रणाली स्तर जाँच विद्यमान थी जिसके कारण प्रणली द्वारा आंकलित खपत स्वीकार किया गया जबकि उपभोक्ताओं के मीटर "बन्द" या "खराब" घोषित नहीं किये गये थे । यह भी अवलोकन किया गया कि आंकलित के लिये एक अलग संकेत (कोड) प्रारंभ किया गया था और इस संकेत के अनुसार यह आदेशात्मक नहीं था कि आंकलित खपत के देयक तैयार करने के लिये मीटर को "बन्द" या "खराब" घोषित किया जाये । इससे यह प्रकट हुआ कि देयक (बिलिंग) सॉफ्टवेयर व्यवसायिक नियम से बचकर चल रहा था ।

यह भी कि कार्यक्रम (प्रोग्राम) में आंकलित खपत की स्वचालित ढंग से गणना करने के लिये भी कोई प्रावधान नहीं था । आपूर्ति संकेत के अनुसार आंकलित खपत की गणना पूर्व के तीन महीनों के मीटर वाचन के आधार पर औसत के रूप की जानी चाहिये । सॉफ्टवेयर में इस खामी के कारण, आंकलित खपत की गणना करने के लिये मानव हस्तक्षेप का सहारा लिया गया था ।

कम्प्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर के डाटा के अनुसार माह जनवरी 2007 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि मीटर 'बन्द' या 'खराब' नहीं दर्शाये गये प्रकरणों में 71,422 देयकों में 1,03,63,126 यूनिट का आंकलित खपत दर्शाया गया था । इस प्रकार व्यवसायिक नियमों का उल्लंघन करते हुये, मीटर "बन्द" या "खराब" घोषित किये बिना उपभोक्ताओं के लिये आंकलित खपत के देयक तैयार किये गये थे ।

वितरण कम्पनी, जबलपुर ने बताया कि आंकलित खपत के प्राथमिक कारण निम्नानुसार थेः

- देयक वाले महीने के दौरान मीटर बदला गया तथा नये मीटर में उस सम्पूर्ण महीने के सम्बंध में उपभोग प्रदर्शित नहीं होता है; तथा
- उपभोग में असामान्य घटोतरी (डिप्स) देखा जाती है तथा मीटर बाचकों/कनिष्ठ यंत्रियों द्वारा मीटर बाचन पुस्तकों (एम.आर.बी.) में संदेहस्पद उपभोग की अभ्युक्तियां अभिलेखित की जाती है ।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशों में यह स्पष्ट कथन है कि उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित मीटर "बन्द" या "खराब" घोषित किये बिना, उपभोग के लिये देयक आंकलित खपत के आधार पर तैयार नहीं किये जाये। वितरण कम्पनी द्वारा इंगित किय गये मामलों में आंकलित खपत के लिये, व्यवसायिक नियमों में प्रावधान नहीं था ।

इस प्रकार प्रणाली ने व्यवसायिक नियमों से बचकर चलना स्वीकार किया तथा उसमें आंकलित खपत की गणना का कोई रूपक (फीचर) नहीं था अतएवं यह कार्य हाथ से किया जा रहा था ।

सामान्य नियंत्रण की अपर्याप्तता

सामान्य नियंत्रण ऐसा वातावरण उत्पन्न करते है जिसमें सूचना प्रोद्योगीकी अनुप्रयोग तथा सम्बन्धित नियंत्रण परिचालित किये जाते है । केपेसिटी बिल्डिंग ग्रुप, वितरण कम्पनियों, वृत्तों, क्षेत्रों और संभागों के अभिलेखों की जाँच में सामान्य-नियंत्रणों की अपर्याप्तता के उदाहरण प्रकट हुए जिनका विवरण अनुवर्ती कंडिकाओं में दिया गया हैः-

संगठनात्मक एवं प्रबन्धन नियंत्रण

2.4.18 मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी कार्य कलापों को केपेसिटी बिल्डिंग ग्रुप के माध्यम से कार्यकारी निदेशक (कॉरपोरेट प्लानिंग ग्रुप) द्वारा तथा कंप्यूटर सिस्टम एण्ड ऑटोमेशन के प्रमुख द्वारा समानान्तर रूप से कार्यन्वित किया जा रहा है । इन दोनों में समन्वय की कमी के कारण विभिन्न समस्याएं जैसे अद्यतन टेरिफ आदेशों के परिपालन में विलंब सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.) के विभिन्न वर्णो के अनुवादों के प्रस्तुतीकरण तथा असंगणित परिवीक्षण (आदि) उत्पन्न हुई जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः राजस्व प्रबन्धन प्रणाली परियोजना (रेवेन्यू मेनेजमेंट सिस्टम) के

कार्यान्वयन में विलंब हुआ । जुलाई 2007 को, राजस्व प्रबन्धन प्रणाली कुल 143 संभागों में से केवल 64 संभागों में कार्यान्वित की जा सकी । इन 64 संभागों में से केवल 5 संभाग ऑनलाईन है और शेष 59 संभाग अभी भी अलग रहकर ऑफलाईन पर्यावरण में कार्य कर रहे है । आगे, राजस्व प्रबन्धन प्रणाली पेकेज में विकसित किये जाने वाले 14 मोडयूल्स में से केवल 8 ही विकसित किये जा सके । (जुलाई 2007) इस प्रकार परियोजना के अभिप्रेत लाभ अभी भी प्राप्त किये जाने हैं ।

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2007) कि राजस्व प्रबन्धन प्रणाली को 64 संभागों में तैयार की गई योजना के अनुरूप आगे बढाया गया है। वर्तमान में शेष संभागों में राजस्व प्रबन्धन प्रणाली को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है । वितरण कम्पनियों के स्तर पर शेष संभागों में इस योजना को आगे बढाने के निर्णय की स्थिति में तदनुसार योजना तैयार की जावेगी ।

मण्डल का निर्णय मान्य नहीं था क्योंकि मूल परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार राजस्व प्रबन्धन प्रणाली 143 संभागों में ऑनलाइन आधार पर आगे बढ़ाया जाना था तथापि 5 वर्षो से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 143 संभागों में से केवल 5 सभांगो में ऑनलाइन आधार पर प्रारंभ की जा सकी है ।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं प्रलेखन का अभाव

2.4.19 मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल तथा उसकी वितरण कम्पनियां सूचना प्रौद्योगिकी परिसम्पत्तियों सॉफ्टवेयर और डाटा सुरक्षा के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति का प्रारूपण तथा प्रलेखन करने में विफल रही थी । सुरक्षा नीति के अभाव में, सुरक्षा भंग होने की संभावना, डाटा की हानि, कपट तथा त्रुटियों होने की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता । एक लिखित सूचना प्रौद्योगिकी नीति जिसमें संगठनात्मक उद्देश्यों तकनीकी निर्देश तथा मानव संसाधन का प्रबन्धन आदि सम्मलित हो को भी विकसित नहीं किया गया । आपदा उपचार प्रबन्धन तथा व्यवसांय निरंतरता योजना भी जिसमें आपदा के तुरन्तु बाद कार्यवाही करने की रूपरेखा बनाना तथा प्राभवपूर्ण तरीके से सुनिश्चित करना कि सूचना प्रक्रिया क्षमता शीघ्रतम रूप से पुनः आरंभ की जा सकती हो, विकसित नहीं की गई है । तो भी सूचना प्रौद्योगिकी की परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित दैनिक समस्याओं का समाधान भी आवश्यकता के आधार पर किया जाता है क्योंकि अधिकाश संभागों में वार्षिक संधारण अनुबंध निष्पादित नहीं किये गये है ।

भौतिक एवं तार्किक पहुँच नियंत्रण

2.4.20 भौतिक तथा पर्यावरणीय नियंत्रणों का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी सेंवाओं तक अनाधिकृत पहूँच तथा हस्तक्षेप की रोकथाम करना है । सूचना प्रौद्योगिकी परिसम्पत्तियों को अग्नि, जल (वास्तविक जल या अत्याधिक आद्रता) भूकम्पों, विद्युत शक्ति प्रवाहः या बिजली की कमी आदि पर्यावरणीय क्षति से संरक्षित करना चाहिऐ । संभागीय कार्यालयों पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रचालनों के लिए अलग से कोई प्रकोष्ठ उपलब्ध नहीं है तथा गैर

सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारियों की प्रत्यक्ष पहूँच प्रतिबन्धित नहीं थी । किसी भी संभाग में अग्निशमन की समूचित व्यवस्था भी नहीं पाई गई ।

यद्यपि पासवर्ड नीति बनाई गई थी तथापि, सामान्य पासवर्ड नियंत्रण प्रक्रियाएं जैसे प्रयोग कर्ताओं द्वारा असफल लोगिन प्रयत्नों पर प्रतिबंध अथवा पासवर्ड का पूर्व निर्धारित अवधी के बाद स्वतः विलुप्त हो जाना तथा एक निश्चित अवधि के पश्चात पासवर्ड में प्रणाली प्रवर्तित आवधिक परिवर्तन अस्तित्व में नहीं थे आगें यह भी देखा गया कि असफल लोगिन प्रयत्नों कि संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था । यह भी देखा गया कि संभागीय कार्यान्वयन कर्ताओं ने प्रणाली के आरंभ से ही ओरेकल प्रयोक्ता स्कीमा में पासवर्ड में परिवर्तन नहीं किया था तथा प्रायः सभी संभागों के पास एक समान तरीके के पासर्वडस् थे जो समस्त कर्मचारियों की जानकारी में थे ।

वितरण कम्पनी, जबलपुर ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2007) कि पहूँच नियंत्रण प्रलेख जिनमें भौतिक तथा तार्किक पहूँच शामिल है पहले से ही प्रचलन में था । यह कुछ स्थानों पर संभव हो सकता था, की वाँछित कुशल परिचालन जनशक्ति प्रशासनों की कमी के कारण यह समुचित तरीके से कार्यान्वित नहीं किया गया । सभी स्तरों पर पहूँच नियंत्रण नीति को संस्थाकरण करने के लिए निर्देश जारी किये गये थे । आधारित संरचना (रीयल एस्टेट) स्थावर भू सम्पत्ति/संभार तंत्र के रख रखाव करने के लिए तथा प्राकृतिक आपदाओं के विरूद्ध सुरक्षा उपाय करने के लिए योजना बनाई जा रही थी क्योंकि इसमें अनुमान लगाने में बड़े प्रयत्नों की आवश्यकता है तथा यथोचित राशि की निधियों की भी आवश्यकता होगी । वित्तीय बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए वितरण कम्पनियों के लिए एक पूर्ण एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी समाधान की योजना बनाई जा रही थी ।

कार्यक्रम परिवर्तन नियंत्रण

2.4.21 टेरिफ आदेशों में परिवर्तन न्यायालय के निर्णयों नियमों में संशोधनों आदि के कारणों से सॉफ्टवेयर में परिवर्तन समय समय पर खण्डों में जारी किये गये तदअनुसार आवश्यक परिवर्तन कार्यान्वित किये जाते हैं । तथापि संभागों पर ऐसा कोई अभिलेख संधारित होना नहीं पाया गया जिसमें इन परिवर्तनों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रलेखित किया गया हो कि सॉफ्टवेयर में किये गये संशोधन प्राधिकृत परीक्षित तथा मान्य थे ।

अन्य रूचिकर मुद्दे

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के क्रय पर 4.25 करोड़ रूपये की राशि का निष्फल व्यय ।

2.4.22 मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने (वर्ष 2002) राजस्व प्रबन्धन प्रणाली को ऑनलाइन आधार पर शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए सात[41] क्षेत्रीय मुख्यालय

[41] भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं रिवा

नगरों में स्थित 2 सम्भागों की "पाइलेट" स्थलों के रूप में तथा 21 संभागों की "प्राथमिकता" (प्रायॅरिटो) संभागों के रूप में विहिन्त किया । मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने इन पाइलेट तथा प्रॉयरिटी (प्राथमिकता) संभागों पर अधिष्ठापित किया जाने वाले हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के लिए आदेश जारी किये गये थे । (अगस्त 2002 से फरवरी 2003) तथा माल की सुपुर्दगी क्षेत्रीय स्तर पर की जानी थी ।

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2007) से प्रकट हुआ कि इन संभागों में राजस्व प्रबन्धन प्रणाली का कार्यान्वियन हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के दिनांक से औसतन 2 वर्षो के विलम्ब से किया जा सका । आगे यह भी जानकारी में आया कि इन 23 संभागो में से केवल 5 संभागों में ही ऑनलाइन आधार पर राजस्व प्रबन्धन प्रणाली कार्यान्वित की जा सकी । शेष 18 संभागों में राजस्व प्रबन्धन प्रणाली आफलाइन आधार पर चल रही थी । तथापि हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति आनलाइन प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार की गई जो कि एक आफलाइन प्रणाली की तुलना में बहुत अधिक थी । इस प्राकर ऑफलाइन आवश्यकता से अधिक क्रय किये गये हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर इन 18 संभागों में 4 वर्ष से अधिक समय तक अप्रयुक्त पड़े रहे, जिससे कि इन मदों के क्रय पर व्यय किये गये 4.25 करोड़ रूपये (परिशिष्ट "क" में दर्शाये गये विवरणों के अनुसार) निष्फल हो गये ।

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने बताया (नवम्बर 2007) कि संबधित एवं प्रयोजन मूलक उपभोक्ताओं को सॉफ्टवेयर तक पहुँच पाने के लिये टर्मिनल्स उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन पहुँच सहित राजस्व प्रबन्धन प्रणाली के कार्यान्वयन की योजना तैयार की गई थी । कम्प्यूटर हार्डवेयर क्षेत्र (फील्ड) अधिकारियों को क्षेत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये थे और उनका उपयोग सर्वर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित राजस्व प्रबंधन प्रणाली के लिये किया जा रहा है । वितरण कंपनियों द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों के लिये हार्डवेयर को दुसरे कार्य में लगाने के कुछ प्रकरण आवश्यकता पर आधारित हो सकते है जिसें निष्फल व्यय नहीं समझा जा सकता है, कम्प्यूटर को दूसरे कार्यो के लिये भी उपयोग किया गया तथा इसने दक्षता में सुधार के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

उत्तर इस तत्थ को ध्यान में रखते हुए मान्य नहीं है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को राजस्व प्रबंधन प्रणाली को ऑनलाइन आधार पर कार्यान्वयन करने के लिये अधिप्राप्त किया गया था तथा उसका उपयोग उस उद्देश्य के लिये नहीं किया गया जिसके लिये उसे अधिप्राप्त किया गया था ।

निधियों की संस्वीकृति एवं उपलब्धता के बावजूद नेटवर्किंग उपकरणों के अधिप्राप्त न किया जाना ।

2.4.23 अगस्त 2003 में, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने 21 संभागों तथा 7 क्षेत्रीय मुख्यालयों में राजस्व प्रबन्धन प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिये नेटवर्किंग अवयवों सहित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के लिये अनुमोदन किया था । नेटवर्किंग आधारिक संरचना को 21 प्राथमिकता वाले संभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों पर स्थापित करने के लिये अंतरिम लागत 4.1 करोड़ रूपये आंकलित की गई थी और

उसका अनुमोदन चेयरमेंन के द्वारा 05 अगस्त 2003 को किया गया था तथा इसे मुख्य अभियंता (भंडार एवं क्रय) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को अगस्त 2003 में अधिप्राप्ति हेतु भेजा गया था ।

तथापि, न तो मुख्य अभियंता (भंडार एवं क्रय) और न ही तत्पश्चात तीन वितरण कंपनियों के चेयरमेन-सह-प्रबंधन निदेशक नेटवर्किंग उपकरणों की अधिप्राप्ति कर सकें (जुलाई 2007) परिणामतः केवल 5 संभाग ऑनलाइन हैं ।

मण्डल ने बताया (नवम्बर 2007) कि वितरण कंपनियों के सृजन के पश्चात अलग-अलग वितरण कंपनियों द्वारा अधिप्राप्ति का जिम्मा लिया गया था ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नेटवर्किंग उपकरणों की अधिप्राप्ति मण्डल की संस्वीकृति के बावजूद भी न तो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा की गई थी और न ही तत्पश्चात वितरण कंपननियों द्वारा की गई थी ।

निष्कर्ष

राजस्व प्रबंधन प्रणाली परियोजना को प्रारंभ हुये 5 वर्षो से अधिक व्यतीत हो चुके है । तथापि, 143 संभागों में से केवल 5 संभागों में आनॅलाइन आधार पर राजस्व प्रबन्धन प्रणाली चालू है । विकसित किये जाने वाले 14 मॉडयूलस के विरूद्ध केवल 8 मॉडयूलस ही राजस्व प्रबंधन प्रणाली के वर्तमान स्वरूप में है । संभागों, वृत्तों, क्षेत्रीय मुख्यालयों एवं कॉरपोरेट कार्यालयों के मध्य नेटवर्किंग नहीं की गई है । इस प्रकार, परियोजना के कोई भी उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके है । राजस्व प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर द्वारा अपने वर्तमान स्वरूप में उत्पादित डाटा न तो सही है और न ही पूर्ण एवं विश्वसनीय है । सामान्य पर्यावरण, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी को प्रचालित किया जा रहा है, निम्न स्तर का है। सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति को प्रतिपादित नहीं किया गया है । विपदा उपचार एवं व्यवसाय नैरन्तर्य योजना नहीं बनाई गई है ।

अनुशंसाये

- **मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को कैपेसिटी बिल्डिंग ग्रुप को भंग करने पर विचार करना चाहिये और राज्य में एकीकृत समाधान विकसित करने के उद्देश्य से जो कि समान रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिये, के लिये सूचना पेशेवरों (प्रोफेशनल्स) की सेंवाएं किराये पर लिये जाने हेतु विचार किया जाना चाहिये । मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं की व्यवस्था केवल एक विभाग द्वारा की जानी चाहिये जैसा की वर्ष 2000 के पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम्स एण्ड ऑटोमेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा किया जा रहा था ।**
- **डाटा इनपुट वैलीडेशन एवं व्यवसायिक नियमों का शुद्ध मानचित्रण जैसा नियमों में परिलिखित के लिये अतिशीघ्र प्रयत्न प्रारंभ किये जाने चाहिये ताकि राजस्व की हानि तथा उपभोक्ताओं से अधिक वसूली की संभावना के उद्धारणों का पता लगाया जा सके ।**

- सुरक्षा नियंत्रण, भौतिक एवं तार्किक पहुँच नियंत्रण कार्यक्रम, परिवर्तन नियंत्रण तथा आपदा राहत एवं व्यवसाय निरंतरता योजनाओं इत्यादि की व्याख्या करने वाली व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी नीति का अतिशीघ्र व्यवस्थापन, लेखीकरण तथा कार्यान्वयन करना तत्काल आवश्यक है ।

अध्याय-तीन

सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा

3. मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कारपोरेशन द्वारा भण्डार गृहों के निर्माण, संचालन एवं संधारण.

मुख्यांश

पर्याप्त निधियों के उपलब्ध होने पर भी, निगम 2002-07 की अवधि में नये गोदामों का निर्माण करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका ।

(कंडिका 3.7)

गोदामों के निर्माण तथा चालू करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.74 करोड़ रूपए की सम्भावित हानि हुई ।

(कंडिका 3.9)

भूमि उपलब्ध होते हुए भी दो मंजिल गोदाम बनाने के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणाम स्वरूप 0.60 करोड़ रूपए का परिहार्य अतिरिक्त पूंजीगत व्यय हुआ ।

(कंडिका 3.12)

विवादग्रस्त भूमि पर गोदाम निर्माण के परिणामस्वरूप 1.76 करोड़ रूपए की निधियाँ अवरूद्ध हुई ।

(कंडिका 3.15)

27 गोदामों के निर्माण के लिए नाबार्ड से छः करोड़ रूपए की सहायता राशि का लाभ लेने में निगम असफल रहा ।

(कंडिका 3.16)

2002-07 के दौरान किराए के गोदामों का उपयोग 80 से 92 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि स्वयं के गोदामों का उपयोग केवल 53 से 67 प्रतिशत था । निजी गोदामों को किराए पर लेने की बजाय स्वयं के गोदामों की अतिशेष उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने से, निगम 6.28 करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर सकता था ।

(कंडिका 3.20)

निगम अपने गोदामों मे खाद्यानों का भाण्डागार करने के लिए मूल उत्पादकों को आकर्षित करने में असफल रहा क्योंकि 2002-07 के दौरान किसानों के साथ व्यवसाय, उपयोग की गई क्षमता का 8.62 से 12.27 प्रतिशत तक थी ।

(कंडिका 3.22)

प्रस्तावना

3.1 नये राज्य छत्तीसगढ़ के गठन (नम्बर 2000) के समय, तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य भाण्डागार निगम की छत्तीसगढ़ से सम्बन्धित भाण्डागार गतिविधियाँ सम्पत्ति तथा देनदारियों सहित, छत्तीसगढ़ भाण्डागार निगम को हस्तांतरित कर दी गयी थीं (मई 2002) । मध्यप्रदेश राज्य भाण्डागार निगम ने अपनी गतिविधियाँ बन्द कर दीं और भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश भाण्डागार वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक कारपोरेशन नाम से एक नया निगम गठित किया गया (31 मार्च 2003) । म.प्र. राज्य भाण्डागार निगम से सम्बन्धित सम्पत्तियाँ तथा देनदारियाँ नवगठित निगम द्वारा अधिग्रहण की गयी ।

अन्य बातों के साथ-साथ, निगम के मुख्य कार्य हैं, राज्य में गोदाम अधिग्रहण करना तथा निर्माण करना, कृषि उत्पाद, बीज, खाद,उर्बरक इत्यादि के भाण्डागार हेतु स्वयं के तथा किराए पर लिये गये गोदामों को चलाना, उनके परिवहन की व्यवस्था करना तथा केन्द्रीय भाण्डागार निगम (के भ.नि.) और राज्य शासन के बीच अधिसूचित उद्देश्यों के लिए मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करना ।

31 मार्च 2007 को, निगम के पास राज्य भर में फैले हुए 232 केन्द्रों पर 11.71 लाख मेट्रिक टने (स्वयं के 10.53 लाख मेट्रिक टन तथा किराए के 1.18 लाख मेट्रिक टन) की कुल क्षमता वाले 1176 भण्डारगृह/गोदाम (स्वयं के 947 तथा किराए के 229) थे । अगस्त 2007 की स्थिति में राज्य में उपलब्ध 61.93 लाख मी.ट. की कुल भाण्डागार क्षमता में से, निगम का हिस्सा 17.73 प्रतिशत था । निगम ने (राज्य में प्रायवेट भण्डारगृहों को अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु पदेन सक्षम अधिकारी होने के नाते) 18.30 लाख मेट्रिक टन की भाण्डागार क्षमता के प्रायवेट भण्डार गृहों के लिए 734 अनुज्ञापत्र भी जारी किये थे (दिसम्बर 2001 से मार्च 2007) । जबकि निजी क्षेत्र में भाण्डागारे उद्योग में तीव वृद्धि से स्थान की मांग (Demand for space) एवं लाभ का संकेत मिल रहा था, निगम द्वारा इस अवधि में भाण्डागार क्षमता में वृद्धि के बावजूद अर्जित लाभ में 9.09 करोड़ रूपए (2002-03) से 5.37 करोड़ रूपए (2006-07 अनन्तिम) तक मंदी रही ।

निगम का प्रबन्धन 11 संचालको (एक अध्यक्ष तथा एक प्रबन्ध संचालक सहित) से युक्त संचालक मण्डल (सं.म.) करता है । संचालको में से पाँच का नामांकन के.भ.नि. द्वारा किया जाता है जिन में से एक भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से तथा कम से कम एक गैर सरकारी समूह से नियुक्त होता है । राज्य सरकार बाकी पाँच संचालको की नियुक्ति करती है । कार्यपालन समिति (का स) जिसमे अध्यक्ष प्रबन्ध संचालक एवं तीन

संचालक निहित रहते है, संचालक मण्डल के कार्यकलापों मे सहयोग करती है । निगम के छः क्षेत्रीय कार्यालयों[42] (क्षेत्रीय प्रबंधको के अधीन) द्वारा नियंत्रित 232 शाखाएं (शाखा प्रबंधको के अधीन) हैं ।

तत्कालीन म.प्र. राज्य भाण्डागार निगम के कार्य कलापो की अंतिम समीक्षा, इससे पूर्व भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के (वाणिज्यिक) मध्यप्रदेश शासन 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन में शामिल की गयी थी । सरकारी उपक्रम समिति (स.उ.स.) ने इस समीक्षा पर चर्चा की थी (जून/जुलाई 2003) और उसकी अनुशंसाएं उसके प्रतिवेदन क्रमांक 22 में समाहित की गयी हैं (मार्च 2006) ।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.2 फरवरी से मई 2007 तक के अवधि दौरान वर्तमान निष्पादन समीक्षा की गई, जिसमे वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक के दौरान निगम द्वारा भण्डार गृहों के निर्माण, संचालन तथा संधारण की समीक्षा सन्निहित हैं । पाँच[43] क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय के अभिलेखों के अतिरिक्त, इन पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों की 40 शाखाओं (3.29 लाख मेट्रिक टन की क्षमता वाले 245 भण्डारगृहों) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी थी। इन का चयन किसी स्थापित पद्धति बिना तात्कालिक बानगी अपनाते हुए किया गया था

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.3 निष्पादन समीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से की गयी थी, कि -क्या,

- सही समय पर तथा सही स्थान पर उचित एवं पर्याप्त भाण्डागार सुविधाएं निर्मित की गयी/ बनायी गयी थीं और उपभोक्ताओं को मितव्ययी तथा दक्ष तरीके से उपलब्ध करायी गयी थी ;
- भाण्डागार क्षमताएं अधिकतम स्तर तक उपयोग की गयी थी और निजी भाण्डागार क्षमता को किराए पर लेना/न लेना मितव्ययित एवं दक्षता के साथ किया गया था ;
- भाण्डागार के दौरान अनाज एवं अन्य वस्तुओं की हानि कम करने के लिए पर्याप्त उपाया किये गये थे
- सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति की अनुशंसाओं का अनुपालन किया गया था ;
- मानवेशक्ति के समुचित उपयोग के मानदण्डों का अनुसरण किया गया था ; और

42 *भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर तथा ग्वालियर.*

43 *भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, सागर एवं ग्वालियर*

- आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति पर्याप्त एवं निगम के आकार के अनुरूप थी ।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

3.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य प्राप्ति का निर्धारण करने के लिए तय किये गये लेखापरीक्षा मानदण्ड

- भाण्डागार निगम अधिनियम,1962 के प्रावधान, अनाज के भाण्डागार तथा निर्गमन, बिल बनाने,प्रभारो का पुनरीक्षण करने तथा भाण्डागार प्रभारो की वसूली करने के लिए भारत सरकार (भा.स.)/के.भ.नि./राज्य शासन/सं.मं. के अनुदेश/दिशा निर्देश;
- भूमि क्रय करने,भण्डार गृह निर्माण करने तथा संधारण करने के लिए भा.स./के.भ.नि./ राज्य शासन/स.मं. के अनुदेश/दिशानिर्देश;
- राज्य सरकार के साथ हुए समझौते का ज्ञापन, बजट अनुमान एवं वित्तीय विवरण पत्र ;
- कार्य सौपें जाने तथा प्रवर्तन के लिए संहितागत प्रावधान, भण्डार गृहों के निर्माण के लिए संविदाकारों के साथ हुए समझौते की शर्ते एवं अनुबंध ;
- सरकारी उपक्रम समिति की अनुशंसाएं,और
- मानवशक्ति प्रयुक्ते करने के मानदण्ड ।

लेखापरीक्षा पद्धति

3.5 लेखापरीक्षा मानदण्डों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धति

- राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के ज्ञापन का अध्ययन, शासकीय आदेशो,भूमि खरीदने, भण्डारगृहों का निर्माण करने, उपयोग करने तथा संधारण से सम्बन्धित संचालक मण्डल तथा कार्य-समिति की बैठकों के कार्यवृत्त/कार्यसूची टीपों सहित अभिलेखों का विश्लेषण ;
- बजट अनुमान, वित्तीय विवरण पत्रों की जाँच ;
- भण्डार गृहों के क्षमता का उपयोग तथा निष्पादन, भाण्डागार प्रभारों का पुनरीक्षण और किराये पर लिये भण्डारगृहों के किराए के निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच ;

- भाण्डागार निगम अधिनियम 1962 की धारा 30 के अनुसार राज्य शासन/के.भ.नि. को भेजे जाने वाले विवरण एवं अन्य जानकारियों का परीक्षण ; और
- लेखापरीक्षा हेतु ज्ञापन जारी करना एवं प्रबंध के साथ संवाद स्थापित ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार/प्रबंधन को जारी किये गये थे (अगस्त 2007) और राज्य सरकार के उपक्रमो के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए आर सी पी एस.ई) की बैठक मे उन पर चर्चा की गयी थी (सितम्बर 2007) । निगम के प्रबंध संचालक बैठक मे उपस्थित थे । निष्पादन समीक्षा को अंतिम रूप देते समय प्रबंधन के विचारों को ध्यान में रखा गया था ।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षो पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है ।

भण्डार गृहों की क्षमता का विस्तार

3.6 बैज्ञानिक भाण्डागार सुविधा उपलब्ध कराने के अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, निगम ने भण्डार गृहों का निर्माण कराया,भण्डार गृह अर्जित किये अथवा किराए पर लिये । इसके अतिरिक्त, निगम ने मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने भण्डार गृहों के परिसर के अंदर चबुतरे (क्षमतावान) का भी उपयोग किया ।

भण्डार गृहों का निर्माण

पर्याप्त निधियों की उपलब्धता होते हुए भी, निगम 2002-07 के दौरान नये गोदामों का निर्माण कराने का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका ।

3.7 वर्ष 2002-07 के दौरान, निगम ने 64.59 करोड़ रूपए के बजट प्रावधान के साथ, 4.02 लाख मेट्रिक टन क्षमता वाले 141 गोदामों के लक्ष्य के विरूद्ध 30.15 करोड़ रूपए लागत से 1.65 लाख मेट्रिक टन क्षमता वाले 59 गोदामों का निर्माण कराया (**परिशिष्ट-21**) । पर्याप्त निधियों की उपलब्धता होते हुए भी, अपनी भाण्डागार क्षमता में वृद्धि करने में निगम का निष्पादन कमजोर रहा । प्रबंधन नें भूमि अर्जन में हुए विलम्ब को लक्ष्य की कम प्राप्ति का कारण बताया (सितम्बर 2007) और भविष्य में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया । तथापि, भूमि अर्जन तथा गोदाम निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि अनुचित योजनाएं तथा परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब एवं निधियों का अपर्याप्त प्रबंधन ही लक्ष्य प्राप्ति में कमी के लिए मुख्य कारण थे, जैसी कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है ।

भूमि अर्जन

3.8 वर्ष 2002-07 के दौरान, निगम ने राज्य सरकार से 30 स्थानों पर स्थित 1.39 करोड़ रूपए मूल्य की 76.59 एकड़ भूमि अर्जित की थी । निगम ने केवल 60.34 एकड़

भूमि का ही उपयोग किया । आठ[44] स्थानों पर 26.84 लाख रूपए मूल्य की शेष 16.25 एकड़ भूमि 10 से 30 माह तक अनुपयुक्त पड़ी रही । साथ ही पूर्व में दलोरा सतना में स्थित अर्जित (1995) 5.30 एकड़ भूमि सितम्बर 2007 तक अनुपयुक्त पड़ी रही थी । अर्जित भूमि का उपयोग करने अथवा पट्टा किराए का भुगतान बचाने की दृष्टि से अतिरिक्त भूमि का निबटान करने के लिए कोई गम्भीर उपाय नहीं किये गये थे। उदाहरणार्थ, संचालक मंडल ने एक प्रायवेट पार्टी से खरीदी हुई (1963) 1.84 एकड़ भूमि के एक हिस्से के रूप में, सतना में गौशाला काम्पलेक्स पर स्थित 694.38 वर्गमीटर अनुपयुक्त भूमि को बेचने का निर्णय किया था (अप्रैल 2002) । तथापि, प्रबंधन ने अब तक (सितम्बर 2007) इसके निबटान के लिए कोई कदम नहीं उठाया है । छोड़ी गयी अनुपयुक्त भूमि, अपनी भाण्डागार क्षमता बढ़ाने के लिए गोदामों के निर्माण हेतु निश्चित योजना के अभाव का संकेत था और यह भी तथ्य है कि भूमि खरीदने का कोई औचित्य नहीं था । इस प्रकार, वह उद्देश्य, जिसके लिए भूमि अर्जित की गयी थी, विफल हो जाता है ।

निर्माण में विलम्ब के कारण हानि

3.9 वर्ष 2002-07 के दौरान निर्मित 59 गोदामों में से 50 गोदामों का निर्माण पूर्ण होने में एक से बारह महिनों तक का विलम्ब देखा गया । निःसंदेह, निगम ने 39 निर्माण कार्यों के पूरा होने में विलम्ब के लिए संविदाकारों से जुर्माने के रूप में 12.78 लाख रूपए वसूले गये इस विलम्ब के कारण 1.62 करोड़ [45] रूपए की सम्भावित राजस्व हानि उठायी । प्रबंधन ने बताया **(सितम्बर 2007)**. कि स्थल जहां गोदामें का निर्माण होना था कि परिस्थितियों के कारण विलम्ब हुआ था । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलम्ब का मुख्य कारण संविदाकारों द्वारा कार्य छोड़ दिया जाना, दोषपूर्ण निविदा प्रक्रिया और विवादित क्षेत्रों मे गोदाम बनाया जाना थो जैसी कि कंडिका 3.10, 3.14 एवं 3.15 में चर्चा की गयी है

गोदामों के निर्माण एवं आरम्भ करने मे विलम्ब से निगम को 1.74 करोड़ रूपए के सम्भावित राजस्व से वंचित होना पड़ा ।

आगे यह भी देखा गया कि 2002-07 के दौरान तैयार हुए दस[46] गोदामों में व्यावसायिक संचालन आरम्भ करने में विलम्ब हुआ था । यह विलम्ब 31 से 247 दिनों के बीच रहा । इस कारण से हुई भाण्डागार प्रभारों की हानि 12.25 लाख रूपए आकलित की गयी । प्रबंधन ने इस विलम्ब के लिए भण्डार के लिए वस्तुएं उपलब्ध न होना तथा प्रतिकूल मौसम में गोदामों का तैयार होना कारण बताया (सितम्बर 2007) । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिकूल मौसम के दौरान भण्डार गृहों का निर्माण पूर्ण होना प्रबंधन की ओर से हुए विलम्ब के कारण था और उचित योजना के द्वारा इसे दूर किया जा सकता था ।

44 *श्योपुर, चंदेरी, मुंगावली, दतिया, गुना, इन्दरगढ़, शिवपुरी एवं देवास ।*

45 *75 प्रतिशत उपयोग पर 30 रूपए प्रतिमाह प्रति मेट्रिक टन के औसत भाण्डागार प्रभार से ।*

46 *हर्राखेड़ा, गाडरवाड़ा, सिवनी, शिवपुरी, पिछोर, व्यावरा, नागदा, नीमच, डिण्डोरी एवं इन्दरगढ़ ।*

भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1999-2000 पर गहन विचार करते समय, सरकारी उपक्रम समिति ने ऐसे मामलों में राजस्व हानि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने और विलम्ब रोकने हेतु सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया था (मार्च 2006)। तथापि, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

अधुरे छोडे गये किये गये कार्य को पूर्ण करने में विलम्ब

3.10 पिछोर में 1000 मेट्रिक टन क्षमता वाले भंडारगृह का निर्माण कार्य एक संविदाकार को 16.33 लाख रूपए में सौंपा गया था (जनवरी 1999)। संविदाकार ने 13.41 लाख रूपए तक इसे करने के बाद कार्य बन्द बंद कर दिया (मार्च 2000) । शेष कार्य को 28 माह के विलम्ब के बाद, (अगस्त 2002) एक अन्य संविदाकार को 4.88 लाख रूपए में सौपा गया । यद्यपि इस कार्य को पूर्ण करने में हुआ 0.64 लाख रूपए का अधिक व्यय दोषी व्यक्ति से वसूल कर लिया गया (सुरक्षा जमा निधि एवं ई एम डी 0.77 लाख रूपए से), शेष कार्य को सौंपे जाने में हुए 28 माह के विलम्ब के कारण 6.30 लाख रूपए के सम्भावित राजस्व की हानि हुई ।

क्षमता विभाजित करने से हुई हानि

3.11 निगम ने अनाज एवं उर्बरक का भाण्डागार करने के लिए मेघनगर (झाबुआ) में 3600 मेट्रिक टन क्षमता वाले एक गोदाम का निर्माण कराने का निर्णय किया था (जनवरी 2005) । तथापि, निगम ने बिना अभिलिखित कारण से, 65.62 लाख रूपए की कुल लागत पर 2600 मेट्रिक टन तथा 1000 मेट्रिक टन की क्षमता वाले दो अलग अलग गोदाम निर्मित कराये । उसी अवधि (जनवरी 2007) के दौरान रिछाई (जबलपुर) में 3600 मेट्रिक टन की उसी क्षमता वाले एक गोदाम के निर्माण कि लागत केवल 50.75 लाख रूपए थी । इस प्रकार, निगम ने मेघनगर में दो गोदाम निर्मित कराने में 14.87 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय किया । लेखापरीक्षा में देखा गया कि मेघेनगर में किये गये अधिक व्यय ने विभाजित गोदामों की राजस्व उपार्जन क्षमता नहीं बढ़ायी ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि मेघनगर में दो अलग -अलग गोदाम, जोखिम वाले तथा बिना जोखिम वाले वस्तुओं को अलग - अलग रखने के लिए बनाये गये थे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उसी अवधि के दौरान उसी स्थान पर अलग - अलग विभिन्न क्षमताओं (2600 मेट्रिक टन,3400 मेट्रिक टन, तथा 4000 मेट्रिक टन) वाले तीन अन्य गोदाम बनाकर विस्तारित सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी । इस तरह, 14.87 लाख रूपए की अतिरिक्त लागत से दो छोटे गोदाम का निर्माण रोका जा सकता था ।

दोमंजिले गोदामों का निर्माण

पारम्परिक गोदाम के स्थान पर दोमंजिला गोदाम बनाने के अविवेक पूर्ण निर्णय से 0.60 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

3.12 देवास में पर्याप्त भूमि (3000 वर्ग मीटर) की उपलब्धता के बावजूद, निगम ने 1.11 करोड़ रूपए की लागत से 3400 मेट्रिक टन (1800+1600) का एक दोमंजिला गोदाम निर्मित कराया (मई 2003) । दोमंजिले निर्माण के कारण हुए अतिरिक्त पूंजी व्यय (60 लाख रूपये) के अलावा, प्रथम तल पर अपना भण्डार जमा कराने जमाकर्त्ताओं की झिझक को ध्यान मे रखते हुए माल चढ़ाने एवं उतारने के प्रभार के रूप मे निगम 11 रूपए प्रति मेट्रिक टन का अतिरिक्त व्यय भी कर रहा था । इस प्रकार, गोदाम का रूपाकार तैयार करते समय, उसमें सन्निहित अतिरिक्त श्रमिक प्रभार परिकल्पित करने में निगम की असफलता ने माल चढ़ाने उतारने के प्रभारों पर परिहार्य आवर्ती व्यय होने दिया । निगम ने 2004-05 तथा 2006-07 के दौरान इस मद में 3.70 लाख रूपए खर्च किये ।

प्रबंधन ने बताया (सिम्बर 2007) कि भविष्य में कोई दोमंजिल गोदाम नहीं बनवाया जाएगा ।

3.13 निगम ने 80 लाख रूपए की अनुमानित लागत पर बेगमगंज में 2400 मेट्रिक टन (1200+1200) क्षमता वाले एक दोमंजिले गोदाम के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की थी (फरवरी 2001) । मार्च 2001 में प्राप्त हुआ न्यूनतम प्रस्ताव (अनूसूचित दरों (एस.ओ.आर.) से 14.95 प्रतिशत अधिक) 91.96 लाख रूपए का था । एक बेनामी पत्र पर विचार करते हुए, निगम ने नयी निविदा आमंत्रित की (जून 2001) और 87.68 लाख रूपए (एस ओ आर से 9.60 प्रतिशत अधिक) की समझौता दर पर उसी संविदाकार के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया (अगस्त 2001)।

निर्माण कार्य सितम्बर 2001 में आरम्भ हुआ और मई 2002 में पूरा होना था, किन्तु एक वर्ष बाद (मई 2003) 92.50 लाख रूपए की लागत से पूरा हुआ था । इस सम्बन्ध में, यह देखा गया कि-

- निगम ने पुनरीक्षित अनुमान के लिए अपने ही प्रबंध संचालक का प्रशासनिक अनुमोदन (ए.ए) लिये बिना निविदा आमंत्रित की (जून 2001) और कार्य आदेश जारी कर दिया (सितम्बर 2001)। 94.47 लाख रूपए के पुनरीक्षित अनुमान के लिए प्रशासनिक अनुमोदन कार्य पूरा होने के बाद ही प्रबंध संचालक से लिया गया था (अगस्त 2003);

- तकनीकी स्वीकृति जारी होने (जनवरी 2002) के पहले ही कार्य आरम्भ हो गया था (सितम्बर 2001);

- संविदाकार से समझौता वार्ता का उद्देश्य निष्फल हुआ क्योंकि निर्माण कार्य 4.82 लाख रूपए की अतिरिक्त लागत से पूरा हुआ और

- दोमंजिला[47] रूपाकार, पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता के आधार पर बनाया गया था । किन्तु लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, जिसे यह प्रकरण संदर्भित किया गया था । (अप्रैल-2001), ने मत व्यक्त किया (फरवरी 2003), कि निगम के कर्मचारियों ने अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पूरी करने के लिए कोई उपाय नहीं किये । संचालक मण्डल ने प्रबंधन को उन कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया (मई 2003), जिन्होंने एक पारम्परिक गोदाम के निमाण के लिए भूमि की अनुपलब्धता के बारें में प्रतिवेदन दिया था । प्रबंधन द्वारा इस सम्बध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है (सितम्बर 2007).

पुनः निविदाकरण के कारण हानि

3.14 निगम ने 42 लाख रूपए को अनुमानित लागत से दिलोरा सतना में एक 4600 में मेट्रिक टन का गोदाम निर्मित कराने के लिए निविदा आमंत्रित की थी (जून 2003) । क्योंकि केवल एक ही निविदा प्राप्त हुई थी, अतः निविदाये पुनः आमंत्रित की गयी (जुलाई 2003) । जो न्यूनतम प्रस्ताव प्राप्त हुआ था (अगस्त 2003) वह एस ओ.आर. से 8.12 प्रतिशत कम था, किन्तु पाँच संविदाकारों (जिन्होनें कथित निविदा तथा बाद वाली निविदाओं में भाग नहीं लिया था) की ओर से इस तर्क पर, कि जारी की गयी निविदा की अधिसूचना स्वच्छ एवं स्पष्ट नहीं है, के आधार पर वकील के नोटिस (अगस्त 2003) के कारण इस प्रस्ताव को निगम ने निरस्त कर दिया (अगस्त 2003) । तीसरे (सितम्बर 2003) एवं चौथे (जनवरी 2004) आमंत्रण के विरूद्ध प्राप्त हुई निविदाएं भी उच्च दरों के आधार पर निरस्त कर दी गयीं । ग्यारह महिने बाद, निगम ने पाँचवे आमंत्रण (दिसम्बर 2004) के जबाब में प्राप्त हुए, एस.ओ.आर से 15.70 प्रतिशत अधिक के एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया (फरवरी- 2005) । कार्य आदेश 48.59 लाख रूपए के लिए जारी किया गया था (मार्च 2005) और 49.03 लाख रूपए की लागत पर कार्य पूर्ण हुआ था (अक्टूबर 2005) । इस सम्बन्ध में यह देखा गया किः

मानक निविदाकरण पद्धति अपनाने में असफलता के कारण 0.30 करोड़ रूपए की हानि हुई

- दूसरे आमंत्रण के दौरान मानक निविदा पद्धति अपनाने में निगम के असफल रहने के परिणामस्परूप, 8.12 प्रतिशत एस.ओ.आर से कम के अनुकूल न्यूनतम प्रस्ताव को निरस्त करना पड़ा । इस कारण निगम को 10.09 लाख रूपए की हानि हुई,

- 18 माह (जुलाई 2003 से दिसम्बर 2004 तक) के परिहार्य विलम्ब के कारण 18.63 लाख रूपए की सम्भावित राजस्व हानि हुई ; और

- पाँच वार पुनर्निविदाकरण के कारण अधिसूचनाएं प्रकाशित कराने के मद में 1.34 लाख रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ ।

47 *कारपोरेशन ने माल चढाने-उतारने पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया क्योंकि केवल हल्का सामान जैसे-तेंदूपत्ता ही प्रथम मंजिल पर भाण्डागार किया-गया था ।*

इस प्रकार, मानक निविदाकरण पद्धति अपनाने में असफल रहने के फलस्वरूप पुनर्निविदाकरण और कार्य पूर्ण होने में परिणामी विलम्ब के कारण 30 लाख रूपए की हानि हुई ।

कानूनी विवादग्रस्त क्षेत्र में गोदाम का निर्माण

विवादित भूमि पर गोदाम के निर्माण के कारण 1.76 करोड़ रूपए की राशि की निधियाँ अवरूद्ध हुई ।

3.15 निगम ने 7.68 लाख रूपए के प्रीमियम भुगतान तथा वार्षिक पट्टा किराया के रूप में 0.77 लाख रूपए के विरूद्ध दतिया में राज्य सरकार से पट्टे पर 10,000 मेट्रिक टन के एक गोदाम के निर्माण हेतु 1.620 हेक्टेयर भूमि प्राप्त की थी (अगस्त 2005)। एक निजी पार्टी (अपीलार्थी) ने उस भूमि का एक भाग उसके हिस्से का है, इस आधार पर पट्टे के अनुबंध को स्थगित करने के लिए कलेक्टर दतिया को एक आपत्ति प्रस्तुत की थी (सितम्बर 2005) । अपील की एक प्रति निगम के शाखा प्रबंधक दतिया को भी भेजी गयी थी (19 सितम्बर 2005) । इस प्रकरण का अंतिम हल निकालने की प्रतीक्षा किये बिना ही, निगम ने 29 सितम्बर 2005 को आठ माह (मई 2006) में कार्य पूर्ण करने के लिए 1.94 करोड़ रूपए की निविदा लागत पर विवादग्रस्त क्षेत्र पर 5400 मेट्रिक टन एवं 4600 मेट्रिक टन की क्षमता वाले दो गोदामों कें निर्माण हैतु कार्य आदेश जारी कर दिया । नजूल अधिकारी द्वारा भूमि के अंतरण के लिए एक स्थगन आदेश दिया गया था (अक्टूबर 2005) । स्थगन की समाप्ति के बाद (अक्टूबर 2005), अपीलार्थी ने न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया (अक्टूबर 2005) इस बीच, निगम इस निर्माण कार्य पर मार्च 2007 तक 1.76 करोड़ रूपए खर्च कर चुका था किन्तु वह इस गोदाम का उपयोग करने की स्थिति में नहीं रहा, क्योंकि यह प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है । निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले भूमि का स्पष्ट हक सुनिश्चित करने में असफलता परिणाम स्वरूप 1.76 करोड रूपए की निधियाँ अवरूद्ध हुई, जिसे रोका जा सकता था ।

ग्रामीण भाण्डागार योजना के अंतर्गत गोदामों का निर्माण

निगम 27 गोदामों के निर्माण के लिए नाबार्ड से छः करोड़ रूपए की अनुदान राशि का लाभ लेने में असफल रहा ।

3.16 भारत सरकार द्वारा बनायी गयी (जुलाई 2002). ग्रामीण भाण्डागार योजना के अंतर्गत, ग्रामीण गोदामों की निर्माण लागत का 25 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता इस शर्त पर दी जानी थी कि निर्माण लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी लिया जाए । यह आर्थिक सहायता नाबार्ड द्वारा जारी की जानी थी । यद्यपि निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में 45 गोदामों का निर्माण कराया था (2002-06), उसने केवल 18 गोदामों के लिए इस योजना का लाभ उठाया । इन 18 गोदामों के लिए प्राप्त की गयी सहायता राशि कुल 3.07 करोड़ रूपए थी । निगम ने छः करोड़ रूपए तक की सहायता राशि के लिए लाभ से स्वयं को वंचित करते हुए, इस अवधि में उसके द्वारा निर्मित किये गये 27 गोदामों के लिए आर्थिक सहायता का लाभ नहीं लिया ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि निगम भविष्य में सहायता राशि के हिस्से का लाभ लिया करेगा ।

गोदामों का संचालन

भाण्डागार गृहों की भाण्डागार क्षमता एवं लाभदायकता

3.17 वर्ष 2002-07के दौरान भण्डार गृहों की भाण्डागार क्षमता का उपयोग तथा इस गतिवधि के कार्य परिणाम ***परिशिष्ट-22*** में दिये गये हैं । परिशिष्ट -22 में दिये गये विवरणों के विश्लेषण से प्रकट होता है कि 2002-07 की अवधि के दौरान 4.02 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य के वृद्धि के विरूद्ध, निगम अपने गोदामों की औसत भाण्डागार क्षमता में केवल 1.02 लाख मेट्रिक टन की वृद्धि कर सकी थी । यह देखा गया कि इस अवधि के दौरान, निगम ने 18.30 लाख मेट्रिक टन की क्षमता वाले भण्डारगृहों के संचालन के लिए निजीपक्षों को अनुज्ञापत्र प्रदान किये थे । इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भण्डारगृहों की मांग थी । इस प्रकार, निर्धारित लक्ष्य से कम भाण्डागार क्षमता मे वृद्धि के कारण, निगम राज्य में वैज्ञानिक भाण्डागार सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा । और यह भी कि, उपलब्ध भाण्डागार क्षमता के उपयोग का प्रतिशत भी 2002-03 में 69 प्रतिशत से 2006-07 में 57 प्रतिशत तक कम हो गया । प्रबंधन ने अक्टूबर 2007 की स्थिति तक क्षमता के कम उपयोग के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था ।

2002-07 के दौरान 230 केन्द्रों में से 79 से 135 तक केन्द्रों में भाण्डागार क्षमता 75 प्रतिशत से नीचे रहा ।

3.18 यदि भाण्डागार क्षमता अधिकतम रहे तो गोदामों के निर्माण का उद्देश्य पूरा हो जाता है । भण्डारगृहों की भाण्डागार क्षमता कुशल एवं लाभ दायक उपयोग का संकेत मिलता हैं । समीक्षा के अंतर्गत अवधि के दौरान निगम के केन्द्रों द्वारा प्राप्त किये गये भाण्डागार क्षमता के स्तर के सम्बन्ध में विवरण ***परिशिष्ट-23*** में दिये गये हैं । यह देखा जा सकता है कि 230 केन्द्रों (समीक्षा अवधि के दौरान संचालित केन्द्रों की औसत संख्या) में से, 79 से 135 केन्द्रों मे भाण्डागार क्षमता का स्तर 75 प्रतिशत (उद्योग में अधिकतम स्तर के रूप में मान्य) से कम था । आगे यह भी देखा गया कि 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान एक केन्द्र[48] लगातार चार वर्ष तक चार केन्द्र[49] तीन वर्षो तक, पाँच केन्द्र[50] दो वर्षो तक और 35 केन्द्र एक वर्ष तक कुल 40.20 लाख रूपए की हानि उठाते रहे ।

लक्ष्य एवं उपलब्धियां

3.19 निगम द्वारा राज्य सरकार के साथ हुए वार्षिक समझौता ज्ञापनों में भाण्डागार क्षमता के उपयोगिता के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं । पिछले पाँच वर्षो के लिए भाण्डागार क्षमता एवं उपयोगिता के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिये गये हैं ;

48 *पिपलोदा*

49 *भानपुरा, घाटा बिल्लौद, मुरैना तथा गुलाबगंज.*

50 *गुलाबगंज, हर्राखेड़ा, मुरैना, देपालपुर,बरोठा*

वर्ष	वर्ष के अंत में भाण्डागार क्षमता (लाख मेट्रिक टनमें)		उपयोगिता का प्रतिशत	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
2002-03	11.53	11.79	83	81
2003-04	12.10	11.67	90	77
2004-05	12.34	11.78	85	78
2005-06	12.35	11.88	85	80
2006-07	12.71	11.71	85	71

भाण्डागार क्षमता एवं उपयोगिता के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये ।

स्त्रोत: समझौता ज्ञापन, प्रबंधन द्वारा उपलबध कराये गये आंकड़े

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि निगम 2003-07 के दौरान भाण्डागार क्षमता के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका एवं सभी वर्षो में उपयोगिता 71 प्रतिशत से 81 प्रतिशत के बीच रहा ।

गोदाम/भण्डारगृह किराए पर लिया जाना

3.20 मौसमी मांग की पूर्ति करने के लिए, निगम शाखा प्रबंधकों की अनुशंसा पर, समय-समय पर निजी गोदाम/भण्डारगृह किराए पर लेता है । 2002-03 से 2006-07 के दौरान किराए पर लिये तथा स्वयं के गोदामें के विवरण निम्नानुसार हैं ;

क्र. सं.	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	किराए पर लिये गोदामों की संख्या.	378	347	389	376	229
2	वर्ष के दौरान अर्जित औसत भाण्डागार क्षमता (किराए के गोदामों का लाख मेट्रिक टन में)	2.28	2.04	2.13	2.10	1.18
3	वर्ष के दौरान उपयोग की गयी किराए के गोदामों की औसत क्षमता	1.82	1.63	1.84	1.77	1.08
4	किराए के गोदामों के उपयोग का प्रतिशत	80.0	80.0	86.0	84.0	92.0
5	उपलबध औसत क्षमता (स्वयं की) (लाख मेट्रिक टन में)	9.51	9.63	9.65	9.78	10.53
6	उपयोग की गयी औसत क्षमता स्वंय की) (लाख मेट्रिक टन में)	6.36	5.93	6.18	6.00	5.62
7	स्वयं के गादोमों की उपयोगिता का प्रतिशत	67.0	62.0	64.0	61.0	53.0

किराए पर लिये गोदामों का उपयोग 2002-07 के दौरान 80 से 92 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि स्वयं के गोदामों का उपयोग 53 से 67 प्रतिशत था यदि निगम ने निजी गोदाम किराए पर लेने की बजाय अपने ही गोदामों की उपलबध क्षमता का पूरा उपयोग किया होता तो वह 6.28 करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर सकता था ।

स्त्रोत: प्रबंधन द्वारा उपलबध कराए गये आंकड़े

इस सारिणी से यह देखा जा सकता है, कि-

- निगम ने अपनी पूरी क्षमता अथवा किराए पर लिये गोदामों की क्षमता उपयोग नहीं किया ;
- जबकि स्वयं के गोदामों की क्षमता का उपयोग 2002-03 में 67 प्रतिशत से 2006-07 में 53 प्रतिशत तक कम हो गया था, किराए पर लिये गोदामों की

क्षमता का उपयोग 2002-03 में 80 प्रतिशत से 2006-07 में 92 प्रतिशत तक सुसंगत एवं पर्याप्त रूप से बढ़ गया था । इससे, निगम द्वारा अपने स्वयं के गोदामो की कीमत पर निजी गोदामों को संरक्षण दर्शाया जाना प्रकट होता है ; और

- वस्तुस्थिति यह है कि 2002-07 के दौरान निगम के गोदामों की कुल अतिशेष क्षमता (19.01 लाख मेट्रिक टन), इस अवधि के दौरान किराए की कुल क्षमता (9.73 लाख मेट्रिक टन) से अधिक थी । यदि निगम ने निजी गोदाम किराए पर लेने की बजाय, स्वयं के गोदामों का उपयोग किया होता तो वह 2002-07 के दौरान 6.28 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर सकता था ।

भारत के नियंत्रक- महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1999-2000 पर विचार विमर्श करते समय, सरकारी उपक्रम समिति ने, 2001-02 के बाद किराए पर लिये गये तथा स्वयं के गोदामों की तैयार की गयी भाण्डागार क्षमता, उपयोग की गयी क्षमता एवं आय तथा व्यय के अलग-अलग वर्षवार विवरण भेजने के लिए निगम को निर्देशित किया था (मार्च 2006) । स.उ.स.द्वारा निर्देशित उपरोक्त आंकड़े निगम ने अभी तक (सितम्बर 2007) समेकित नहीं किये हैं ।

देवास में किराए पर गोदाम लेने पर परिहार्य व्यय.

3.21 देवास केन्द्र में 2003-04 से 2006-07 के दौरान स्वयं के गोदामों की माह बार उपलब्ध क्षमता की तुलना में किराए की क्षमता तथा उसका उपयोग निम्नानुसार था:-

वर्ष	उपलब्ध स्वयं की क्षमता मेट्रिक टन प्रतिमाह	किराए की क्षमता (मेट्रिक टन प्रतिमाह)	कुल उपयोग (स्वयं के + किराए के) (मेट्रिक टन)	वर्ष के दौरान स्वयं के गोदामों की अनुपयुक्त क्षमता (लाख मेट्रिक टन)	वर्ष के दौरान किराए की कुल क्षमता (लाख मेट्रिक टन)	गोदाम भाड़े पर हुआ परिहार्य व्यय (लाख रूपए)
1	2	3	4	5	6	7
2003-04	29300 मी.ट.से 30950 मी.ट.तक	9000 मी.ट. (अप्रैल 03 से नवम्बर 03 तक)	10958मी.ट.से 27169मी.ट.तक	1.40	0.72	4.32
2004-05	34400 मी.ट.	2600 मी.ट.से 11833 मी.ट.तक	14525 मी.ट.से 34232मी.ट.तक	2.01	1.22	8.24
2005-06	27500 मी.ट.से 34400 मी.ट.तक	3335 मी.ट.से 9030 मी.ट.तक	6428मी.ट.से 34919 मी.ट.तक	1.33	0.91	7.26
2006-07	37500 मी.ट. से 44700 मी.ट.तक	325 मी.ट.से 3335मी.ट.तक	14441 मी.ट.से 38312मी.ट.तक	1.93	0.19	1.69
योग				6.67	3.04	21.51*

* वास्तविक भुगतान किया गया भाड़ा

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा प्रदाय किये गये आंकड़े ।

निगम ने गोदाम किराए पर लेने पर 0.22 करोड़ रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया ।

यह देखा जा सकता है कि जब निगम ने अपने स्वयं के गोदामों का कम उपयोग किया, तभी उसने निजी गोदामों की क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया था । 2003-07 के दौरान इसके अपने गोदामों की कुल उपयोग न की गयी क्षमता 6.67 लाख मेट्रिक टन थी. जब कि 3.04 लाख मेट्रिक टन क्षमता के किराए के गोदाम लिये गये थे। इसके परिणाम स्वरूप गोदामों को किराए पर लेने पर 21.51 लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

उपभोक्ता एवं वस्तु अनुसार उपयोग

3.22 कृषि उत्पादों के लिए वैज्ञानिक भाण्डागार सुविधा उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति तथा उसकी लागत की मात्रा का निर्धारण करने के लिए, निगम उपयोगकर्त्ताओं तथा भाण्डागार की गयी विभिन्न वस्तुओं एवं विभिन्न संस्थाओं के आंकड़े तैयार करता है । मार्च 2007 को समाप्त हुए पाँच वर्षो के विवरण निम्नानुसार हैं-

(मात्रा मेट्रिक टन में)

वर्ष	सहकारी समितियां	सरकारी संस्थान	किसान	व्यापारी	योग
2002-03	75670 (9.25)	5091.83 (62.22)	99108 (12.11)	134385 (16.42)	818346 (100)
2003-04	73195 (9.68)	441116 (58.35)	92744 (12.27)	148926 (19.70)	755981 (100)
2004-05	120873 (15.07)	442202 (55.13)	88616 (11.05)	150469 (18.75)	802160 (100)
2005-06	173994 (22.40)	398498 (51.29)	66956 (8.62)	137455 (17.69)	776903 (100)
2006-07	213064 (31.80)	189148 (28.24)	66436 (9.92)	201278 (30.04)	669926 (100)

कोष्ठक के अंदर के आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा प्रदाय किये गये आंकड़े

निगम अपने गोदामों में अनाज भाण्डागार के लिए प्राथमिक उत्पादकों को आकर्षित करने में असफल रहा क्योंकि किसानों के साथ 2002-07 के दौरान किया गया व्यवसाय कुल उपयोग की गयी क्षमता का केवल 8.62 से 12.27 प्रतिशत तक ही था ।

उपरोक्त विवरण से यह देखा जा सकता हैं कि भाण्डागार सुविधा मुख्य रूप से सरकारी संस्थाओं तथा सहकारी समितियों द्वारा अनाज के भाण्डागार हेतु उपयोग की गयी एवं उनका संयुक्त उपयोग 60.04 प्रतिशत (2006-07) तथा 73.69 प्रतिशत (2005-06) के बीच रहा । प्राथमिक उत्पादकों (किसानों) द्वारा उपयोग की गयी क्षमता का भाग केवल 8.62 प्रतिशत (2005-06) से 12.27 प्रतिशत (2003-04) तक ही रहा । वस्तुतः, यह 2002-03 में 12.11 प्रतिशत से 2006-07 में 9.92 प्रतिशत तक कम हो गयी थी । इस कमी के कारणों का कोई विश्लेषण निगम ने नहीं किया ।

निगम ने अपने ग्राहकों का आधार विस्तृत नहीं किया और भण्डारगृहों में प्राथमिक कृषि उत्पादकों को उनके उत्पाद भाण्डागार हेतु आकर्षित करने में असफल रहा । इस प्रकार, निगम के गोदामों का उपयोग करने के लिए अधिक संख्या में किसानों को आकर्षित करने के लिए सरकारी उपक्रम समिति (22 वां प्रतिवेदन) की अनुशंसाओं के होते हुए भी, निगम अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं हुआ ।

3.23 यह भी देखा गया कि निगम ने भारत सरकार द्वारा स्थापित की गयी कृषक विस्तार सेवा योजना (1978-79) का प्रभावी ढँग से अनुपालन नहीं किया । इस योजना में अन्य बातों के साथ, वैज्ञानिक विधि से भाण्डागार के लाभ लेने हेतु प्रचार तथा चूहे एवं कीड़ों आदि से अनाज को बचाने के लिए उपाय भी परिकल्पित थे । निम्नांकित सारिणी में, 2002-07 के दौरान निगम के गोदामों में भाण्डागार किये गये कुल अनाज तथा दालों एवं किसानों द्वारा भाण्डागार किये गये अनाज को दर्शाया गया है ;

(मात्रा मेट्रिक टन .में)

क्र.सं.	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	अनाज का कुल भाण्डागार	4,27,402	4,21,097	5,10,724	4,64,823	3,19,833
2	किसानों द्वारा अनाज का भाण्डागार	99,108	9,27,44	88,616	66,956	66,436
3	उपयोग का प्रतिशत	23.19	22.02	17.35	14.40	20.77

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा प्रदाय किये गये आंकड़े

निगम अपने भण्डार गृहों में किसानो का उनके उत्पाद भाण्डागार करवाने में प्रेरित करने में असफल रहा ।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि किसानों द्वारा उपयोग किया गया प्रतिशत 2002-03 में 23.19 प्रतिशत से घट कर 2006-07 में 20.77 प्रतिशत रह गया । निगम ने सरकारी उपक्रम समिति को दिये गये आश्वासन (जून 2003) के बावजूद, इस योजना के प्रचार पर पर्याप्त रूप से खर्च नहीं किया (मार्च 2007 तक पाँच वर्षो के दौरान केवल 2.07 लाख रूपए खर्च किया गया था).।

यदि यह योजना पूरे वर्षों में प्रभावी रूप से पालन की गयी होती, तो निगम प्राथमिक उत्पादकों के बीच जागरूकता बढ़ा सकता था और उन्हें निगम के भण्डारगृहों में अपने उत्पाद भाण्डागार करने के लिए प्रेरित कर सकता था । प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि वैज्ञानिक भाण्डागार के लाभ के वारे में किसानों को बताने के लिए उचित प्रचार गतिविधि आरम्भ की जाएगी ।

भाण्डागार प्रभारों का निर्धारण एवं प्रयुकित

3.24 निगम ने भाण्डागार प्रभारों के निर्धारण तथा पुनरीक्षण एवं अन्य व्यय हेतु गोदामों के लिए न्यूनतम भाण्डागार स्तर के लिए कोई प्रणाली तैयार नहीं की थी । केवल शक्कर (50 कि.ग्रा.बैग) जो कि 2.90 रूपए से 3.40 रूपए प्रति बैग प्रतिमाह तक बढ़ायी गयी थी, (अगस्त 2006) के अलावा निर्धारित (अप्रैल 2001) भाण्डागार प्रभारों का पुनरीक्षण नहीं किया गया । यद्यपि जमाकर्ताओं की कम मांग को देखते हुए सोयाबीन के भाण्डागार की दरें तथा अन्य वस्तुओं के लिए क्षेत्रवार भाण्डागार दरें कम कर दी गयी थीं (मार्च 2004 तथा अगस्त 2006), स.उ.स की 22 वे प्रतिवेदन में इस आशय की अनुशंसाएं (मार्च 2006) होते हुए भी, निगम ने वस्तुवार आय तथा व्यय के विवरण का संधारण नहीं किया ।

भाण्डागार प्रभार एवं लाभदायकता

3.25 समीक्षा अवधि के दौरान, प्रति मेट्रिक टन लाभदायकता 2002-03 में 115.35 रूपए से घट कर 2006-07 में 49.96 रूपए रह गयी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
आय * प्रति मेट्रिक टन (रूपए)	300.68	285.52	304.33	332.07	296.41
व्यय* प्रति मेट्रिक टन (रूपए)	185.33	192.72	234.89	222.64	246.46
लाभ प्रति मेट्रिक टन (रूपए)	115.35	92.80	69.44	109.43	49.96
प्रति मेट्रिक टन आय की तुलना में लाभ की प्रतिशतता	38.36	32.50	22.82	32.95	16.86

* **ये उपलब्ध भाण्डागार क्षमता के आधार पर हैं ।**

स्त्रोतः लाभ हानि खाता एवं संगणना

लाभ में हुई कमी के लिए मुख्य कारण थे, ब्याज के भुगतान स्थापना लागत एवं अन्य विविध व्ययों में वृद्धि एवं गोदामों की क्षमता के उपयोग में आई कमी भी कारण रही ।

भाण्डागार प्रभारों की वसूली में विलम्ब

लेखा नियामावली में प्रावधान तथा स.उ.स. की अनुशंसा के बावजूद निगम ने भाण्डागार प्रभारों के विलम्बित वसूली के लिए दाण्डिक प्रभार वसूल नहीं किया ।

3.26 निगम की लेखा नियमावली के अनुसार, जिन जमाकर्ताओं के मामलों में निगम ने क्रेडिट सुविधा मान्य की है, उनके अतिरिक्त, माल सुपुर्दगी के समय ही भाण्डागार प्रभार वसूल किये जाते हैं । क्रेडिट सुविधा वाले जामाकर्त्ताओं के मामले में, मासिक अन्तराल से बिल बनाए जाते हैं और बिलों के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर उनका भुगतान करना होता है, ऐसा न करने पर 9 प्रतिशत की दर से दाण्डिक ब्याज वसूल किया जाना है । यह देखा गया कि निगम ने त्वरित रूप से बिल नहीं बनाए और विलम्बित भुगतान के लिए दाण्डिक ब्याज भी वसूल नहीं किया । भोपाल क्षेत्र में 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान जारी किये गये 85.55 लाख रूपए मूल्य के 212 बिलों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि बिल बनाने में एक से 263 दिनों तक के बीच विलम्ब हुआ था । इस कारण भाण्डागार प्रभारों की वसूली मे भी तीन से 1123 दिनों तक के बीच का परिणामी विलम्ब हुआ ।

स.उ.स.के प्रतिवेदन (22 वे प्रतिवेदन) की अनुशंसाओं (मार्च 2006) के बावजूद, निगम ने भाण्डागार प्रभारों की वसूली मे विलम्बे के लिए दांण्डिक प्रभार आरोपित नहीं किये । विलम्बित भुगतान के कारण दाण्डिक प्रभार की हुई हानि 1.35 लाख रूपए (नौ प्रतिशत ब्याज पर) आकलित की गयी । प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि यथा समय बिल बनाने के लिए निर्देश पहले ही दिये जा चुके हैं (सितम्बर 2005 एवं जुलाई 2006).।

तथापि, यह देखा गया कि इन निर्देशों का पालन अभी भी नहीं किया जा रहा था (सितम्बर 2007) ।

अप्रत्यक्ष क्रेडिट सुविधा के कारण हानि

असंस्थागत जमाकर्ताओं का मासिक आधार पर भाण्डागार प्रभारों के दावे प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप 0.22 करोड रूपये की हानि हुई ।

3.27 स्थल पर माल सुपर्दगी के समय भुगतान का तरीका, जो कि सामान्यतः प्रायवेट जमाकर्त्ताओं सहित असंस्थागत जमाकर्त्ताओं के लिए लागू होता है, उसमें केवल सुपुर्दगी के समय ही बिल बनाना तथा भाण्डागार प्रभारों का भुगतान किया जाना अपेक्षित हौ । जहाँ यह तरीका उन जमाकर्त्ताओं के लिए उपयुक्त था, जो एक सुसंगत अवधि के अंदर अपना भण्डार उठा लेते हैं, वहीं यह उन जमाकर्त्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाने वाला लगा जिन्होनें लम्बी अवधि के लिए निगम में अपना भण्डार रखा था । भोपाल सम्भाग में उपलब्ध अभिलेख कीनमूना जाँच से प्रकट हुआ हैं कि 128 मामलों में, जमाकर्त्ताओं ने माल जमा करने के दो से 40 माह बाद तक भी अपना माल नहीं उठाया था । ऐसे मामलों में, निगम ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उपार्जन के आधार पर आय के लिए लेखाकरण किया, किन्तु उन्हें अप्रत्यक्ष क्रेडिट सुविधा जारी रखते हुए माल की सुपुर्दगी के समय ही भाण्डागार प्रभार वसूल किये जाते रहे । 2002-03 से 2006-07 के वर्षो के अंत में उपार्जित भाण्डागार प्रभार 3.33 करोड़ रूपए तथा 2.36 करोड़ रूपए के बीच रहे थे और एक माह से 40 माह तक के बीच की अवधि के लिए बसूल किये बिना पड़े रहे थे । इस मद में मासिक आधार पर भाण्डागार प्रभारों का दावा नहीं किये जाने के कारण हुई ब्याज (9 प्रतिशत की दर से) की हानि 21.87 लाख रूपए आकलित की गयी ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि अब से भविष्य में स्थल पर भुगतान की पद्धति में केवल छः माह तक के लिए क्रेडिट सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा उसके बाद मासिक बिल जारी किये जाऐंगें ।

भाण्डागार प्रभारों का लेखाकरण

3.28 निगम के निर्देशों (अगस्त 2000) के अनुसार शाखाएं तथा क्षेत्रीय कार्यालय भाण्डागार प्राप्तियों में से क्रमशः 2,000 से 6,000 रूपए तक तथा 15,000 रूपए से 25,000 रूपए तक के बीच की नकद राशि अपने पास रख सकते हैं और शेष राशि मुख्यालय को अंतरित की जानी होती हैं निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि रोके रखने पर शाखा प्रबंधक से बैंक की दर पर ब्याज वसूलने का प्रावधान होता है । और यह कि, से.उ.स. ने भी अनुशंसा की थी (मार्च 2006) कि निगम को वित्तीय प्रबंधन की कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिए । तथापि, अभिलेख की नमूना जाँच से निम्नाकिंत कमियां पायी गयीं;

- 238 शाखाओं में से अस्सी (33.61 प्रतिशत) शाखाओं के पास बैंक खाता नहीं था जहाँ पर वे प्राप्त रोकड को जमा कर सकते थे ।

- एक लाख रूपए से अधिक की शेष रही राशि को क्षेत्रीय कार्यालयों से मुख्यालय को अंतरित करने के 130 मामलों (5.01 करोड़ रूपए) में, चार दिन से 84 दिन तक के बीच का विलम्ब पाया गया जिसके परिणाम स्वरूप 1.66 लाख रूपए के ब्याज (10 प्रतिशत की दर से) की हानि हुई ; और

निगम के शाखा कार्यालयों द्वारा रोकड़वही का संधारण उचित रूप से नहीं किया जा रहा था ।

- मूल प्रविष्टि की पुस्तिका होने के कारण रोकड़ बही को प्राप्ति तथा भुगतान होने के दिन ही अभिलेखित करते हुए संधारित किया जाना चाहिए और इस प्रकार संग्रहित प्राप्तियों को या तो उसी दिन अथवा अगले दिन जमा कर देना चाहिए । नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 28 शाखाओं में रोकड़ वही प्रतिदिन नहीं लिखि जा रही थी । और यह भी कि 23 शाखाओ द्वारा प्राप्त रोकड़ को बैंकों में जमा करने में दो से 64 दिन तक का विलम्ब हुआ था ।

गोदामों में आरक्षण के कारण हानि

3.29 2006-07 की रबी फसल के दौरान, निगम ने मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, लिमिटेड (एम पी एस सी एस सी) को, उनके आग्रह (फरवरी 2006) पर मूल्य समर्थित योजना के अंतर्गत प्राप्त गेहूँ के भाण्डागार के लिए गोदाम में जगह आरक्षित की थी । एम.पी.एस.सी.एस.सी. द्वारा गेहूँ की कम आवक होने के कारण वह सम्पूर्ण आरक्षित जगह का उपयोग नहीं कर सका और समय पर सूचना के अभाव में गोदामों की जगह अन्य जमाकर्त्ताओं को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी । एम.पी.एस.सी.एस.सी. ने अनुबंध में प्रावधान होते हुए भी, उपयोग नहीं की गयी आरक्षित जगह के लिए देय 65.76 लाख रूपए के भाण्डागार प्रभारों का भुगतान करना अस्वीकृत कर दिया (13 अप्रैल 2006) । एम.पी.एस.सी एस.सी के आग्रह (अप्रैल 2006) पर निगम ने भण्डारण प्रकार 19.53 लाख रूपये तक कम कर दिये (16 जून 2006) जिसके बिल अभी जारी किये जाना है (सितम्बर 2007)

इस प्रकार, अनुबंध की शर्तों के अनुसार भाण्डागार प्रभार वसूल करने में असफल रहने के कारण 46.23 लाख रूपए के राजस्व की हानि हुई ।

कमियाँ

3.30 मध्यप्रदेश भण्डारगृह अधिनियम, 1947 की धारा 20 (2)(3) एवं (4) में निर्बन्धन किया गया है । कि भाण्डागार की गयी वस्तुओं के किसी आधिक्य अथवा कमी के लिए भण्डार गृह कर्ता उन स्थितियों में जो कि उसके नियंत्रण के बाहर है, जिम्मेदार नहीं होगा । विवाद की स्थिति में, मामला प्राधिकृत अधिकारी के पास भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा । भाण्डागार के लिए जमाकर्त्ताओं से प्राप्त हुई सामग्री को सामान्यः प्राप्ति के समय तथा वापसी के समय भी तोला जाता है । भण्डार की हुई मात्रा में कमी, सूखने,भाण्डागार की अवधि, भाण्डागार के समय माल/बैग की हालत और तोल करने के तरीके के कारण हो सकती है ।

सामग्री की प्राप्ति, भाण्डागार तथा वापसी से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच से प्रकट हुआ कि:

- वर्षवार कितनी कमी हुई ज्ञात करने की कोई पद्धति नहीं थी । निगम द्वारा (2005-06) एकत्रित किये गये आँकड़ों के अनुसार, 2002-05 के दौरान हुई भाण्डागार में कुल कमियाँ का मूल्य 4.56 करोड़ रूपए था । तथापि, निगम ने इन कमियों के कारणों का विश्लेषण नहीं किया और 2005-06 से आगे की कमियों की ज्ञात भी नहीं की (सितम्बर 2007); और

निगम ने सरकारी संगठनों से सम्बन्धित भण्डार में हुई कमी के लिए कारणों का विश्लेषण नहीं किया ।

- कमियाँ, मुख्य रूप से सरकारी संगठनों से सम्बन्धित भण्डार में हुई थीं, निजी पक्षों (कुल भण्डार के 30 से 40 प्रतिशत के बीच) के भण्डारों में नहीं यद्यपि सभी जमाकर्त्ताओं से सम्बन्धित माल को एक समान स्थिति में भाण्डागार किया गया था ।

वेब्रेजिज की स्थापना

3.31 भारतीय खाद्य निगम से सम्बन्धित सामान को गोदामों में भाण्डागार करने के लिए निगम को अपने सभी 10,000 मेट्रिक टन से अधिक भाण्डागार क्षमता वाले केन्द्रो पर वेब्रिजेज स्थापित करने थे । ऐसा नहीं कर पाने पर भा.खा.नि.द्वारा भण्डार करायी गयी वस्तुओं पर तुलाई प्रभार निगम को वहन करना पड़ता है । तदनुसार निगम ने वर्ष 2004-05 से 2006-07 के लिए अपने समझौता ज्ञापन के लक्ष्य में, 31 केन्द्रों पर 44 वेब्रिजेज(लागत 2.11 करोड़ रूपए) स्थापित करना शामिल किया था, जहाँ पर भाण्डागार क्षमता 10,000 मेट्रिक टन से अधिक थी । यह देखा गया कि इस अवधि में निगम केवल पाँच स्थानो पर वेब्रिजेज ही स्थापित कर सका था । यह भी देखा गया कि देवास तथा इटारसी में 11.99 लाख रूपए की लागत से स्थापित किये गये (नवम्बर 2002) दो वेब्रिजेज अपनी स्थापना के समय से ही काम नहीं कर रहे थे । प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2007) कि वह अनुदान नहीं मिलने के कारण अपेक्षित संख्या में वेब्रिजेज स्थापित नहीं किये जा सके । यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समझौता ज्ञापन में ऐसी कोई वचनबद्धता शामिल नहीं थी । इस प्रकार, वेब्रिजेज की स्थापना नहीं करने के कारण, निगम को भा.खा.नि.की ओर से तुलाई प्रभार (60.00 लाख रूपए) का वहन करना पड़ा ।

भण्डारगृहों का संधारण

वैज्ञानिक भाण्डागार उपलब्ध कराने के लिए, निगम कीड़े,चूहे आदि से भण्डार किये सामान की सुरक्षा हेतु गोदामों को धुँआ देने का कार्य करता हैं । सावधि सुरक्षा उपाय करने के लिए, निगम धुँआ देने का सामान, चटाई तथा रोगाणुनाशक उपकरण खरीदता हैं । धुँआ देने की प्रक्रिया का निगम के संधारण कार्य में बड़ा योगदान होता है ।

रोगाणुनाशक उपकरण के लिए बजट

3.32 रोगाणुनाशक उपकरण खरीदने के लिए बजट प्रावधान, वास्तविक क्रय तथा वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि के लिए उपकरणों का उपयोग निम्नांकित सारिणी में दिया गया है:

(लाख रूपयों में)

	2002-03	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**
बजट आबंटन	28	29	40	48	44
वर्ष के दौरान खरीदे गये उपकरणों का मूल्य.	12.25	24.11	16.20	36.09	3.58
बचत.	15.75	4.89	23.80	11.91	40.42
उपयोग का प्रतिशत	43.75	83.14	40.5	75.19	8.13

स्त्रोतः बजट, लेखा (अनुसूची-10) एवं संगणना ।

यह देखा जा सकता है कि रोगाणुनाशक के लिए उपकरण की खरीद के लिए आबंटित बजट का उपयोग 8.13 से 83.14 प्रतिशत के बीच रहा ।

उपभोग्य वस्तुओं का उपयोग

3.33 निम्नांकित सारिणी में वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक के दौरान हुए उपभोग्य वस्तुओं जैसे कि धुँआ देने का सामान तथा चटाई के उपयोग को दर्शाया गया है:

क्र.सं.	**विवरण**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**
1.	धुँआ देने की सामग्री के लिए बजट प्रावधान (लाख रूपए) मूल- पुनरीक्षित-	 35.50 34.00	 36.50 42.00	 42.00 45.50	 60.00 50.00	 59.00 35.00
2.	धुँआ देने की सामग्री पर हुआ वास्तविक व्यय (लाख रूपए)	31.13	27.20	32.55	32.18	25.13
3.	चटाई के लिए बजट प्रावधान (लाख रूपए) मूल- पुनरीक्षित-	 32.00 34.00	 40.00 34.00	 40.00 35.00	 40.00 60.00	 52.00 60.00
4.	चटाई वास्तविक व्यय-(लाख रूपए)	21.35	25.31	25.68	26.41	29.36
5.	उपयोग की गयी गोदाम की जगह (लाख मेट्रिक टन)	8.18	7.56	8.02	7.77	6.70
6.	प्रति लाख मेट्रिक टन धुँआ देने की लागत (लाख रूपए)	3.80	3.60	4.06	4.14	3.75
7.	प्रति लाख मेट्रिक टन चटाई की लागत (लाख रूपए)	2.61	3.35	3.20	3.40	4.38

स्त्रोतः लेखा (अनूसूची-23) एवं प्रबंधन द्वारा प्रदाय किये गये आँकड़े ।

उपभोग्य वस्तुओं के बजट अनुमान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किये गये थे ।

2002-07 की अवधि के दौरान, उपयोग की गयी भाण्डागार क्षमता के प्रति लाख मेट्रिक टन में उपयोग की गयी सामग्री की लागत 3.60 लाख रूपए तथा 4.14 लाख रूपए के बीच एवं उपयोग की गयी चटाई की लागत 2.61 लाख रूपए से 4.38 लाख रूपए के बीच रही ।

यह भी देखा जा सकता है कि बजट अनुमान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किये गये थे । यह ध्यान में लाने पर पर, प्रबंधन ने बताया (मई 2007) कि अधिक निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बजट अनुमान मे अधिक राशियाँ रखी गई । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वास्तविक जरूरत से अधिक बजट अनुमान ने बजट अनुमान तैयार करने के उद्देश्य को ही विफल कर दिया । यह भी देखा गया कि, निगम ने उपभोग्य वस्तुओं के न्यूनतम, अधिकतम एवं पुनः उपयोग स्तर हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किये थे ।

मरम्मत एवं संधारण

3.34 गोदाम/ भण्डारगृहों को हर समय उपयोगी स्थिति में बनाए रखने के लिए निगम द्वारा उनका रखरखाव किया जाता है । 2002-03 से 2006-07 के दौरान गोदामो/ भण्डारगृहों की मरम्मत एवं रखरखाव पर बजट की तुलना में किये गये वास्तविक व्यय निम्नांकित सारिणी में दिये गये है:

क्र. सं.	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	गोदामों की संख्या (स्वयं के)	887	899	895	907	947
2	उपलब्ध भाण्डागार क्षमता (स्वंय के) (लाख मेट्रिक टन में)	9.51	9.63	9.65	9.78	10.53
3.	मूल बजट अनुमान (लाख रूपए में)	105.00	60.00	92.00	130.00	130.00
4	पुनरीक्षित बजट राशियां (लाख रूपए में)	65.00	66.00	125.00	130.00	157.00
5	गोदाम तथा कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव पर हुआ वास्तविक व्यय (लाख रूपए में)	60.76	66.26	100.38	96.44	157.58
6	बजट की तुलना में हुए वास्तविक व्यय में अन्तर बचत(-)/ आधिक्य(+) (लाख रूपए में)	(-)4.24	(+)0.26	(-)24.62	(-)33.56	(+) 0.58
7	2002-03. के लिए भाण्डागार क्षमता की तुलना में, भाण्डागार क्षमता में हुई वृद्धि का प्रतिशत	--	1.26	1.47	2.84	10.72
8	2002-03 की तुलना में मरम्मत एवं रखरखाव पर हुए व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत	--	9.05	65.20	58.72	159.35
9	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय (रूपए, प्रति मेट्रिक टन) (4÷2)	6.38	6.88	10.40	9.86	14.96

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा प्रदाय किये गये आँकड़े, बजट एवं लेखा (अनुसूची-22)

उपरोक्त सारिणी दर्शाता है कि भाण्डागार क्षमता में वृद्धि वर्ष 2002-03 की तुलना में, वर्ष 2004-05 तथा 2006-07 में 1.47 तथा 10.72 प्रतिशत थी जबकि मरम्मत तथा रखरखाव पर हुए व्यय में वृद्धि, वर्ष 2002-03 के दौरान हुए व्यय की तुलना में 2004-05 तथा 2006-07 में 65.20 तथा 159.35 प्रतिशत थी ।

2004-05 तथा 2006-07 के दौरान मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय असाधारण रूप से बढ़ गया । निगम ने 2003-04 से मरम्मत प्रभारों हेतु दो वर्षो के प्रति खण्ड के लिए 15 रूपए प्रति मेट्रिक टन की एक सीमा निर्धारित कर दी (मार्च 2003)। इसमें विशेष मरम्मत और छत की रंगाई पुताई अथवा छोटे मूल कार्य शामिल नहीं थे । लेखे में विशेष मरम्मत के अलग विवरण नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा में आदेशों के अनुपालन का सत्यापन नहीं किया जा सका ।

बीमा

बीमा न्यास का गठन

3.35 अपनी निजी बीमा निधि रखने की दृष्टि से, निगम ने 2000-01 के बाद से स्व-क्षतिपूर्ति निधि के लिए लाभ का 25 प्रतिशत भाग अलग से रखा था । मार्च 2007 की स्थिति में इस निधि में 14.91 करोड़ रूपए का संचय था । संचालक मंडल ने उक्त बीमा निधि के प्रबंधन के लिए एक न्यास गठित करने तथा संचित राशि को बाहरी व्यवसाय में निवेश करने के लिए बीमा नियमाक एवं विकास एजेन्सी (आई आर डी ए) का अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय किया था (फरवरी 2006) । निगम ने आई आर डी ए से सम्पर्क किया (जून 2006), किन्तु उसके बाद इस मामले में प्रयास नहीं किये अतः 14.91 करोड़ रूपए का संचय (मार्च 2007) बेहतर लाभ के लिए अन्यत्र निवेशित करने की बजाय बैंक में सावधि जमा के रूप में बना रहा । इसी बीच, निगम ने बीमा कम्पनियों को बीमा प्रिमियम (2002-07 के दौरान 2.51 करोड़ रूपए) का भुगतान जारी रखा । प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007)कि आई आर डी ए से उत्तर प्रतीक्षित था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने मामले का सतर्कतापूर्वक अनुसरण नहीं किया था । इस प्रकार, न्यास स्थापित करने में असफलता के कारण बीमा किश्त के रूप में बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ा ।

3.36 निगम, गोदामों में जोखिम वाला माल (जैसे तेंदूपत्ता) और बिना जोखिम वाला माला (जैसे अनाज, उर्वरक,बीज इत्यादि) दोनों का भाण्डागार करता हैं । क्योकि जोखिम वाले भण्डार के लिए बीमा कम्पनियाँ द्वारा किश्त प्रभार बिना जोखिम वाले भण्डार की अपेक्षा अधिक होता हैं, अतः निगम अपने गोदामों में भाण्डागार किये जाने हेतु भण्डार के प्रकार पर आधारित, अलग - अलग बीमा पालिसी लेता हैं । निगम ने 31 मार्च 2003 से 30 मार्च 2004 तक की अवधि के लिए 415 करोड़ रूपए बिनाजोखिम वाले माल के लिए तथा 50 करोड़ रूपए जोखिम वाले माल के लिए, दो बीमा पालिसी ली थीं (मार्च 2003) । जबकि जोखिम वाले भण्डार के साथ बिना जोखिम वाले भण्डार को रखने में कोई प्रतिबंध नहीं था, बीमा पालिसी की शर्तो एवं निबधंनों में अनुबंध के

अनुसार जोखिम वाले माल का केवल पाँच प्रतिशत भाग ही बिना जोखिम वाले भण्डार के साथ रखा जा सकेगा ।

गोदामों में जोखिम वाला,तथा बिना जोखिम वाला माल अनुचित रूप से मिलाने के कारण निगम को बीमा के लेखे में 0.78 करोड़ रूपए की हानि उठानी पड़ी ।

हरपालपुर में निगम के एक गोदाम में एक अग्निदुर्घटना हुई (10 अप्रैल 2003) जिसमें 97.81 लाख रूपए मूल्य के मटर के 2260 थैले, शक्कर के 52 थैले तथा तेंदूपत्ता के 12175 थैले नष्ट हो गये थे । निगम ने दो अलग-अलग दावे, यथा, एक अनाज के लिए 29.62 लाख रूपए तथा दूसरा तेंदूपत्ता के लिए 68.19 लाख रूपए के प्रस्तुत किये क्योंकि निगम ने पाँच प्रतिशत से अधिक जोखिम वाला माल (तेंदूपत्ता), बिना जोखिम वाले माल के साथ रखा था, अतः बीमा कम्पनी ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया । इस के बदले में शर्तो का पालन न किये जाने के कारण बीमाकर्ता द्वारा 76.03 लाख रूपये की एक अतिरिक्त किश्त का दावा किया गया। यद्यपि, बीमा कम्पनी ने 20 लाख रूपए का दावे का समझौता किया (मार्च 2004) और यह राशि निगम को भुगतान कर दी । इस प्रकार, निगम ने, 76.03 लाख रूपए की किश्त के अतिरिक्त दायित्व के साथ साथ, माल के अनुचित भाण्डागार के कारण 77.81 लाख रूपए की हानि उठायी । निगम ने बीमा कम्पनी के विरूद्ध राज्य उपभोक्ता न्यायाधिकरण में एक प्रकरण प्रस्तुत किया था (मई- 2007) । आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (सितम्बर 2007) ।

जनशक्ति विश्लेषण

3.37 निगम के व्यय का एक बड़ा- घटक कर्मचारियों पर खर्च होता है । नीचे दी गयी सारिणी में 2002-03 से 2006-07 तक के दौरान कर्मचारियों पर हुए खर्च तथा उनकी उत्पादकता के विवरण के सारांश दिये गये है:

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1. तैनात कर्मचारियों की संख्या (दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को छोड़कर)	1862	1813	1207	1226	1233
2. कर्मचारियों पर कुल खर्च (करोड़ रूपए में)	12.50	12.98	14.80	15.22	16.65
3. प्रति कर्मचारी औसत व्यय (लाख रूपए में)	0.67	0.72	1.22	1.24	1.35
4. भण्डारगृहों से कुल राजस्व (करोड़ रूपए में)	35.11	32.64	34.71	37.63	32.39
5. प्रति कर्मचारी भंडारण राजस्व (लाख रू. मे)	1.89	1.80	2.88	3.07	2.63
6. प्रति व्यक्ति राजस्व के तुलना में प्रति व्यक्ति व्यय का प्रतिशत	35.45	40.00	42.36	40.39	51.33

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा प्रदाय किये गये आँकड़े तथा वार्षिक लेखे ।

उपरोक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी के बावजूद, कर्मचारियों पर व्यय तथा प्रति कर्मचारी व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के कारण हुई । यद्यपि भण्डार गृहों से राजस्व तथा प्रति कर्मचारी

राजस्व बढ़ा था, तथापि इस वृद्धि का अनुपात, व्यय में वृद्धि की अपेक्षा कम था जैसा कि प्रति व्यक्ति आय की तुलना में प्रति व्यक्ति खर्च के प्रतिशत से स्पष्ट होता है ।

स.उ.स.ने अपनी अनुशंसाओं (मार्च 2006) में निगम को राजस्व उपार्जन की तुलना में स्थापना व्यय पर नियंत्रण रखने के उपाय करने हेतु निर्देशित किया था और अद्यतन स्थिति भेजने का निर्देश दिया था । तथापि, निगम ने अभी तक (सितम्बर 2007) इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है ।

कर्मचारियों की तैनाती की क्षेत्रबार स्थिति

3.38 2006-07 के दौरान प्रयुक्त मात्रा की तुलना में 31 मार्च 2007 को कर्मचारियों की तैनाती की क्षेत्रबार स्थिति निम्नानुसार थीः

विवरण		क्षेत्र					
		भोपाल	ग्वालियर	जबलपुर	इंदौर	उज्जैन	सागर
1.	31.3.2007 को कर्मचारियों की संख्या	209	193	144	177	183	188
2.	क्षेत्र में प्रयुक्त कुल मात्रा (मेट्रिक टन में)	175696	159363	83684	112995	178604	115607
3.	प्रति तैनात व्यक्ति प्रयुक्त मात्रा (मेट्रिक टन में)	841	827	581	638	975	615

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा प्रदाय किये गये आंकड़े ।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों की तैनाती व्यवसाय के परिमाण के अनुपात में नहीं की गयी थी ।

प्रशासनिक व्यय

निगम ने अपने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रशासनिक व्यय हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किये थें ।

3.39 केन्द्रीय भाण्डागार निगम के मानकों के अनुसार, मुख्यालय पर प्रशासनिक व्यय, भाण्डागार प्राप्तियों के आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । निगम ने अपने नियंत्रण कार्यालयों (मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय) के प्रशासनिक व्यय के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किये थे । यह देखा गया कि 2002-03 से 2006-07 के दौरान प्रशासनिक व्यय, भाण्डागार प्राप्तियों के 44.73 तथा 59.18 प्रतिशत के बीच रहा था । इस प्रकार, नियंत्रण कार्यालयों द्वारा किये जा रहे प्रशासनिक व्यय पर भारी खर्च के परिणाम स्वरूप लाभ में विशेष कमी हो गयी ।

निगमित शासन

आंतरिक नियंत्रण

3.40 आंतरिक नियंत्रण वह व्यवस्था है जो कि प्रबन्धन को आश्वस्त कर सके कि प्रबन्धन का संचालन दक्षतापूर्ण, प्रभावशाली तथा व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है । आंतरिक नियंत्रण पद्धति निगम के आकार एवं गतिविधियों के अनुरूप नहीं थी, जैसी कि नीचे चर्चा की गयी है:

- निगम के पास प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों/जिम्मेदारियों को निर्धारित करने वाली कोई नियमावली नहीं है ।

- मध्यप्रदेश राज्य भाण्डागार निगम नियम (भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 42 के अंतर्गत) के नियम 3 (1) के अंतर्गत, निगम के कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए माह में एक बार कार्यपालन समिति की बैठक होना अपेक्षित हैं । लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1999-2000 में सम्मिलित, निगम की कार्यविधि की समीक्षा पर चर्चा करते समय प्रबंधन ने भी स.उ.स.को नियमानुसार ऐसी बैठकें आयोजित करने का आश्वासन दिया था (सितम्बर 2004) । किन्तु मासिक बैठके आयोजित नहीं हुई । लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि मार्च 2007 को समाप्त हुए पाँच वर्षो के दौरान, समिति केवल 18 बार बैठकें आयोजित कर सकी प्रबंधन ने नियमानुसार बैठके आयोजित करने हेतु आश्वासन दिया (सितम्बर 2007).

- निगम की गतिविधियाँ का विवरण एवं वित्तीय अनुमान के.भ.नि. तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, जैसा कि भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 कि धारा 26 (2) के अंतर्गत अपेक्षित था, इसके परिणाम स्वरूप विशेषज्ञ जाँच का अभाव रहा । प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2007) कि के.भ.नि तथा राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बारे में नियम की जानकारी निगम को नहीं थी । इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों को अनुपालन नहीं करने के कारण के.भ.नि.तथा राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ जाँच की कमी रही ।

- मृत स्कंध वस्तुओं, जैसे कि प्रयोगशाला उपकरण एवं मशीनरी, रोगाणुनाशक उपकरण, अन्य उपकरण और लकड़ी के क्रेट के मदवार ब्यौरे निगम द्वारा संधारित नहीं किये गये थे । इन मदों की प्राप्ति के लिए निगम ने न्यूनतम, अधिकतम एवं पुनर्व्यवस्था के स्तर का निर्धारण नहीं किया था ।

- अट्ठाइस शाखाओं ने दैनिक रूप से रोकड़ बही नहीं लिखी थी, जैसा कि कंडिका 3.28 में उल्लेख किया गया है ।

- भाण्डागार अधिनियम, 1962 की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य भाण्डागार निगम केवल राज्य में ही गोदामों का निर्माण करा सकता है ।

राजस्थान में नेफेड के लिए (2.23 करोड़ रूपए की लागत से श्री गंगा नगर में 10,000 मी.ट. क्षमता वाला भण्डारगृह) निर्माण करने तथा 12.07 करोड़ रूपए तथा मध्यप्रदेश के 21 जिलों में चिकित्सा विभाग के लिए कार्यालय भवन तथा औषधि भण्डार का निर्माण कराने की निगम की गतिविधियां, अधिनियम के प्रावधानों के अधिकार से परे थीं ।

- निगम ने 2002-03-2006-07 के दौरान 41.58 लाख रूपए की लागत से कम्प्यूटर के उपकरण खरीदे थे और प्रशिक्षण तथा सम्बन्धित कार्यों पर 15.36 लाख रूपए व्यय किये थे । एक निजी फर्म को सौंपा गया (जुलाई 2004) उपक्रम स्तर के सौफ्टवेयर विकसित करने का कार्य पूरा नहीं हो पाया था, जिसके परिणाम स्परूप खरीदे गये कम्प्यूटर बेकार पड़े रहे ।

- 13 मामलों में (41.58 लाख रूपए) संविदाकारों को भुगतान किये गये अग्रिम (अगस्त -2002 से मार्च 2007 तक के दौरान) के बिल, जो "विविध अग्रिम" के अंतर्गत दर्ज किये गये थे, निराकरण हेतु पड़े थे उन्हे अभी तक दावों से समायोजित नहीं किया गया (सितम्बर 2007).

बढ़ाये हुए अनुमान

3.41 निगम ने 2001-07 के दौरान 59 गोदामों का निर्माण कार्य लिया था और उसे 2002-07 के दौरान पूरा किया था । यह देखा गया कि 13 निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में किया गया वास्तविक व्यय, 59.42 लाख रूपए के सकल निविदा मूल्य से कम (10 से 23.20 प्रतिशत) था । यह देखा गया था कि -

- स्थल की हालत का परीक्षण किये बिना अनुमान तैयार किये गये थे ;
- अनुमानों को उचित सांवधानी पूर्वक तैसार नहीं किया गया था ; और
- निर्माण कार्य के विभिन्न भागो को उचित रूप से निर्धारित नहीं किया गया था

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि भविष्य में वास्तविक आधारों पर अनुमान तैयार करने के लिए उचित उपाय किये जाएंगें ।

राज्य सरकार द्वारा अंतरित किये गये गोदाम

3.42 राज्य सरकार ने निगम को 81 गोदाम अंतरित किये थे (1978) । इनमें से, छत्तीसगढ़ में स्थित 47 गोदाम, छत्तीसगढ़ भाण्डागार निगम को सोंप दिये गये थे (मई 2002) । शेष बचे 34 गोदामों (क्षमता 23,451 मेट्रिक टन) में से 11 गोंदामों का मूल्य 1.05 करोड़ रूपए की राशि राज्य सरकार के पूंजी हिस्से (एक करोड़ रूपए) के रूप में निगम के खाते में समाविष्ट की गई (2002-03) प्रबन्धन ने शेष बकाया 23 गोदामो का मूल्य लेखो मे समायोजित किये जाने हेतु कोई प्रयास नही किये । यह भी देखा गया

कि ग्वालियर क्षेत्र में स्थित निगम की स्वंय की भूमि के अभिलेख निगम के पास उपलब्ध नही थे ।

आंतरिक लेखापरीक्षा

3.43 निगम ने लेखा नियमावली में निगम की विभिन्न इकाइयों/शाखाओं/अनुभागों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश तय किये हैं । आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा एक सहायक प्रबंधक (तृतीय श्रेणी कर्मचारी) के अधीन कार्य करती है । केन्द्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की फर्म तथा निगम के कर्मचारियों द्वारा संचालित की गयी थी । 2006-07 तक के पॉच वर्षो की अवधि के दौरान, इस अवधि में नियोजित 1151 केन्द्रों के विरूद्ध 997 केन्द्रों में आंतरिक लेखापरीक्षा करायी गयी थी। क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्बन्ध मे 29 लेखापरीक्षाओं के विरूद्ध, केवल 18 की ही लेखापरीक्षा हुई थीं । मुख्यालय की लेखापरीक्षा कभी भी करायी ही नही गयी । आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के प्रतिवेदनों तथा कार्यो की समीक्षा से प्रकट हुआ है कि:-

- आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा एक स्वतंत्र इकाई नहीं थी जैसा कि स.उ.स. की अनुशंसा (मार्च 2006) मे अपेक्षित है । आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का प्रमुख प्रबंधक (लेखा) को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हैं, जो बाद में प्रबंध निर्देशक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है ।
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखा नियमावली में निर्धारित प्रारूप् के अनुरूप नहीं थी ।
- आंतरिक् लेखापरीक्षा शाखा में भाण्डागार किये गये, संविदा किये गये, भण्डार के सामान के भौतिक सत्यापन का क्षेत्र सम्मिलित नहीं था जैसा कि लेखा नियामावली के आंतरिक लेखापरीक्षा अध्याय में निर्धारित है
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्देशक मण्डल को जॉच के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये थे ।

बजट नियंत्रण

3.44 भाण्डागार नियम अधिनियम, 1962 के प्रावधानों में, निगम से पूंजी तथा राजस्व बजट, वास्तविक तथा इसकी भिन्नताओं के साथ पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में पूंजी व्यय, राजस्व व्यय, भण्डार आय तैयार करने की अपेक्षा की गयी है । निगम द्वारा तैयार किये गये उपरोक्त विवरण ***परिशिष्ट - 24*** में प्रस्तुत किये गये है ।

पूंजी व्यय के लिए बजट प्रावधानों का निगम द्वारा पूर्ण उपयोग नहीं किया गया ।

प्रभावी बजट नियंत्रण करने के लिए प्रगति के साथ लक्ष्यों की समीक्षा संचालक मण्डल द्वारा समय-समय पर की जाती है । यह देखा गया कि बजट तैयार करना वस्तुपरक नहीं था क्योंकि पूंजी व्यय के अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के बीच बड़ी भिन्नताएं हुई है । 2006-07 को समाप्त हुए पॉच वर्षो के लिए 74.19 करोड़ रूपए पूंजीगत बजट अनुमान के विरूद्ध निगम ने केवल 41.83 करोड रूपये (56.38 प्रतिशत) ही खर्च किये थे । 43.62 प्रतिशत की असाधारण भिन्नता परिकल्पित लक्ष्य की पूर्ति नहीं करना दर्शाती है।

वर्ष 2002-03 से 2006-07 के अंत में निगम के पास उपलब्ध रोकड़ शेष क्रमशः 4.12 करोड़ रूपए, 11.37 करोड़ रूपए, 19.06 करोड़ रूपए, तथा 20.53 करोड रूपये तथा 20.68 करोड़ रूपये के संदर्भ में देखा गया कि सम्पत्ति तैयार करने का निष्पादन संतोषजनक नहीं था । प्रबंधन ने बताया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कराए जा सके । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने समीक्षा के अवधि के दौरान अर्जित की गयी सम्पूर्ण भूमि का उपयोग नहीं किया था । प्रबंधन ने आगे बताया (सितम्बर 2007) कि वह भविष्य में वस्तुपरक बजट तैयार करना सुनिश्चित करेगा ।

उपसंहार

निगम के पास भूमि खरीदने, गोदामों का निर्माण कराने तथा उनका उपयोग करने के लिए कोई संतोषजनक योजना नहीं थी । पर्याप्त निधियां होते हुए भी, निगम अपनी भाण्डागार क्षमता बढ़ाने में सक्षम नहीं हुआ जैसा कि समझौता ज्ञापन में परिकल्पित था । गोदामों के निर्माण में तथा निर्माण के बाद गोदामों का व्यावसायिक संचालन आरम्भ करने में विलम्ब हुआ । निगम अपने स्वयं के गोदामों का पूरा उपयोग करने में सक्षम नहीं हुआ । स्वयं के गोदामों में अतिशेष क्षमता उपलब्ध होते हुए भी निगम ने प्रायवेट गोदाम किराए पर लिये थे । गोदामों की कालावधि तथा प्रयोग के संदर्भ में सुधार तथा प्रोन्नति कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं कराए गये । यद्यपि निगम ने बजट अनुमान, पुनरीक्षित बजट अनुमान आदि तैयार किये थे, तथापि बजट नियंत्रण तंत्र सर्वथा नहीं था। आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, निगम के आकार तथा गतिविधियों की प्रकृति के अनुरूप नहीं थी । निगम ने सरकारी उपक्रम समिति की कई पूर्व अनुशंसाओं का पालन नहीं किया ।

अनुशंसाएं

निगम को चाहिए, कि,

- **पूर्व में अर्जित भूमि का उपयोग करने के लिए त्वरित कदम उठाए;**
- **गोदामों की क्षमता निर्धारित करने के लिए केन्द्रों की उपयोगिता स्तर का विश्लेषण करे और तदनुसार निर्माण करने अथवा विशेष मरम्मत कराने की योजना बनाए ;**
- **प्राथमिक उत्पादकों/व्यापारियों को उनके उत्पादन भाण्डागार करने के लिए प्रेरित करते हुए अपने भण्डारगृहों की उपयोग क्षमता बढ़ाए ;**
- **सभी उपभोग्य वस्तुओं की न्यूनतम, अधिकतम एवं पुनर्व्यवस्था के मानदड निर्धारित करें ; और**
- **आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करे एवं वस्तुपरक आधार पर बजट अनुमान तैयार करें ।**

अध्याय - चार

लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

राज्य सरकार की कंपनियों तथा सांविधिक निगमों द्वारा किये गये लेन देनों की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप प्रकट हुये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस अध्याय में समाविष्ट किये गये हैं ।

सरकारी कम्पनियाँ

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित

4.1 प्रदर्शन कक्षों के क्रय पर निष्फल निवेश

तीन प्रदर्शन कक्षों को फरवरी 2005 तक खरीद कर उनका उपयोग न करने के कारण 32.42 लाख रूपये का निष्फल निवेश हुआ ।

कम्पनी ने हाथ करघा तथा हस्तशिल्प मदों के विक्रय हेतु अपने स्वयं के स्थान खोलने के लिये मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम मर्यादित से 23.42 लाख रूपये की लागत से मुम्बई, इंदौर और कानपुर में स्थित तीन "अवन्ती " प्रदर्शन कक्ष क्रय किये (फरवरी 2005)। ये प्रदर्शन कक्ष इसलिये क्रय किये गये थे क्योकि ये तीन बड़े नगरों में स्थित थे तथा प्रदर्शन कक्ष खोलने के लिये उपयोगी थे । तथापि प्रदर्शन कक्षों के क्रय से पूर्व कोई लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया गया था । कम्पनी ने तीन प्रदर्शन कक्षों पर आगे 9 लाख (रूपये 3.55 लाख रूपये आंतरिक साजसज्जा, 4.60 लाख रूपये पंजीकरण प्रभार तथा विविध दायित्वों के निर्वाह पर 0.85 लाख रूपये) व्यय किये । प्रदर्शन कक्षों का कब्जा फरवरी से अक्टूबर 2005 के मध्य में लिया गया । कम्पनी ने विस्तृत अनुसंधान एवं बाजार सर्वेक्षण करने पर पाया (मार्च 2006) कि ये प्रदर्शन कक्ष हाथ करघा उत्पादों तथा हस्तशिल्पों के विक्रय के लिये व्यूह रचनात्मक के तौर पर स्थित नहीं थे । कम्पनी अब तक इन प्रदर्शन गृहों का उपयोग नहीं कर पायी है (सितम्बर 2007)।

यह भी देखा गया कि इन सम्पत्तियों का विक्रय करने या इन्हें बाहरी उपयोग पर देने के लिये किये गये कम्पनी के निर्णय से सार्थक परिणाम सामने नहीं आये क्योकि मुम्बई और कानपुर स्थित प्रदर्शन गृहों कक्षों का सृजन मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा राष्ट्रीय हाथकरघा विकास निगम से अनुदान लेकर किया गया था । इसलिये इन प्रदर्शन कक्षों का उपयोग, अनुदान में रखी गई निबंधन एवं शर्तो के अनुसार, हस्तशिल्प और हाथकरघा उत्पादों के विक्रय को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जा

सका । इसी प्रकार इंदौर स्थित सम्पत्ति, जो इन्दौर नगर पालिका के नियंत्रणाधीन थी, ने भी उसके विक्रय या बाहरी उपयोग हेतु खुले विज्ञापन जारी करने से कम्पनी को प्रतिबाधित किया ।

इन तथ्यों को स्वीकार करते समय सरकार ने बताया (जून 2007) कि प्रदर्शन कक्ष को पट्टे अथवा किराये पर देकर प्रदर्शन कक्षों के उपयोग का परीक्षण करने के लिये कम्पनी के विभागीय प्रमुखों की एक समिति गठित कर दी गई हैं तथा निर्णय प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी । यह तथ्य भी कायम है कि लागत लाभ विश्लेषण किये बिना इन प्रदर्शन कक्षों का क्रय किये जाने के परिणामस्वरूप 32.42 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ ।

मध्यप्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक विकास निगम मर्यादित

4.2 व्याज की हानि

अविवेकपूर्ण निधि प्रबंधन के कारण 15.57 लाख रूपये व्याज छोड़ दिया गया

कम्पनी बैकों में सावधिक जमा में बचत निधियों का निवेश करती है । कम्पनी ने (6.60) प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर 24 महीनों की अवधि के लिये स्टेट बैंक आफ इंदौर में, अनुदान के रूप में भारत सरकार से प्राप्त 11.75 करोड़ रूपये सहित 14.95 करोड़ रूपये जमा किये (सितम्बर 2005)। 8 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर एक वर्ष की अवधि के लिये पाँच करोड़ रूपये की एक और जमा मार्च 2006 में की गई ।

लेखापरीक्षा की जानकारी में आया कि कम्पनी ने, ब्याज दरों में वृद्धि के बारे में भली भाँति अवगत होते हुये भी, सितम्बर 2005 में की गई अपनी जमाओं का खाता बंद नही किया तथा उस धन का 18 महीने की शेष अवधि के लिये ऊँची ब्याज दर पर मार्च 2006 तक पुनर्निवेश नहीं किया । ऐसा करके कम्पनी 15.57 लाख रूपये का अतिरिक्त ब्याज कमा सकती थी ।

सरकार ने यह उत्तर दिया (अगस्त 2007) कि कम्पनी ने अपने जमा के खाते को पहले ही बंद कर दिया था और उसी धन को ऊँची ब्याज दर पर 1 दिसम्बर 2006 से पुनः जमा कर दिया था ।

यह तथ्य कायम है कि अविज्ञ निधि प्रबंधन के कारण, सितम्बर 2005 से मार्च 2006 की अवधि में कम्पनी को 15.57 लाख रूपये के राजस्व को छोडना पड़ा ।

मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

4.3 आयकर पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर के भुगतान हेतु अनुमानित लाभ के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण 33.20 लाख रूपये ब्याज का परिहार्य भुगतान ।

आयकर पर ब्याज अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 210 के साथ पठित धारा 208 के अधीन, 5000 रूपये से कर देय राशि होने पर प्रत्येक प्रकरण में वित्त वर्ष के दौरान अग्रिम आयकर भुगतान करने की बाध्यता थी । चालू आय पर अग्रिम कर (अधिनियम धारा 209 के अधीन यथा परिगणित) प्रत्येक वित्त वर्ष के जून और मार्च के मध्य में चार किस्तों मे देय था (अधिनियम की धारा 211) । यदि अग्रिम आयकर की राशि 10 प्रतिशत से अधिक से कम रहती है तो निर्धारिती अधिनियम की धारा 234 ख के अधीन एक प्रतिशत प्रति माह की दर से शेष कर के भुगतान में त्रुटि के लिये साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिये दायी होगी । यदि कुल अग्रिम कर कुल कर दायित्व से कम रहता है तो अधिनियम की धारा 234 ग के अधीन अग्रिम कर के स्थगन के लिये एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय होगा ।

कम्पनी ने वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान 15 करोड़ रूपये के अनुमानित लाभ पर नियत दिनांको को 5.05 करोड़ रूपये का अग्रिम आय कर भुगतान किया । इसके अतिरिक्त 0.63 करोड़ रूपये की एक राशि वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा प्राप्त भुगतान से स्त्रोत पर कटोत्री की गई । अग्रिम आय कर और स्त्रोत पर कटोत्री किये गये कर के माध्यम से आय कर का कुल भुगतान (5.68 करोड़ रूपये) वर्ष 2005-06 के लिये 23.75 करोड़ रूपये के उसके लाभ पर कम्पनी द्वारा देय 7.98 करोड़ रूपये के कुल आय कर से 10 प्रतिशत अधिक से कम रहा । इसलिये कम्पनी ने 2.30 करोड़ के शेष आय कर के साथ-साथ अधिनियम की धारा 234 ख तथा 234 ग के अधीन क्रमशः 16.10 लाख रूपये तथा 17.10 लाख रूपये के ब्याज का भुगतान किया (अक्टूबर 2006)।

यह अवलोकन किया गया कि कम्पनी ने तीसरी तिमाही अर्थात् 31 दिसम्बर 2005 के अन्त में 18.39 करोड़ रूपये की लागत के विरूद्ध, ठीक 15 करोड़ रूपये के अनुमानित लाभ पर, मार्च 2006 में अग्रिम कर की अन्तिम किश्त का भुगतान किया जो 15 करोड़ रूपये के अनुमानित लाभ से अधिक थी । अतः पिछली तिमाही के अपेक्षित क्रय विक्रय अनुमानित लाभ अग्रिम आयकर के भुगतान के प्रयोजन के लिये तीसरी तिमाही के लाभ में जोड़ दिया जाना चाहिये । यदि सभी अंशदानकारी घटकों एवं उपलब्ध आँकड़ों को शामिल करने के उपरांत तैयार किये गये यथार्थ अनुमानों पर आधारित अग्रिम कर जमा किया जाता तो अग्रिम कर की किश्तों का कम अनुमान नहीं किया जाता तथा आय कर विभाग को ब्याज के भुगतान को टाला जा सकता ।

कम्पनी से बताया (अप्रैल 2007) कि उसने बढ़े हुये बिक्री के आधार पर मार्च 2006 में 11 करोड़ से 15 करोड़ रूपये तक का वार्षिक लाभ का पूर्व अनुमान पुनरीक्षित

किया । यह उत्तर स्वीकार नहीं है क्योकि तीसरी तिमाही के अन्त में लाभ 18.39 करोड़ रूपये था जो वर्ष के लिये कम्पनी द्वारा अनुमानित 15 करोड़ रूपये के लाभ से अधिक था । इससे प्रकट होता है कि ये अनुमान समस्त अंशदानकारी घटकों को शामिल किये बिना तैयार किये गये थे ।

इस प्रकार विवेक सम्मत यथेष्टता के साथ अपनी आय का अनुमान करने में प्रबंधन की विफलता के परिणामस्वरूप आयकर विभाग को 33.20 लाख रूपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया ।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (मई 2007); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007) ।

4.4 संयुक्त उद्यम भागीदार को अदेय लाभ

कम्पनी के खर्चे पर रेल्वे साइडिंग की सुविधा संयुक्त उद्यम कम्पनी को उपयोग हेतु देने के कारण 21.60 लाख रूपये का अनुचित लाभ संयुक्त उद्यम कम्पनी को पहुँचाया गया ।

कम्पनी बॉक्साइट के भण्डारण एवं परिवहन के लिये सतना स्टेशन साइडिंग पर 28 भूखण्डों का उपयोग करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त किये हुये थी । चूँकि कम्पनी क्षेत्र में खनन कार्य के लिये संयुक्त उपक्रम में प्रारंभ करने हेतु कटनी बाक्साइड प्राइवेट लिमिटेड (निजी भागीदार) से चर्चा कर रही अतएव यह इस तथ्य को घ्यान में रखते हुए कि खनन कार्य संयुक्त उद्यम कम्पनी को सौपे जाने थे, जो इन भूखण्डों के उपयोग हेतु लाइसेंस का नवीकरण करने हेतु इच्छुक नहीं थी ।

कम्पनी ने बॉक्साइड के खनन भण्डारण एवं परिवहन हेतु संयुक्त उद्यम कम्पनी के गठन के लिये कटनी बॉक्साइट प्रायवेट लिमिटेड (निजी भागीदार) के साथ एक संयुक्त उद्यम अनुबंध किया (जुलाई 2000) । अनुबंध के अनुसार, कम्पनी को तमर गाँव में अपनी बॉक्साइट खदानों की व्यवस्था करनी थी जिनके लिये कम्पनी को खनित बॉक्साइड का 71 रूपये प्रति मैट्रिक टन (एम.टी.) के कमीशन की पात्रता थी । निजी भागीदार या संयुक्त उद्यम कम्पनी को रेल्वे के साइडिंग सौंपने के बारे में भी कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था ।

निजी भागीदार ने प्रारंभिक तौर पर कम से कम एक वर्ष (2000- 01) के लिये लाइसेंस के पुनर्नवीकरण हेतु कम्पनी से सम्पर्क किया (जून 2007) । इसने साइडिंग भूखण्डों के उपयोग हेतु भविष्य में भी पुनर्नवीकरण का खर्च वहन करने का भी प्रस्ताव किया (जून 2000)। यह अवलोकन किया गया कि मार्च 2007 तक संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा रेलवे साइडिंग उपयोग करने पर कम्पनी द्वारा 21.60 लाख रूपये लाइसेन्स शुल्क का भुगतान किया गया (लाइसेन्स मार्च 2007 के पश्चात् नवीकृत नहीं किया गया था), परन्तु संयुक्त उद्यम समिति से इस राशि का दावा नहीं किया क्योंकि कम्पनी के प्रबंध

संचालक ने तय किया था (जून 2001) कि कम्पनी ही नवीकरण प्रभार वहन करती है । अधिकारों के प्रत्योजन के अनुसार दावे को माफ करने सम्बन्धी निर्णय संचालक मंडल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए थे । लेकिन संचालक मंडल के सम्मुख सुधार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इस प्रकार, संयुक्त उद्यम कम्पनी के दायित्व का निर्वहन करके, कम्पनी ने सितम्बर 2000 से मार्च 2007 तक रेल्वे को प्रदत्त साइडिंग किराये के रूप में संयुक्त उद्यम कम्पनी को 21.60 लाख रूपये का अदेय लाभ दिया ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007)कि रेल्वे साइडिंग के लिये प्रभार वहन करने का निर्णय, संयुक्त उद्यम कम्पनी के अनुरोध पर, प्रबंध संचालक द्वारा किया गया था (जून 2001)। संयुक्त उद्यम कम्पनी ने यह माना कि साइडिंग के उपयोग की सुविधा अनुबंधित कमीशन को ध्यान में रखकर कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली अंतसंरचना का भाग थी। यह भी बताया गया (अगस्त 2007)कि प्रभारों का वहन करने के लिये संचालक मण्डल का अनुमोदन आवश्यक नहीं था ।

यह उत्तर धार्य नहीं है क्योंकि संयुक्त उद्यम अनुबंध में संयुक्त उद्यम कम्पनी को ऐसी कोई सुविधा दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । इसके बावजूद, सुविधा को अंतसंरचना का भाग मान लिया जाना इस दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है कि भविष्य में नवीकरण का खर्चा वहन करने के लिये प्रारंभिक प्रस्ताव कम्पनी का ही था। खर्चा वहन करने के लिये कम्पनी के प्रबंध संचालक के निर्णय का संचालक मंडल द्वारा अनुसमर्थन किया जाना था क्योंकि कम्पनी द्वारा तैयार किये गये शक्तियों के प्रत्योजन में,संचालक मंडल द्वारा ठेके को नियंत्रित करने वाले प्रादर्श प्रारूप निबंधन एवं शर्तो के अनुसमर्थन के लिये विशेष तौर पर प्रावधान किया गया था ।

यह प्रकरण सरकार को प्रेषित किया गया (मई 2007); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

राजस्व की हानि

खुदाई, परिवहन एवं रेत के विक्रय के लिए खदानों के अनियमित आवंटन के कारण 25.98 लाख रूपये का राजस्व त्याग दिया गया ।

कम्पनी ने रेत की खुदाई,परिवहन और विक्रय के लिये एक ठेकेदार को कटनी क्षेत्र में समूह चार के 13 खनन स्थल आवंटित किये (जनवरी 2005)। अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तो (अनुबंध) में,जनवरी 2005 से एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा 81,000 धन मीटर की न्यूनतम मात्रा उठाना तथा मासिक किश्तों में 64.80 लाख रूपये (80 रूपये प्रति धन मीटर की दर से) की सुनिश्चित राशि का भुगतान करना निर्धारित था । ठेकेदार ने 5.46 लाख रूपये की पहली किश्त तथा 16.20 लाख रूपये की प्रतिभूति जमा की राशि जमा कर दी (जनवरी 2005)। अनुबंध में, अन्य बातों के साथ - साथ

यह प्रावधान भी था कि नवीन खनन स्थलों के निकटतम क्षेत्र में पहले से ही कार्य कर रहे ठेकेदार को, जब भी उपलब्ध होंगे तब, नवीन खनन स्थल आवंटित किये जायेंगे ।

कटनी क्षेत्र में सात नवीन खनन स्थलों में कार्य करने के लिये कलेक्टर से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् (जनवरी 2005) प्रबंध संचालक ने 13.07 लाख रूपये (80 रूपये प्रति धन मीटर की दर से 16,335 धन मीटर की न्यूनतम मात्रा) के प्रतिफल के विरूद्ध समूह 4 के ठेकेदार को इन खनन स्थलों को आवंटित करने के लिये प्रभारी अधिकारी, कटनी क्षेत्र को निर्देश दिये (जनवरी 2005)। तथापि प्रभारी अधिकारी ने प्रबंध संचालक के आदेशों का गंभीर अवमानना करते हुये उस ठेकेदार को केवल 6 खनन स्थल आवंटित किये (जनवरी 2005) तथा सातवाँ खनन स्थल, अन्य समूह (समूह -1) में कार्य कर रहे एक अन्य ठेकेदार को आवंटित कर दिया । ठेकेदार ने 13.07 लाख रूपये के लिये छः खनन स्थलों हेतु अनुपूरक अनुबंध किया (मई 2005)। चूंकि सातवाँ खनन स्थल लाभप्रद माना गया था अतः ठेकेदार (समूह-4) क्षुब्ध हो गया तथा उसने न्यायिक उपचार की मांग की । न्यायालय ने सातवें नवीन आवंटित खनन स्थल में हो रहे कार्य का स्थगित कर दिया (फरवरी 2005)।

यह देखा गया कि ठेकेदार ने 15,345 धनमीटर रेत उठाया (15 सितम्बर 2005 तक) तथा 35.69 लाख रूपये सुनिश्चित मासिक किश्तों का भुगतान किया (जुलाई 2005 तक)। चूंकि समूह 4 के खनन स्थलों का संकार्य अलाभप्रद था तथा ठेकेदार को लाभप्रद सातवाँ नवीन खनन स्थल आवंटित नहीं किया गया था, उसने अगस्त 2005 से सुनिश्चित किश्तों का कोई भुगतान नहीं किया । इसलिये कम्पनी में ठेका समाप्त कर दिया (अक्टूबर 2005) तथा 16.20 लाख रूपये की प्रतिभूति जमा राजसात् कर दी। कम्पनी ने उमरिया जिला में खनन स्थलों का सम्पूर्ण भाग राज्य सरकार को अभ्यार्पित कर दिया (दिसम्बर 2005)।

इस प्रकार अपने उच्चत्तर प्राधिकारी के आदेशों के उल्लंधन करके एक अन्य ठेकेदार की लाभप्रद खनन-स्थल आवंटित करने में प्रभारी अधिकारी के अनियमित कार्य, जिसने ठेकेदार को खदानों में कार्य रोकने के लिये प्रोत्साहित किया,के परिणामस्वरूप ठेका समाप्त करना पड़ा । इस प्रकार, कम्पनी 25.98[51] लाख रूपये के राजस्व से वंचित हुई ।

प्रबंधन ने प्रभारी अधिकारी द्वारा की गई अनियमितता स्वीकार की (सितम्बर 2007)। तथापि जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कि गई है (सितम्बर 2007)।

यह प्रकरण सरकार को भेजा गया (जून 2007); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

51 *64.80 लाख रूपये + 13.07 लाख रूपये (35.69 लाख रूपये मासिक किश्त + 16.20 लाम रूपये प्रतिभूति जमा)*

मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित

4.6 विज्ञापनों पर परिहार्य व्यय

कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निवेदाओं के आमंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धातों/अनुदेशों का उल्लंधन के परिणामस्वरूप विज्ञापन पर 51.09 लाख रूपये का परिहार्य व्यय ।

कम्पनी राज्य के पुलिस विभाग के लिये निर्माण कार्य निष्पादित करती है । भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निधि प्रदत्त यें निर्माण कार्य प्रतियोगी बोलियों के आधार पर ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किये जाते है । इस प्रयोजन के लिये, कम्पनी ने समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित की ।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों में यह परिकल्पित था कि 1.5 करोड़ रूपये तक लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के निर्माण कार्य तीन क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित किये जाने चाहिये । मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के स्थायी अनुदेशों (अप्रैल 1994) में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में केवल एक करोड़ रूपये से अधिक के निर्माण कार्यो के लिये ही निविदा आमंत्रण सूचनाएं प्रकाशित की जानी थी । एक करोड़ से कम के निर्माण कार्यो के लिये निविदा आमंत्रण सूचनाएं राज्य के भीतर प्रकाशित दो या तीन दैनिक समाचार पत्रों में तथा भोपाल से प्रकाशित साप्ताहिक "रोजगार एवं निर्माण" में प्रकाशित की जानी थीं ।

वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान कम्पनी ने 36.90 करोड़ रूपये मूल्य के 63 निर्माण कार्यो के सम्बंध में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण सूचनाओं के प्रकाशन पर 59.12 लाख रूपये व्यय किये । भारत सरकार के मार्गदर्शनों और मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के स्थायी अनुदेशों का उल्लंधन करके कम्पनी ने 25 लाख रूपये से अधिक के परन्तु एक करोड़ रूपये से कम के 50 निर्माण कार्यो के संबंध में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी निविदा आमंत्रण सूचनाएं प्रकाशित की । कम्पनी ने इस आधार पर 51.09 लाख रूपये व्यय किये । यह देखा गया कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण सूचनाएं प्रकाशित करने का प्रयोजन (विस्तृत प्रचार) निष्फल हो गया क्योकि ऐसा करने पर भी राज्य से बाहर के निविदाकर्ताओं से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । इस प्रकार मार्गदर्शनों / स्थायी अनुदेशों का उल्लंधन करके, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण सूचनाएं प्रकाशित करने के कम्पनी के निर्णय के परिणामस्वरूप कम्पनी को 51.09 लाख रूपये की हानि हुई ।

यह प्रकरण प्रबंधन/ सरकार को सूचित किया गया (जून 2007); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2007)।

4.7 निष्फल व्यय

निम्नतर दरों को स्वीकार न करने के कारण 53.98 लाख रूपये का निष्फल व्यय ।

कम्पनी पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में, ठेकेदारों के माध्यम से पुलिस विभाग के लिये सिविल निर्माण कार्य सम्पन्न कराती है । निविदा सूचना जारी करने के दिनांक तक यथा संशोधित,राज्य लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची, 1999 (एस.ओ.आर.) के आधार पर तैयार किये गये अनुमानों के लिये, पंजीकृत ठेकेदारों से निविदायें आमंत्रित की जाती है । निविदाकर्ताओं को दरों की अनुसूची आधारित प्रतिशत पर दरें उद्धृत करनी होती हैं ।

इंदौर और ग्वालियर संभाग में 25 निर्माण कार्यो 2002-05 के दौरान संस्वीकृत कम्पनी द्वारा निष्पादन हेतु लिये गये के आवंटन की कार्यविधि की लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसम्बर 2006) से प्रकट हुआ कि इन निर्माण कार्यों के लिये ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक बोलियां इस तर्क पर निरस्त की गई थी (2002-03 से 2004-05)कि ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत दरें अधिक ऊँची थी । यह अवलोकन किया गया कि ऐसे प्रस्ताव भी निरस्त कर दिये गये थे जो अनुमानों से नीचे थे । इन निर्माण कार्यो के लिये नई निविदायें दो से ग्यारह बार समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन करके आमंत्रित की गई थी । ये निर्माण कार्य ठेकेदारों को प्रारंभिक प्रस्तावों में उद्धृत की गई दरों से ऊँची दरों पर अंतिम रूप से आवंटित की गई थी (2005-07)।

यह भी अवलोकन किया गया कि दो मामलों में कम्पनी निविदायें आमंत्रित करने (समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण सूचनाओं के प्रकाशन द्वारा) के पश्चात् भी दस (सेंधवा में 10+40 आवासों का निर्माण) से पंद्रह (सुवारसा में थाना का निर्माण) अवसरों पर, निर्माण कार्यो के आवंटन के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ रही । उदाहरण के लिये,निर्माण कार्य के लिये दरों की अनुसूची से 2.85 प्रतिशत अधिक का प्रथम न्यूनतम प्रस्ताव, "सेंधवा में 10+40 आवासों का निर्माण (निर्माण कार्य की लागत 1.13 करोड़ रूपये)" निरस्त कर दिया गया तथा नवीन निविदायें आमंत्रित करने के पश्चात् दरो की अनुसूची 10 वाँ प्रस्ताव (दिसम्बर 2006) दर अनुसूची से 24.99 प्रतिशत अधिक था, जो कम्पनी के विचाराधीन था (मई 2007)। कम्पनी इस निर्माण कार्य के लिये प्रथम आमंत्रण के पश्चात् निविदा आमंत्रण सूचनाओं के प्रकाशन पर 3.98 लाख रूपये व्यय कर चुकी है ।

लेखापरीक्षा में यह अवलोकन भी किया गया कि निविदाओं का अविचारपूर्ण निरस्तीकरण कम्पनी को हितकारी सिद्ध नहीं हुआ क्योकि समाचार पत्रों मे प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचनाओं के लिये बहुत ही कम उत्तर प्राप्त हुये । जनवरी 2006 से अप्रैल 2006 के बीच में प्रकाशित इंदौर संभाग की 22 निविदा आमंत्रण सूचनाओं से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा कम्पनी द्वारा किसी निविदा दस्तावेज का विक्रय नहीं किया गया । इस प्रकार प्रथम प्रयास में निविदायें स्वीकार नहीं करने से, कम्पनी ने निरस्त किये गये प्रारंभिक प्रस्तावों तथा अंतिम स्वीकृत प्रस्ताव के मध्य लागत अन्तर के रूप में

44.41 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया । इस प्रकरण में कंपनी ने 9.57 लाख रूपये का व्यय निविदाओं के प्रकाशन पर भी किया। इसके अतिरिक्त इन निर्माण कार्यो को प्रारंभ करने में उल्लेखनीय विलम्ब हुआ । इसके परिणामस्वरूप 53.98 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ ।

यह प्रकरण कम्पनी / सरकार को सूचित किया गया (जून 2007); उनका उत्तर प्रतीक्षित है। (अक्टूबर 2007)।

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित

4.8 उच्चतर विशिष्टियों को अपनाये जाने के कारण परिहार्य व्यय

राजमार्गो के उन्नयन में उच्चतर विशिष्टियों को अपनाये जाने पर 69.08 लाख रूपये का परिहार्य व्यय

कम्पनी राज्य राजमार्गो के स्तरोन्यन में संलग्न है । इन निर्माण कार्यो के लिये परियोजना प्रस्ताव भारतीय सड़क कॉंग्रेस (आई.आर.सी.) और सड़क परिवहन एवं राजमार्गो के संघ मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एण्ड एच.) द्वारा निर्धारित विशिष्ट विनिर्देशों पर आधारित है । भारतीय सड़क की मानक अवधि के दौरान पाँच मिलियन मानक धुरियों (एक्सलों) तक ट्रैफिक धनत्व वाली सड़कों पर 50 एम.एम. बीटूमिनिअस मैकेडम धुरियों (एम.एम.ए.)से अधिक भारी ट्रैफिक धनत्व वाली सड़कों के लिये सधन बीटू मिनिअस मैकेडम (डी बी एम)[52] बिछाने का प्रावधान था । भारतीय सड़क कॉंग्रेस की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य राजमार्ग की बनावट पन्द्रह वर्षो की जीवन रचना के लिये तैयार की जानी चाहिये ।

कम्पनी ने 4.58 करोड़ रूपये में,कटनी दमोह मार्ग के 43.6 किलोमीटर के स्तरोन्नयन का निर्माण कार्य दिया (जुलाई 2003) । यह निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया (सितम्बर 2003) तथा 14.64 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण किया गया (जुलाई 2006) । यह अवलोकन किया गया कि इस सड़क पर औसत वाहन चालन 1275 वाहन प्रतिदिन था 15 वर्षो के अनुशांसित जीवन को घ्यान में रखते हुये, यातायात धनत्व पाँच मिलियन मानक धुरियों (एक्सल) से कम निकलता है अतएव कम्पनी को केवल बीटमिनियस मैकेडम का उपयोग की करना चाहिये । तथापि यह अवलोकन किया गया कि कम्पनी ने सड़क का जीवन 20 वर्ष माना तथा बीटूमिनियस मैकेडम (बी.एम.)के स्थान पर अधिक कीमती सधन बीटूमिनियस मैकेडम (डी.बी.एम.[53]) का उपयोग किया । इसके परिणामस्वरूप 10,699.334 धनमीटर डी.बी.एम पर 69.08 लाख रूपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ ।

52 *न्यूनतम 4.5% बीटू मैन (ग्रेड 60/70)तथा ग्रेवल 21 वाले मिश्रण की बनावट।*

53 *मिक्स का डिजाइन कम से कम 45% प्रतिशत बीयूमिनियस (ग्रेड 60/70) एवं पथरी 21*

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2007)कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सड़क के लिये 20 वर्ष मानक अवधि अपनाया गया था । यातायात की गणना यथार्थ परक नहीं थी क्योंकि यह कम यातायात सधनता वाली खराब सड़क के दस प्रतिशत नमूना यातायात पर आधारित थी । कम्पनी ने यह भी बताया कि आई.आर.सी.37-2001 अनुशंसात्मक थी तथा पररामर्शदाता ने उच्चत्तर मानक जीवन अवधि का चयन किया था

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी अपने परियोजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिये भारतीय सड़क कॉंग्रेस के प्रावधानों को अपनाती रही थी तथा तकनीकी विनिर्देशों को अन्तिम रूप देने से पहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) को अद्यतन करने में असफल रही ।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (जून 2007); उत्तर प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.9 परिहार्य व्यय

अनुमोदित विशिष्टियों का अनुपालना न किये जाने के कारण 4.62 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय ।

कम्पनी ने ऐशियन विकास बैंक तथा राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से राज्य राजमार्गो का स्तरोन्नयन प्रारंभ किया (अक्टूबर 2004)। प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) की समीक्षा पर परामर्शदाताओं ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाइवे एण्ड ट्रास्सपोटेशन आफिसियल विनिर्देशों की अनुशंसा की । इन विशिष्ट निर्देशों को बाद में छानवीन की गई तथा भारतीय सड़क कॉंग्रेस (आई.आर.सी.)के विशिष्ट निर्देशों के अनुरूप इन्हें पुनरीक्षित किया गया । पुनरीक्षित विनिर्देशों के वर्णन वाले तकनीकी प्रतिवेदनों का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया (अक्टूबर 2003) तथा ए.डी.बी. द्वारा पुष्टि की गई । बाद में, राज्य राजमार्गो का स्तरोन्यन हेतु परिवर्तित विशिष्टयों के आधार पर निविदाएं जारी की गई । अक्टूबर 2002 में यथा अनुशांसित तथा तकनीकी प्रतिवेदन के अनुसार निम्नांकित सड़कों के लिये विनिर्देश में किये गये परिवर्तनों का विवरण नीचे दिया गया है:

सड़क का नाम	अक्टूबर 2002 में यथा अनुशांसित विनिर्देश		तकनीकी प्रतिवेदन तथा निविदा रूपरेखा के अनुरूप विनिर्देश	
	डी.बी.एम	बी सी	डी. बी .एम	बी. सी.
1- वैतूल-परातवाड़ा मार्ग	100एम एम	40 एम एम	85 एम एम	40 एम एम
2- छिंदेआरा-मुल्ताई मार्ग	75 एम एम	40 एम एम	60 एम एम	40 एम एम
3- खिचीपुर-सुसनेर मार्ग	60 एम एम	40 एम एम	50 एम एम	25 एम एम

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़े ।

आंतरिक भुगतान प्रमाण पत्रों की छानवीन के दौरान (फरवरी 2007) लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि ये निर्माण कार्य राज्य सरकार तथा ए बी डी द्वारा अनुमोदित तकनीकी प्रतिवेदन के अनुसार नहीं बल्कि अक्टूबर 2002 में अनुशंसा किये गये विनिर्देशों के अनुसार पूरे किये जा रहे थे । तकनीकी प्रतिवेदन मे यथा अनुमोदित विनिर्देश को न अपनाये जाने के कारण, कम्पनी ने 4.62 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय किया ।

कम्पनी ने उत्तर में दिया (जुलाई 2007) कि सड़क का वास्तविक निष्पादन प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन में अन्तिम रूप दिये गये प्रावधानों तथा पर्यवेक्षण परामर्शदाता द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार किया गया था ।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन में विचार किये गये विशिष्ट निर्देश बाद में राज्य सरकार तथा ए डी बी द्वारा पुनरीक्षित एवं अनुमोदित किये गये थे । इस प्रकार, स्तरोन्नयन कार्य के निष्पादन के दौरान विशिष्ट विनिर्देशों में भिन्नता के परिणामस्वरूप 4.62 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (जून 2007); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल)लिमिटेड

4.10 राजस्व की हानि

भूमि के आवंटन में अतिरिक्त प्रीमियम और अधिभार के परित्याग के कारण 1.24 करोड़ रूपये राजस्व की हानि

मानक कार्य अभ्यास के अनुसार कम्पनी ने 80 फीट और इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित विकसित औद्योगिक भूखण्डों के लिये 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित किया । कम्पनी ने कोने पर स्थित भूखण्डों के लिये 10 प्रतिशत अधिभार भी प्रभारित किया ।

कम्पनी ने महावीर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड (आवंटी) को मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित 150 एकड़ कौने के औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किया (सितम्बर 2005)। आवंटी के अनुरोध पर, राज्य सरकार ने राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2004 के अन्तर्गत आवंटित 150 एकड़ में से 30 एकड़ पर प्रीमियम के 75 प्रतिशत की रियायत दी (दिसम्बर 2005) । यह अवलोकन किया गया कि राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत रियायत देते समय,राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस नीति के अन्तर्गत आगे और कोई लाभ नहीं दिया जायेगा । प्रीमियम, प्रतिभूति, अग्रिम जमा पट्टा किराया तथा अनुरक्षण प्रभारों सहित 6.96 करोड़ रूपये की राशि आवंटी से संग्रहीत की गई । तथापि, इस राशि में 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम और लाभप्रद स्थिति के लिये 10 प्रतिशत अधिभार शामिल नहीं था । यह देखा गया कि

राशि संचालक मण्डल (सक्षम प्राधिकारी) के अनुमोदन के बिना अध्यक्ष द्वारा अधित्याग कर दी गई थी (सितम्बर 2005)। इस राशि के अधित्याग से आंवटियों को अधिक लाभ हुआ जिसकी राज्य सरकार द्वारा अनुमति नहीं थी । इसके अलावा अध्यक्ष द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम और अधिभार के अधित्याग का तथ्य राज्य सरकार को सूचित नहीं किया गया था । इस प्रकार, सरकार के आदेशों का उल्लंधन करके अतिरिक्त प्रीमियम और अधिभार का विलोपन के परिणामस्वरूप कम्पनी को 1.24 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

यह प्रकरण प्रबंधन/सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2007); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड

4.11 बोरियों की परिहार्य अधिप्राप्ति के कारण हानि

बोरियो की आवश्यकता के अनुचित निर्धारण के कारण 44.64 लाख रूपये के परिहार्य व्यय का वहन किया गया ।

रबी विपणन अवधि (सीजन) में गेहूँ के 3.50 लाख मैट्रिक टन के प्रारंभिक अधिप्राप्ति लक्ष्य की दृष्टि से 2005-06 में कम्पनी ने बोरियों की आवश्यकता 12,500 गठानें निर्धारित की । तदनुसार, कम्पनी ने 12,048 गठानों[54] की आपूर्ति के लिये, डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल (डी.जी.एस.एण्ड डी) को दो माँग पत्र (दिसम्बर 2004 और जनवरी 2005) प्रस्तुत किये । आगे उपार्जन लक्ष्य को पुनरीक्षित कर 5 लाख मैट्रिक टन कर दिये जाने (मार्च 2005) के परिणामस्वरूप कम्पनी ने 10 प्रतिशत का सुरक्षा मार्जिन रखते हुए तथा 4,385 गठानें का स्टॉक में होने पर विचार करने के पश्चात् बोरियों की आवश्यकता का पुनर्निधारण 18,096 गठाने किया । डी.जी.एस.एण्ड डी ने 8 मार्च और 17 अप्रैल 2005 के बीच में 15,069 गठानों की आपर्ति की । 3,024 गठानों का एक रैक 7 मई 2005 तक प्राप्त किया जाना अनुसूचित किया गया था । कम्पनी ने 23 अप्रैल 2005 तक 3 लाख मैट्रिक टन गेहूँ उपर्जित किया तथा 11,998 गाठों का उपयोग किया । 8,781 गठानों का शेष स्टॉक 2 लाख मैट्रिक टन के शेष उपार्जन लक्ष्य के विरूद्ध 2.20 लाख मैट्रिक टन गेहूँ को पैक करने के लिये पर्याप्त था । इसके अतिरिक्त 3,024 गठाने 7 मई 2005 तक प्राप्त किये जाने के लिये अपेक्षित थी ।

स्टॉक / पारेषण में बोरियों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद कम्पनी ने तत्काल आवश्यकता का कारण बताते हुये (23 अप्रैल 2005) ऋण आधार पर भारतीय खाद्य निगम, रायपुर से बोरियों की 2,654 गठाने प्राप्त की (मई 2005) । 4.70 लाख

[54] *50 किलोग्राम क्षमता के 500 बोरे*

मैट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन 18,772 गठाने इस्तेमाल करते हुए 31मई 2005 की पूर्ण करा लिया गया था । 7,717 गठानों का शेष छोड़ते हुये, जिनका उपयोग खरीफ विपणन अवधि 2005-06 (अक्टूबर 2005 दिसम्बर 2006) के दौरान अधिप्राप्त फसल को पैक करने के लिये आंशिक रूप से किया गया । 2,654 गाठें भारतीय खाद्य निगम, रायपुर को वापस कर दी गई (अक्टूबर 2005) । कम्पनी को बोरियों की लागत में अंतर के कारण 15.92 लाख रूपये एवं इन बोरियों की अनावश्यक अधिप्राप्ति पर रेल भाड़ा प्रभारों, परिवहन और संधारण इत्यादि पर 28.72 लाख रुपये का व्यय वहन करना पड़ा ।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2007) कि 5.54 लाख मैट्रिक टन के बढ़े हुये अधिप्राप्ति लक्ष्य, जिसे आगे चलकर बाजार में गेहूँ की भारी आवक के कारण 6.05 लाख मैट्रिक टन तक पुनरीक्षित कर दिया गया था, को दृष्टि में रखते हुये अधिक बोरियों की आवश्यकता महसूस की गई थी । यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने अधिप्राप्ति लक्ष्य को 6.05 लाख मैट्रिक टन पुनरीक्षत करने वाले राज्य सरकार के नये आदेश प्रस्तुत नहीं किये परन्तु, गेहुँ अधिप्राप्ति के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सिर्फ 13 मई 2005 की प्रगति प्रतिवेदन में ही यह 6.05 लाख मैट्रिक टन का उन्नयन अधिप्राप्ति लक्ष्य पहली बार दर्शाया गया था । किन्तु कम्पनी ने (23 अप्रैल 2005) को ही भारतीय खाद्य निगम से बोरियाँ उधार लेने का निर्णय ले लिया था ।

इसलिए, 44.64 लाख का व्यय, जो कम्पनी द्वारा भारतीय खाद्य निगम से बोरियाँ ऋण पर लेने से और उनकी वापसी के कारण हुआ, बचाया जा सकता था ।

मध्यप्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित

4.12 निधियों का अवरोध

160 एम.वी.ए.विद्युत ट्रांसफॉर्मर के उपार्जन के अनुचित नियोजन होने के परिणाम स्वरूप 2.76 करोड़ रूपये मूल्य की परिसंपत्तियां निष्क्रिय रहीं तथा 68.08 लाख रूपये ब्याज की तत्परिणामी हानि हुई ।

पारेषण पद्धति को सुदृढ़ करने के लिये, कम्पनी (तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल) ने एक प्रस्ताव जिसमें, अन्य बातों के साथ -साथ, शिवपुरी में 220 के वी उप स्टेशन पर 220 के वी बीना - शिवपुरी लाइन की फीडर लाइन के साथ एक 160 एम.वी.ए. विद्युत ट्रांसफॉर्मर के प्रदाय करने के लिये अनुमोदन किया (अक्टूबर 2001)। कम्पनी ने (सितम्बर 2002) को 160 मी.वी.ए. विद्युत ट्रांसफॉमर के लिए आदेश दिया 2.76 करोड़ रूपये मूल्य का 160 एम बी.ए.विद्युत ट्रांसफार्मर शिवपुरी स्थित उप स्टेशन के निर्माण स्थल पर प्राप्त किया गया (दिसम्बर 2003)।

यह अवलोकन किया गया कि इस ट्रांसफॉर्मर को मार्च 2005 तक चार्ज नहीं किया गया था तत्पश्चात् इसे 132 के.वी.शिवपुरी अंतर संयोजक लाइन से जोड़ दिया गया

तथा व्यर्थ चार्ज अवस्था में रखा गया । यह ट्रांसफॉर्मर 220 के.वी.बीना-शिवपुरी लाइन से तब चार्ज किया गया जब वह पूर्ण की गई (जनवरी 2007)। इस प्रकार, इस ट्रांसफॉर्मर को किसी अन्य ऐसे उप स्टेशन पर जहाँ इसी अवधि में इसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया हो तथा पूर्ण किया गया हो, पहुँचाने के लिये स्थिति की समीक्षा किये बिना, इस ट्रांसफॉर्मर को निष्क्रिय रखने के परिणामस्वरूप 37 महीनों के लिए 2.76 करोड़ रूपये की निधियों का अवरोध हुआ और तत्परिणामी 68.08 लाख रूपये की ब्याज की हानि हुई (ब्याज 10 प्रतिशत की दर से परिकालित किया गया है)। इसके अतिरिक्त, इस ट्रांसफॉर्मर का वारंटी अवधि भी इसकी वास्तविक स्थापना से पहले समाप्त हो गयी थी (जून 2006) ।

यह प्रकरण सरकार/ प्रबंधन को सूचित किया गया (जून 2007); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007) ।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

4.13 ठेकेदार को अदेय लाभ

समय पर प्रोत्साहन अग्रिम की वसूली न होने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अदेय लाभ हुआ तथा कम्पनी को 44.10 लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई ।

कम्पनी (तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल) द्वारा गतिवर्धित विधुत, विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अन्तर्गत 83.17 करोड़ रूपये की कुल लागत से इंदौर तथा उज्जैन वृत्तों में नवीन लाइनों के आवर्धन, सुधार एवं निर्माण के लिये 33 के.वी और 11 के.वी. परिचालको एवं वैक्यूम सर्किट ब्रैकरो की आपूर्ति, स्थापना व चालू करने के लिए फर्मों को आदेश प्रस्तुत किये गये (फरवरी/मार्च 2004) जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(राशि करोड़ रूपये में)

फर्म का नाम	आदेश दिनांक	आपूर्ति का मूल्य	आपूर्ति अशं	कार्य अंश	पूर्ण किये जाने की समय सीमा
दीपक कैबिल्स	19-02-04	21.28	18.58	2.80	फरवरी 2005
लारसेन एण्ड टोउब्रो	25-03-04	35.51	26.29	9.22	मार्च 2005
क्रॉम्पटन ग्रीब्ज	06-03-04	26.28	22.49	3.78	फरवरी 2005
योग		**83.17**	**67.38**	**15.79**	

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़े ।

उपकरणो की आपूर्ति के आदेश के निबंधन एवं शर्तो में आदेश मूल्य पर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन अग्रिम (मोबलाइजेशन एडंवास) जिसे ठेकेदारो के रनिंग बिल (रनिंग बिल का 10 प्रतिशत) से आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाना था, का भुगतान करने के

लिये प्रावधान किया गया था । मण्डल ने इन ठेकों के विरूद्ध 6.74 करोड़ की राशि का प्रोत्साहन अग्रिम जारी किया (फरवरी और मार्च 2004)।

यह अवलोकन किया गया कि निर्माण कार्य नियत अवधि के भीतर पूर्ण नही किये गये तथा उस अवधि तक, ठेकेदारो द्वारा प्रस्तुत रनिंग बिलों के विरूद्ध 1.12 करोड़ रूपये का अग्रिम ही समायोजित किया जा सका (फरवरी और मार्च 2005) । कम्पनी ने दीपक कैबिल्स (मार्च 2006 तक), लारसेन एण्ड टोउब्रो (जून 2007 तक) और क्राम्पटन ग्रीब्ज (मार्च 2006), को निर्धारित समय सीमा से अधिक समय प्रदान किया । दीपक कैबिल्स तथा क्राम्पटन ग्रीब्ज को दिये गए ठेके से संबधित निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया (फरवरी 2006 और मार्च 2007) परन्तु अंतिम देयक अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये थे (सितम्बर 2007)। मार्च 2007 तक, 6.74 करोड़ रूपये के प्रोत्साहन अग्रिम के विरूद्ध केवल 4.44 करोड़ रूपये ही तीनो ठेकेदारो से वसूल किये जा सके (मार्च 2007) ।

यह अवलोकन किया गया कि कम्पनी अनुसूचित पूर्ति अवधि तक प्रोत्साहन अग्रिम की वसूली न होने पर ब्याज प्रभारित करने के लिये अनुबंध में उपयुक्त धारा का समावेश करने में असफल रही । यह तथ्य इसलिये महत्वपूर्णता प्राप्त करता है क्योकि कम्पनी ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत निष्पादित परियोजनाओं के लिये निधियां उधार लेती रही है। अनुबधों में ऐसी किसी धारा का समावेश न किये जाने के परिणामस्वरूप मार्च 2007 तक 2.30 करोड़ रूपये की वसूली नही किये गए प्रोत्साहन अग्रिम पर ब्याज[55] की राशि के रूप में ठेकेदारो को 44.10 लाख रूपये का अदेय लाभ हुआ । इसके अलावा प्रोत्साहन अग्रिम की स्वीकृति ने भी कार्य का समय पर पूर्ति के अपेक्षित उद्देश्य पूरा नही किया ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2007) कि विक्रयकर्ताओं (ठेकेदारो) की समयावधि बढ़ाई गई जिससे कि ठेके संबंधी अवधि स्वतः ही बढ़ गई थी और ठेके के अनुसार प्रोत्साहन अग्रिम पर किसी ब्याज का कोई कारण परिकल्पित नही किया गया था । यह उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कम्पनी निर्माण कार्य में विलम्ब होने की स्थिति में प्रोत्साहन अग्रिम पर ब्याज प्रभारित करने के लिये धारा शामिल न करने के कारण अपना हित संरक्षित करने में विफल रही ।

[55] *ए.पी.डी.आर.पी. की परियोजनओं के अंतर्गत कम्पनी द्वारा प्राप्त ऋण पर औसत ब्याज दर (10 प्रतिशत) ।*

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

4.14 निधियों का अवरोध

आधार कार्य पूर्ण की गई परियोजनाओं को स्थगित रखने के निर्णय के परिणामस्वरूप 76.85 लाख रूपये की निधियों का अवरोध हुआ तथा 25.83 लाख रूपये के ब्याज की तत्परिणामी हानि हुई ।

नाटेरन तहसील के दूरस्थ क्षेत्रों में वॉल्टेज की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से कम्पनी (तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल) ने विदिशा जिले में महानेअम चौराहा से सतपाड़ा हाट (20 किलोमीटर) तक तथा सिरोंग से भोरिया (13 किलोमीटर) तक 33 के.वी.लाइन का विस्तार करने तथा सतपाड़ा हाट और भोरिया में 1x 3.15 एम.वी.ए, 33/11 के.वी.उप स्टेशन की स्थापना करने का कार्य हाथ में लिया (अप्रैल 2002) । इन निर्माण कार्यो पर क्रमशः 81.97 लाख रूपये तथा 63.81 लाख रूपये की लागत आने का अनुमान था । इस व्यय की आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित उप पारेषण (सामान्य){ एस.टी.(एन)} योजना के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों से की जानी थी। महानेअम चौराहा से सतपाड़ा हाट तक 33 के.वी.लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था तथा सतपाड़ा हाट के बजाय एक अन्य 33/11 के.वी. उप स्टेशन (शमसाबाद) से 11 के.वी.फीडर के साथ चार्ज कर दिया गया था (दिसम्बर 2004)। सतपाड़ा हाट पर उप स्टेशन का निर्माण कार्य अपूर्ण रह गया क्योंकि स्थापना हेतु कम्पनी द्वारा 26.82 लाख रूपये का ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध नहीं कराया गया । सिंरोग भोरिया लाइन पर लाइन कार्य तथा उप स्टेशन की स्थापना का कार्य परिचालकों (कन्डक्टरों) तथा उप स्टेशन की सामग्री, जो कि कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी, के अभाव में पूर्ण नहीं किया गया । इन दोनों निर्माण कार्यो पर किया गया व्यय मई 2005 तक 76.85 लाख रूपये था ।

यह देखा गया कि जबकि उपर्युक्त दो निर्माण कार्यो का निष्पादन अपूर्ण था, कम्पनी ने दोनों निर्माण कार्यो को स्थगित रखने का निर्णण लिया (सितम्बर 2005) क्योंकि इन निर्माण कार्यो के लिये आवश्यक सामग्री एस.टी.(एन) योजना के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं थी । तथापि इन दो निर्माण कार्यो को पूर्ण करने के लिये न तो राज्य सरकार से निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु और न ही अपने स्वंय के बजट से निधियों की व्यवस्था करने हेतु कम्पनी ने कोई कार्यवाही की (सितम्बर 2007)। इस प्रकार, बहुत अधिक धन व्यय करने के पश्चात् इस निर्माण कार्य को स्थगित रखने के कम्पनी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप 76.85 लाख रूपये अवरूद्ध हुये,साथ ही, 25.83 लाख रूपये के व्याज की तत्परिणामी हानि हुई (सितम्बर 2007)।

यह प्रकरण प्रबंधन / सरकार को सूचित किया गया (मई 2007); उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2007)।

मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित

4.15 सड़क रख रखाव पर निष्फल व्यय

डमुआ - सारनी मार्ग लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने के लिये समय पर कार्यवाही करने में हुई विफलता के परिणामस्वरूप उसके रखरखाव पर 1.32 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ ।

राज्य लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) ने सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र के लिये कोयले के परिवहन को सुविधा जनक बनाने हेतु 30 वर्ष के लिये एक रूपया प्रतिवर्ष के सामान्य पट्टा भाड़े (लीजरेन्ट)पर कम्पनी (तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल) को डामुआ - सारनी मार्ग पट्टे पर दिया (नवम्बर 1992)। यह मार्ग सामान्य जनता द्वारा उपयोग हेतु भी खुला रखा जाना था । इस मार्ग का रख रखाव कम्पनी द्वारा अपनी स्वंय की लागत से किया जाना था । कम्पनी ने वर्ष 2000 के पश्चात् इस मार्ग के माध्यम से कोयले का परिवहन करना बन्द कर दिया । तभी से इस मार्ग का उपयोग केवल सार्वजनिक यातायात के लिये किया जा रहा था ।

यह अवलोकन किया गया कि कम्पनी ने यह मार्ग राज्य लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने हेतु अगस्त 2004 तक कोई कार्यवाही नहीं की तथा इसके रखरखाव पर व्यय करती रही । 2000-01 से 2004-05 तक 1.32 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई तत्पश्चात् कम्पनी ने मार्ग का रखरखाव बन्द कर दिया । यद्यपि राज्य लोक निर्माण विभाग इस मार्ग को वापस लेने के लिये सिद्धातिक रूप से सहमत हो गया था (जून 2005) परन्तु यह मार्ग अभी तक अभ्यर्पित नहीं किया गया है (सितम्बर 2007)। इस प्रकार इस मार्ग का उपयोग बंद करने के तुरंत पश्चात् यह मार्ग हस्तांतरित करने तथा इसके रखरखाव पर व्यय करना बंद करने हेतु समय पर कार्यवाही करने में हुई कम्पनी की विफलता के परिणाम स्वरूप 1.32 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ ।

प्रबंधन ने बताया (जून 2007) कि मार्ग के रखरखाव पर किया गया व्यय राज्य लोक निर्माण विभाग से पट्टे पर मार्ग के हस्तांतरण के निबंधन एवं शर्तो के अनुसार था जिसमें राज्य लोक निर्माण विभाग को इसे वापस हस्तांतरित किये जाने तक इस मार्ग को वाहन के चलने योग्य रखने का उत्तरदायित्व पट्टा धारक (कम्पनी) पर ही रखा गया था । यह उत्तर मान्य नहीं है क्योकि पट्टे की अवधि को कम समय में ही बन्द करने या मार्ग को हस्तांतरित करने का प्रकरण, कम्पनी द्वारा इस मार्ग का उपयोग बन्द किये जाने के पश्चात राज्य लोक निर्माण विभाग से तुरन्त ही नही उठाया गया था ।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (मई 2007); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)

4.16 परिहार्य व्यय

मूल आदेश में पुनरीक्षित माँगपत्र के अनुसार अतिरिक्त मात्रा शामिल करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप एडमिरल्टी ब्रास कन्डैस्ट ट्यूबों के क्रय पर 47.83 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ ।

कम्पनी ने मुख्य अभियंता, सारनी (माँगकर्ता)से प्राप्त माँगपत्र के विरूद्ध विद्युत गृह I सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र सारनी के लिये 25,000 एडमिरल्टी ब्रास कन्डैसर ट्यूबों के उपार्जन हेतु दो बोली पद्धति में खुली निविदायें आमंत्रित की (जुलाई 2004) । जब बोलियों प्रकियाधीन थी तभी माँगकर्ता ने आवश्यकता बढ़ाकर 30,000 ट्यूबों कर दी (अगस्त 2004)। कम्पनी ने 257.86 रूपये प्रति किलोग्राम (ई.डी,एस टी तथा मार्ग व्यय सहित) के परिवर्तनीय मूल्य पर 5,000 ट्यूबों की अतिरिक्त आवश्यकता का शामिल किये बिना 25,000 (1,40,000 किलोग्राम[56]) ट्यूबों के लिये न्यूनतम बोली लगाने वाले क्यूबैक्स ट्यूबिंगस को क्रय आदेश दिया (मार्च 2005)। अतिरिक्त आवश्यकता को शामिल न किये जाने के कारण अभिलेखो में उपलब्ध नहीं थे । यह सामग्री मई और अक्टूबर 2005 के बीच में प्राप्त की गई ।

लेखापरीक्षा में जाँच करने पर यह प्रकट हुआ कि उसी माँगकर्ता ने 10,000 ट्यूबों की दुबारा माँग की (जनवरी 2006) जो बढ़ाकर 15,000 ट्यूब कर दी गई (फरवरी 2006)। इससे संकेत मिलता है कि मार्च 2005 में अतिरिक्त 5,000 ट्यूबों की आवश्यकता थी। कम्पनी ने 15,000 ट्यूबों के लिये 416.73 रूपये प्रति किलोग्राम के परिवर्तनीय मूल्य के न्यूनतम प्रस्ताव आधार पर स्नैप[57] प्रस्ताव आमंत्रित करने के पश्चात् उसी फर्म को एक और आदेश दिया (मई 2006)। इस प्रकार, मूल आदेश में क्रय हेतु अगस्त 2004 में सूचित 5,000 ट्यूबों की अतिरिक्त आवश्यकता को शामिल करने में कम्पनी की विफलता (मार्च 2005) के परिणामस्वरूप ठेके के अधीन देय वृद्धि का समायोजन करने के पश्चात् 47.83 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ ।

प्रबंधन ने बताया (जून 2007) कि क्रय की कार्यवाही करते समय,इस प्रकरण पर माँग कर्ता से विचार विमर्श किया गया था तथा तदनुसार केवल 25,000 ट्यूबों के क्रय हेतु कार्यवाही की गई थी । इसके अलावा, 5,000 टयूबों स्टॉक में लेने से कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई । यह उत्तर मान्य नहीं है क्योकि अभिलेख में यह दर्शाने के लिये कुछ भी उपलब्ध नहीं था कि मॉगपत्र में कटौती करने हेतु माँगकर्ता के साथ ऐसी कोई विचार - विमर्श किया गया था ।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया था (मई 2007); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

56 *एक ट्यूब का वजन 5.6 किलोग्राम है ।*

57 *पहले की निविदा में भाग लेने वाली सभी फर्मो से मूल्य बोली माँगने की प्रक्रिया*

सामान्य

4.17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वित्तीय विवरण पत्रक तैयार करने में लेखाकरण मानकों का बार-बार पालन न किया जाना

लेखाकरण मानक (ए.एस) जो कि इन्सटीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउणटेन्टस ऑफ इण्डिया (आई.सी.ए.आई.) द्वारा अनुशंसित तथा कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) की धारा 210 ए(1)के अन्तर्गत गठित लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से अधिनियम की धारा 211 (3 सी) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लेखाकरण के स्वीकार्य मानक हैं । लेखाकरण मानकों को प्रस्तारित करने का प्रयोजन वित्तीय विवरण पत्रकों में दी गई जानकारी का संकलन करने की दृष्टि से, कम्पनियों द्वारा मानक लेखाकरण कार्य पद्धति अपनाने की सुविधा प्रदान करना है ताकि तैयार किये गये वित्तीय विवरण पत्रकों में लेन देन की सत्य एवं सही छवि प्रदर्शित हो सके । यह कम्पनी वित्तीय विवरण पत्रक की सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है । अधिनियम की धारा 211 (3 क) के अन्तर्गत प्रत्येक कंपनी के लिये लेखाकरण मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण पत्रक (लाभ एवं हानि तथा तुलन-पत्रक) तैयार करना भी बाध्यकारी बनाता है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227(3) के अन्तर्गत कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षको पर यह बाध्यकारी है कि वे इस बात को दर्शाये और अपने कार्यो का निर्वहन करते समय, रिपोर्ट करने में यह सुनिश्चित करें कि आई.सी.ए.आई द्वारा दिये गए लेखाकरण मानको का वित्तीय विवरण पत्रक पालन करते है ।

राज्य में कार्यरत कंपनियों/निगमों के संबंध में अन्तिम रूप दिये गये वित्तीय विवरण पत्रकों तथा उन पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा से यह प्रकट हुआ कि ***(परिशिष्ट 25)*** इन कंपनियों द्वारा लेखाकरण मानकों का अपने वित्तीय विवरण पत्रको को बनाते समय पालन नही किया गया । लेखा मानको का विवरण जो कि बहुत सी कम्पनियों द्वारा पालन नही किया गया है, नीचे दर्शाये गए है ।

- पॉच कंपनियों (परिशिष्ट की क्रम संख्या 2,3,5,6 तथा 14) ने मौलिक लेखाकरण मान्यताओं के संबध में लेखाकरण नीतियों का उद्घाटन न करने से संबंधित लेखाकरण मानक-1 का उल्लंघन किया ।
- पॉच कंपनियो (परिशिष्ट की क्रम संख्या 1,10,14,19, और 20) ने लेखाओं में यथा वर्णित लाभ/हानियों पर प्रभाव रखने वाली तालिकाओं के मूल्यांकन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की घोषणा से सबंधित लेखाकरण मानक-2 का पालन नहीं किया ।
- चार कंपनियों (परिशिष्ट की 8,13,16, और 17) ने उन लेखाओं में रोकड़ प्रवाह विवरण पत्रक तैयार न करने से संबंधित लेखाकरण मानक-3 का पालन नहीं किया ।

- तीन कंपनियों (परिशिष्ट की 2,3, और 14) ने लेखाकरण मानक-5 का पालन नहीं किया जो प्राथमिक अवधि मदों के वर्णन से संबंधित हैं ।

- आठ कंपनियों (परिशिष्ट की 1,2,3,4,5,10,14 और 19) ने लाभ/हानि लेखे में राजस्व की पहचान से संबंधित लेखाकरण मानक-9 का उल्लंघन कर दिया है जिससे प्राप्त करने योग्य रोकड़ के आन्तरिक प्रवाह या उद्यम के साधारण क्रियाकलाप के दौरान सामने आये अन्य विचारों का तात्पर्य प्रकट होता हैं ।

- पाँच कंपनियों (परिशिष्ट की 1,4,8,14 और 19) ने लेखाकरण मानक-10 का पालन नहीं किया है जिसमें अचल परिसम्पत्तियों के लेखाकरण हेतु निर्देश निर्धारित किये गये हैं । पालन न किये जाने से परिसम्पत्तियां (तुलन-पत्र) तथा कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में होने वाले लाभ/हानि प्रभावित होते हैं ।

- चार कंपनियों/निगमों (परिशिष्ट की 4,7,14 और 22) ने सरकार इत्यादि से प्राप्त अनुदानों के व्यवहार से संबंधित लेखाकरण मानक-12 की अवहेलना की है जिससे लेखाओं में परिसम्पत्तियों के व्यवहार पर परिणामी प्रभाव पड़ेगा ।

- सात कंपनियों (परिशिष्ट की 7,9,10,13,14,15 और 19) ने लेखाकरण मानक -13 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जो निवेशों की अवस्था के प्रकटीकरण से सबंधित है ।

- उन्नीस कम्पनियों/निगमों (परिशिष्ट की 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,18,19,21,22, और 23) ने बारम्बार (46 बार) लेखाकरण मानक-15 का उल्लंघन किया है जिसमें कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों (अर्थात भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, अवकाश नकदीकरण इत्यादि) के लिये लेखाकरण का वर्णन हैं । इस लेखाकरण मानक में प्रावधान है कि कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्त लाभों के रूप में देय अंशदान उपार्जन आधार पर वर्ष के लिये लाभ और हानि के विवरण पत्रक को प्रभारित किया जाना चाहिये और इस प्रकार उपार्जित दायित्व जीवनांकिक मूल्यांकन मानकों (एक्युअरियल वैलयुएटिओ) के अनुसार परिगणित किया जाना चाहिये ।

- ग्यारह कंपनियों/निगमों (परिशिष्ट की 1,4,6,11,12,13,14,15,16,18 और 19) ने आयकर के लेखाकरण से संबंधित लेखाकरण मानक-22 का पालन नहीं किया । आयकर का लेखाकरण नहीं किये जाने से कंपनी निगम के लाभ हानि प्रभावित हो सकते हैं, बदले में जिसका प्रभाव लेखाओं की सत्य एवं स्वच्छ छवि पर भी पड़ेगा ।

- यह प्रकरण 23 कम्पनीयों के प्रबन्धन को सूचित किया गया जिसमे से नौ कंपनियों ने उल्लंघन की ओर इंगित किये जाने पर उत्तर दिया (मई 2007) नौ में से पाँच कंपनियों (परिशिष्ट की क्रम संख्या 5,6,12,16 एवं 22) ने उल्लंघन स्वीकार किया तथा 2006-07 के लेखे से लेखाकरण मानकों का पालन करने का वचन दिया । चार कंपनियों (परिशिष्ट की क्रम संख्या 3,9,10 एवं 23) ने कोई वचन दिये बिना उल्लंघन स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्तन कार्यवाही

बकाया व्याख्यात्मक टिप्पणी

4.18 भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारे के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लेखाओं का तथा अभिलेखाओं के प्रारम्भिक निरीक्षण से प्रारंभ होती है । इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यपालक से उचित एवं समयबद्ध जवाब प्राप्त करते है । मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा प्रशासनिक विभागों को जारी अनुदेशों (नवम्बर 1994) के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन तथा समीक्षाओं पर सही/आपत्ति कार्यवाही तथा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने के तीन महीने के भीतर कोपू के बुलावा या सूचना का इंतजार किये बिना व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करें ।

वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 की निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के सम्मुख क्रमशः अगस्त 2005 मार्च 2006 तथा मार्च 2007 में प्रस्तुत की गई थी । जिन कण्डिकाओं की व्याख्यात्मक टिप्पणी सितम्बर 2007 तक प्राप्त नहीं हुई की स्थिति निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित है:

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक)	निरीक्षण प्रतिवेदन में कुल कण्डिकाओं/समीक्षाओं की संख्या	कण्डिकाओं/समीक्षाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं की गई थी
2003-04	73	02
2004-05	138	113
2005-06	109	109
कुल योग	**320**	**224**

परिशिष्ट- 26 में विभागानुसार विश्लेषण दिया गया है ।

सार्वजनिक उपक्रम की समिति के प्रतिवेदन की अनुपालना

4.18.2 सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपू) के प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुशसाओं का जवाब राज्य विधान सभा में कोपू का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के छः माह के भीतर सुसज्जित करना आवश्यक है । 28 प्रतिवेदन के 111 कण्डिकाओं से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम की समिति की अनुंशसाओं का जवाब राज्य विधान सभा के सम्मुख अप्रैल 2002 से मार्च 2007 तक प्रस्तुत किये जो कि राज्य के सम्बन्धित विभाग द्वारा अक्टूबर 2007 तक प्रस्तुत नहीं किये गये थे जो निम्नांकित है:

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल प्रतिवेदनो की कुल संख्या	कण्डिकाओं की कुल संख्या जिनका उत्तर प्राप्त नहीं था
2002-03	04	37
2003-04	05	04
2004-05	01	01
2005-06	09	35
2006-07	09	34
योग	**28**	**111**

4.19 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं तथा समीक्षाओं का उत्तर ।

स्थल पर निराकरण न की गईं तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों तथा राज्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों को संसूचित की जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों को छः सप्ताहों की अवधि के अन्तर्गत, संबंधित प्रशासनिक विभागों के अध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर प्रेषित करने होते हैं।

28 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मार्च 2007 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाया गया कि 2,053 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 5,337 कंडिकायें सितम्बर 2007 के अंत में बकाया रही । इनमें से, 4,888 कंडिकाओं से सम्बधित 1,942 निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर एक से 20 वर्षों तक से नहीं दिये गये थे। विभगानुसार विभाजित किये गए निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अवयुतियाँ 30 सितम्बर 2007 तक बकाया है । ***(परिशिष्ट -27)***

इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कंडिकायें एवं समीक्षायें, अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से, संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को, छः सप्ताहों की अवधि के अन्तर्गत तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि तथा उन पर उनकी टिप्पियाँ आमंत्रित करते हुये अग्रेषित की जाती हैं । तथापि यह देखा गया कि मई 2007 और अगस्त 2007 के बीच में विभिन्न विभागों को अग्रेषित 14 प्रारूप कंडिकाओं एवं दो प्रारूप समीक्षाओं के उत्तर, ***परिशिष्ट -28*** में दिये गये विवरणानुसार, प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2007)।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/ प्रारूप कंडिकाओं/ समीक्षाओं के उत्तर भेजनें में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये प्रक्रिया

विद्यमान हैं, (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली करने के लिये समयबद्व कार्यवाही की जाती हैं, तथा (ग) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को उत्तर देने की पद्वति संशक्त बनाई गई हैं।

ग्वालियर
दिनांक 27 DEC 2007

(सनत कुमार मिश्रा)
प्रधान महालेखाकार
(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 1 JAN 2008

वि. ना. कौल

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(कंडिका 1.3, 1.4 एवं 1.5 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के पूंजी, बजट से प्राप्त ऋण/अंशपूंजी, अन्य ऋण तथा 31 मार्च 2007 को बकाया ऋणों के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण-पत्रक

(स्तम्भ 3(क) से 4(च) में आँकड़े लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	चालू वित्त वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी (अंश आवेदन राशि सहित)[c]					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूंजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण @	2006-07 के अंत में बकाया ऋण**			2006-07 के लिए ऋण-अंशपूंजी अनुपात (विगत वर्ष) 4च/3ड
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	धारक कम्पनी	अन्य	कुल	अंशपूंजी	ऋण		सरकार	अन्य	कुल	
1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड)	4(च)	5
(क)	कार्यशील सरकारी कम्पिनयाँ												
	कृषि एवं सम्बद्ध												
1.	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	209.50	120.00	--	--	329.50	--	--	--	197.16	--	197.16	0.60:1 (0.60:1)
	योग	**209.50**	**120.00**	--	--	**329.50**	--	--	--	**197.16**	--	**197.16**	**0.60:1 (0.60:1)**
	उद्योग												
2.	म.प्र.ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन मर्यादित	80.25	--	--	--	80.25	--	--	--	--	--	--	--
3.	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित	267.75	15.00	--	--	282.75	--	--	--	--	--	--	--
4.	पिथमपुर ऑटोक्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	--	--	80.50	517.50	598.00	--	--	--	--	110.00	110.00	0.18:1 (-)
	योग	**348.00**	**15.00**	**80.50**	**517.50**	**961.00**	--	--	--	--	**110.00**	**110.00**	**0.11:1 (-)**
	इलेक्ट्रॉनिक्स												
5.	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मर्यादित	2191.25	--	--	--	2191.25	--	--	--	--	--	--	--
6.	क्रिस्टल आई.टी. पार्क इंदौर मर्यादित	--	--	5.00	--	5.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग	**2191.25**	--	**5.00**	--	**2196.25**	--	--	--	--	--	--	--

1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
	हाथकरघा एवं हस्तशिल्प												
7.	म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्यादित	1.70	52.00	72.46	--	126.16	--	--	100.00	6.00	278.96	284.96	2.26:1 (2.02:1)
	योग	**1.70**	**52.00**	**72.46**	--	**126.16**	--	--	**100.00**	**6.00**	**278.96**	**284.96**	**2.26:1 (2.02:1)**
	वन												
8.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम मर्यादित	3793.16	138.60	--	--	3931.76	--	--	200.00	--	200.00	200.00	0.05:1 (----)
	योग	**3793.16**	**138.60**	--	--	**3931.76**	--	--	**200.00**	--	**200.00**	**200.00**	**0.05:1 (---)**
	खनन												
9.	म.प्र. राज्य खनन निगम मर्यादित	219.59	--	--	--	219.59	--	--	--	--	--	--	--
	योग	**219.59**	--	--	--	**219.59**	--	--	--	--	--	--	--
	निर्माण												
10.	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित	457.50	--	--	--	457.50	--	277.50$_5$	--	--	--	--	-- (0.43:1)
11.	म.प्र. शड़ डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	1150.00 (450.00)	--	--	--	1150.00 (450.00)	100.00	--	--	--	--	--	-- --
	योग	**1607.50 (450.00)**	--	--	--	**1607.50 (450.00)**	**100.00**	**277.50**	--	--	---	--	-- **(0.09:1)**
	क्षेत्र विकास												
12	म.प्र. औद्यागिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) मर्यादित	--	--	135.01	--	135.01	-	--	--	--	--	--	--
13.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) मर्यादित	--	--	165.00	--	165.00	--	--	--	--	1041.00	1041.00	6.31:1 (10.10:1)
14.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) मर्यादित	--	--	133.11	0.01	133.12	--	--	--	--	--	--	--
15.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्यादित	--	--	80.00	--	80.00	--	--	--	108.79	--	108.79	1.36:1 (1.36:1)
16.	इण्डस्ट्रीयल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (ग्वालियर) मर्यादित	--	--	75.00	--	75.00	--	--	--	--	--	--	-- --
17.	एस.ई.जेड. इंदौर लिमिटेड	--	--	2697.39	0.01	2697.40		--	--	--	--	--	--
	योग	--	--	**3285.51**	**0.02**	**3285.53**	--	--	--	**108.79**	**1041.00**	**1149.79**	**0.35:1 (0.54:1)**

1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास												
18.	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	30.00 (674.85)	--	--	--	30.00 (674.85)	--	--	--	57.80	3178.80	3236.60	4.59:1 (4.81:1)
19.	म.प्र. आदिवासी वित्त एव विकास निगम मर्यादित	1867.00	69.00	--	--	1936.00	--		32.94	--	3367.99	3367.99	1.74:1 (1.74:1)
	योग	**1897.00 (674.85)**	**69.00**	--	--	**1966.00 (674.85)**	--	--	**32.94**	**57.80**	**6546.79**	**6604.59**	**2.50:1 (2.56:1)**
	सार्वजनिक वितरण												
20.	म.प्र. सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	847.44	--	--	--	847.44	--	--	--	--	--	--	-- --
	योग	**847.44**	--	--	--	**847.44**	--	--	--	--	--	--	-- --
	पर्यटन												
21.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	2497.29	--	--	--	2497.29	--	--	--	--	--	--	--
	योग	**2497.29**	--	--	--	**2497.29**	--	--	--	--	--	--	--
	वित्त												
22.	दी प्रोवीडेन्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी मर्यादित	49.26	--	--	0.40	49.66	--	--	--	--	--	--	--
23.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	8109.18	--	--	--	8109.18	--	1668.00	--	3032.27	25271.00	28303.27	3.49:1 (4.35:1)
	योग	**8158.44**	--	--	**0.40**	**8158.84**	--	**1668.00**	--	**3032.27**	**25271.00**	**28303.27**	**3.47:1 (4.32:1)**
	विविध												
24.	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	68.92	--	--	--	68.92	--	--	--	--	--	--	--
	योग	**68.92**	--	--	--	**68.92**	--	--	--	--	--	--	--
	ऊर्जा												
25.	म.प्र. विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित	90183.03 (14354.68)	--	--	--	90183.03 (14354.68)	14354.68	7827.58	17059.46	37989.90	118149.54	156139.44	1.49:1 (1.49:1)
26.	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण* कंपनी मर्यादित	5.01	--	--	--	5.01	--	--	---	--	--	--	--
27.	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित	63731.38	--	---	--	63731.38	6748.60	503.07	156.49	14254.46	67228.33	81482.79	1.28:1 (1.46:1)
28.	म.प्र. विद्युत निर्माण कंपनी मर्यादित	168793.01 (15160.00)	--	--	-- (18500.00)	168793.01 (33660.00)	24658.00	--	36874.59	--	274821.52	274821.52	1.36:1 (1.63:1)

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
29.	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित	31605.00 (3466.33)	--	--	--	31605.00 (3466.33)	31600.00	--	--	--	--	--	--
30.	शहापुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	5.00	--	--	--	5.00	--	--	--	--	--	--	--
31.	म.प्र. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	2000.00	--	--	--	2000.00	2000.00	--	--	--	--	--	--
	योग	**356322.43 (32981.01)**	--	--	**(18500.00)**	**356322.43 (51481.01)**	**79361.28**	**8330.65**	**54090.54**	**52244.36**	**460199.39**	**512443.75**	**1.26:1 (1.42:1)**
	योग-क	**378162.22 (34105.86)**	**394.60**	**3443.47**	**517.92 (18500.00)**	**382518.21 (52605.86)**	**79461.28**	**10276.15**	**54423.48**	**55646.38**	**493647.14**	**549293.52**	**1.26:1 (1.44:1)**
ख	**सांविधिक निगम**												
1.	म.प्र. राज्य विद्युत मंडल	71863.00	--	--	--	71863.00	--	--	-	436863.00	398330.42	835193.42	11.62:1 (22.34:1)
2.	म.प्र. सड़क परिवहन निगम	5093.55 (5901.98)	717.88 (2467.47)	--	--	5811.43 (8369.45)	--	9402.56	--	44693.16	1321.92	46015.08	3.24:1 (0.34:1)
3.	म.प्र. वित्त निगम	24727.84	--	--	2101.15	26828.99	18900.00	--	8692.00	6000.00	45048.33	51048.33	1.90:1 (5.99:1)
4.	म.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन	100.00 (328.08)	--	--	50.00 (328.08)	150.00 (656.16)	--	--	543.70	--	483.20	483.20	0.60:1 (0.34:1)
	योग-ख	**101784.39 (6230.06)**	**717.88 (2467.47)**	--	**2151.15 (328.08)**	**104653.42 (9025.61)**	**18900.00**	**9402.56**	**9235.70**	**487556.16**	**445183.87**	**932740.03**	**8.21:1 (9.36:1)**
	योग-क+ख	**479946.61 (40335.92)**	**1112.48 (2467.47)**	**3443.47** --	**2669.07 (18828.08)**	**487171.63 (61631.47)**	**98361.28**	**19678.71**	**63659.18**	**543202.54**	**938831.01**	**1482033.55**	**2.70:1 (3.06:1)**
ग.	**अकार्यशील कम्पनियाँ**												
	कृषि एवं संबद्ध												
1.	म.प्र. उद्वहन सिंचाई निगम मर्यादित	592.29	--	--	--	592.29	--	--	--	--	--	--	--
2.	म.प्र. राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग		--	--	--	**592.29**	--	--	--	--	--	--	--
	उद्योग												
3.	म.प्र. चर्म विकास निगम* मर्यादित	154.29	--	--	--	154.29	--	--	--	178.45	--	178.45	1.16:1 (--)
4.	म.प्र. फिल्म विकास निगम मर्यादित	103.84	--	--	--	103.84	--	--	--	--	--	--	--

1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
5.	म.प्र. राज्य उद्योग निगम मर्यादित	1511.67	--	--	--	1511.67	--	--	--	3254.46	--	3254.46	2.15:1 (2.15:1)
	योग	**1769.80**	--	--	--	**1769.80**	--	--	--	**3432.91**	--	**3432.91**	**1.94:1 (1.94:1)**
	इलेक्ट्रोनिक्स												
6.	आप्टेल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड	--	--	1500.00	896.71 (0.01)	2396.71 (0.01)	--	--	--	1712.45	3008.08	4720.53	1.97:1 (1.91:1)
	योग		**योग (ग)**	**1500.00**	**896.71 (0.01)**	**2396.71 (0.01)**	--	--	--	**1712.45**	**3008.08**	**4720.53**	**1.97:1 (1.91:1)**
	वस्त्र												
7.	म.प्र. स्टेट वस्त्र निगम, मर्यादित	685.95	--	--	--	685.95	--	--	--	8674.44	110.20	8784.64	12.81:1 (12.53:1)
	योग	**685.95**	--	--	--	**685.95**	--	--	--	**8674.44**	**110.20**	**8784.64**	**12.81:1 (12.53:1)**
	निर्माण												
8.	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित	500.00	--	--	--	500.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग	**500.00**	--	--	--	**500.00**	--	--	--	--	--	--	--
	वित्त												
9.	म.प्र. पंचायती वित्त* एवं ग्रामीण विकास निगम मर्यादित	-- (15.60)	--	--	--	-- (15.60)	--	--	--	--	--	--	--
	योग	**(15.60)**	--	--	--	**(15.60)**	--	--	--	**13819.80**	**3118.28**	**16938.08**	**2.84:1 (2.79:1)**
	महायोग	**3548.04 (15.60)**	--	**1500.00**	**896.71 (0.01)**	**5944.75 (15.61)**	--	--	-	**557022.34**	**941949.29**	**1498971.63**	**2.70:1 (3.06:1)**
महायोग (क+ख+ग)##		**483494.65 (40351.52)**	**1112.48 (2467.47)**	**4943.47**	**3565.78 (18828.09)**	**493116.38 (61647.08)**	**98361.28**	**19678.71**	**63659.18**				

टिप्पणी: *उन कम्पनियों/निगमों को छोडकर जिन्होंने वर्ष 2006-07 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है (क्रम संख्या क 14,15,20,25, ख 3) अन्य की जानकारी प्राविधिक हैं और वैसी है जैसी कि कम्पनियों/निगमों द्वारा दी गई हैं।*

** *2006-07 के अंत तक बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋणों को प्रदर्शित करते है।*

@ *इन राशियों में बंधपत्र, ऋणपत्र, इन्टर कारपोरेट डिपोजिट आदि शामिल है।*

$ *वर्ष के अंत में निर्माणाधीन कार्य के विरूद्ध समायोजन किया गया है।*

* *कम्पनी/निगम जिन्होने वर्ष 2006-07 के लिये कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं अतः उनके विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के लिये स्वीकार कर लिया गया है।*

सरकारी उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 10,808.68 करोड़ रुपये (अन्य का 9,728.67 करोड़ रुपये) है। वित्त लेखे के अनुसार निवेश 6,150.94 करोड़ रुपये है। अन्तर का समायोजन किया जा रहा है।

C *कोष्ठक में दर्शाये गई राशि अंश आवेदन राशि है ।*

परिशिष्ट-2

(कंडिका क्रमांक 1.6,1.7,1.13,1.19 एवं 1.20 में संदर्भित)

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश

(स्तंभ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	बैंक एवं कंपनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+)/हानि (-)	नियोजित पूंजी (क)	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (ख)	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	बकाया रहे लेखाओं की अवधि वर्षों में	कुल बिक्री	जनशक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
क	**कार्यशील सरकारी कंपनियां**														
	कृषि एवं सम्बद्ध														
1.	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	कृषि	21-03-1969	2004-05	2007-08	(-)302.87	--	329.50	(-) 571.26	470.44	(-) 281.90	--	02	15731.67	563
	योग					**(-)302.87**	--	**329.50**	**(-) 571.26**	**470.44**	**(-) 281.90**	--	--	--	--
	उद्योग														
2.	म.प्र.ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	14-02-1977	2005-06	2007-08	(+)3.59	--	80.25	(-) 536.21	752.93	(+) 3.59	0.48	01	5253.34	23
3.	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	28-12-1961	2005-06	2007-08	(-)966.05	--	282.75	(+)1731.51	1938.14	(+) 966.05	49.84	01	9324.25	379
4.	पिथमपुर ऑटोक्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	27.12.2004	2004-05*	2006-07	(+)15.02	--	1.00	(+)9.52	1671.86	(+) 15.02	0.90	02	--	--
	योग					**(+)984.66**	--	**364.00**	(+) 2277.24	**4362.93**	**(+) 984.66**	22.57	--	--	--
	इलेक्ट्रोनिक्स														
5.	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	18-11-1983	2005-06	2007-08	(+)10.82	-	2191.25	(+) 633.36	5279.86	(+) 10.82	0.20	01	459.10	73
6.	क्रिस्टल आई.टी. पार्क इंदौर लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	16.09.2004	2004-05	2006-07	---	---	5.01	--	(-) 0.13	--	--	02	--	--
	योग					**(+) 10.82**		**2196.26**	**(+) 633.36**	**5279.73**	**(+) 10.82**	**0.20**	-	-	-

* *27.12.04 से 31.3.05. तक*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
	हाथकरघा एवं हस्तशिल्प														
7.	म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्यादित	ग्राम उद्योग विभाग	18-11-1981	2002-03	2007-08	(+)151.51	--	126.16	(-) 16.66	1488.27	(+) 167.52	11.26	04	1485.09	306
	योग					**(+)151.51**	--	**126.16**	**(-) 16.66**	**1488.27**	**(+) 167.52**	**11.26**	--	--	--
	वन														
8.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम मर्यादित	वन	24-07-1975	2005-06	2006-07	(+) 436.55	--	3931.76	(+) 1105.17	5287.12	(+) 436.55	8.26	01	2205.18	1172
	योग					**(+) 436.55**	--	**3931.76**	**(+) 1105.17**	**5287.12**	**(+) 436.55**	**8.26**	--	--	--
	खनन														
9.	म.प्र. राज्य खनन निगम मर्यादित	खनिज संसाधन विभाग	19-01-1962	2005-06	2006-07	(+) 1574.65	--	219.59	(+) 3127.85	3204.30	(+) 1574.86	49.15	01	4755.51	442
	योग					**(+) 1574.65**	--	**219.59**	**(+) 3127.85**	**3204.30**	**(+) 1574.86**	**49.15**	--	--	-
	निर्माण														
10.	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित	गृह (पुलिस)	31-03-1981	2005-06	2007-08	(+) 471.25	--	457.50	(+) 441.10	1312.75	(+) 471.25	35.90	01	203.34	141
11.	म.प्र. रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	पी.डब्ल्यू.डी.	14.07.2004	प्रथम लेखा अभि तक तैयार नही हुआ है ।									03	--	120
	योग					**(+) 471.25**	--	**457.50**	**(+) 441.10**	**1312.77**	**(+) 471.25**	**35.90**	--	--	--
	क्षेत्र विकास														
12.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-10-1987	2005-06	2006-07	(+) 68.86	--	135.01	(+) 192.82	327.84	(+) 68.86	21.00	01	396.52	270
13.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास (इंदौर) निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	2004-05	2007-08	(-) 135.10	--	165.00	(+) 363.82	7545.69	(-) 128.64	--	02	686.21	216
14.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	2006-07	2007-08	(+) 23.21	--	133.12	(+) 676.54	795.12	(+) 23.21	2.92	--	25.83	74
15.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	2006-07	2007-08	(+) 17.14	--	80.00	(-) 28.55	270.57	(+) 33.16	12.26	--	42.53	95

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
16.	इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (ग्वालियर) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	28-05-1985	2004-05	2006-07	(+) 6.03	--	75.00	(+) 139.61	216.26	(+) 6.34	2.93	02	28.39	156
17.	एस.ई.जेड. इंदौर लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	20.02.2003	2003-04	2005-06	(-) 41.84	--	2939.41	(-) 41.84	3130.88	(-) 26.45	--	03	28.32	03
	योग					**(-) 61.70**	--	**3527.54**	**(+)1302.40**	**12286.36**	**(-) 23.52**	--	--	--	--
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास														
18.	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	29-09-1994	1999-2000	2006-07	(+) 2.96	(-) 80.81	443.17	(-) 4.25	2396.11	(+) 48.61	2.03	07	108.16	23
19.	म.प्र. आदिवासी वित्त एव विकास निगम मर्यादित	अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	29-09-1994	2000-01	2004-05	(+) 14.66	--	1577.00	(+) 72.30	4637.14	(+) 220.99	4.76	06	195.83	114
	योग					**(-) 11.70**	**(-) 80.81**	**2020.17**	**(+) 68.05**	**7033.25**	**(+) 269.60**	**3.83**	--	--	--
	सार्वजनिक वितरण														
20.	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	03-04-1974	2006-07	2007-08	(+) 5712.25	--	847.44	(+) 10610.39	11400.66	(+) 5712.25	50.10	--	89902.60	1017
	योग					**(+) 5712.25**	--	**847.44**	**(+) 10610.39**	**11400.66**	**(+) 5712.25**	**50.10**	--	--	--
	पर्यटन														
21.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	पर्यटन	24-05-1978	2003-04	2005-06	(-)32.12	--	2497.29	(-)1255.63	5034.36	(-)32.12	--	03	1135.16	702
	योग					**(-)32.12**	--	**2497.29**	**(-)1255.63**	**5034.36**	**(-)32.12**	--	--	--	--
	वित्त														
22.	दि प्रोवीडेन्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी मर्यादित	वित्त	04-12-1926	2004-05	2006-07	(+) 340.08	--	49.66	(+) 533.97	592.60	(+) 340.08	57.39	02	460.64	20
23.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	13-09-1965	2005-06	2007-08	(-) 575.03	--	8109.18	(-) 63989.80	(-) 801.75	(+) 2167.40	--	01	1014.73	104
	योग					**(-)234.95**	--	**8158.84**	**(-) 63455.83**	**(-)209.15**	**(+) 2507.48**	--	--	--	--
	विविध														
24.	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	ऊर्जा	25-08-1982	2005-06	2006-07	(-) 24.33	--	68.92	--	713.77	(-)24.33	--	01	12.48	232
	योग					**(-) 24.33**	--	**68.92**	--	**713.77**	**(-) 24.33**	--	--	--	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
	ऊर्जा														
25.	**म.प्र. विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित**		22-11-01	2006-07	2007-08	(+) 4232.90	--	104537.71	(+) 3141.82	281520.29	(+) 17930.76	6.37	--	72533.50	5245
26.	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित	ऊर्जा	31-05-02	2005-06	2006-07	(-) 23803.21	--	31700.00	(-) 23865.08	80100.30	(-) 20901.78	--	01	168787.40	--
27.	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित	ऊर्जा	31-05-02	2005-06	2006-07	(-) 20003.83	(-) 54.36	56982.78	(-) 20042.06	120942.65	(-) 16433.88	--	01	176048.88	--
28.	म.प्र. विद्युत निर्माण कम्पनी मर्यादित	ऊर्जा	22-11-01	2005-06	2007-08	(+) 1119.42	(-) 309.00	161271.01	602.86	421121.89	(+) 11545.69	2.74	01	171821.21	6962
29.	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित	ऊर्जा	31-05-02	2005-06	2006-07	(-) 30424.76	--	35071.34	(-) 30460.46	77181.50	(-) 28472.53	--	01	146008.63	--
30.	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	5.2.07	प्रथम लेखो को भी अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।				--	-	-	-	-	01	-	-
31.	म.प्र. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	2.5.06	प्रथम लेखो को भी अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।				--	-	-	-	-	01	-	-
	योग					**(-) 68879.48**	--	**389562.84**	**(-) 70622.92**	**980866.63**	**(-) 36331.74**	--	--	--	--
	योग					**(-) 60205.46**	--	**414307.81**	**(-) 116356.71**	**1038531.44**	**(-) 24558.62**	--	--	--	-
ख	**सांविधिक निगम**														
1.	म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल	ऊर्जा	01-04-1957	2004-05	2006-07	(+) 124388.14	(-) 219.12	167304.43	(-) 94924.74	1020722.42	(+) 155602.16	15.24	02	527358.38	57346
2.	म.प्र. सड़क परिवहन निगम	परिवहन	21-05-1962	2005-06	2007-08	(-) 8605.87	--	14180.88	(-) 86729.58	180079.80	(-)7551.88	--	01	21834.92	5646
3.	म.प्र. वित्त निगम	वित्त	30-06-1955	2006-07	2007-08	(-) 1522.11	--	27114.29	(-) 24229.70	68702.82	(+) 3553.76	5.17	--	4106.81	285
4.	म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	19-02-1958	2005-06	2006-07	(+) 1523.19	--	806.16	(+) 6151.78	9681.62	(+) 1576.39	16.28	01	3763.64	1503
	योग-ख					**(+)115783.35**		**209405.76**	**(-) 199732.24**	**1279186.66**	**(+)153180.43**	**11.97**	--	--	--
	महायोग (क+ख)					**(+) 55577.89**		**623713.57**	**(-) 316088.95**	**2317718.10**	**(+)128621.81**	**5.55**	--	--	--
ग	**अकार्यशील कंपनियां**														
	कृषि														
1.	म.प्र. उद्वहन सिंचाई निगम मर्यादित	जल संसाधन विभाग	13-07-1976	1995-96	2007-08	(-)0.51	--	592.29	(-)633.03	(-)36.29	(-)0.51	--	11	--	--
2	म.प्र. राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित	कृषि	22-03-1975	2001-02	2002-03	--	--	--	--	--	--	--	--	परिसमापनाधीन	
	योग					**(-)0.51**	--	**592.29**	**(-)633.03**	**(-)36.29**	**(-)0.51**	--		--	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14	15	16
	उद्योग														
3.	म.प्र. चर्म विकास निगम मर्यादित	ग्रामउद्योग विभाग	25-11-1981	1994-95	2002-03	(+)2.54	(-)0.54	71.79	(+)34.54	(+)717.68	(+)2.85	0.40	12	65.11	--
4.	म.प्र. फिल्म विकास निगम मर्यादित	संस्कृति विभाग	16-12-1981	2005-06	2006-07	परिचालनाधीन									
5.	म.प्र. राज्य उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	11-04-1961	2003-04	2006-07	(-)236.13	--	1511.67	(-)5119.53	(+)745.06	(-)220.69	--	03	10.99	--
	योग					**(-)233.59**	--	**1583.46**	**(-)5084.99**	**(+)1462.74**	**(-)217.84**	-	--	--	--
	इलेक्ट्रॉनिक्स														
6.	ऑप्टेल टेलीकम्युनीकेशन लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	23-12-1988	2004-05	2006-07	(-)495.89	--	2396.71	(-)7568.96	(+)1936.86	(-)452.00	--	02	--	35
	योग					**(-)495.89**	--	**2396.71**	**(-)7568.96**	**(+)1936.86**	**(-)452.00**	--	--	--	--
	वस्त्र														
7.	म.प्र. राज्य वस्त्र उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	27-11-1970	2004-05	2006-07	(-)452.37	--	685.95	(-)10473.60	(-)738.50	(-)75.95	--	02	--	07
	योग					**(-)452.37**	--	**685.95**	**(-)10473.60**	**(-)738.50**	**(-)75.95**	--	--	--	--
	निर्माण														
8.	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित	पी.डब्ल्यू.डी	04-10-1978	1989-90	1993-94	(-)112.99	-	500.00	(-)215.04	(+) 286.90	(-)112.99	-	17		
	योग					**(-)112.99**	-	**500.00**	**(-)215.04**	**(+) 286.90**	**(-)112.99**	-	--	--	--
	वित्त														
9.	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम मर्यादित	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	30-03-1981	2005-06	2006-07	(+)4.12	--	15.60	(+)1.70	(+)16.12	(+)4.12	25.56	01	4.77	--
	योग					**(+)4.12**	--	**15.60**	**(+)1.70**	**(+)16.12**	**(+)4.12**	**25.56**	--	--	--
	योग ग					**(-)1291.23**	--	**5774.01**	**(-)23973.92**	**(+)2927.83**	**(-)855.17**	--	--	--	--
	महायोग (क+ख+ग)					**(+)54286.66**	--	**629487.58**	**(-)340062.87**	**2320645.93**	**(+)127766.64**	**5.51**	--	--	--

(क) नियोजित पूंजी शुद्ध परिसम्पत्तियों (प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यों सहित) एवं कार्यचालन पूंजी, उन वित्तपोषी कम्पनियों/निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, स्वतंत्र आरक्षित निधियों, बंधपत्रों, जमाओं एवं उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष के योग के औसत रूप में परिगणित की जाती है, को प्रदर्शित करती है।

(ख) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु उधार ली गई निधियों पर ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा गया है या हानि से घटाया गया है।

परिशिष्ट-3

(कंडिका 1.5 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियाँ, दायित्वों को छोड़ना, ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन तथा मार्च 2007 के अंत तक प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और बकाया गारंटियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(स्तम्भ 3 (क) से 7 में आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता एवं अनुदान*				वर्ष के दौरान प्राप्त तथा वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां*					वर्ष के दौरान छोड़े गये बकाया गारंटियां*				ऋण जिन पर स्थगन की अनुमति दी गई	वर्ष के दौरान ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंक से नगद ऋण	अन्य स्त्रोतों से ऋण	शासनों के संबंध में बैंकों द्वारा खोले गये साख पत्र	विदेशी परामर्शियों अथवा संविदाकरों के साथ अनुबंध के अधीन भुगतान दायित्व	योग	ऋणों के प्रति भुगतान का अपलेखन	छोड़े गये ब्याज	लेखा गया दाण्डिक ब्याज	योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
क	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ															
	कृषि एवं सम्बद्ध															
1.	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	366.27 (-)	96.60 (-)	-	462.87 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	366.27 (-)	96.60 (-)	-	462.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उद्योग															
2.	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित	- (71.39)	-	-	- (71.39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	- (1665.00)	-	-	- (1665.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	- (1736.39)	-	-	- (1736.39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	इलैक्ट्रोनिक्स															
4.	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम मर्यादित	- (2330.15)	- (22.00)	-	- (2352.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	- (2330.15)	- (22.00)	-	- (2352.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(क)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
	हाथकरघा एवं हस्तशिल्प															
5.	म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकघा विकास निगम मर्यादित	- (35.71)	- (1144.61)	-- --	-- (1180.32)	-- --	100.00 (671.04)	-	-	100.00 (671.04)	-	-	-	-	-	-
	योग	- **(35.71)**	- **(1144.61)**	-- --	-- **(1180.32)**	-- --	**100.00** **(671.04)**	-	-	**100.00** **(671.04)**	-	-	-	-	-	-
	वन															
6.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम मर्यादित	- -	- (494.19)	-	- (494.19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	- -	- **(494.19)**	-	- **(494.19)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्र विकास															
7	म.प्र.औ.के.वि.नि. (जबलपुर) मर्यादित	-- (--)	92.50 (--)	--	92.50 (--)	--	-- (268.35)	-	-	-- (268.35)	-	-	-	-	-	-
8	म.प्र. औ.के.वि.नि. (इंदौर) मर्यादित	- (364.56)	- (471.00)		-- (835.56)	--	--	--	--	--	-	-	-	-	-	-
9	इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन (ग्वालियर) मर्यादित	318.95 (-)	- -		318.95 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	**318.95** **(364.56)**	**92.50** **(471.00)**	-	**411.45** **(835.56)**	--	-- **(268.35)**	- -	- -	-- **(268.35)**	-	-	-	-	-	-
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास															
10	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	- -	- -	- -	- -	- -	3236.60 (3236.60)			3236.60 (3236.60)	-	-	-	-	-	-
11	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	-- -	-- (110.00)	- -	-- (110.00)	-	32.94 (3367.99)			32.94 (3367.99)	-	-	-	-	-	-
	योग	-	- **(110.00)**		-- **(110.00)**	-- --	**3269.54** **(6604.59)**			**3269.54** **(6604.59)**	-	-	-	-	-	-
	सार्वजनिक वितरण															
12.	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोशन मर्यादित	568.88 (-)	1742.94 (-)		2311.82 (-)						-	-	-	-	-	-
	योग	**568.88** (-)	**1742.94** (-)		**2311.82** (-)						-	-	-	-	-	-
	पर्यटन															
13.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	-- (2866.40)	1675.00 (1261.25)		1675.00 (4127.65)						- -	-	-	-	-	-
	योग	**(2866.40)**	**1675.00** **(1261.25)**		**1675.00** **(4127.65)**						- -	-	-	-	-	-

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
	वित्त															
14.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	790.00 (-)	(-)	--	790.00 (-)	-- --	449.50 (449.50)	--	--	449.50 (449.50)	-	-	-	-	-	-
	योग	**790.00 (-)**	--	--	**(-)790.00**	--	**449.50 (449.50)**	--	--	**449.50 (449.50)**	-	-	-	-	-	-
	विविध															
15.	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	382.57 (-)	828.25 (-)	--	1210.82 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	**382.57 (-)**	**828.25 (-)**	--	**1210.82 (-)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ	**विद्युत**															
16.	म.प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)	36874.59 (211970.92)	-	-	36874.59 (211970.92)	-	-	-	-	-	-
17.	म.प्र. विद्युत पारेषण कपनी लिमिटेड	--	--	--	--	--	4689.61 (32175.33)	-	-	4689.61 (32175.33)	-	-	-	-	-	-
18.	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	-- --	21341.68 (-)		21341.68 (-)	---	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	-	**21341.68 (-)**		**21341.68 (-)**	-	**41564.20 (244146.25)**	-	-	**41564.20 (244146.25)**	-	-	-	-	-	-
	योग (क)	**2426.67 (7333.21)**	**25776.97 (3503.05)**	(-)	**28203.64 (10836.26)**	(-)	**45383.24 (252139.73)**			**45383.24 (252139.73)**						
ख	**कार्यशील सांविधिक निगम**															
1.	मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम	-	--	- -	--	--	-- (1321.92)	-	-	-- (1321.92)	-	-	-	-	-	-
2.	मध्यप्रदेश वित्त निगम	-	1.00 (-)	--	1.00 (-)	-- --	3000.00 (50967.00)	-	-	3000.00 (50967.00)	-	-	-	-	-	-
3	मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिग कारपोरेशन	40.47 (-)	-- -	- -	40.47 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (ख)	**40.47 (-)**	**1.00 (-)**	--	**41.47 (-)**	--	**3000.00 (52288.92)**	-- --	-- --	**3000.00 (52288.92)**	-	-	-	-	-	-
	योग (क+ख)	**2467.14 (7333.21)**	**25777.97 (3503.05)**	--	**28245.11 (10836.26)**	--	**48383.24 (304428.65)**	--	--	**48383.24 (304428.65)**						

* *कॉलम 3(क) से 3(घ) तक प्रकोष्ठों में दिये गये आंकडे अनुदान तथा कॉलम 4(क) से 4(ङ) तक के प्रकोष्ठों में दिये गये आंकड़े वर्ष के अंत में बकाया गारंटियाँ दर्शाते है।*

परिशिष्ट-4

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपयों में)

कार्यशील सांविधिक निगम			
1. म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल			
	2002-03	**2003-04**	**2004-05**
क- देयताएं			
अंशपूंजी	169.62	169.62	1673.04
सरकार से ऋण	581.28	929.76	3787.10
अन्य दीर्घकालीन ऋण (बंधपत्रों सहित)	3492.67	3510.72	4222.95
आरक्षित निधियाँ एवं आधिक्य	---	--	--
चालू देयताएं तथा प्रावधान	9679.39	11835.86	6492.79
योग (क)	**13922.96**	**16445.96**	**16175.88**
ख- परिसम्पत्तियाँ			
सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ	9819.19	11022.18	11702.04
घटाएं-मूल्य ह्रास	4598.45	5074.64	5593.41
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ	5220.74	5947.54	6108.63
प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य	2098.52	2842.30	2772.78
अस्थगित मूल्य	1.27	1.27	1.27
चालू परिसम्पत्तियाँ	4355.94	5226.40	6471.99
निवेश	218.13	290.25	130.58
लाभ-हानि खाता	2028.36	2138.20	690.63
योग-(ख)	**13922.96**	**16445.96**	**16175.88**
ग- नियोजित पूंजी**	**5545.24**	**2180.38**	**8860.61**
2. म.प्र. सड़क परिवहन निगम			
	2003-04	**2004-05**	**2005-06**
क- देयताएं			
पूंजी (पूंजीगत ऋण तथा अंशपूंजी सहित)	141.81	141.81	141.81
उधारियाँ (सरकारी)	17.50	17.50	17.50
(अन्य)	142.04	141.50	466.24
निधियाँ$	430.29	433.89	422.57
व्यापारिक दायित्व तथा अन्य चालू देयताऐं (प्रावधान सहित)	617.71	634.97	597.75
योग (क)	**1349.35**	**1369.67**	**1645.87**
ख- परिसम्पत्तियाँ			
सकल ब्लाक	458.01	457.91	460.74
घटाएं- मूल्य ह्रास	53.69	58.63	64.07
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ	404.32	399.28	396.67
पूंजीगत निर्माण कार्य (चेसिस की लागत मूल्य सहित)	3.23	4.09	1.74
निवेश	0.09	0.09	0.02
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	205.82	184.97	380.14
संचित हानि	735.89	781.24	867.30
योग-ख	**1349.35**	**1369.67**	**1645.87**
नियोजित पूंजी**	**(-) 4.34**	**(-)46.63**	**180.80**

** *नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थाइ परिसम्पत्तयाँ एवं (प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यों सहित) कार्यशील पूंजी के जोड़ को प्रदर्शित करती है। कार्यशील पूंजी की गणना करते समय अस्थगित मूल्य तथा निवेश को चालू परिसम्पत्तियों से अलग रखा गया है।*

$ *मूल्य ह्रास निधियों को छोड़कर*

3. मध्यप्रदेश वित्त निगम			
	2004-05	**2005-06**	**2006-07**
क- देयताऐं			
प्रदत्त पूंजी	75.29	79.29	268.29
शेयर आवेदन राशि	--	--	--
आरक्षित निधियाँ तथा अन्य आरक्षित निधियाँ तथा आधिक्य	9.13	9.01	8.90
उधारियाँ			
(i) बंधपत्र एवं ऋणपत्र	220.40	143.45	109.16
(ii) सांविधिक जमा			
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	175.36	237.95	274.74
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	--	--	
(v) शेयर पूंजी के लिए ऋणः			
(क) राज्य सरकार	1.43	1.43	1.43
(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1.43	1.43	1.43
(vi) अन्य (राज्य सरकार सहित)	15.00	110.97	126.58
अन्य देयताऐं एवं प्रावधान	8.73	9.62	9.98
योग- क	**506.77**	**593.15**	**800.51**
ख- परिसम्पतियाँ			
नकद तथा बैंक शेष	17.70	31.97	13.05
निवेश	2.27	2.22	187.22
ऋण तथा अग्रिम	252.75	305.03	337.52
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ	8.57	8.81	8.52
अन्य परिराम्पत्तियॉ	3.54	18.04	11.90
विविध व्यय	221.94	227.08	242.30
योग-ख	**506.77**	**593.15**	**800.51**
ग- नियोजित पूंजी*	**475.70**	**540.78**	**687.03**

4. मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन			
	2003-04	**2004-05**	**2005-06**
क- देयताएं			
प्रदत्त पूंजी	8.06	8.06	8.06
पूंजी के विरूद्ध अग्रिम			
आरक्षित निधियाँ तथा आधिक्य	72.73	76.42	85.98
उधारियाँ			
सरकार	--	--	--
अन्य	00	0.04	2.78
व्यापारिक दायित्व तथा चालू देयताऐं (प्रावधानो सहित)	16.96	25.10	28.71
योग-क	**97.75**	**109.62**	**125.53**
ख- परिसम्पत्तियाँ			
सकल ब्लाक	99.29	101.17	116.28
घटाएं- मूल्य ह्रास	34.69	38.32	41.95
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियॉ	64.60	62.85	74.33
प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य	0.02	1.36	5.83
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	33.13	45.41	45.37
योग- ख	**97.75**	**109.62**	**125.53**
ग- नियोजित पूंजी	**80.79**	**84.49**	**94.04**

* *नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, पूंजी के स्थान पर ऋण, सीडमनी, ऋण पत्र, आरक्षित निधि (उनके अतिरिक्त जिनके लिये विशेष रूप से निधियों की व्यवस्था की जाती है और जिनमें बाहय निवेश से सहयोग प्राप्त होता है) बंध पत्र, निक्षेप तथा उधारियों (पुनर्वित्त पोषण सहित) के आरंभिक तथा अंतशेष के कुल योग का औसत प्रदर्शित करती है।*

परिशिष्ट - 5

(कण्डिका 1.7 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपयों में)

क - कार्यशील सांविधिक निगम				
1.	**मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल**			
	विवरण	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**
1	(क) राजस्व प्राप्तियाँ	4794.50	5688.42	6082.74
	(ख) सरकार से आर्थिक सहायता/परिदान	668.00	818.39	794.30
	योग	**5462.50**	**6506.81**	**6877.04**
2	राजस्व व्यय (पूंजी में परिणित शुद्ध व्यय) अमूर्त परिसम्पतियों के अपलेखन सहित परन्तु ह्रासमूल्य तथा ब्याज को छोड़कर	4788.48	5591.43	6313.70
3	वर्ष हेतु सकल आधिक्य(+)/घाटा(-)	674.02	915.38	563.34
4	पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन	(-)0.08	95.57	1511.89
5	वर्ष हेतु अंतिम सकल आधिक्य(+)/घाटा(-)	673.94	1010.95	2075.23
6	विनियोजन			
	(क) मूल्य ह्रास (पूंजीगत को छोड़कर)	487.53	476.68	519.21
	(ख) सरकारी ऋणों पर ब्याज	62.77	87.34	106.75
	(ग) अन्य ब्याज, बंधपत्रों एवं अग्रिमों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	746.05	826.61	319.49
	(घ) ऋण पर कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार (ख+ग)	808.82	913.95	426.24
	(ङ.) घटाएं पूंजीगत ब्याज	468.03	530.71	114.10
	(च) राजस्व को प्रभारित शुद्ध ब्याज (घ-ङ.)	340.79	383.24	312.14
	(छ) कुल विनियोजन (ङ+च)	828.32	859.92	831.35
7	राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता के लेखांकन से पूव की अधिक्य (+)/घाटा(-) (5-6(छ)-1(ख))	(-)822.38	(-)667.36	449.58
8	शुद्ध आधिक्य(+)/घाटा(-)(5-6(छ))	(-)154.38	151.03	1243.88
9	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल*	(-)279.30	(+)543.27	1556.02
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत	--	**24.50**	**17.56**
2.	**मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम**			
		2003-04	**2004-05**	**2005-06**
1	परिचालन			
	(क) राजस्व	175.03	186.17	218.34
	(ख) व्यय	209.25	216.93	294.38
	(ग) बचत(+)/घाटा(-)	(-)34.22	(-)30.76	(-) 76.04
2	गैर परिचालन			
	(क) राजस्व	4.97	2.93	5.42
	(ख) व्यय	15.75	17.51	15.44
	(ग) बचत(+)/घाटा(-)	(-)10.78	(-)14.58	(-) 10.02
3	**योग**			
	(क) राजस्व	180.00	189.10	223.76
	(ख) व्यय	225.00	234.44	309.82
	(ग) शुद्ध लाभ (+)/हानि(-)	(-)45.00	(-)45.34	(-) 86.06
4	पूंजी तथा ऋण पर ब्याज	11.00	11.00	11.00
5	**नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ***	**(-)34.00**	**(-)34.34**	**(-) 75.06**

* *नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल आधिक्य/घाटा एवं लाभ हानि लेखे को प्रभारित कुल ब्याज (पूंजीगत ब्याज को छोड़कर) के योग को प्रदर्शित करता है ।*

3.	मध्यप्रदेश वित्त निगम			
		2004-05	2005-06	2006-07
1	आय			
	(क) ऋण पर ब्याज	29.66	33.29	41.07
	(ख) अन्य आय	3.07	2.47	2.81
	योग - 1	**32.73**	**35.76**	**43.88**
2	व्यय			
	(क) दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज	28.21	27.07	34.71
	(ख) अनिष्पादित परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	6.21	5.37	16.05
	(ग) अन्य व्यय	8.53	8.20	8.13
	(घ) ह्रास	0.28	0.27	0.21
	योग-2	**43.23**	**40.91**	**59.10**
3	कर पूर्व हानि (1-2)	10.50	5.15	15.22
4	कर हेतु प्रावधान	--	--	--
5	अन्य विनियोग	(-)4.11	--	--
6	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि**	--	--	--
7	भुगतान हेतु लाभांश	--	--	--
8	**नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ**	**17.71**	**21.92**	**19.49**
9	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	3.72	4.05	2.84
4.	मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन			
		2003-04	2004-05	2005-06
	आय			
	(क)वेयर हाऊसिंग प्रभार	32.64	34.71	37.63
	(ख) अन्य आय	0.68	1.15	1.82
	योग	**33.32**	**35.86**	**39.45**
	व्यय			
	(क) स्थापना प्रभार	13.74	14.91	15.34
	(ख) अन्य प्रभार	8.75	12.21	10.42
	योग	**22.49**	**27.12**	**25.76**
	कर पूर्व लाभ (+)/हानि(-)	10.83	8.74	13.69
	अन्य विनियोग@	10.56	8.44	13.39
	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	0.27	0.30	0.30
	वर्ष हेतु लाभांश	0.27	0.30	0.30
	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	**10.91**	**11.36**	**14.23**
	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	13.50	13.45	15.13

** *चालू वर्ष का लाभ विशिष्ट आरक्षित निधियों एवं करों के प्रावधान के उपरान्त लाभांश हेतु उपलब्ध लाभ को दर्शाती है ।*

@ *इसमें अवधि पूर्व समायोजन समाविष्ट नहीं है ।*

परिशिष्ट - 6

(कंडिका 1.12 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(क) कार्यशील सांविधिक निगम

1	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल			
क्र.सं	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05
	अधिष्ठापित क्षमता	(मेगावाट)		
(क)	ताप	2147.500	2147.500	2147.500
(ख)	जल	842.955	842.955	842.955
(ग)	गैस	--	--	--
(घ)	अन्य	--	--	--
	योग	**2990.455**	**2990.455**	**2990.455**
	सामान्य अधिकतम मांग	4769.000	5662.000	6112.000
	उत्पादित विद्युत :	(मेगा किलोवाट घंटे)		
(क)	ताप	13680.860	13168.440	13502.600
(ख)	जल	1890.550	2632.720	2255.840
(ग)	गैस	--	--	--
(घ)	अन्य	--	--	--
	योग	**15571.410**	**15801.160**	**15758.440**
	घटाएं सहायक खपत	--	--	--
(क)	ताप	1315.050	1302.090	1333.730
	(प्रतिशतता)	(99.65)	(99.56)	(99.68)
(ख)	जल	4.610	5.700	4.320
	(प्रतिशतता)	(0.35)	(0.44)	(0.32)
(ग)	गैस	--	--	--
	(प्रतिशतता)	--	--	--
(घ)	अन्य	--	--	--
	(प्रतिशतता)	--	--	--
	योग	**1319.660**	**1307.790**	**1338.050**
	(प्रतिशतता)	**(9.66)**	**(8.28)**	**(8.49)**
	निवल उत्पादित विद्युत	14251.750	14493.370	14420.390
	क्रय की गई विद्युत	12926.340	14000.130	16206.265
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत	27178.090	28493.500	30626.655
	विक्रीत विद्युत	15280.403	15996.060	17310.200
	पारेषण तथा वितरण हानियाँ	11897.687	12497.440	13316.455
	लोड फैक्टर (प्रतिशतता)	73.14	70.21	72.09
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत की तुलना में पारेषण तथा वितरण हानियों की (प्रतिशतता)	43.59	43.86	43.48

	विद्युतीकृत ग्रामों/नगरों की संख्या	50400	50474	50474
	विद्युतीकृत पम्प सैटों/कुओं की संख्या	1320923	1325092	1329388
	उपकेन्द्रों की संख्या	165066	172670	177902
	पारेषण/वितरण लाइनें (कि.मी.में)			
(क)	उच्च/मध्यम विद्युत दाब (वोल्टेज)	185984	191898	193871
(ख)	निम्न विद्युत दाब (वोल्टेज)	NA	335062	337021
	सम्बद्ध भार (मेगावाट में)	8624	8678	8898
	उपभोक्ताओं की संख्या	6395646	6442961	6493500
	कर्मचारियों की संख्या	60299	58774	57346
	उपभोक्ताओं/कर्मचारियों का अनुपात	106:1	110:1	113:1
	वर्ष के दौरान कर्मचारियों पर कुल व्यय (करोड़ रुपयों में)	814.25	1024.48	1146.690
	कुल राजस्व व्यय की तुलना में कर्मचारियों पर व्यय की प्रतिशतता	14.50	14.81	16.82
	विक्रीत यूनिट	**(मेगा किलोवाट घंटे)**		
(क)	कृषि	4974.183	/5347.00	5598.779
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(32.36)	33.10	32.15
(ख)	औद्योगिक	4171.096	5617.000	6028.295
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(27.14)	34.77	34.61
(ग)	वाणिज्यिक	651.589	608.000	799.434
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(4.24)	4.26	4.59
(घ)	घरेलू	3243.067	3311.000	3762.243
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(21.09)	20.50	21.60
(ङ)	अन्य	2333.741	1190.956	1226.552
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(15.19)	7.37	7.04
	योग	**15373.676**	**16153.956**	**17415.303**
		(पैसा प्रति किलोवाट घंटे)		
(क)	राजस्व (सरकार से आर्थिक सहायता छोड़कर)	अनुपलब्ध	352	349
(ख)	व्यय*	अनुपलब्ध	359	370
(ग)	लाभ(+)/हानि(-)	--	(-)0.07	(-)0.21
(घ)	सरकार से माँगी गई औसत आर्थिक सहायता (रुपयों में)	--	0.51	0.46
(ङ)	औसत ब्याज प्रभार (रुपयों में)	--	0.53	0.22

* *राजस्व व्यय में मूल्यह्रास सम्मिलित है परन्तु दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज सम्मिलित नहीं है ।*

2	**मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम**			
	विवरण	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**
	धारित वाहनों की औसत संख्या	1690	1571	1571
	मार्गस्थ वाहनों की औसत संख्या	1269	925	238
	वाहनों के उपयोग का प्रतिशत	75	58	15
	कर्मचारियों की संख्या	10665	10613	5654
	कर्मचारी वाहन अनुपात	8:1	11:1	4:1
	वर्ष के अंत में परिचालित मार्गों की संख्या	1033	1033	अनुपलब्ध
	मार्ग किलोमीटर	206561	206561	अनुपलब्ध
	परिचालित किलोमीटर (लाख में)			
	सकल	1389.96	1264.61	328.24
	प्रभावी	1351.49	1264.61	-
	निष्क्रिय	38.47	--	-
	सकल कि.मी.की तुलना में निष्क्रिय कि.मी.की प्रतिशतता	2.76	--	-
	प्रतिदिन प्रति बस द्वारा औसत किलोमीटर	250	250	213
	प्रति कि.मी.परिचालन राजस्व (पैसे) पिछले वर्ष की आय की तुलना में (प्रतिशत)	1633 6.18	2078 27.25	6817 228.05
	प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	2045	2577	--
	लाभ(+)/हानि(-) प्रति किलोमीटर (पैसे)	(-)412	(-)499	2622
	प्ररिचालित आगारों की संख्या	47	42	41
	प्रति लाख कि.मी.पर कार्यभंग की औसत संख्या	6.90	7.00	अनुपलब्ध
	प्रति लाख कि.मी.पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.13	0.12	0.07
	परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	391.94	472.75	559.49
	आकुपैन्सी अनुपात	60	60	10.76
	प्रतिलिटर परिचालित किलोमीटर			
	डीजल तेल	4.05	4.10	4.08
	इंजन तेल	6.50	6.50	7.48

(राशिः करोड़ रुपयों में)

3.	मध्यप्रदेश वित्त निगम					
विवरण	2004-05		2005-06		2006-07	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में लंबित आवेदन	14	5.20	5	20.52	16	46.54
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन	556	177.54	569	193.74	501	178.06
योग	**570**	**182.74**	**574**	**214.26**	**517**	**224.60**
स्वीकृत आवेदन	565	162.22	558	167.72	478	170.30
निरस्त/वापस/अस्वीकृत/कम किये गये आवेदन	--	--	--	--	18	10.94
वर्ष के अंत में लंबित किये गये आवेदन	05	20.52	16	46.54	21	43.36
वितरण ऋण	388	110.01	550	115.54	437	122.60
वर्ष के अंत में बकाया ऋण*	2033	309.52	2228	358.91	2342	397.46
वर्ष के अंत में वसूली हेतु अधिदेय राशिः						
(क) मूलधन		93.54		70.64		46.58
(ख) ब्याज		15.13		14.94		34.04
योग	**1220**	**108.67**	**1161**	**85.58**		**80.62**
वसूली प्रमाण पत्रों के प्रकरण में निहित राशि	208	37.56	195	31.78	203	27.10
योग	**1428**	**146.23**	**1356**	**117.36**		**107.72**
कुल बकाया ऋणों की तुलना में चूक का प्रतिशत		36.98		32.70		27.10

4.	मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन			
विवरण		2003-04	2004-05	2005-06
रामानिष्ट केन्द्रों की संख्या		229	230	232
वर्ष के अन्त में सृजित भंडारण क्षमता (लाख मेट्रिक टन में)				
(a) स्वगोदाम		9.63	9.65	9.78
(b) किराये की		2.04	2.13	2.16
	योग	**11.67**	**11.78**	**11.88**
वर्ष के दौरान उपयोग की गई औसत क्षमता (लाख टन में)		9.05	9.22	9.46
उपयोग की प्रतिशतता		77	78	80
प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत राजस्व (रूपए)		368.18	388.93	417.08
प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत व्यय (रूपए)		248.48	294.15	272.34

* *ब्याज सहित*

परिशिष्ट- 7

(कण्डिका 2.1.11 में सदंर्भित)

महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों में स्थित होटलों की अधिभोग स्तरों और प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितम्बर के दौरान टैरिफ में छूट का प्रस्ताव दर्शाने वाला विवरण पत्र

(अधिभोग प्रतिशत में)

	अमरकंटक			भेड़ाघाट			पचमढ़ी		
	2004-05	**2005-06**	**2006-07**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**
अप्रैल	60	44	60	51	44	63	27	31	39
मई	52	64	72	65	61	60	68	69	44
जून	57	77	71	66	39	62	72	70	77
जुलाई	38	43	60	25	6	28	45	43	45
अगस्त	45	43	55	34	26	31	39	48	41
सितम्बर	20	36	72	53	10	22	31	35	21
अक्टूबर	80	84	83	61	55	87	38	32	72
नवम्बर	61	56	59	92	66	50	58	45	44
दिसम्बर	58	67	73	76	60	64	61	50	57
जनवरी	41	69	54	51	47	64	48	41	39
फरवरी	42	64	58	66	48	57	27	44	31
मार्च	44	62	72	62	46	61	33	35	35

परिशिष्ट-8

(कण्डिका 2.1.12 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के होटलों, कैफेरेरिया तथा रेस्टोरेन्ट की सूची

सरल क्रमांक	ईकाई का नाम	स्थान/स्थिति
1.	होलिडे होम्स	अमरकंटक
2.	व्हाइट टाईगर फोरेस्ट लॉज	बाघवगढ़
3.	मैकाल रिसार्ट	बरगी
4.	मोटल मार्बल रॉक्स	भेड़ाघाट
5.	पलाश रेसीडेन्सी	भोपाल
6.	टुरिस्ट बंगलो	चंदेरी
7.	टुरिस्ट बंगलो	चित्रकूट
8.	टुरिस्ट मोटल	दतिया
9.	तानसेन रेसीडेन्सी	ग्वालियर
10.	टुरिस्ट बंगलो	इंदौर
11.	कलचुरी रेसीडेन्सी	जबलपुर
12.	टुरिस्ट मोटल	झाबुआ
13.	बगीरा लाग हट्स किसली	कान्हा
14.	टुरिस्ट होटल किसली	कान्हा
15.	कान्हा सफारी लॉज, मुक्की	कान्हा
16.	टुरिस्ट मोटल	कटनी
17.	होटल झंकार	खजुराहो
18.	होटल पायल	खजुराहो
19.	होटल राहिल	खजुराहो
20.	टुरिस्ट मोटल	खलघाट
21.	नर्मदा रिट्रीट	महेश्वर
22.	होटल सुरबहार	मैहर
23.	टुरिस्ट मोटल	मण्डला
24.	मालवा रिसार्ट	मोण्डू
25.	मालवा रिट्रीट	माण्डू
26.	नर्मदा रिसार्ट	ओरछा
27.	बेतवा रिट्रीट	ओरछा
28.	शीश महल	पचमढ़ी
29.	आमलतारा	पचमढ़ी
30.	क्लब व्यू	पचमढ़ी
31.	ग्लेन व्यू	पचमढ़ी
32.	हिलटाप बंगलो	पचमढ़ी
33.	होटल हाइलेण्ड	पचमढ़ी
34.	पंचवटी	पचमढ़ी
35.	रॉक एण्ड मेनर	पचमढ़ी
36.	सतपुड़ा रीट्रीट	पचमढ़ी
37.	किपलिंग कोर्ट पेन्चे	पेन्च
38.	टुरिस्ट मोटल	पिपरिया
39.	हाईवे ट्रीट	रूखड़
40.	गेटवे कैफेटेरिया	सांची
41.	गेटवे रिट्रीट	सांची
42.	होटल भरहूत	सतना
43.	टुरिस्ट व्हीलेज	शिवपुरी
44.	क्षिप्रा रेजीडेन्सी	उज्जैन
45.	होटल अवंतिका (यात्री निवास)	उज्जैन
46.	विण्ड एण्ड व्हेवज	बरगी
47.	विण्ड एण्ड व्हेवज	भोपाल
48.	हाईवे ट्रीट	व्यावरा
49.	हाईवे ट्रीट	डोंडी
50.	हाईवे ट्रीट	नैगांव

परिशिष्ट-9

(कण्डिका 2.1.12 में सन्दर्भित)

विभिन्न होटल मैनेजरों से वर्ष 2005-06 के लिये अधिक खाद्य लागत तथा ईंधन लागत हेतु वसूली योग्य राशि दर्शाने वाला विवरण पत्र ।

सरल क्रमांक	इकाई का नाम	वसूलीयोग्य राशि (रूपये)	
		खाद्य मूल्य	ईधन मूल्य
1.	मैनेजर होटल पंचवटी पचमढ़ी	9550.00	7253.00
2.	मैनेजर होटल हाईलेण्ड पचमढ़ी	7892.00	--
3.	मैनेजर टी.एम. खलघाट	19652.00	8451.00
4.	मैनेजर होटल कलचुरी जबलपुर	10135.00	3264.00
5.	मैनेजर होटल मालवा रिसोर्ट माण्डू	15769.00	--
6.	मैनेजर होटल तानसेन ग्वालियर	14798.00	--
7.	मैनेजर होटल केसी पेंच	15089.00	8570.00
8.	मैनेजर डब्ल्यू टी एफ एल बाधवगढ़	75721.00	--
9.	मैनेजर होटल पलाश भोपाल	17550.00	--
10.	मैनेजर हाई वे ट्रीट डोडी	166284.00	105850.00
11.	मैनेजर टी. बी. इन्दौर	1429.00	195.00
12.	मैनेजर टी एम कटनी	42556.00	2031.00
13.	मैनेजर टी एम मण्डला	76384.00	910.00
14.	मैनेजर टी एम भेड़ाघाट	5371.00	--
15.	मैनेजर होटल क्षिप्रा उज्जैन	42763.00	36797.00
16.	मैनेजर होटल बेतवा रिट्रीट ओरछा	6340.00	--
17.	मैनेजर होटल तानसेन ग्वालियर	6207.00	9893.00
18.	मेनेजर हाई वेट्रीट व्यावरा	1737.00	3055.00
19.	हाऊरा कीपर सी एम रेसजीडेन्सा भोपाल	34527.00	--
20.	मैनेसजर टी एम झाबुआ	9104.00	--
21.	मैनेजर होटल शीश महल ओरछा	9029.00	--
22.	मैनेजर कैफे सुरबहार माण्डू	3146.00	4647.00
23.	मैनेजर हाई वे ट्रीट नौगांव	11621.00	--
	योग	**602654.00**	**190916.00**

वसूली योग्य कुल राशि = 7,93,570.00

परिशिष्ट- 10

(कण्डिका 2.1.13 में संदर्भित)

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में होटलों में स्थित मदिरालयों (बारों) के अधिभोग तथा लाभंकारिता का विवरण पत्र

		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
क्रम संख्या	पर्यटन केन्द्र का नाम	अधिभोग (होटल)	(+) लाभ/ (-) हानि (लाख रूपये)	अधिभोग (होटल)	(+) लाभ/ (-) हानि	अधिभोग होटल	(+) लाभ/ (-) हानि (लाख रूपये)	अधिभोग (होटल)	(+) लाभ/ (-) हानि (लाख रूपये)	अधिभोग (होटल)	(+) लाभ/ (-) हानि (लाख रूपये)
1	खजुराहो	26 (झंकार)	(-) 1.29	26 (झंकार))	(-) 1.26	30 (पायल)	(-) 0.96	23 (पायल)	(-) 1.51	26 (पायल)	(-) 1.76
2.	ओरछा	62 (शीशमहल)	(-) 1.19	67 (शीशमहल)	(-) 0.68	62 (वेतवा कॉटेजे)	(-) 0.56	57 (वेतवा कॉटेल)	(-) 0.92	57 (वेतवा कॉटेल)	(-) 0.84
3.	पचमढ़ी	43 (ग्लेनव्यू)	(-) 0.78	45 (ग्लेनव्यू)	(-) 1.25	60 (ग्लेनव्यू)	(-) 1.00	68 (ग्लेनव्यू)	(-) 1.19	79 (ग्लेनव्यू)	(-) 2.09
4.	सांची	48 (ट्रेवलर्स लॉज)	(-) 1.30	47 (ट्रेवलर्स लॉज)	(-) 1.15	42 (कैफे सांची)	(-) 1.12	44 (कैफे सांची)	(-) 0.44	38 (गेटवे सांची)	(-) 0.75

नोटः कोष्टक के भीतर नाम बार सहित होटल इंगित करते हैं ।

परिशिष्ट- 11

(कंडिका 2.1.18 में सन्दर्भित)

भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत गन्तव्य स्थल विकास निर्माण कार्य दर्शाने वाला विवरण पत्र

(राशि: लाख रूपये)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रस्ताव का दिनांक	संस्वीकृत का दिनांक	संस्वीकृत राशि	विमोचन का दिनांक	विमोचित राशि	किया गया व्यय	संस्वीकृत के अनुसार पूर्णता हेतु नियम दिनांक	अगस्त 2007 तक वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	भौतिक प्रगति/पूर्णता का प्रत्याशित दिनांक
1.	अमरकंटक का गंतव्य स्थल विकास	19.11.03	29.3.04	489.60	21.4.04 6.12.05	391.68.	447.96	मार्च 2006	भारत सरकार को भेजे गए उपयोग प्रमाण-पत्र	निर्माण कार्य जनवी 2007 में पूर्ण हुआ
2	ओकरेश्वर का गन्तव्य स्थल विकास	9.10.04	20.12.04	327.79	20.12.04	262.23	117.51	दिसम्बर 2006	44.81	जून 2008
3.	महेश्वर का गन्तव्य स्थल विकास	9.10.04	24.12.04	136.00	24.12.04	108.80	106.97	दिसम्बर 2006	शेष राशि विभाजित करने के लिये भारत सरकार को भेजे गए उपयोग प्रमाण-पत्र	मार्च 2008
4.	इन्दौर का गन्तव्य स्थल विकास	13.9.05	26.10.05	482.69	26.10.05	386.15	75.00	अप्रैल 2007	19.42	मार्च 2008
5.	बुरहानपुर का गन्तव्य स्थल विकास	9.5.05	18.10.05	449.00	18.10.05	359.20	36.84	अप्रैले 2007	10.26	मार्च 2008
6.	माण्डू का गन्तव्य स्थल विकास	18.6.06	30.8.06	471.74	30.8.06	377.40	20.00	जनवरी 2008	5.30	मार्च 2008
7.	पन्ना का गन्तव्य स्थल विकास	8.6.06	16.10.06	421.36	16.10.06	337.00	--	अप्रैल 2008	--	--
8.	जबलपुर का गन्तव्य स्थल विकास	6.10.06	6.12.06	460.43	6.12.06	230.00	20.00	दिसम्बर 2008	8.69	--
9.	मैहर का गन्तव्य स्थल विकास	15.11.05	27.12.06	296.79	27.12.06	237.40	12.00	दिसम्बर 2008	5.05	--
10.	भोपाल का गन्तव्य स्थल विकास	24.11.06	30.12.06	499.47	30.12.06	400.00	--	दिसम्बर 2008	--	--
	योग			**4034.87**		**3089.86**	**837.28**			

परिशिष्ट- 12

(कंण्डिका 2.1.30 में सन्दर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित भोपाल 11 वे वित्त आयोग की अनुशंसा पर निधि पारित परियोजना का निर्माण कार्य

(रूपये लाख में)

क्रम संख्या	स्थान के साथ निर्माण कार्य का नाम	संस्वीकृत दिनांक	संस्वीकृत राशि	विमोचित राशि	विमोचन हेतु शेष	व्यय	निर्माण कार्यो की स्थिति	टिप्पणी
1.	सतना में पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण	06-03-2002	100.00	100.00		100.00	पूर्ण	यूसी/सीसी राज्य सरकार को प्रेषित
2.	मण्डला में पर्यटक् स्वागत केन्द्र का निर्माण	06-03-2002	100.00	100.00		100.00	तदैव	तदैव
3.	मैहर में धरमशाला का निर्माण	06-03-2002	50.00	50.00		50.00	तदैव	तदैव
4.	बरमनेघाट पर धरमशाला का निर्माण	06-03-2002	25.00	25.00		25.00	तदैव	तदैव
5.	बरमनघाट पर सुलभ काम्प्लेक्स का निर्माण	18-01-2002	22.00	22.00		22.00	तदैव	तदैव
6.	बाघवगढ नेशनल पार्क में पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण	06-03-2002	125.00	125.00		125.00	तदैव	तदैव
7.	पेंच में पर्यअक स्वागत केन्द्र का निर्माण	06-03-2002	100.00	100.00		100.00	तदैव	तदैव
8.	चित्रकूट में पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण	06-03-2002	100.00	100.00		100.00	तदैव	तदैव
9.	मुक्की में पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण	04-06-2002	50.00	50.00		50.00	तदैव	तदैव
10.	बरगी में वाटर स्पोर्टस् काम्प्लेक्स का निर्माण	29-03-2003	100.00	88.00	12.00	100.00	तदैव	तदैव

क्रम संख्या	स्थान के साथ निर्माण कार्य का नाम	संस्वीकृत दिनांक	संस्वीकृत राशि	विमोचित राशि	विमोचन हेतु शेष	व्यय	निर्माण कार्यों की स्थिति	टिप्पणी
11.	भेडाघाट पर पर्यटन स्वागत केन्द्र का निर्माण	31-01-2003	90.00	90.00		90.00	तदैव	तदैव
12.	चित्रकूट एर साइनेजस	20-08-2004	07.00	00.00	07.00	07.00	तदैव	तदैव
13.	मैहर में धरमशाला का विस्तार	01-02-2005	30.00	30.00		25.00	तदैव	अंतिम बिल प्रतीक्षित
14.	किसली यूनिट नवीकरण	01-02-2005	20.00	20.00		20.00	तदैव	यूसी/सीसी राज्य सरकार को प्रेषित
15.	पार्क राउण्ड कान्हा के लिये जिप्सी का क्रय	21-09-2001	50.00	50.00		50.00	तदैव	तदैव
16 (क)	कान्हा के लिये दो व्यूइंग बसे नेशनल नेशनल पार्क	01-02-2005	20.00	20.00		20.00	तदैव	तदैव
(ख)	किसली के लिये एक पर्यटक बस	01-02-2005	10.00	10.00		10.00	तदैव	तदैव
17.	बांधवगढ़ के लिये दो व्यूइंग बसें	01-02-2005	20.00	20.00		20.00	तदैव	तदैव
18.	बांधवगढ़ के लिये एक टूरिस्ट बस	01-02-2005	25.00	25.00		25.00	तदैव	तदैव
19.	बांधवगढ से सतना एवं जबलपुर के लिये दो टूरिस्ट बसे	01-02-2005	40.00	40.00		40.00	तदैव	तदैव
	योग		**1084.00**	**1065.00**	**19.00**	**1079.00**		

परिशिष्ट 13

(कण्डिका 2.2.14 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के बकाया का श्रेणीवार विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्रक

श्रेणी	31 मार्च को बकाया देयतायें (करोड़ रूपयों में)					2002-03 की तुलना में 2006-07 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत
	2003	2004	2005	2006	2007	
निम्न दाव						
घरेलू	105.18	160.65	217.68	198.55	243.38	131.39
कृषि संबंधी पंप	217.52	387.46	522.52	159.09	295.65	35.92
योग (घरेलू एवं कृषि)	**322.70**	**548.11**	**740.20**	**357.64**	**539.03**	**67.04**
गैर घरेलू	16.18	19.15	21.56	24.79	27.10	67.49
औद्योगिक	12.10	15.90	15.63	9.58	10.58	-
वाटरज वकर्स	5.31	5.42	8.77	11.33	12.45	134.46
स्ट्रीट लाइट	5.50	7.21	10.35	13.35	13.78	150.55
अन्य	0.60	-2.07	-2.02	-1.36	-1.26	-
कुल निम्न दाव	**362.39**	**593.76**	**794.49**	**415.33**	**601.68**	**66.03**
कुल निम्न दाव उपभोक्ताओं के बकाया में, घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के बकाया का प्रतिशत	**89.05**	**92.31**	**93.17**	**86.11**	**89.59**	**--**
कुल उच्च दाव	**532.27**	**607.08**	**695.56**	**600.82**	**651.73**	**22.44**
कुल योग निम्न दाव तथा उच्च दाव	**894.66**	**1,200.84**	**1,490.05**	**1,016.15**	**1,253.41**	**40.10**

परिशिष्ट 14

(कण्डिका 2.3.10 में सन्दर्भित)

अमरकंटक ताप विधुत केन्द्र, चचाई के न्यून ताप क्षमता के कारण ताप खपत का अधिक्य दर्शाने वाला विवरण पत्र

(क) विधुत गृह केन्द्र-I

क्रम संख्या	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
1.	औसत खपत					
	(क) कोयला (केजी/केडब्ल्यू एच)	0.82	1.01	1.07	1.13	1.02
	(ख) तेल (एम एल/के डब्ल्यू एव)	12.10	27.70	14.49	15.25	8.77
2.	औसत केलोरी मूल्य					
	(क) कोयला (केसीए एल/केजी)	4,578	4,544	4,643	4,552	4,536
	(ख) तेल (के.सी एल/लिटर)	10,566	10,522	10,533	10,596	10,668
3.	उपमुक्त ईधन की ताप दर					
	(क) कोयला (के सी एल/के डब्ल्यू एच अर्थात 1 (क)x2 (ख)	3,754	4,589	4,968	5,144	4,627
	(ख) तेल (के सी एएल/के डब्लू एच अर्थात 2 (ख)x1 (क)	127.85	291.46	152.62	161.59	93.56
4.	कुल उपमुक्त ताप (के सी ए एल/के डब्ल्यू एच) 3 (क) + 3(ख) (परिचलित ताप दर)	3,881.85	4,880.46	5,120.62	5,305.59	4,720.56
5.	प्राप्त ताप क्षमता (%) (860x 100 एच आर)	22.15	17.62	16.79	16.21	18.22
6.	निरूपित ताप क्षमता पर ताप की खपत (केसीएएल/के डब्ल्यू एच)	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871
7.	कोयले का औसत कैलोरी मूल्य (प्रति के अनुसार)	4,694	4,544	4,726	4,552	4,552
8.	न्यून ताप क्षमता के कारण अधिक ताप की खपत के सी ए एल/केडब्ल्यूएच) (4-6)	1,011	2,009	2,250	2,435	1,850
9.	विधुत उत्पादन (एम यू)	227.107	184.140	173.620	150.239	143.345
10.	उपमुक्त ताप का आधिक्य (एम के सी ए एल) 8x9	2,29,605	3,69,937	3,90,645	3,65,832	2,65,188
11.	उपमुक्त कोयले का आधिक्य (एम.के.जी.) 10/7	48,915	81,412	82,659	80,367	58,257
12.	कोयले कीऔसत दर (रूपये प्रति मैट्रिक टन)	988.38	971.69	1,144.76	1,151.21	1,119.79
13.	कोयले का मूल्य (करोड़ रूपये में) (11) x(12)	4.83	7.91	9.46	9.25	6.52

नोट **2871 के सी ए एल/के डब्ल्यू एल की निरूपित ताप दरन (एच आर) पर ताप क्षमता 29.95% अर्थात 860x 100/2871 आती है ।**

स्त्रोत **प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ें ।**

(ख) विधुतगृह-II की न्यून ताप क्षमता के कारण ताप खपत का आधिक्य

क्रम संख्या	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
1.	औसत खपत (क) कोयला (केजी/केडब्ल्यू एच) (ख) तेल (एमएल/केडब्ल्यू एच)	0.76 5.61	0.83 7.71	0.84 6.57	0.84 6.93	0.82 2.88
2.	औसत ताप मूल्य (क) कोयला (केसीएल/केजी) (ख) तेल (केसीएल/लिटर)	4.578 10.566	4.492 10.522	4.634 10.533	4.516 10.596	4.528 10.668
3	उपमुक्त ईधन की ताप दर 1(क) * 2 (क) (क)कोयला(केसीएएल/केडब्लू एच (ख) तेल (केसीएएल/के डब्ल्यूएच)	3,479.28 59.28	3,728.36 81.12	3,892.56 69.20	3,793.44 73.43	3,712.96 30.72
4	उपमुक्त का नाम (के सीए एल/के डब्ल्यू एच) 3 (क)+3 (ख) (आपरेटिंग एम एच आर)	3.538.56	3.809.48	3.961.76	3.866.87	3.743.68
5	प्राप्त ताप क्षमता % 860 X 100 एच आर	24.30	22.58	21.71	22.24	22.97
6	निरूपित ताप क्षमता पर ताप की खपत (केसीएएल/के डब्ल्यू एच)	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469
7	कोयले का औसत कैलोरी मूल्य (प्रति के अनुसार)	4.694	4.582	4.741	4.675	4.684
8	न्यून ताप क्षमता के कारण अधिक ताप की खपत के सी ए एल/केडब्ल्यूएच) (4-6)	1.069.56	1.340.48	1.492.76	1.397.87	1.274.68
9	विधुत उत्पादन (एम यू)	1,215.901	986.135	1.025.486	952.565	1.108.831
10	उपमुक्त ताप का आधिक्य (एम के सी ए एल) 8X 9	13.00,479.07	13.21.894.24	15.30.804.48	13.31.562.04	14.13,404.70
11	उपमुक्त कोयले का आधिक्य (एम.के.जी.) 10/7	2,77,051	2.88.497	3.22.886	2,84.826	3,01,752
12	कोयले कीऔसत दर (रूपये प्रति मैट्रिक टन)	988.38	971.69	1.144.76	1,151.21	1,119.79
13	कोयले का मूल्य (करोड़ रूपये में) (11) X(12)	27.38	28.03	36.96	32.79	33.79

नोट 2969 के सी ए एल/के डब्ल्यू एल की निरूपित ताप दरन (एच आर) पर ताप क्षमता 34.83% अर्थात 860x 100/2469 आती है ।

स्त्रोतः प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ें ।

परिशिष्ट 15

(कण्डिका 2.3.11 में संदर्भित)

विद्युत गृह के ताप दर में कारण वार वृद्धि तथा अमरकंटक के विद्युत गृह-II के निरूपित पैरामीटरों से विचलनों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक .

विवरण	वर्ष	निरूपित पैरामीटर	रनिंग पैरामीटर	विचलन	ताप दर में वृद्धि (केसीएल/कब्ल एच)	कोयले का औसत कैलोरी मूल्य	विशिष्ट कोयले की खपत में वृद्धि	उपमुक्त कोयले का आधिक्य (मैट्रिक टन)
							8=6/7	9=8*MU
1	2	3	4	5	6	7		
कनण्डेन्सर वैक्यूम (@ 19.74 केसीएएल/केडब्ल्यू एच प्रति 10एमएम विचलन)	2002-03	680एमएम एचजीसी	593	87	171.74	4578	0.038	46204
	2003-04	तदैव	594	86	169.76	4492	0.038	37473
	2004-05	तदैव	583	97	191.48	4634	0.041	42045
	2005-06	तदैव	617	63	124.36	4516	0.028	26672
	2006-07	तदैव	645	35	69.09	4528	0.015	16632
मेनस्टीम टैम्परेचर (@ 9.22 प्रति 10 सी विचलन)	2002-03	540 C	512	28	25.82	4578	0.006	7295
	2003-04	तदैव	509	31	28.58	4492	0.006	5917
	2004-05	तदैव	510	30	27.66	4634	0.006	6153
	2005-06	तदैव	510	30	27.66	4516	0.006	5715
	2006-07	तदैव	506	34	31.35	4528	0.007	7762
फ्लू गेसेस में आक्सीजन (दर के.सी.ए.एल 7.5 के डब्ल्यू एच प्रति 1% विचलन)	2002-03	3%	6	3	22.50	4578	0.0049	5958
	2003-04	तदैव	7	4	30.00	4492	0.0067	6607
	2004-05	तदैव	6.5	3.5	26.25	4634	0.0057	5845
	2005-06	तदैव	6.5	3.5	26.25	4516	0.0058	5525
	2006-07	तदैव	6.5	3.5	26.25	4528	0.0058	6431
अनवर्न्ट इन वॉटम एश (दर 6 केसीएएल/केडब्ल्यू एच प्रति 1% विचलन)	2002-03	4%	7.52	3.52	21.12	4578	0.0046	5593
	2003-04	तदैव	7.50	3.50	21.00	4492	0.0047	4635
	2004-05	तदैव	9.95	5.95	35.70	4634	0.0077	7896
	2005-06	तदैव	10.25	6.25	37.50	4516	0.0083	7906
	2006-07	तदैव	8.90	4.90	29.40	4528	0.0065	7207
पार्शियल लोडिंग (दर 21.38 के सी ए एल/केडब्ल्यू एच प्रति 10 एम डब्ल्यू विचलन)	2003-04	120 एम डब्ल्यू	80 MW	40	85.52	4492	0.0190	18737
	2004-05	तदैव	तदैव	तदैव	85.52	4634	0.0185	18972
	2005-06	तदैव	तदैव	तदैव	85.52	4516	0.0189	18004
	2006-07	तदैव	तदैव	तदैव	85.52	4528	0.0189	20957
मैकअप वाटर (दर 20 केसी एएल प्रति 1% विचलन)	2002-03	2%	8.75	6.75	135.00	4578	0.029	35261
	2003-04	तदैव	11.27	9.27	185.40	4492	0.041	40431
	2004-05	तदैव	11.41	9.41	188.20	4634	0.040	41019
	2005-06	तदैव	14.58	12.58	251.60	4516	0.056	53344
	2006-07	तदैव	10.51	8.51	170.20	4528	0.038	42136
							योग	**554332**

टिप्पणी- उपमुक्त कोयले का आधिक्य विशिष्ट कोयले की खपत में वृद्धि मिलियन यूनिटों मेंसफल उत्पादन

स्त्रोतः प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ें ।

परिशिष्ट 16

(कण्डिका 2.3.12 में संदर्भित)

अमरकंटक ताप विधुत केन्द्र के विधुत गृह-I एवं विधुत गृह II पर कोयले की अधिक खपत को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्रम संख्या	विवरण	विधुत गृह-I (1x30 एम डब्लू+1x20 एम डब्लू)					विधुत गृह-II (2x20 एम डब्लू+2x20 एम डब्लू)				
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	वास्तविक उत्पादन (एमयू)	227.107	184.140	173.620	150.240	143.345	1,215.901	986.135	1025.486	952.565	1,108.831
2.	86% (वि.गृ.-I) एवं 86.76% (वि.गृ.-II) वायलर क्षमता पर अनुबंधित ताप दर	2,871	2.871	2,871	2,871	2,871	2,469	2,469	2.469	2,469	2,469
3.	विधुत के लिये कोयले* की मानक खपत प्रति के डब्ल्यूएच के जी (के डब्लूयूएच 2/1)	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.449	0.449	0.449	0.449	0.449
4.	वास्तविक विधुत के कोयले की मानक खपत (एम टी एस) (1)x(3)	1.28,997	1.04.592	98.616	85,336	81,420	5,45,940	4.42,775	4,60,443	4.27,702	4,97,865
5.	कोयले की वास्तविक खपत (एम टी)	1,85.871	1.85.762	1.86,259	1,70,403	1,46,891	9,26,156	8,15,780	8,64,824	8.04,506	9,03,825
6.	अधिक खपत (एम टी)	56.874	81,170	87.643	85,067	65.471	3,80,216	3,73,005	4,04,381	3.76,804	4,05,960
7.	विशिष्ट कोयले की खपत (केजी/केडब्ल्यू एच)	0.82	1.01	1.07	1.13	1.02	0.76	0.83	0.84	0.84	0.82
8.	विशिष्ट कोयले की अधिक खपत (केजी/केडब्ल्यू एच)	0.25	0.44	0.50	.0.56	0.45	0.31	0.38	0.38	0.39	0.37
9.	राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट कोयले की खपत (केजी/के डब्ल्यू एच)	0.71	0.70	0.71	0.70	NA	0.71	0.70	0.71	0.70	NA

* **कोयले की निरूपित केलोरी मूल्य पर वि.गृ-I के लिये 5058 के सी ए एल/केजी तथा विगृ-II के लिये 5500 के सी.ए.एल/केजी**

स्त्रोतः प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ें ।

परिशिष्ट 17

(कण्डिका 2.3.16 में संदर्भित)

अमरकंटक विद्युत ताप ग्रह, चचाई में डी एम वाटर की अधिक खपत के कारण अधिक व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्र

वर्ष	उत्पादन	मानक के अनुसार अपेक्षित रटीम	डी एम वाटर की खपत हेतु लक्ष्य	डी एम वाटर की वास्तविक खपत (प्रतिशत)	डी एम वाटर की ज्ञातविक खपत	डी एम वाहर की अधिक खपत (6-4)	डी एम बाहर उत्पादन का मूल्य	अधिक खपत के कारण अधिक रूपए
	एम डब्ल्यू	वि.गृ-I 5 दर्ज की दर वि.गृ-II 5	3 के 3 की दर से	%	मीट	मीट	रू./मीट	रूपये
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विधुत-I (1x30+1x20एम डब्ल्यू)								
2002-03	2,27,107	11,35,535	34,066	12.67	1,71,408	1,37,342	9.85	13,52,819
2003-04	1,84,140	9,20,700	27,621	16.58	1,75,828	1,48,207	7.90	11,70,835
2004-05	1,73,619	8,68,095	26,043	17.98	1,79,404	1,53,361	9.36	14,35,459
2005-06	1,50,239	7,51,195	22,536	22.31	1,91,290	1,68,754	8.50	14,34,409
2006-07	1,16,609	5,83,045	17,491	18.30	1,50,642	1,33,151	10.16	13,52,814
							योग	**67,46,336**
विधुत-II (2x120 एम डब्लू)								
2002-03	12,15,901	46,20,424	1,38,613	8.75	4,14,290	2,75,677	9.85	27,15,418
2003-04	9,86,135	37,47,313	1,12,419	11.27	4,29,820	3,17,401	7.90	25,07,468
2004-05	10,25,486	38,96,847	1,16,905	11.41	4,80,700	3,63,795	9.36	34,05,121
2005-06	9,52,565	36,19,747	1,08,592	14.58	5,14,950	4,06,358	8.50	34,54,040
2006-07	11,08,831	42,13,558	1,26,406	10.51	4,69,180	3,42,774	10.16	34,82,584
							योग	**1,55,64,631**
							योग	**2,23,10,967**

स्त्रोतः प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ें ।

परिशिष्ट 18

(कण्डिका 2.3.17 में सन्दर्भित)

अमरकंटक विद्युत ताप गृह चचाई के उपलब्ध घन्टे, परिचालित घन्टे तथा शट डाऊन घन्टो का विवरण प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्रक

क्र.सं.	विवरण	2002-03				2003-04				2004-05				2005-06				2006-07			
	मिद्स	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	कुल उपलब्ध घण्टे	8,760	8,760	8,760	8,760	8,784	8,784	8,784	8,784	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8760	8760
2	वास्तविक परिचालित घण्टे	7,129	6,407	7,557	6,834	6,799	5,585	6,855	6,666	7,005	4,915	6,885	7,209	5,653	5,553	6,924	6871	4,390	4,816	7071	7905
3	परिचालन उपलबधता %	81.39	73.15	86.28	78.02	77.40	63.58	78.04	75.89	79.76	55.96	78.39	82.08	64.36	63.22	78.84	78.22	49.99	54.83	80.50	90.
4	अखिल भारतीय औसत की परिचालन उपलब्धता	81.83	81.83	81.83	81.83	82.93	82.93	82.93	82.93	82.93	82.93	82.93	82.93	81.78	81.78	81.78	81.78	NA	NA	NA	NA
5	शट डाऊन घण्टे																				
(क)	नियोजित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	824	737	निरंक	निरंक	625	708	निरंक	निरंक	838	529	निरंक	निरंक	1,078	निरंक
(ख)	अनियोजित	1,630	2,352	1,202	1,445	1,984	3,198	1,104	1,380	1,754	3,844	1,249	842	3,106	3,206	996	1,359	4,369	3,943	610	854
6	प्रतिशतता																				
(क)	कुल उपलब्ध घण्टों की तुलना में नियोजित शट डाऊन	निरंक	निरंक	निरंक	5.48	निरंक	निरंक	9.38	8.39	निरंक	निरंक	7.13	8.08	निरंक	निरंक	9.57	6.04	निरंक	निरंक	12.31	निरंक
(ख)	उपलबध घण्टों की तुलना में अनियोजित शट डाऊन	18.61	26.85	13.72	16.50	22.59	36.41	12.57	15.71	20.02	43.88	14.26	9.61	35.46	36.60	11.37	15.51	49.87	45.01	6.96	9.75
	योग (प्रतिशत)	18.61	26.85	13.72	21.98	22.59	36.41	21.95	24.1	20.02	43.88	21.39	17.69	35.46	36.60	20.94	21.55	49.87	45.01	19.27	9.75
7	उपलब्ध घण्टों के 10% से अधिक की हड़ताल	8.61	16.85	3.72	11.98	12.59	26.41	11.95	14.10	10.02	33.88	11.39	7.69	25.46	26.60	10.94	11.55	39.87	35.01	9.27	-
	कुल अधिक घण्टे	754	1,476	326	1,049	1,106	2,320	1,050	1,239	878	2968	998	674	2230	2330	958	1012	3493	3067	812	-
8	उत्पादन हानि (एमयू)	22.62	29.52	39.12	125.88	33.18	46.40	126	148.68	26.34	59.36	119.76	80.88	66.90	46.60	114.96	121.44	104.79	61.34	97.44	-

स्त्रोतः प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़े ।

परिशिष्ट 19

(कंडिका क्र. 2.3.18 में संदर्भित)

अमरकंटक विद्युत ताप गृह की इकाइयों का नवीनीकरण में अधिक समय के कारण हुई उत्पादन हानि दर्शाने वाला विवरण पत्र

स. क्र.	संयंत्र इकाइयां	क्षमता मे. वा.	नवी. का प्रकार	नवीनीकरण की अवधि		लिये गये दिनांक संख्या	मानक अनुसार दिन	अधिक लिये गये दिन	उत्पादन हानि (मि.यू.)
				निर्गमन की तारीख	वापसी की तारीख				
1	फेस-II 3	120	वा.नवी.	03.08.03	06.09.03	34	30	4	11.52
2	4	120	वा.नवी.	12.03.03	01.05.03	50	30	20	57.60
3	3	120	वा.नवी.	08.08.04	03.09.04	26	30	-	
4	4	120	वा.नवी.	23.08.04	22.09.04	29	30		
5	3	120	वा.नवी.	01.08.05	04.09.05	34	30	4	11.52
6	4	120	वा.नवी.	17.09.05	23.10.05	36	30	6	17.28
7	3	120	वा.नवी.	15.08.06	29.09.06	45	30	15	43.20
योग								**49**	**141.12**
	फेस-I								
8	इकाई-1 बायलर-1	30	वा.नवी.	28.02.02	05.05.02	66	30	36	
9	इकाई-2 बायलर-2		वा.नवी.	15.01.03	15.02.03	32	30	2	
10	इकाई-2 बायलर-3	20	वा.नवी.	03.02.02	27.02.02	25	-	-	
11	इकाई-2 बायलर-4		वा.नवी.	07.04.02	18.07.02	103	30	73	
12	इकाई-1 बायलर-1	30	वा.नवी.	05.11.03	07.01.04	64	30	34	
13	इकाई-1 बायलर-2		वा.नवी.	असंचालित					
14	इकाई-2 बायलर-3	20	वा.नवी.	01.07.03	22.07.03	22	--	--	
15	इकाई-2 बायलर-4		वा.नवी.	17.04.03	15.06.03	60	30	30	
16	इकाई-1 बायलर-1	30	वा.नवी.	असंचालित					
17	इकाई-1 बायलर-2		वा.नवी.	26.06.04	25.07.04	30	--	--	
18	इकाई-2 बायलर-3	20	वा.नवी.	29.07.04	15.10.04	79	30	49	टी.जी.उत्पादन बंद नहीं जो हानि हुई वह आंशिक हानि में शामिल
19	इकाई-2 बायलर-4		वा.नवी.	11.11.04	25.12.04	45	30	15	
20	इकाई-1 बायलर-1	30	वा.नवी.	06.04.05	08.05.05	33	30	3	
21	इकाई-1 बायलर-2		वा.नवी.	05.08.05	06.10.05	63	30	33	
22	इकाई-2 बायलर-3	20	वा.नवी.	18.10.05	03.12.05	47	30	17	
23	इकाई-2 बायलर-4		वा.नवी.	21.12.05	21.02.06	63	30	33	
24	इकाई-1 बायलर-1	30	वा.नवी.	14.08.06	30.09.06	48	30	18	
25	इकाई-1 बायलर-2		वा.नवी.	25.09.06	31.10.06	37	30	7	
26	इकाई-2 बायलर-3	20	वा.नवी.	22.11.06	31.12.06	40	3	10	
27	इकाई-2 बायलर-4		वा.नवी.	22.02.07	प्रगति पर	--	--	--	
28	इकाई -1	30	वा.नवी.	29.08.05	08.11.05	72	45	27	19.444
योग								**387**	

स्त्रोतः प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़े ।

परिशिष्ट 20

(कंडिका 2.4.22 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये क्रय किये गये हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का विवरण

क्र. संख्या	श्रेणी	मद	क्रय की गई इकाइयां	इकाइयों की आवश्यकता	क्रय की गइ अधिक इकाइयां	प्रति इकाइ मुल्य (रूपये)	अधिक व्यय (रूपये)
1	हार्डवेयर	सर्वर टाइप III	20	0	20	133261.00	2665220
2		डेस्कटॉप	480	84	396	47441.00	18786636
3		यू.पी.एस.500वीए	579	0	579	2950.00	1708050
4		132कॉलम डीएमपी	145	38	107	13750.00	1471250
5		80 कॉलम डीएमपी	103	0	103	9675.00	996525
6	सॉफ्टवेयर	विन 2000 सर्वर फॉर सर्वर टाइप III	20	0	20	28756.20	575124
7		2 वर्षो के लिये अग्रिम सपोर्ट	20	0	20	21132.70	422654
8		सर्वर के लिये ओरेकल ऑलेप लायसेन्सेज	20	0	20	12231.00	244620
9		ओरेकल डिस्कवर इडीशन लायसेन्स	20	0	20	30570.00	611400
10		विन 2000 सर्वर कॉल्स	480	84	396	1345.32	532746.7
11		ओरेकल डाटाबेस 9i लायसेन्स	480	84	396	244550	9684180
12		ओरेकल 9i एप्लीकेशन सर्वर लायसेन्स	480	84	396	12231.00	4843476
योग							4,25,41,882

परिशिष्ट 21

(कंडिक 3. .7 में संदर्भित)

केप रूपान्तरण सहित गोदामो की क्षमता में हुई वास्तविक वृद्धि की तुलना में नये गोदाम बनाने के लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण पत्रः

वर्ष	लक्ष्य			वास्तविक			कमी		
	एम.ओ.यू. के अनुसार गोदामों की संख्या	एम.ओ.यू. के अनुसार क्षमता (लाख मैट्रिक टन में)	पुनरीक्षित बजट अनुमान के अनुसार प्रस्तावित व्यय (लाख रूपयों में)	गोदामों की संख्या	क्षमता (लाख मैट्रिक टन में)	लागत (लाख रूपयों में)	गोदामों की संख्या	क्षमता (लाख मैट्रिक टन. में)	व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2002-03	21	0.37	709.00	11	0.14	238.13	10	0.23	(+) 470.87
2003-04	23	0.56	137.59	8	0.17	370.59	15	0.39	(-) 233.00
2004-05	22	0.47	855.29	4	0.06	89.72	18	0.41	(+) 765.57
2005-06	34	1.45	2742.74	22	0.73	1293.39	12	0.72	(+) 1449.35
2006-07	41	1.17	2014.25	14	0.55	1023.33	27	0.62	(+) 990.92
योग	**141**	**4.02**	**6458.87**	**59**	**1.65**	**3015.16**	**82**	**2.37**	**3443.71**

परिशिष्ट 22

(कंडिका 3. .17 में संदर्भित)

मार्च 2007 को समाप्त हुए पाँच वर्षो की अवधि के हेतु मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन की उपलब्ध क्षमता एवं उसके उपयोग के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र

स. क.	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	वर्ष के अंत में भण्डार केन्द्रों की संख्या	220	229	230	232	232
2	भण्डार गोदामों की संख्या					
(क)	स्व गोदाम	887	899	895	907	947
(ख)	किराये के गोदाम	378	347	389	376	229
	योग	**1265**	**1246**	**1284**	**1283**	**1176**
3	वर्ष के दौरान उपलब्ध औसत भण्डारण क्षमता (लाख मैट्रिक टन में)	11.79	11.67	11.78	11.88	11.71
(क)	स्व गोदाम	9.51	9.63	9.65	9.78	10.53
(ख)	किराए के गोदाम	2.28	2.04	2.13	2.10	1.18
	योग	**11.79**	**11.67**	**11.78**	**11.88**	**11.71**
4.	वर्ष के दौरान उपयोग की गई औसत क्षमता	9.50	9.05	9.22	9.46	8.26
(क)	स्व गोदाम (वास्तविक)	6.36	5.93	6.18	6.00	5.62
(ख)	किराए के गोदाम (वास्तविक)	1.82	1.63	1.84	1.77	1.08
ख	**योग (वास्तविक)**	**8.18***	**7.56***	**8.02***	**7.77***	**6.70***
5.	उपलब्ध क्षमता के उपयोग का प्रतिशत	81	77	78	80	71
(क)	स्व गोदाम (वास्तविक)	67	62	64	61	53
(ख)	किराए के गोदाम (वास्तविक)	80	80	86	84	92
ग.	कुल उपयोग (वास्तविक)	69	65	68	65	57

** में अन्तर आरक्षित भण्डार के लिये स्थान खाली रखने के कारण है । क्योंकि निगम गोदाम वार आरक्षण नहीं करता है इस कारण अंतर उत्पन्न हुआ ।*

परिशिष्ट 23

(कंडिका 3. .18 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन के केन्द्रो की उपयोगिता प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण पत्र

(अधिकार, हजार मैटिक टन में)

उपयोगिता का प्रतिशत	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	वर्ष के दौरान केन्द्रों की संख्या	औसत उपयोग	वर्ष के दौरान केन्द्रों की संख्या	औसत केन्द्रों की संख्या	वर्ष के दौरान केन्द्रों की संख्या	औसत उपयोग	वर्ष के दौरान केन्द्रों की संख्या	औसत उपयोग	वर्ष के दौरान केन्द्रों की संख्या	ओसत उपयोग
26 प्रतिशत से कम	4	0.55	1	0.16	6	1.04	3	0.15	17	6.12
26 से 50 प्रतिशत	9	6.56	21	37.58	9	12.96	16	26.44	37	68.86
51 से 74 प्रतिशत	66	293.13	67	236.77	65	305.87	64	272.37	81	281.15
योग	**79**	**300.24**	**89**	**274.51**	**80**	**319.87**	**83**	**298.96**	**135**	**356.13**
75 प्रतिशत एवं अधिक	141	650.21	142	629.89	153	602.36	151	646.63	98	469.71
महायोग	**220**	**950.45**	**231**	**904.40**	**233**	**922.23**	**234**	**945.59**	**233**	**825.84**

परिशिष्ट 24

(कंडिका 3. .44 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन बावत वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक के लिए वर्ष बार पुनरीक्षित अनुमान वास्तविक व्यय तथा आय और पूंजी व्यय, राजस्व व्यय तथा आय में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण पत्रः

(लाख रूपयों में)

क्र. स.	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	**पूजीं व्यय**					
i	पुनरीक्षित अनुमान	729.00	177.59	1005.29	*3092.74*	2414.25
ii	वास्तविक व्यय	385.42	216.46	259.63	1893.76	1428.27
iii	भिन्नता, बचत (-)/ आधिक्य (+)	(-)343.58	(+)38.87	(-)745.66	(-)1198.98	(-)985.98
iv	भिन्नता का प्रतिशत	47.13	21.89	74.17	38.76	40.84
2	**राजस्व व्यय**					
i	पुनरीक्षित अनुमान	2406.00	2378.35	2594.50	2806.50	2979.50
ii	वास्तविक व्यय	2185.33	2248.75	2767.79	2576.30	2797.14
iii	भिन्नता, बचत (-)/ आधिक्य (+)	(-) 220.67	(-)129.60	(+)173.29	(-) 230.20	(-) 182.36
iv	भिन्नता का प्रतिशत	9.17	5.45	6.68	8.20	6.12
3	**भण्डारण प्रभार**					
i	पुनरीक्षित अनुमान	3290.00	3564.00	3515.00	3985.00	3458.०8
ii	वारतविक	3511.25	3263.76	3471.24	3763.64	3238.98
iii	भिन्नता, बचत (-)/ आधिक्य (+)	(+)221.25	(-) 300.24	(-) 43.76	(-) 221.36	(-) 219.90
iv	भिन्नता का प्रतिशत	6.72	8.42	1.24	5.55	6.35

परिशिष्ट 25

(कंडिका 4.17 में संदर्भित)

लेखाओं को अंतिम रूप देने के समय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप धारा (3 ग) के अंतर्गत लेखाओं के मानकों का अतिक्रमण करने वाली कम्पनी/निगम को दर्शाने वाला विवरण पत्र

कम्पनिया/कारपोरेशन		जिस वर्ष तक लेखे पूर्ण किये गये	लेखा मानकों के नाम (अतिक्रमण का वर्ष कोष्ठक में है)	कुल अतिक्रमण की गई लेखा मानकों की संख्या
क	कम्पनी का नाम			
1.	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि.इन्दौर	2005-06	AS-2, AS-4, AS-9, AS-10, AS-22 (2005-06)	05
2	म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लि. भोपाल	2000-01	AS-1, AS-5, AS-9. AS-15 (2000-01)	04
3.	म.प्र.पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम लि. भोपाल	1998-99	AS-1, AS-5, AS-9 (1998-99)	03
4.	म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लि.इन्दौर	2004-05	AS-10 (2003-04), AS-16 (2004-05), AS-9, AS-12, AS-15, AS-22 (2003-04 & 2004-05)	06
5.	म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लि. भोपाल	2005-06	AS-1. AS-9, AS-15, AS-28 (2004-05 & 2005-06)	04
6	म.प्र.पुलिस गृह निर्माण निगम लि. भोपाल	2005-06	AS-1 (2001-02 to 2005-06), AS-4 (2003-04), AS-15 (2000-01 to 2004-05), AS-22, AS-26 (2002-03 to 2005-06)	05
7	म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	2003-04	AS-12, AS-13. AS-15 (1999-2000 to 2003-04)	03
8	म.प्र.राज्य कृषि उद्योग निगम लि. भोपाल	2002-03	AS-3, AS-15 (2001-02), AS-10 (2001-02 to 2002-03)	03
9	म.प्र.राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. भोपाल	2004-05	AS-13, AS-15 (2000-01 to 2004-05)	02
10	म.प्र.लघु उद्योग निगम लि. भोपाल	2005-06	AS-2, AS-7, AS-9. AS-15 (2002-03 to 2004-05), AS-13 (2004-05), AS-21 (2003-04 to 2005-06)	06
11	म.प्र.व्यापार एवं निवेश सुविधा निगम लि. भोपाल	2004-05	AS-15 (2002-03), AS-22 (2003-04 & 2004-05)	02

	कम्पनिया/कारपोरेशन	जिस वर्ष तक लेखे पूर्ण किये गये	लेखा मानकों के नाम (अतिक्रमण का वर्ष कोष्ठक में है)	कुल अतिक्रमण की गई लेखा मानकों की संख्या
12	म.प्र.राज्य वन विकास लि. भोपाल	2005-06	AS-15 (2001-02 to 2005-06), AS-22 (2003-04 to 2005-06)	02
13	म.प्र.राज्य विद्युत विकास निगम लि.	2004-05	AS-3, AS-13, AS-17, AS-19, AS-28 (2004-05), AS-15 (2003-04 & 2004-05), AS-21, AS-22, AS-23, AS-25, AS-27 (2002-03 to 2004-05)	11
14	म.प्र.ऊर्जा विकास निगम लि.	2005-06	AS-1, AS-2, AS-5, AS-9, AS-10, AS-12, AS-13, AS-22 (2005-06), AS-15 (2003-04 & 2005-06)	09
15	म.प्र.राज्य खनिज निगम लि.	2005-06	AS-13, AS-19, AS-26 (2003-04), AS-15 (2003-04 to 2005-06), AS-22 (2003-04 & 2004-05), AS-4, AS-6 (2005-06)	07
16	म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लि. रीवा	2005-06	AS-3, AS-15, AS-22 (2005-06)	03
17	म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लि. जबलपुर	2004-05	AS-3 (2004-05)	01
18	म.प्र.विद्युत पारेषण कम्पनी एवं लि.	2006-07	AS-15, AS-16, AS-18, AS-22, AS-28 (2005-06 & 2006-07), AS-20, AS-29 (2006-07)	07
19	म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण क.लि. भोपाल	2005-06	AS-2, AS-6, AS-9, AS-10, AS-13, AS-15, AS-22, AS-29 (2005-06)	08
20	म.प्र.हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2002-03	AS-2 (2002-03)	01
21	म.प्र.विद्युत उत्पादन कम्पनी जबलपुर	2005-06	AS-15 (2005-06)	01
ख	**सांविधिक निगम**			
22	म.प्र.वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन लि. भोपाल	2005-06	AS-12, AS-15 (2004-05 & 2005-06)	02
23	म.प्र. वित्त निगम लि. भोपाल	2005-06	AS-15, AS-21 (2004-05 & 2005-06)	02
			महायोग	**97**

परिशिष्ट- 26

(कंडिका 4.18.1 मे सन्दर्भित)

प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षा पर प्राप्त नहीं हुई व्यख्यात्मक टिप्पणीयों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

क्र. स.	विभाग का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	योग
1.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग	--	--	17	17
2.	वन	--	--	20	20
3.	वित्त	--	--	28	28
4.	उर्जा	--	43	34	77
5.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	--	--	06	06
6.	वाणिज्य एवं उद्योग	--	19	04	23
7.	परिवहन	--	02	--	02
8.	ग्राम उद्योग	02	--	--	02
9.	सामान्य (अन्य विभागो से संबंधित)	--	49	--	49
	योग	**02**	**113**	**109**	**224**

परिशिष्ट 27

(कंडिका 4.19 में संदर्भित)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) तथा कंडिकाएं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित है, दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र. सं.	विभाग का नाम	सरकारी उपक्रमो की संख्या	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया कंडिकाओं की संख्या	प्राम्भिक वर्ष जहाँ से कंडिकाएं बकाया है
1.	ऊर्जा	02	1543	3597	1985-86
2.	परिवहन	01	346	1013	1990-91
3.	वाणिज्य एवं उद्योग	12	70	229	1992-93
4.	खनिज संसाधन	01	05	19	2000-01
5.	आदिम जाति कल्याण	01	07	35	1994-95
6.	पर्यटन	01	09	67	1993-94
7.	गृह	01	12	41	1992-93
8.	ग्रामीण उद्योग	02	19	67	1987-88
9.	कृषि	01	10	43	1990-91
10.	अल्प संख्यक कल्याण	01	02	8	2004-05
11.	वन	01	07	57	1998-99
12.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	02	17	141	1991-92
13.	वित्त	02	06	20	1998-99
	योग	**28**	**2053**	**5337**	

परिशिष्ट 28

(कंडिका 4.19 में संदर्भित)

समीक्षाऐं एवं प्रारूप कंडिकाएं, जिनके उत्तर लंबित हैं

क्रम संख्या	विभाग का नाम	समीक्षाओं की संख्या	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	जारी की अवधि
1.	पर्यटन	01	--	अगस्त 2007
2.	खाद्य, नागरिक आपूर्ती एवं उपभोक्ता संरक्षण	01	01	जून-अगस्त 2007
3.	खनन संपदा	--	03	जून-मई 2007
4.	गृह (पुलिस)	--	02	जून 2007
5.	लोक निर्माण	--	02	जून 2007
6.	वाणिज्य एवं उद्योग	--	01	अगस्त 2007
7.	ऊर्जा	--	05	मई-जून 2007
योग		**02**	**14**	